# लोक-सभा वाद-विवाद

## का

# संक्षिप्त अनूदित संस्करण

# SUMMARISED TRANSLATED VERSION
# OF
# 4th
# LOK SABHA DEBATES

चौथा सत्र
**Fourth Session**

Preservation Date 17-7-92
Fumigated On 16.1.84
Parliament Library

सत्यमेव जयते

[खंड 17 में अंक 51 से 61 तक हैं
**Vol. XVII contains Nos. 51 to 61**]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

**LOK SABHA SECRETARIAT**
**NEW DELHI**

मूल्य: एक रुपया

*Price : One Rupee*

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 56-शुक्रवार, 3 मई, 1968/13 वैशाख, 1890 (शक)

No. 56—Friday, May3, 1968/Vaisakha 13, 1890 (Saka)


| विषय | SUBJECT | पृष्ठ/PAGE |
|---|---|---|
| प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS | | |
| ता. प्र. सं. S. Q. Nos. | | |
| सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण | Member Sworn | |
| 1617. मंत्रियों पर व्यय | Expenditure on Ministers | 683—84 |
| 1618. मंत्रियों के दौरे | Ministers' Tours | 684—85 |
| 1619. जनसंख्या वृद्धि की दर | Growth Rate of Population | 685—87 |
| 1620. आम चुनावों में विदेशी धन का प्रयोग | Use of Foreign Money in General Elections | 687—90 |
| 1621. पाकिस्तानी घुसपैठ | Pakistani Infiltration | 690—91 |
| 1622. साम्प्रदायिकता का समाप्त किया जाना | Elimination of Communalism | 691—96 |
| 1623. मूर्तियों की चोरी | Theft of Idols | 696—97 |
| 1624. विदेशी एयरलाइन कम्पनियों द्वारा भारत को विमान सेवा बन्द करना | Suspension of Air Service to India by Foreign Airlines | 697—98 |
| अ. सू. प्र. सं. S. N. Q. Nos | | |
| 30. बिहार के दूर-संचार संपर्क में रुकावट | Disruption of Tele-Communications links of Bihar | 699—700 |
| प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS | | |
| ता. प्र. संख्या S. Q. Nos. | | |
| 1625. पश्चिम बंगाल सरकार के कर्मचारी | West Bengal Government Employees | 700 |
| 1626. आजाद हिन्द सरकार स्थापना दिवस | Foundation day of Azad Hind Government | 700 |


*किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

* The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the house by him.

| विषय | SUBJECT | पृष्ठ/PAGE |
|---|---|---|
| **ता. प्र. सं.** | | |
| **S. Q. Nos.** | | |
| 1627. नागाओं द्वारा विकास कार्यों में बाधा | Nagas obstructing Development works | 701 |
| 1628. प्राइमरी शिक्षकों के वेतन मान | Pay Scales of Primary teachers | 701 |
| 1629. ग्राम्य सड़कों का विकास | Development of Rural Roads | 701 |
| 1630. केन्द्रीय सरकार तथा दिल्ली प्रशासन के बीच कामों का बंटवारा | Demarcation of functions between the Union Government and Delhi Administration | 701—02 |
| 1631. दिल्ली विश्वविद्यालय में दाखिला | Admission in Delhi University | 702 |
| 1632. अपराध की स्थिति | Crime situation | 702 |
| 1633. काश्मीर में राजनैतिक स्थिति | Political Situation in Kashmir | 708 |
| 1634. बम्बई बन्दरगाह में सूखी गोदी की सुविधायें | Dry Docking Facilities at Bombay Port | 703 |
| 1635. बम्बई-आगरा सड़क | Bombay-Agra Road | 703 |
| 1636. गुजरात सरकार के श्री नागरवाला के विरुद्ध भ्रष्टाचार का मामला | Anti-Corruption Case against Shri Nagarwala of Gujarat Government | 704 |
| 1637. राष्ट्रीय एकता परिषद् | National Integration Council | 704—05 |
| 1638. हरियाणा सरकार के कर्मचारियों की भूख हड़ताल | Hunger Strikes by Haryana Government Employees | 705 |
| 1639. रूसी विमान | Soviet Planes | 705 |
| 1641. नेफा में सड़कों का विकास | Development of Roads in NEFA | 706 |
| 1642. अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये सेवाओं में आरक्षण | Reservation in Services for Scheduled Castes and Scheduled Tribes | 706 |
| 1643. राष्ट्रीय वैज्ञानिक आयोग | National Commission of Scientists | 706—07 |
| 1644. आग बुझाने वालों को बहादुरी का पुरस्कार | Gallantry Award for Fire Fighters | 707 |
| 1645. भाषा नीति संबंधी संकल्प की क्रियान्विति | Implementation of Resolution on Language Policy | 707—08 |
| 1646. पुरुलिया में छर्रा हवाईपट्टी के निकट विस्फोटकों का पाया जाना | Explosives found near Chharra Air-strip, Purulia | 708 |
| **अ. ता. प्र. सं.** | | |
| **U. S. Q. Nos.** | | |
| 9395. इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन की विमान सेवाओं में विलम्ब | Delay in I.A.C. Services | 708—09 |
| 9396. दिल्ली में कारों तथा स्कूटरों की चोरी | Theft of Cars and Scooters in Delhi | 709—10 |

| विषय | SUBJECT | पृष्ठ/PAGE |
|---|---|---|
| अ. ता. प्र. सं. | | |
| U. S. Q. Nos. | | |
| 9397. सैक्युलर कोआपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसाइटी लिमिटेड, नई दिल्ली | Secular Co-operative House Building Society Ltd., New Delhi | 710 |
| 9398. मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच विवाद | Disputes between M.P. and Maharashtra | 711 |
| 9399. महाराष्ट्र में गैर-महाराष्ट्रीय लोग | Non-Maharashtrians in Maharashtra | 711 |
| 9400. उत्तर प्रदेश में पुल | Bridges in U.P. | 711 |
| 9401. एकस्वपत्र अपील | Letters Patent Appeals | 711—12 |
| 9402. मद्रास राज्य को अनुदान | Grants to Madras State | 712 |
| 9403. मद्रास में बहुशिल्प शिक्षणालय (पोलिटैक्निक) | Polytechnics in Madras | 712 |
| 9404. मदुरै–धनुषकोडि राष्ट्रीय राजपथ | Madurai-Dhanushkodi National Highway | 714 |
| 9405. ईसाई धर्म प्रचार स्कूल, शिमला | Missionary School, Simla | 714 |
| 9406. डा० तनवीर | Dr. Tanveer | 714 |
| 9407. इलाहाबाद में असद मदनी की गिरफ्तारी | Arrest of Asad Madni in Allahabad | 715 |
| 9408. राजधानी में कालेजों की वित्तीय कठिनाइयां | Financial Difficulties of Colleges in the Capital | 715—16 |
| 9409. तामिलनाड में केन्द्रीय गुप्तचर विभाग | Central Intelligence Bureau in Tamil-Nad | 716 |
| 9410. संसद-सदस्यों के क्वाटरों पर गुप्तकर विभाग के कर्मचारियों की तैनाती | Deployment of Intelligence Personnel at M.P's Quarters | 716 |
| 9411. मैसर्स राधाकृष्ण विमल कुमार फर्म के मालिकों को गिरफ्तार किया जाना | Arrest of Proprietors of M/s Radha Krishna Vimal Kumar | 717 |
| 9412. अरुवाँकाड स्थित कार्डाइट कारखाने में गोलीकांड | Firing in Cordite Factory, Aruvankadu | 717 |
| 9413. नेशनल सर्विस कोर | National Service Corps | 717—18 |
| 9414. हिल्टन होटल्स के साथ सहयोग | Collaboration with Hiltons | 718 |
| 9415. शिक्षा मंत्रालय के अधिकारियों की विदेश यात्राएं | Foreign Visits by Education Ministry Official | 718 |
| 9416. सरकारी समवायों । निगमों द्वारा करारों/ ठेकों पर हिन्दी में हस्ताक्षर किये जाना | Agreement/Contracts signed in Hindi by Government Companies/Corporations | 718—19 |
| 9417. पश्चिम बंगाल में निवारक निरोध अधिनियम | P.D. Act in West Bengal | 719 |
| 9418. उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश पर हमला | Assault on Supreme Court Judge | 719 |

| विषय | SUBJECT | पृष्ठ/PAGE |
|---|---|---|
| अ. ता. प्र. सं U. S. Q. Nos. | | |
| 9419. प्रतिभाशाली वैज्ञानिकों की खोज | Science Talent Search | 719—20 |
| 9420. पत्तनों का विकास | Development of Ports | 720 |
| 9421. सेफ्टी ज़ोनल कमिश्नर के पद की समाप्ति | Abolition of Post of Safety Zonal Commissioner | 720 |
| 9422. उत्तर प्रदेश में गोरखपुर जिले में सड़कें | Roads in Gorakhpur District, Uttar Pradesh | 720 |
| 9423. कृत्रिम वर्षा | Artificial Rains | 721 |
| 9424. इंडियन इंस्टीट्यूट आफ पैट्रोलियम, देहरादून | Indian Institute of Petroleum, Dehra-Dun. | 721 |
| 9425. दिल्ली में अनुसूचित जातियों के छात्रों के लिये छात्र-वृत्तियां | Scholarships for S.C. Students in Delhi. | 721—22 |
| 9427. इम्फाल-तामेंगलोंग सड़क पर विद्रोही नागाओं की गतिविधियां | Naga Activities on Imphal-Tamenglong Road | 722 |
| 9428. भारत का मानचित्र | Map of India | 722 |
| 9429. दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा गैर-सरकारी कालेजों को अपने अधिकार में लिया जाना | Taking over of Private Colleges by Delhi University | 722—23 |
| 9430. दिल्ली के पौलिटैक्निकों के लिये धन का नियतन | Allocation to Delhi Polytechnics | 723 |
| 9431. राज भवनों पर व्यय | Expenditure on Raj Bhavans. | 723—24 |
| 9432 एक दल को छोड़कर दूसरे दल में जाने वाले विधायक | Defecting Legislators. | 724 |
| 9433. केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी | Employees of Central Government. | 724 |
| 9435. जादवपुर विश्वविद्यालय | Jadavpur University | 724—25 |
| 9436. राष्ट्रीय आचार्यों का चयन | Selection of National Professorship | 725 |
| 9437. विदेश जाने वाली क्रिकेट टीमों को विदेशी मुद्रा | Foreign Exchange to Cricket Teams going Abroad | 725 |
| 9438. दिल्ली-नागपुर विमान सेवा | Delhi-Nagpur Air Service | 725—26 |
| 9439. हाकी टीम को दी गई विदेशी मुद्रा | Foreign Exchange granted to Hockey Team | 726 |
| 9440. मनीपुर तथा नागालैंड पहाड़ियों में सड़कों के सर्वेक्षण में लगे कर्मचारियों पर हमला | Attack on Employees engages in Survey of roads in Manipur and Nagaland Hills | 726 |
| 441. गोरखपुर जिले में पुलिस थाने | Police Stations in Gorakhpur District | 727 |
| 9442. उत्तर प्रदेश में रोड़वेज की बसों का चलना | Roadways Buses plying in U.P. | 727 |

| विषय | SUBJECT | पृष्ठ/PAGE |
|---|---|---|
| अ. ता. प्र. सं. | | |
| U. S. Q. Nos. | | |
| 9443. उत्तर प्रदेश में जूनियर हाई स्कूल | Junior High Schools in U.P. | 727 |
| 9444. वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् में अनर्ह व्यक्ति | Unqualified Persons in C.S.I.R. | 728 |
| 9445. दिल्ली में इन्द्रप्रस्थ बिजली घर के निकट यमुना नदी के बांध पर पुल | Jamuna Barrage Bridge near I.P. Power House, Delhi | 728 |
| 9446. सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध जांच | Enquiries against Government Employees | 728—29 |
| 9447. पाकिस्तानियों से हथियार बरामद करना | Recovery of Arms from Pakistanis | 729 |
| 9448. नक्सलबाड़ी आन्दोलन के उग्रवादियों से हथियारों की बरामदी | Recovery of Arms from Extremists of Naxalbari Movement. | 729 |
| 9449. पर्यटकों के लिये साहित्य | Tourist Literature | 729—30 |
| 9450. कचार जिले में पाकिस्तानी झण्डे का फहराया जाना | Pakistani Flag Hoisted in Cachar District | 730 |
| 9451. व्यापारी जहाजी बेड़े के अधिकारियों तथा अन्य कर्मचारियों का प्रशिक्षण | Training of Officers and Ratings of Merchant Navy | 730—31 |
| 9452. अखिल भारतीय सेवा | All Indian Service | 731 |
| 9454. दिल्ली पुलिस | Delhi Police | 731—32 |
| 9455. विदेशी ईसाई धर्म प्रचारक | Foreign Missionaries | 732 |
| 9456. काश्मीर में फेडरल व्यवस्था बनाने का सुझाव | Suggestion for a Federal Set-up in Kashmir | 732 |
| 9457. पंडित दीन दयाल उपाध्याय की हत्या | Murder of Pandit Din Dayal Upadhyaya | 732—33 |
| 9458. पर्यटन का विकास | Development of Tourism | 733 |
| 9459. अध्यापकों के लिये मजूरी बोर्ड | Wage Board for Teachers | 733 |
| 9460. विज्ञान सम्बन्धी राष्ट्रीय नीति | National Science Policy | 734 |
| 9461. विभिन्न गोदियों में चोरी के मामले | Cases of Thefts and Pilferage in various Docks | 734—35 |
| 9462. दिल्ली के शिक्षा निदेशालय के अधीन शिक्षक | Teachers under Directorate of Education Delhi | 735 |
| 9463. साम्प्रदायिक शान्ति | Communal Harmony | 735—36 |
| 9464. दिल्ली के अध्यापकों की मांगें | Delhi Teacher's Demands | 736 |
| 9465. बेकार सूती टुकड़ों से हाथ द्वारा कागज का निर्माण | Manufacture of Hand made Paper from Cotton Wastes | 736—37 |

| विषय<br>अ. ता. प्र. सं.<br>U. S. Q. Nos. | | SUBJECT | पृष्ठ/PAGE |
|---|---|---|---|
| 9466. | इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन का टिकट घर, नई दिल्ली | I.A.C. Booking Office, New Delhi | 737 |
| 9467. | भारतीय सीमान्त प्रशासनिक सेवा | Indian Frontier Administrative Service | 737—38 |
| 9468 | आसाम की जनसंख्या | Population of Assam | 738 |
| 9469. | पश्चिम बंगाल में जहाजों और नावों में नियुक्त पाकिस्तानी राष्ट्रजन | Pakistani Nationals Employed in Ships and Boats, West Bengal | 738—39 |
| 9470. | बिहार में छात्रों में जाति भेद | Caste Distinctions among students in Bihar | 739 |
| 9471. | मद्रास में हिन्दी अध्यापकों का ज्ञापन | Memorandum from Hindi Teachers in Madras | 739 |
| 9472. | नेफा के स्कूलों में शिक्षा का माध्यम | Medium of Instruction in Schools in NEFA | 739—40 |
| 9473. | लद्दाख का विकास | Development of Ladakh. | 740 |
| 9474. | केन्द्रीय अपराध अन्वेषी प्रयोगशालाएं | Central Forensic Laboratories | 740—41 |
| 9475. | हाई स्कूल स्तर तक अध्यापन पाठ्यक्रम में समानता लाना | Uniformity in teaching Curriculum upto High School stage | 741 |
| 9476. | संस्कृत विद्वानों को सहायता | Help to Sanskrit Scholars | 741 |
| 9477. | चंडीगढ़ के लिये किराया प्रतिबन्ध अधिनियम | Rent Restriction Act for Chandigarh | 741—42 |
| 9478. | चंडीगढ़ संघ राज्य-क्षेत्र के लिए स्थानीय निकाय | Local Body for Chandigarh Union Territory | 742 |
| 9479. | चंडीगढ़ में जीवन बीमा निगम के कर्मचारी संघ के कार्यकर्ताओं के विरुद्ध मुकदमे | Cases against Trade Union Workers of L.I.C. in Chandigarh | 742 |
| 9480. | शहीद भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव का स्मारक | Memorial to Bhagat Singh Rajguru and Sukhdev | 742 |
| 9481. | दिल्ली में सड़क दुर्घटनाएं | Road Accidents in Delhi | 743 |
| 9482. | परिवहन मंत्रालय में सहायक इंजीनियरों तथा सड़कों और पुलों के सहायक सलाहकारों के पद | Posts of Assistant Engineers Consultants, Roads and Bridges in the Ministry of Transport | 743 |
| 9483. | कलकत्ता विश्वविद्यालय में "विजय सेना" | "Vijaya Sena" in Calcutta University | 743 |
| 9484. | शाहदरा में महिला कॉलेज | Women's College at Shahdara | 744 |
| 9485. | नये राष्ट्रीय राजपथ | New National Highways | 744 |
| 9486. | मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में रिक्त पद | Vacancies in Madhya Pradesh High Court | 744 |

| अ. ता. प्र. सं. U. S. Q. Nos. | विषय | SUBJECT | पृष्ठ/PAGE |
|---|---|---|---|
| 9487. | राजस्थान में पुरातत्वीय सर्वेक्षण | Archaeological Survey in Rajasthan | 744—45 |
| 9488. | महेश योगी | Mahesh Yogi | 745 |
| 9489. | उदयपुर में नेहरू पार्क | Nehru Park, Udaipur | 745 |
| 9490. | ओलम्पिक खेल | Olympic Games | 745 |
| 9491. | करौलबाग नई दिल्ली में अग्निकांड | Fire Accident in Karol Bagh, New Delhi | 745—46 |
| 9492. | भूतत्ववेत्ताओं तथा भूभौतिकीविदों में बेरोजगारी | Unemployment Allowances for Geologists and Geophysicists | 746 |
| 9493. | अखिल भारतीय इंजीनियरी सेवा | All India Engineering Service | 746 |
| 9494. | पर्यटकों के लिए वीसा | Visas for Tourists | 746—47 |
| 9495. | होम गार्ड | Home Guards | 747 |
| 9496. | स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी | Freedom Fighters | 747 |
| 9497. | शिक्षकों के वेतनमान | Pay Scale of Teachers | 747—48 |
| 9498. | दिल्ली में संस्कृत विश्वविद्यालय | Sanskrit University in Delhi | 748 |
| 9499. | अलीगढ़ विश्वविद्यालय और जामिया मिलिया इस्लामिया | Aligarh University and Jamia Millia Islamia | 748 |
| 9500. | मध्य प्रदेश में गैर-सरकारी शस्त्रास्त्र विक्रेताओं को लाइसेंस देना | Issue of Licences to Private Arms Dealers in Madhya Pradesh | 748 |
| 9501. | मनीपुर में अध्यापकों का अपहरण | Kidnapping of teachers in Manipur | 749 |
| 9502. | राजस्थान में पाकिस्तानी नागरिकों द्वारा भारतीय कूंओं का प्रयोग | Use of Indian Wells by Pakistani Nationals in Rajasthan | 749 |
| 9503. | इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के पदाधिकारी | Officers in I.A.C. | 749 |
| 9504. | भारत और लेबनान के बीच विमान सेवायें | India-Lebanon Air Service | 749—50 |
| 9505. | औरंगाबाद जिले में ग्रामीणों द्वारा नये बौद्धों का बहिष्कार | Boycott of New Budhists by Villagers in Aurangabad Distt. | 750 |
| 9506. | काश्मीर में नये चुनाव कराने की शेख अब्दुल्ला की माँग | Demand for Fresh Elections in Kashmir by Sheikh Abdullah | 750 |
| 9507. | अलीगढ़ विश्वविद्यालय/जामिया मिलिया को अनुदान | Grant to Aligarh University/Jamia Millia Islamia | 750—51 |
| 9508. | हैदराबाद में माओं समर्थक नारे | Pro-Mao slogans in Hyderabad | 751 |
| 9509. | सफदरजंग हवाई अड्डा | Safdarjang Airport | 751 |

| विषय<br>अ. ता. प्र. सं.<br>U. S. Q. Nos. | | SUBJECT | पृष्ठ/PAGE |
|---|---|---|---|
| 9510. | अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिलिप्याधिकार | International Copyright | 751 |
| 9511. | खारा पानी | Brackish Water | 751—52 |
| 9512. | कलकत्ता पत्तन | Calcutta Port | 752 |
| 9513. | अन्दमान नागरिक समाज की ओर से प्रधान मंत्री को ज्ञापन | Memorandum to P.M. from Andaman Nagrik Samaj | 753 |
| 9514. | फेडको के मामले में क़ैदियों के लिये रिहाई का आदेश | Release Orders of Convicted Persons in FEDCO Case | 753 |
| 9515. | सीमाओं पर दर्रों से आने जाने पर प्रतिबन्ध | Sealing of Passes on Borders | 753—54 |
| 9516. | अनुसूचित आदिम जातियों के लिए आरक्षित पद | Reserved Posts for Scheduled Tribes | 754 |
| 9517. | बेरोजगार स्नातक | Unemployed Graduates | 754—55 |
| 9518. | "गांधी युग पुराण" | "Gandhi Yug Puran" | 755 |
| 9519. | वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग द्वारा मुद्रित संदर्भ-ग्रथ सूची | Bibilographies printed by the Commission for Scientific & Technical Terminology | 755—56 |
| 9520. | चीनी सेना द्वारा मिजो क्षेत्र पर अस्थायी रूप से कब्जा | Temporary Occupation of Mizo Areas by Chinese Troops | 756 |
| 9522. | मूर्ति चोर | Idol Thieves | 756 |
| 9523. | भारत के होटलों में ठहरने का स्थान | Hotel Accommodation in India | 756—57 |
| 9524. | 'तमिल आर्मी' | "Tamil Army" | 757—58 |
| 9525. | उद्योग आयोग | Industry Commission | 758 |
| 9526. | पर्यटन के विकास के लिए राज्यों को सहायता | Assistance to States for Development of Tourism | 758 |
| 9527. | दिल्ली में चोर की तलाशी न लेने के बारे में पुलिस पर आरोप | Alleged Inaction of Police against a Search Thief in Delhi | 759 |
| 9528. | इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम के लिये पाठ्य-विवरण | Syllabus for Engineering Course | 759—60 |
| 9529. | उच्चतम न्यायालय के भवन में चोरी | Theft in Supreme Court building | 760 |
| 9530. | खजुराहों से मूर्तियां चुराने वालों की गिरफ्तारी | Arrest of Khajuraho Idol lifters | 760—61 |
| 9531. | डैमोक्रेटिक नेशनल कांफ्रैंस जम्मू तथा कश्मीर | Democratic National Conference J & K | 761 |
| 9532. | हिन्दुस्तान शिपयार्ड | Hindustan Shipyard. | 761 |
| 9533. | केन्द्रीय सचिवालय के लिये भ रतीय प्रशासनिक सेवा में राज्यों के लिये कोटा | State Quota for I.A.S. in Central Secretariat | 762 |
| 9534. | अन्दमान के लिये जहाज में 'केबिन दर्जे' का किराया | Cabin Class Shipping Fare for Andaman | 762—63 |

| विषय | SUBJECT | पृष्ठ/PAGE |
|---|---|---|
| अ. ता. प्र. सं<br>U. S. Q. Nos. | | |
| 9535. केन्द्रीय सचिवालय सेवा (सी० और ए०) नियम, 1965 | C.C.S. (C. & A.) Rules 1965 | 763—64 |
| 9536. राजस्थान में होटल | Hotels in Rajasthan | 764 |
| 9537. बद्रीनाथ मेले के लिये परिवहन | Transport for Badrinath Fair. | 764—65 |
| 9538. हिन्दी सम्मेलन | Hindi Conference | 765 |
| 9539. शिक्षा मन्त्रालय में संयुक्त तथा सहायक शिक्षा सलाहकार | Joint and Asstt. Educational Advisers in Ministry of Education | 765 |
| 9540. केन्द्रीय जांच विभाग द्वारा हिन्दी में पत्राचार | Correspondence in Hindi by C.B.I. | 766 |
| 9541. अधीनस्थ कार्यालयों में हिन्दी नोटिंग | Noting in Hindi in Subordinate Offices | 766 |
| 9542. अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के छात्रों को विदेशों में अध्ययन के लिये छात्रवृत्तियां | Overseas Scholarships to S.C. and Scheduled Tribes Scholars | 766—67 |
| 9543. न्यायिक सेवा में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के व्यक्ति | S.C. and S.T. in Judicial Service | 767—68 |
| 9544. सिविल पुलिस में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के व्यक्ति | S.C. and S.T. in Civil Police | 768 |
| 9545. जलगांव के समीप हवाई अड्डा | Aerodrome near Jalgaon | 768 |
| 9546. उत्तर प्रदेश में पुलिस द्वारा एक बंजारे की पिटाई | Beating of a Banjara by Police in U.P. | 768—69 |
| 9647. अलीगढ़ जिले में भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के अन्तर्गत दर्ज की गई रिपोर्टें | Reports lodged under Section 307 of I.P.C. in Aligarh District | 769 |
| 9548. पर्यटन केन्द्र के रूप में भारत | India as a Tourist Destination | 769—70 |
| 9550. जामिया मिलिया इस्लामिया | Jamia Millia Islamia | 770 |
| 9551. पर्यटन केन्द्र के रूप में विठूर का विकास | Development of Bithoor as Tourist Resort | 770 |
| 9552. राज्य प्रशासनिक सेवा संघ का अखिल भारतीय सम्मेलन | All India Covention of State Administrative Services Association. | 770 |
| 9553. घन्साली भीड़ी मोटर-सड़क | Ghansali-Bhiri Motor Road | 770—71 |
| 9554. छावनी नगर | Cantonment Towns | 771 |
| 9555. सरकारी कर्मचारियों को विदेशी रेडियो सेवाओं में प्रसारण करने की अनुमति | Permissson to Government Servants to broadcast in Foreign Radio Services | 771—72 |

| विषय | SUBJECT | पृष्ठ/PAGE |
|---|---|---|
| अ. ता. प्र. सं. | | |
| U. S. Q. Nos. | | |
| 9656. मौसम संबंधी वेधशालाएं | Meterological Observatories | 772 |
| 9557. कोडाई कनाल वेधशाला | Kodai Canal Observatory | 772 |
| 9558. उत्तर प्रदेश राजकीय रोड-वेज बस में डकैती | Dacoity in U.P. Government Roadways Bus | 772—73 |
| 9559. विदेशों द्वारा वित्त-पोषित वृत-रूपक सिंडिकेट | Foreign Financed News features Syndicates | 773 |
| 9560. पश्चिम बंगाल सिविल सर्विस से भारतीय प्रशासनिक सेवा में नियुक्ति | I.A.S. from West Bengal Civil Service | 773 |
| 9561. भारतीय फर्मों का विदेशी प्रकाशकों के साथ सहयोग | Collaboration by Indian Firms with Foreign Publishers | 773—74 |
| 9562. 'आर्गनाईजर' में प्रकाशित एक पत्र | Letter Published in "Organizer" | 774 |
| 9563. चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र में निजी प्रबन्ध के स्कूलों के अध्यापक | Teachers Employed in Privately Managed Schools in the Union Territory of Chandigarh | 774—75 |
| 9564. पश्चिम बंगाल के प्रगतिशील लोकतांत्रिक मोर्चे के सदस्यों के लिये निजी अंगरक्षक | Personnel Security Guards to the Member of P.D.F. of West Bengal | 775 |
| 9565. पर्यटक केन्द्र | Tourist Centres | 775—76 |
| 9566. भारतीय आर्थिक सेवा की परीक्षा | Indian Economic Service Examination | 776 |
| 9567. दिल्ली में एक लड़के पर आक्रमण | Attack on a Boy in Delhi | 776 |
| 9568. दिल्ली परिवहन उपक्रम | D.T.U. | 776—77 |
| 9569. पदोन्नति द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा में नियुक्ति का कोटा | Promotee Quota for I.A.S. | 777 |
| 9570. जमना-चम्बल घाटी आतंक रक्षा समिति | Jamuna-Chambal Valley Protection against Terror Committee | 777 |
| 9571. बम्बई के सांताकूज हवाई अड्डे पर एयर इंडिया के विमान का दुर्घटनाग्रस्त होना | Air-India Plane Accident at Santacruz, Bombay | 778 |
| 9573. दिल्ली तकनीकी शिक्षा निदेशालय की छात्रवृत्तियां | Delhi Technical Education Directorate Schlolarships | 778 |
| 9575. खोसला आयोग | Khosla Commission | 778 |
| 9576. जालन्धर में निर्मम हत्या | Gruesome Murder in Jullundur | 778—79 |
| 9577. कुकी तथा मिजो विद्रोहियों द्वारा गोली चलाया जाना | Firing by Kuki and Mizo Hostiles | 779 |
| 9578. दिल्ली--बेलगाम विमान उड़ान | Delhi-Belgaum Flights | 779 |
| 9579. मैसूर में विश्राम-गृह | Rest Houses in Mysore. | 779—80 |

| विषय | SUBJECT | PAGE/पृष्ठ |
|---|---|---|
| अ. ता. प्र. सं. U. S. Q. Nos. | | |
| 9580. दिल्ली पुलिस अपराजपत्रित कर्मचारी संघ के अध्यक्ष की भूख हड़ताल | Hunger strike by the President of Delhi Police Non-Gazetted Karmachari Sangh | 780—81 |
| अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना | Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance | 781 |
| दिल्ली में सरकारी कर्मचारियों के लिये रामकृष्णपुरम तथा अन्य कालोनियों में पेय जल का अभाव | Shortage of drinking water in Ramakrishnapuram and other colonies for Government Employees in Delhi | 781—83 |
| विशेषाधिकार प्रश्न | Question of Privilege | 783—84 |
| सभा पटल पर रखे गये पत्र | Papers Laid on the Table | 784 |
| सभा का कार्य | Business of the House | 785 |
| अनुसूचित जाति तथा आदिम जाति आदेश (संशोधन) विधेयक | Scheduled Castes and Scheduled Tribes Orders (Amendment) Bill | 785—86 |
| संयुक्त समिति में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिये राज्य सभा से सिफारिश | Recommendation to Rajya Sabha to fill Vacancy in Joint Committee | 785 |
| अनुदानों की माँगें (उत्तर-प्रदेश) 1968-69 | Demands for Grants (Uttar Pradesh), 1968—69 | 785—86 |
| श्री मोलहू प्रसाद | Shri Molahu Prasad | |
| श्री गणपत सहाय | Shri Ganpat Sahai | |
| श्री चंद्रिका प्रसाद | Shri Chandrika Prasad | |
| श्री श्रीनिवास मिश्र | Shri Srinibas Misra | |
| श्री रामजी राम | Shri Ramji Ram | |
| श्री रामसेवक यादव | Shri Ram Sewak Yadav | |
| श्री कृष्ण चन्द्र पन्त | Shri K.C. Pant | 795 |
| उत्तर प्रदेश विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 1968 उपस्थापित तथा पारित | Uttar Pradesh Appropriation (No. 2) Bill, 1968 introduced and passed | 795 |
| अनुदानों की मांगें (पश्चिमी बंगाल) 1968-69 | Demands for Grants (West Bengal), 1968—69 | 796—97 |
| श्री गणेश घोष | Shri Ganesh Ghosh | 797—99 |
| श्री विमलकांत घोष | Shri Bimalkanti Ghosh | 799—800 |
| श्री देवकी नन्दन पाटोदिया | Shri D.N. Patodia | 800—01 |
| श्री अ. कु. सेन | Shri A.K. Sen | 801—02 |
| गैर सरकारी के विधेयक तथा संकल्प सम्बन्धी समिति | Committee on Private Members Bills and Resolutions | 802 |
| 13 वाँ प्रतिवेदन | Thirtieth Report | 802 |

| विषय | SUBJECT | पृष्ठ/PAGE |
|---|---|---|
| जर्मन लोकतंत्रात्मक गण-राज्य को राजनयिक मान्यता देने सम्बन्धी संकल्प वापस लिया गया | Resolution Re. Diplomatic recognition of German Democratic Republic-Withdrawn | 802—03 |
| श्री ही० ना० मुकर्जी | Shri H.M. Mukerjee | 803—05 |
| श्री अमृत नाहाटा | Shri Amrit Nahata | 805—06 |
| श्री पीलु मोडी | Shri Piloo Mody | 806—08 |
| श्री अकबर अली मिर्जा | Shri Akbar Ali Mirza | 808—09 |
| श्री राम सेवक यादव | Shri Ram Sewak Yadav | 808—09 |
| श्री गणेश | Shri K.R. Ganesh | 809—10 |
| श्री बलराज मधोक | Shri Bal RaJ Madhok | 810—11 |
| श्री स० कण्डप्पन | Shri S. Kandappan | 811 |
| श्री इन्द्रजीत मल्होत्रा | Shri Inder J. Malhotra | 811—12 |
| श्री प० गोपालन | Shri P. Gopalan | 812 |
| श्री समर गुह | Shri Samar Guha | 812 |
| श्री श्रद्धाकर सूपकार | Seri Sradhakar Supakar | 812 |
| श्री जी० भा० कृपालानी | Shri J.B. Kripalani | 812—13 |
| श्री इन्द्रजीत गुप्त | Shri Indrajit Gupta | 813—14 |
| श्री ब० रा० भगत | Shri B.R. Bhagat | 814—15 |
| सैनिक और असैनिक विभागों में पदों सम्बन्धी संकल्प | Resolution Re: Posts in Civil and Military Departments | 815 |
| श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा | Shrimati Tarkeshwari Sinha | 816 |
| आयातित अखबारी कागज के मूल्यों के सम्बन्ध में आधे घण्टे की चर्चा | Half-an-Hour Discussion Re: Prices of Imported Newsprint | 816 |
| श्री कृ० मा० कौशिक | Shri K.M. Kaushik | 817 |
| श्री दिनेश सिंह | Shri Dinesh Singh | 818 |

# लोक–सभा
# LOK SABHA

**शुक्रवार, 3 मई, 1968/13 बैशाख, 1890 (शक)**
**Friday, May 3, 1968/Vaisakha 13, 1890 (Saka)**

---

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

---

[ **अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
**Mr. Speaker in the Chair** ]

## प्रश्नों के मौखिक उत्तर
## ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

**सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण**
**Member Sworn**

**श्री नवल किशोर शर्मा** (दौसा)

---

**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न संख्या 1617 और 1618 इकट्ठे ले लिये जायें । मन्त्री महोदय दोनों का उत्तर पढ़ सकते हैं ।

**मन्त्रियों पर व्यय**

***1617. श्री वेणी शंकर शर्मा :** क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एक मन्त्री, राज्य मन्त्री और उपमन्त्री पर उसकी उपलब्धि, परिलब्धि, भत्तों तथा कार्यालय संस्थापन पर होने वाले व्यय को मिलाकर पृथक-पृथक कितना व्यय होता है ; और

(ख) प्रत्येक दर्जे के मंत्री को कितना यात्रा व्यय तथा भत्ते मिलते हैं और प्रत्येक द्वारा, एक वर्ष में विदेशों के दौरों सहित यात्रा पर कितना व्यय किया जाता है ?

**गृह-कार्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री के० एस० रामास्वामी) :** (क) अपेक्षित सूचना से समाविष्ट एक विवरण सदन के सभा पटल पर रखा जाता है । [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-1151/68**]

(ख) मंत्रियों के वेतन तथा भत्ता अधिनियम 1952 तथा मन्त्रियों के (भत्ता, चिकित्सा तथा अन्य सुविधाएं) नियम 1957 में यात्रा व्यय और भत्ते समाविष्ट हैं। प्रत्येक दर्जे के मंत्रियों पर औसतन यात्रा व्यय से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध नहीं है, परन्तु 1968–69 वर्ष के लिये बजट प्रावधान के आधार पर एक मंत्री (उपमंत्री समेत) पर औसत व्यय लगभग 30,000 रुपये प्रति वर्ष होता है।

## मंत्रियों के दौरे

*1618. **श्री प्रेम चन्द वर्मा** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1967-68 में केन्द्रीय मंत्रिमण्डल मंत्री, राज्य मंत्री तथा उपमंत्री देश में तथा विदेशों में कितने दिन दौरों पर रहे ;

(ख) इन मंत्रियों के यात्रा भत्ते पर कितना व्यय हुआ ;

(ग) दौरों पर अन्य व्यय कितना हुआ ; और

(घ) प्रत्येक मंत्री ने कितनी विदेशी मुद्रा खर्च की ?

**गृह-कार्य मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी)** : (क) से (घ) तक : सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायगी।

**Shri B.S. Sharma** : Rental of the bungalows of Ministers and State-Ministers has been shown in the statement as Rs. 78.00 per annum whereas their rental value at the prevailing market rates may not be less than Rs. 78.00 per month. Do Government propose to remove the vast disparity between the Ministers and Members of Parliament as regards their salaries and allowances and other facilities in keeping with the abolition of Zamindari and princely states ?

**श्री के० एस० रामास्वामी** : मंत्रियों के वेतन संसद के अधिनियम द्वारा निश्चित किये गये हैं। इसी प्रकार से संसद सदस्यों के वेतन निश्चित किये गये हैं। इस मामले में सदन की ही मर्जी चलेगी।

**Shri B.S. Sharma** : In view of the assurance given by the Father of The Nation even before the attainment of the Independence that all the State buildings would be converted into hospitals and schools and also in view of the fact that the students and teachers of various schools at present housed in tents are exposed to the inclemency of the weather while our ministers are safely ensconced in luxury houses, do Government propose to house schools in those bungalows ?

**The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla)** : It is not correct to say that the ministers are living in luxury houses. Only minimum facilities have been given to them.

**श्री उमानाथ** : हाल ही में हैदराबाद में जो अखिल भारतीय कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, क्या उसमें उपस्थित होने वाले किन्हीं मन्त्रियों ने यात्रा भत्ता प्राप्त किया है और दूसरे, क्या कथित परिस्थितियों में यात्रा भत्ता प्राप्त करने के सम्बन्ध में कोई प्रक्रिया है, और यदि नहीं, तो क्या सरकार कोई प्रक्रिया बनाना चाहती है ?

**श्री विद्याचरण शुक्ल** : इस प्रश्न का पहले उत्तर दिया जा चुका है। इस समय मेरे पास जानकारी नहीं है। यदि माननीय सदस्य चाहें तो मैं जानकारी प्राप्त कर सकता हूं।

**श्री उमानाथ :** क्या इसके सम्बन्ध में कोई प्रक्रिया है ?

**श्री विद्याचरण शुक्ल :** ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं है ।

**श्री हेम बरुआ :** क्या यह सच है कि लन्दन के स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस स्टेशन में अपराध का पता लगाने सम्बन्धी मामलों का अध्ययन करने के लिये श्री विद्याचरण शुक्ल ने गत अक्तूबर के दौरान लन्दन का दौरा किया था और यदि हां, तो उनके वापस लौटने के पश्चात् अपराधों में किस हद तक कमी हुई है अथवा उनका पता लगाया गया है ?

**श्री विद्याचरण शुक्ल :** ब्रिटेन की सरकार से मुझे निमन्त्रण प्राप्त हुआ था । जब यह निमन्त्रण आया तो मैंने इसे प्रधान मन्त्री की सम्मति से स्वीकार कर लिया । उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं क्या देखना चाहूंगा और मैंने अपनी रुचि की कुछ मदें बता दीं, और मुझे खुशी है कि माननीय सदस्य भी उस समय लन्दन में ही थे । मैं इधर उधर घूमा **(व्यवधान)**

**श्री हेम बरुआ :** मैं जानना चाहता हूँ कि उनके लन्दन से लौटने के बाद किस सीमा तक अपराधों का पता लगाया गया है ।

**Shri B.N. Kureel :** How do the salaries and allowances and other amenities admissible to ministers and M.Ps. in this country compare with those of their counterparts in other countries ?

**Shri Vidya Charan Shukla :** I do not have the information regarding the M.Ps. The main question relates to Ministers.

**Shri Kanwar Lal Gupta :** Is it a fact that Shri Bhanu Prakash Singh, Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development had gone on a visit to a foreign country recently without obtaining clearance from the Finance Ministry and that export facto clearance was given in his case ? If the hon. Minister does not have the information, will he lay it on the table later on after conducting an enquiry ?

**Shri Vidya Charan Shukla :** I have no information at the moment. We shall definitely find out.

## जनसंख्या वृद्धि की दर

***1619. श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 25 मार्च, 1968 के 'नेशनल हेराल्ड' समाचारपत्र में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि उत्तरी जोन के अधिकांश राज्यों की जनसंख्या वृद्धि की दर अखिल भारतीय औसत से अधिक है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इसके कारणों का अध्ययन किया है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

**गृह-कार्य मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री के० एस० रामास्वामी) :** (क) से (ग) सरकार को समाचार की जानकारी है । इस संबन्ध में जनसंख्या की स्वाभाविक वृद्धि जन्म दर और मरण दर के बीच का अन्तर है । उत्तरी जोन के अधिकांश राज्यों में 1961 की जनगणना के परिणाम भी 1951-60 की अवधि में अखिल भारतीय औसत से उच्चतर जन्मदर और न्यूनतर मरण दर प्रदर्शित करते थे । इसके परिणामस्वरूप इन राज्यों में उच्चतर स्वाभाविक वृद्धि हुई ।

जनगणना संगठन ने अन्तरजनगणना की अवधि के दौरान जनसंख्या योजनाएं आरम्भ की गई थीं । ये गत जनगणना के दौरान प्राप्त जन्म और मरण दरों के आधार पर तथा अन्तरजन-

गणना अवधि के दौरान इन दरों में अपेक्षित परिवर्तनों से संबंधित कुछ अनुमानों के आधार पर की गई थीं ।

**श्री देवकी नन्दन पाटोदिया** : इन छः उत्तरी राज्यों में 1961 की अपेक्षा 1967-68 में 96 लाख की वृद्धि जनसंख्या में हुई है जो प्रतिशत वार्षिक से कुछ अधिक है । सरकार के अनुसार आदर्श वृद्धि दर क्या है और उस सामान्य आदर्श वृद्धि दर की तुलना में यह दर कैसी है ।

**श्री के० एस० रामास्वामी** : हम परिवार नियोजन तरीकों को अपना रहे हैं, और मैं नहीं समझता कि इस बारे में हम अभी किसी नतीजे पर पहुंचे हैं । सामान्य आदर्श वृद्धि दर एक तुलनात्मक चीज है । कोई भी व्यक्ति यह नहीं कह सकता है कि यह क्या है ।

**श्री देवकी नन्दन पाटोदिया** : उत्तरी राज्यों की अपेक्षा दक्षिणी तथा पूर्वी राज्यों में वृद्धि दर कैसी है ? 1951 से पहले उत्तर भारत में वृद्धि दर अपेक्षाकृत कम थी । पिछले 15 वर्षों में उत्तरी राज्यों में अधिक वृद्धि दर होने के क्या विशिष्ट कारण हैं ?

**श्री के० एस० रामास्वामी** : दक्षिणी राज्यों में भी वृद्धि दर उत्तरी राज्यों जितना ही वृद्धि दर है और इसमें कोई बड़ा अन्तर नहीं है क्योंकि यह अखिल भारतीय औसत से अधिक है । आसाम, गुजरात, केरल, महाराष्ट्र, मैसूर और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में वृद्धि दर अखिल भारतीय औसत से अधिक है । प्रत्येक राज्य के सम्बन्ध में मेरे पास एक लम्बा विवरण है जिसे मैं सभा पटल पर रख सकता हूं ।

**श्री श्रद्धाकर सूपकार** : जन्म दर में वृद्धि के अतिरिक्त, क्या पाकिस्तान तथा दक्षिणी राज्यों से आने वाले व्यक्तियों की भी गणना की जाती है, यदि हां, तो उत्तरी राज्यों में इस कारण कितनी वृद्धि हुई है ?

**श्री के० एस० रामास्वामी** : इन आंकड़ों की गणना में दिल्ली को छोड़ कर अन्य स्थानों के सम्बन्ध में आव्रजकों की गणना नहीं की गई है ।

**श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी** : जन्म दर बढ़ रहा है और मृत्यु दर घट रहा है और इसके परिणामस्वरूप जनसंख्या बढ़ रही है । इसको ध्यान में रखते हुए क्या सरकार गर्भपात को वैध बनाने पर विचार करेगी ?

**श्री के० एस० रामास्वामी** : इसका उत्तर स्वास्थ्य मंत्रालय देगा ।

**श्री द्वा० ना० तिवारी** : यह एक मानी हुई बात है कि पिछड़े और दरिद्र क्षेत्रों में जनसंख्या समृद्ध क्षेत्रों की अपेक्षा तेजी से बढ़ती है । अतः क्या यह बात सच है कि उत्तरी राज्य भारत के अन्य राज्यों की अपेक्षा अधिक गरीब हैं और इसलिये वहाँ वृद्धि दर अधिक है ?

**श्री के० एस० रामास्वामी** : वृद्धि का कारण यह है कि इस अवधि में जन्म दर की अपेक्षा मृत्यु दर के अधिक तेजी से गिरने की आशा है । वृद्धि दर अधिक तेज़ी से गिरेगी और 1971-75 के लिये 23.8 प्रति हज़ार प्रति वर्ष होगी और 1976-80 के लिये 1905 प्रति हज़ार प्रति वर्ष । योजना आयोग द्वारा नियुक्त की गई विशेषज्ञ समिति की ये धारायें हैं ।

**श्री कंडप्पन** : विभिन्न राज्यों में परिवार नियोजन की प्रभावशाली क्रियान्विति के लिये केन्द्र क्या प्रोत्साहन दे रहा है ?

**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल)** : परिवार नियोजन का कार्य किसी दूसरे मंत्रालय द्वारा किया जाता है ।

**श्री श्रीधरन** : क्या कोई ऐसा राज्य है जहां स्त्री जनसंख्या की दर पुरुषों की अपेक्षा अधिक है और यदि हां, तो जनसंख्या में समानता लाने के लिये सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

**श्री के० एस० रामास्वामी** : मेरे पास अखिल भारतीय औसत है । मेरे पास प्रत्येक राज्य के आँकड़े नहीं हैं ।

**आम चुनावों में विदेशी धन का प्रयोग**

***1620. श्री प० गोपालन** : **श्री रमानी** :

**श्री उमानाथ** : **श्री टी० पी० शाह** :

**श्री अ० क० गोपालन** :

क्या **गृह कार्य मन्त्री** 1 मार्च, 1968 के तारांकित प्रश्न संख्या 379 और 29 मार्च, 1968 के तारांकित प्रश्न संख्या 934 के उत्तरों के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पिछले आम चुनावों में तथा अन्य कार्यों के लिये विदेशी धन के प्रयोग के बारे में केन्द्रीय जांच विभाग का प्रतिवेदन मिल गया है ;

(ख) क्या सरकार ने प्रतिवेदन की जांच पूरी कर ली है ;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) प्रतिवेदन की जांच कब तक पूरी होने की सम्भावना है ?

**गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण)** : (क) से (घ) गुप्त वार्ता विभाग की रिपोर्ट की अभी जांच की जा रही है, चूंकि इसमें कई महत्वपूर्ण विवाद सम्मिलित है अतः जांच में कुछ और अधिक समय लगेगा ।

**श्री प० गोपालन** : हाल ही में सरकार द्वारा यह प्रकट किया गया था कि भारत में ऐसी अनेक संस्थाएं है जिन्होंने एशिया प्रतिष्ठान के द्वारा अमरीका के गुप्तचर विभाग से धन प्राप्त किया और अन्त में सरकार ने इस प्रतिष्ठान के कार्य को समाप्त करने का निर्णय किया है ।

भारत में इस प्रतिष्ठान के द्वारा जिन संस्थाओं ने अमरीकी गुप्तचर विभाग से धन प्राप्त किया है, क्या उन संस्थाओं की कार्यवाहियों के विभिन्न पहलुओं की सरकार ने कोई जांच की है ? क्या सरकार इस सम्बन्ध में कोई संसदीय समिति नियुक्त करेगी ? सरकार क्या गारन्टी दे सकती है कि इस प्रतिष्ठान की कार्यवाहियों की समाप्ति के पश्चात भी अमरीकी गुप्तचर विभाग का धन भारत की कुछ संस्थाओं और कम्पनियों को प्राप्त नहीं होगा । जो कि राष्ट्र के हितों के लिये हानिकारक है ?

**श्री यशवन्तराव चव्हाण** : मैं समझता हूं इस विषय पर विस्तृत चर्चा हुई थी और मैंने सभी तथ्य दिये थे ।

जहाँ तक एशिया प्रतिष्ठान का सम्बन्ध है यह पाया गया है कि उसे अमरीकी गुप्तचर विभाग का धन प्राप्त हुआ था और एशिया प्रतिष्ठान की कार्यवाहियों को बन्द करने के लिये यह

हमारे लिये काफी कारण था । किन्तु यह हमारी जानकारी नहीं है कि जो धन आया उसे जासूसी के लिये प्रयोग किया गया । एशिया प्रतिष्ठान की अधिकांश परियोजनाओं को जांच के पश्चात शिक्षा मन्त्रालय द्वारा आरम्भ किया गया अतः अग्रेतर जांच करने का कोई प्रश्न नहीं है ।

जहां तक स्वयं प्रतिष्ठान का सम्बन्ध है, वह समापन के अन्तिम चरणों में है और मामले की आगे जाँच करने का कोई प्रश्न नहीं है ।

इस मामले में संसदीय समिति नियुक्त करने का सरकार का कोई इरादा नहीं है ।

**श्री प० गोपालन :** कुछ समय पूर्व मराठी साप्ताहिक भारत प्रति में समाचार था कि बम्बई में हिन्द मजदूर सभा के कार्यालय से पुलिस द्वारा 50,000 डालर के कुछ बिल और दो ट्रांसमिटर सैट वसूल किये गये थे । पहले एक प्रश्न के उत्तर में गृह मंत्री ने कहा था कि सरकार इस मामले की जांच कर रही है । उस जाँच का क्या परिणाम निकला ?

**श्री यशवन्तराव चव्हाण :** मुझे याद नहीं कि मैंने ऐसा उत्तर दिया था । यदि माननीय सदस्य इसकी सूचना दें तो मैं निश्चय ही पूरी जानकारी दूंगा ।

**श्री उमानाथ :** अब सभी इस बात को मानते हैं कि विश्व युवक संस्था एशिया प्रतिष्ठान के द्वारा अमरीकी गुप्तचर विभाग से धन प्राप्त करती रही है । इस सस्था का एक न्यास है और हमारे उप-प्रधान मन्त्री इसके सभापति थे । प्रश्न काल के दौरान उप-प्रधान मंत्री ने इन शब्दों में वायदा किया था;

"मैंने प्रबन्धक न्यासधारी से कहा कि वह उन विदेशी निकायों से पता लगायें कि क्या उन्हें अमरीकी गुप्तचर विभाग से धन प्राप्त हुआ था, जिन्होंने इस न्यास को कुछ धन दिया था । वह लिखा पढ़ी चल रही है । मैंने प्रबन्धक न्यासधारी को यह भी आदेश दिया कि यदि उन्हें यह पता लग जाये कि अमरीकी गुप्तचर विभाग से धन प्राप्त हुआ है, तो वह धन वापस कर दिया जाना चाहिये ।" उप-प्रधान मन्त्री ने अन्त में कहा : "प्रबन्धक न्यासधारी श्री रामकृष्ण बजाज हैं ।"

अब इस बात को ध्यान में रखते हुए कि यह पता लग गया है कि धन अमरीकी गुप्तचर विभाग का धन है और श्री बजाज उसे अब भी रखना चाहते हैं, क्या माननीय मंत्री ने कोई जांच की है कि उप-प्रधान मंत्री द्वारा वचन दिये जाने के पश्चात भी उन्होंने धन वापस क्यों नहीं किया है और उन्होंने धन किस लिये प्राप्त किया था ?

**श्री यशवन्तराव चव्हाण :** इस समय मेरे पास सारी जानकारी नहीं है । किन्तु इतना मैं जानता हूं कि इस संस्था के इस मामले की जांच की गई थी । उन्हें अग्रेतर कार्यवाही करने की अनुमति दी गई थी ; मैं समझता हूं कि यह सिद्ध हो गया था कि उन्हें कोई धन प्राप्त नहीं हुआ था...

**श्री उमानाथ :** उप-प्रधान मंत्री ने जो कुछ कहा था, उसके बारे में, मैं पूछ रहा हूं ।

**श्री यशवन्तराव चव्हाण :** यदि उप-प्रधान मन्त्री ने ऐसा कहा है, तो वह ऐसा करेंगे ।

**श्री उमानाथ :** एशिया प्रतिष्ठान भी इस न्यास को अंशदान देता है... .....

**श्री यशवन्त राव चव्हाण :** जैसा कि मैंने कहा एशिया प्रतिष्ठान द्वारा दिया गया धन आपत्तिजनक नहीं है ।

**श्री उमानाथ :** उप-प्रधान मंत्री ने कहा था कि इसे वापिस किया जायेगा ।

**श्री यशवन्त राव चव्हाण :** नहीं, नहीं । उन्होंने कहा था कि यदि उसे अमरीकी गुप्तचर विभाग से धन प्राप्त हुआ है तो उसे वापस किया जायेगा । एशिया प्रतिष्ठान द्वारा दिया गया प्रत्येक धन अमरीकी गुप्तचर विभाग का धन नहीं है ।

**श्री उमानाथ :** उन्होंने साफ तौर से कहा था कि यह पता लगाने के लिये क्या उन्हें अमरीकी गुप्तचर विभाग से कोई धन प्राप्त हुआ था विदेशी निकायों से लिखापढ़ी चल रही है । अब यह पता लग गया है कि एशिया प्रतिष्ठान इस न्यास में अंशदान देने वालों में से एक है और उसे अमरीकी गुप्तचर विभाग से धन प्राप्त होता रहा है ।

**श्री यशवन्त राव चव्हाण :** यही कारण है कि एशिया प्रतिष्ठान के विरुद्ध कार्यवाही क गई है ।

**श्री उमानाथ :** क्या एशिया प्रतिष्ठान से न्यास को अमरीकी गुप्तचर विभाग का प्राप्त धन वापस कर दिया गया है, यह मेरा प्रश्न था ।

**श्री यशवन्त राव चव्हाण :** जी नहीं । यदि उप-प्रधान मंत्री ने जो कुछ कहा है उसे मैं समझ पाया हूं तो ऐसी बात नहीं है कि प्रतिष्ठान द्वारा जो कुछ दिया गया था वह अमरीकी गुप्तचर विभाग का धन था ।

**श्री शिवाजी राव शं० देशमुख :** क्या सरकार का ध्यान अमरीकी दूतावास के उप-वाणिज्य दूत के इस वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि अमरीकी लोगों के लिये भारत में पी० एल० 480 की सम्पूर्ण निधियां बट्टे खाते में डाल दी गई हैं । इसको ध्यान में रखते हुये क्या यह सच है कि अमरीकी प्रशासन ने सम्पूर्ण पी० एल० 480 निधियां बट्टे खाते में डाल दी हैं और यदि हां, तो क्या सरकार इन निधियों के इस देश में जासूसी और राजनीतिक भ्रष्टाचार के प्रयोजनों के लिये प्रयोग किये जाने के खतरे से अवगत है ?

**श्री यशवन्त राव चव्हाण :** यह कहना गलत है कि पी० एल० 480 निधियों का संबंध जासूसी से है सामान्यत: इसे सरकार की अनुमति से व्यय किया जाता है ।

अन्य ब्यौरों के लिये वित्त मंत्री को प्रश्न किया जा सकता है ।

**Shri Balraj Madhok :** May I know the nature of the steps taken by Government to prevent the use of foreign money in the country which is detrimental to the interests of the integrity and democratic life of the country? Secondly are Government prepared to give a categorical assurance that an enquiry will be held into this matter by a judge of the Supreme Court to unresolve all the facts?

**श्री यशवन्त राव चव्हाण :** यह अनुमान लगाना सही नहीं है कि यदि कोई समिति नियुक्त कर दी जाये तो सारा मामला ठीक हो जायगा । इसके लिये सबसे अच्छा उपाय देश में मजबूत लोक मत का होना है । जब तक ऐसा नहीं होता, हम अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो पायेंगे । सभी राजनीतिक दलों को भी विदेशी धन को पाप समझना चाहिये क्योंकि धन केवल चैक के द्वारा ही नहीं अपितु अन्य कई तरीकों से दिया जाता है ।

जहाँ तक विदेशी मुद्रा का विनियमों का सम्बन्ध है, उन्हें कड़ाई से लागू करना होगा । मैं समझता हूँ वित्त मंत्रालय इस दिशा में आवश्यक कदम उठा रहा है ।

**श्री चेंगलराया नायडू :** क्या चुनावों के दौरान रूसी तथा चीनी धन के भारत में आने के सम्बन्ध में सरकार ने कोई जांच की है, यदि हां, तो वह किस प्रकार व्यय किया गया है ?

**श्री यशवन्त राव चव्हाण :** विदेशी धन में चीनी और रूसी धन भी शामिल है।

**श्री ही० ना० मुकर्जी :** माननीय मन्त्री जानते होंगे कि पी० एल० 480 में से भारत में अमरीकी दूतावास और इसकी शाखाओं पर किया जाने वाला व्यय वैदेशिक कार्य मंत्रालय के वजट व्यय से कहीं अधिक है। इसको ध्यान में रखते हुये क्या माननीय मन्त्री इस संबंध में एक विशेष अध्ययन करेंगे कि अमरीकी दूतावास के विभिन्न अभिकरण किस प्रकार काम करते हैं जब वे एक सामान्य राजनयिक अभिकरण की आवश्यकताओं से बहुत अधिक कम करते हैं ?

**श्री यशवन्त राव चव्हाण :** यह बहुत ही रुचिकर सुझाव है। मैं निश्चय ही इसको ध्यान में रखूंगा।

**श्री वाकर अली मिर्जा :** क्या योजना आयोग के साथ इस विषय पर कोई चर्चा हुई है कि जो उम्मीदवार विदेशी धन के उपयोग से चुन कर आये हैं उनका चुनाव अवैध घोषित करने के लिये तरीके निकाले जायें।

**श्री यशवन्त राव चव्हाण :** मैं समझता हूँ कि यह भी विचारणीय सुझाव है।

**श्री पीलु मोडी :** इस सभा में जब इस प्रश्न को पहली बार उठाया गया था, तो गृह-मंत्री ने एक जांच कराने का वचन दिया था। जांच के पश्चात उसका प्रतिवेदन सभापटल पर नहीं रखा है। क्या यह भी सच है कि जाँच करते सम यमंत्री महोदय का विशेष रूप से पिछले चुनावों में के० जी० बी० द्वारा धन व्यय किये जाने के संबंध में काफी जानकारी प्राप्त हुई, यदि हां, तो उन्होंने पूरा प्रतिवेदन सभापटल पर क्यों नहीं रखा है ?

**एक माननीय सदस्य :** के० जी० बी० क्या है ?

**श्री यशवन्त राव चव्हाण :** बात यह है कि वास्तव में इस प्रकार का रवैया ही देश में इस प्रकार की भावनाओं के लिये जिम्मेदार है; एक पत्र दूसरे पत्र पर आरोप लगाने का प्रयत्न करता है और हम इसको शीत युद्ध के प्रचार का एक मसला बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं **(व्यवधान)** के० जी० बी० अमरीकी गुप्तचर विभाग की तरह एक रूसी अभिकरण है। मेरे पास जानकारी नहीं है।

**Pakistani Infiltration**

***1621. Shri Ram Gopal Shalwale :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that nearly 5,000 Pak infiltrators are roaming in Bhuj, Mandvi, Lakhpat, Anjar and other places in Kucth, Gujarat State; and

(b) if so, the action taken by Government in this regard ?

**The Minister of Home Affairs (Shri Y.B. Chavan) :** (a) & (b) : According to information received from the Government of Gujarat, there are 754 Pak nationals in the District of Kutch. Appropriate action to deal with them is being taken by the State Government. In respect of those from amongst them who are absconding, vigorous steps have been taken by the State Government to detect and deal with them suitably.

**Shri Ram Gopal Shalwale :** May I know whether after Kutch Tribunal award our army is still there and if so, how these 5000 Pakistanies have infilterated and when the

Government received reports of their infiltration and the number of infiltrators arrested, let off and convicted and the present condition of that area ?

**श्री यशवन्तराव चव्हान** : 754 व्यक्तियों के बारे में मैं आवश्यक जानकारी दे सकता हूँ। 99 व्यक्तियों के विरुद्ध कुछ मामले लम्बित हैं। उनमें से कुछ जेल में हैं, लगभग 12 को देश से बाहर निकाला जा रहा है। कुछ ने नागरिकता के लिये भी आवेदन पत्र दिया है। वे पाकिस्तान के अल्प संख्यक समुदायों में से हैं। कुछ भाग गये हैं

**Shri Ram Gopal Shalwale :** What has been done in regard to the 28 Pakistani boats that were pounded ? Is it a fact that some Indian fishermen harboured these infiltrators as their religious brethern and if so, what action has been taken against them ?

**श्री यशवन्तराव चव्हान** : उनमें से कुछ नौकाएं जब्त कर ली गई थीं। अधिकांश लोगों पर मुकदमे चलाये गये थे। उनमें से कुछ अब भी कारावास भोग रहे हैं जबकि दूसरों को स्वदेश लौटा दिया गया है। कुछ लोग भाग गये हैं। यह सम्भव हैं कि उनमें से कुछ वापस चले गये हों और दूसरों को स्थानीय लोगों से संरक्षण मिला हो। राज्य सरकार मामले का अनुसरण कर रही है।

**Shri Ram Gopal Shalwale :** What action has been taken against the persons who harboured them ?

**Shri Y.B. Chavan :** I cannot give this information offhand. I require notice for this.

**Shri Prakash Vir Shastri :** May I know if the attention of the hon. Minister has been drawn to the st atement of the correspondent of London Times that phased programme is being drawn in Pakistan for sending infiltrators in a large number in the Indian territory along the entire border to cause an armed revolution there, if so, the precautionery measures taken ?

**श्री यशवन्तराव चव्हान** : पाकिस्तान द्वारा सशस्त्र घुसपैंठ का हमें अच्छा तजर्बा है स्वभावतः हमें बड़ा सतर्क होना पड़ेगा। मैं सभा को आश्वासन देता हूँ कि हम वहां की स्थिति पर कड़ी नजर रख रहे हैं। आसाम, त्रिपुरा और अन्य स्थानों पर भी हमें वही सतर्कता बर्तनी है।

**श्री मनुभाई पटेल** : पिछली बार जब यह प्रश्न उठाया गया था, तो माननीय मंत्री ने उत्तर दिया था कि कुछ व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था। हाल ही में समाचार पत्रों में खबर थी कि जो 24 या 25 नौकाएं पकड़ी गई थीं उन्हें सद्भावना के रूप में छोड़ दिया गया था। क्या यह समाचार सच है ?

**श्री यशवन्त राव चव्हान** : सद्भाव के रूप में नहीं। मेरे पास विस्तृत जानकारी नहीं है अतः मैं इन प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहता।

**Elimination of Communalism**

***1622. Shri Jamna Lal :**

**Shri Onkar Lal Berwa :**

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government have sought the co-operation of all political parties for eliminating communalism;

(b) if so, the names of those political parties; and

(c) the basis therefor ?

**गृह-कार्य मन्त्री श्री यशवन्तराव चव्हान** : (क) से (ग) संसद में प्रतिनिधित्व करने वाले सभी राजनैतिक दलों से राष्ट्रीय एकता परिषद् में भाग लेने के लिये अनुरोध किया गया है, जिसमें साम्प्रदायिकता के पुनः प्रकोप द्वारा उत्पन्न समस्याओं का भी पुनरीक्षण करने की तथा उचित सिफारिशें देने की आशा की जाती है ।

**Shri Onkar Lal Berwa :** May I know whether Jammaiete Ulmai Hind, Hindu Mahasabha and Muslim League are also included among these political parties ?

**श्री यशवन्तराव चव्हान :** यह जानकारी मुझे प्राप्त करनी होगी ।

**Shri Onkar Lal Berwa :** May I know whether the Communal disturbances are formented by the minority or the majority ? Are Government prepared to hold an enquiry into such disturbances where reports say that the minority community was responsible for creating communal disturbances.

**श्री यशवन्तराव चव्हान** : जांच आयोग साम्प्रदायिक घटनाओं की जांच कर रहा है। किन्तु यह कहना गलत है कि केवल अल्पसंख्यक ही झगड़ा करते हैं; यह बहुत ही अनुचित है ।

**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : यह बात निर्विवाद है कि साम्प्रदायिकता चाहे वह किसी भी व्यक्ति द्वारा अथवा कहां से भी उत्पन्न की गई हो, उसकी निन्दित किया जाना चाहिये । कुछ दिन पूर्व साम्प्रदायिकता के विरुद्ध दिल्ली में कुछ संसद-सदस्यों का सम्मेलन हुआ था और वहां श्री विद्या चरण शुक्ल ने कुछ टिप्पणियां की थी और वे समाचार पत्रों में भी प्रकाशित हुई । इन टिप्पणियों को देखते हुए, मैं गृह-कार्य मंत्री से विशिष्ट रूप से यह पूछना चाहता हूं कि क्या यह सरकार का दृष्टिकोण है, अथवा नहीं, यद्यपि साम्प्रदायिकता, चाहे जहां से भी वह उभरे, उसकी निन्दा की जानी चाहिये और इस समय बहुसंख्यक सम्प्रदाय द्वारा चलाई गई तथा प्रचारित साम्प्रदायिकता ही आज मुख्य खतरा है । श्री शुक्ल द्वारा की टिप्पणियों से उत्पन्न भ्रम को देखते हुए मैं जानना चाहता हूँ कि क्या यह सरकार का दृष्टिकोण है ?

**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल)** : श्रीमन्, अब क्योंकि वहां दिये गये मेरे भाषण के बारे में सन्दर्भ आ ही गया है तो मैं कह सकता हूं कि उस सम्मेलन में बोलते हुए मैंने कहा था कि मेरे दल सहित कई राजनैतिक दल कई साम्प्रदायिक पार्टियों के साथ कभी कभी सांठ-गांठ करते रहे हैं तथा इस प्रकार उन्हें कुछ आदर भी प्राप्त हो गया तथा सरकारी सेवा में भी वे लोग घुस आये । यह उचित नहीं है तथा देश के हितों के विरुद्ध है । और यह बात मैंने कुछ अलग से कही थी । मैंने यह नहीं कहा था कि ऐसी बातों के लिये यही एकमात्र कारण है बल्कि यह देश में साम्प्रदायिकता का वातावरण फैलाने का एक साधन है ।

**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : श्रीमन्, यह मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं है । मैं जानना चाहता था क्या यह भारत सरकार अथवा गृह-कार्य मंत्रालय का दृष्टिकोण है, अथवा नहीं ।

**श्री यशवन्तराव चव्हान** : मैंने प्रश्न का उत्तर प्रत्यक्ष रूप से नहीं दिया था क्योंकि मैंने सोचा था कि श्री शुक्ल इसे स्पष्ट कर देंगे । अब, मैं माननीय सदस्य से सहमत हूं कि साम्प्रदायिकता तो चाहे कहीं भी हो, उसकी अवश्य ही निन्दा की जानी चाहिये । बहुसंख्यक सम्प्रदाय का यह कर्तव्य है कि वह यह निश्चित करे कि वे साम्प्रदायिक न हों क्योंकि यह अत्यन्त खतरनाक

बात है । वास्तव में इसी बात पर श्री इन्द्रजीत गुप्त जोर डालना चाहते हैं और मैं उनसे सहमत हूँ ।

**श्री पें० वैन्कटासुब्बया :** क्योंकि विभिन्न समुदायों में साम्प्रदायिक दंगों के प्रसार से देश की अखण्डता को खतरा उत्पन्न हो गया है, तो क्या मैं जान सकता हूं कि क्या गृह-कार्य मंत्री बता सकेंगे कि इन साम्प्रदायिक दंगों से कुछ राजनैतिक दल लाभ उठा रहे हैं तथा यह चीज एक निकृष्ट श्रेणी की अति राष्ट्रीयता के रूप में प्रस्फुटित हुई है; और इस सम्बन्ध में, क्या मैं जान सकता हूँ कि क्या गृह-कार्य मंत्री महोदय ने साम्प्रदायिक दलों पर प्रतिबन्ध लगाने की बात पर विचार किया है ?

**श्री यशवन्तराव चव्हान :** यदि वास्तव में ही किसी राजनैतिक दल पर प्रतिबन्ध लगाना आवश्यक होगा तो उस समय निश्चय ही सरकार इस बारे में सोचेगी, परन्तु व्यक्तिगत रूप से मैं किसी राजनैतिक दल पर प्रतिबन्ध लगाने के बारे में नहीं सोचता ।

यह तो बस नामतंत्र ही है, यदि वह चाहते हैं कि उन दलों को प्रतिबन्धित कर दिया जाये तो यह नामतंत्र आसानी से बदल भी सकता है । केवल नामतन्त्र ही की महत्ता नहीं बल्कि उस राजनैतिक दल के कार्यक्रमों का भी महत्व है ।

**श्री यशवन्तराव चव्हान :** हां । इस समय किसी राजनैतिक दल पर प्रतिबन्ध लगाने का कोई प्रश्न नहीं है । यदि परिस्थितियां ऐसी हुईं तो सरकार ऐसा करने में नहीं झिझकेगी ।

**श्री ज्योतिर्मय बसु :** इस तथ्य की दृष्टि से कि पिछले एक वर्ष से जितने भी साम्प्रदायिक तथा राजनैतिक दंगे हुए वे बहुसंख्यक समुदायों द्वारा संचालित थे और विशेषकर दो राजनैतिक दलों यथा राष्ट्रीय स्वयं-सेवक संघ तथा जन-संघ द्वारा अल्पसंख्यकों पर जुल्म करने के लिये संचालित किये गये थे, तो क्या मैं जान सकता हूँ कि श्री चव्हाण अल्प-संख्यकों के हितों तथा देश की सुरक्षा की रक्षा के लिए क्या कदम उठाने का विचार रखते हैं ? (व्यवधान)

**Shri Ram Gopal Shalwale :** It is wrong.....(Interruptions)..... who engineered riots in Allahabad ?

**Shri Onkarlal Berwa :** Communists did it.

**श्री यशवन्तराव चव्हान :** मेरे विचार से श्री ज्योतिर्मय बसु····· मुझे भय है ····· कोई बहुत ही खतरनाक बात कह रहे हैं (व्यवधान) हमें यह भावना रखनी चाहिये कि राजनैतिक दलों पर प्रतिबन्ध लगाना उचित नहीं है ।

**Shri Tulshidas Jadhav :** May I know whether Govt. has decided as to which parties are communal ones so that there might not remain any doubt about them ? Is there any record and if so, which are those parties ?

**श्री यशवन्तराव चव्हान :** प्रश्न यह नहीं है कि सरकार के पास इसका रिकार्ड हो । किसी दल की साम्प्रदायिकता के बारे में दूसरे उपायों अर्थात् उसके कार्यक्रम, प्रचार तथा गतिविधियों द्वारा जाना जा सकता है । मैं इस प्रकार की कोई सूची नहीं रखता ।

**श्री न० कु० सोमानी :** लगभग एक मास पूर्व मैंने बनारस हिन्दु-विश्वविद्यालय के अहाते में हुई कुछ अशान्तिपूर्ण घटनाओं के बारे में शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित किया था और उन्हें इस

विशिष्ट घटना के बारे में बताया था कि किस प्रकार एक हरिजन विद्यार्थी को न केवल बुरी तरह पीटा गया बल्कि उसका निर्दयता से वध भी कर दिया गया; मैंने उनसे पूछा कि क्या इस बारे में केन्द्र सरकार के पास कोई सूचना उपलब्ध है : उन्होंने उस समय वचन दिया था कि वह इस मामले को गृह-कार्य मन्त्री के पास भेजेंगे। क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार ने इस बारे में न केवल जाँच-कार्यवाही की है बल्कि विद्यार्थियों में से इस जघन्य साम्प्रदायिकता का प्रभाव समाप्त करने के लिये कोई कारगर कदम उठाये हैं ?

**श्री यशवन्तराव चव्हान** : जी हां। शिक्षा मन्त्री ने मुझे माननीय सदस्य का पत्र भेजा है तथा मैं इस बारे में जांच करा रहा हूं।

**श्री न० कु० सोमानी** : हत्या के मामले की जांच के लिये एक मास का समय ? शिक्षा मन्त्री से उत्तर प्राप्त करने में एक मास लग गया; एक मास पूर्व उन्होंने कहा था कि वह मामले की जाँच कर रहे हैं। ऐसे मामलों में भी कई-कई मास क्यों लग जाते हैं ?

**यशवन्तराव चव्हान** : आपके अनुसार भी तीन महीने तक सारी बात की जानकारी उपलब्ध नहीं हुई थी। सबसे प्रथम तो मुझे यह पता लगाना है कि क्या यह सत्य है और इसीलिये इसमें समय अवश्य लग रहा है।

**Shri Kanwarlal Gupta** : There should be no communal riots wherever they occur and by whomsoever they be caused—either by a minority community or by a majority community; and every citizen should condemn it; and I repudiate whatever my hon. friend has stated. Both Jan Sangh and the R.S.S. do not believe into it and we are not responsible for it. Whenever there are communal riots, it is said from the Govt. side that the reason for these riots is the unemployment or some other grievances of those people. It is a wrong tendency to cause communal riots if one does not get employment or if one is economically backward. I want to know from the hon. Minister whether Govt. is formulating certain programme so that a communal harmony may prevail and this sort of discrimination is minimised ? Is there any programme to educate people in this behalf ? If not, then people will make a political capital therefrom. It is not good and it casts a very bad image o f India outside.

**यशवन्तराव चव्हान** : माननीय सदस्य ने अपने विचार प्रकट किये हैं, कोई प्रश्न नहीं पूछा है। जब हम इस बारे में कुछ करने का प्रयत्न करते हैं तो आप कहते हैं कि आप इससे सहमत नहीं। यह भी सम्भव है कि अल्पसंख्यक समुदाय यह न सोचे कि उनके साथ उचित व्यवहार किया जा रहा है तथा उनको यह भी शिकायत है कि सेवाओं में उनका यथोचित प्रतिनिधित्व नहीं है; हमें इस बारे में भी सोचना है। यहां पर प्रश्न सन्तोष की भावना रखने का है। इससे कई बार गलत धारणाएं उत्पन्न हो जाती है।

**श्री बदरुद्दुजा** : गृह-कार्य मन्त्री से अपने प्रश्न का मैं स्पष्ट उत्तर चाहता हूँ। देश भर में हुए इन गम्भीर दंगों, जिनसे विशेष रूप तथा मुख्य रूप से अल्प संख्यक समुदाय ही प्रभावित हुए हैं, को दृष्टि में रखते हुए, गृह-कार्य मन्त्री स्थिति पर काबू पाने के लिये ऐसे कौन से ठोस कदम उठा रहे हैं जिनसे न केवल इन साम्प्रदायिक उपद्रवों की पुनरावृत्ति रोकी जा सके बल्कि सरकारी अथवा गैर-सरकारी, दोनों प्रकार के अपराधियों को समान रूप से दण्डित किया जाये और

यह पता लगाया जाये कि भारत में मुसलमानों के जीवन, सम्पत्ति, मान तथा स्वतन्त्रता को खतरा उत्पन्न करने के लिये कौन लोग जिम्मेवार हैं ?

**श्री यशवन्तराव चव्हान** : मैंने इसका स्पष्टीकरण कर दिया है कि हम क्या-क्या कदम उठाने का विचार रखते हैं, इस सम्बन्ध में सुझाव देते हुए हमने राज्य सरकारों को आवश्यक निर्देश दे दिये हैं और मामलों की जांच पूरी चेष्टा से की गई है तथा सम्बन्धित व्यक्तियों को दण्ड दिया गया है ।

**श्री बदरुद्दुजा** : इलाहाबाद, मेरठ तथा दूसरे स्थानों पर क्या आप अदालती जांच करा रहे हैं ?

**श्री यशवन्तराव चव्हान** : यहां तक कि करीमगंज के मामले में भी उन्होंने स्वयं जांच आरम्भ कर दी हैं । कोई जांच आरम्भ करना आवश्यक नहीं है ।

**Shri Ramavtar Shastri** : The hon. Minister has stated that there is an all party committee to check communalism; still communalism is on the increase and riots are happening. The hon. Members like Shri Arjun Singh Bhadoria, Shri Fernandes of this House, as also the Rajya Sabha Member Shri Raj Narain have charged specifically Jan Sangh for engineering these riots. So I want to know.....

**एक माननीय सदस्य** : अमुक सदस्य श्री रामावतार शास्त्री का मजाक उड़ा रहे हैं । श्रीमन्, इन्हें रोका जाना चाहिये । यह गलत है, मैं इसका विरोध करता हूँ । उन्हें खड़ा होना चाहिये तथा कहना चाहिये, "मुझे क्षमा करें ।" यह संसदीय नहीं है । यह क्या है ?

**श्री मनुभाई पटेल** : श्रीमन् , यह गलत है । ऐसी बातों को अनुमति नहीं होनी चाहिये ।

**Shri Ramavtar Shastri** : He can not tease like that. My voice may be bad. Let Jan Sangh face if they have courage. Why do they copy like that.....

**अध्यक्ष महोदय** : आपको दुःखी होने की आवश्यकता नहीं । ऐसा करने वाले व्यक्ति को ही खेद प्रकट करना चाहिये और उसे क्षमा मांगनी चाहिये । आप इसकी परवाह मत कीजिये । वह स्वयं क्षमा याचना करेंगे । मुझे सचमुच इसका बहुत खेद है ।

**डा० रानेन सेन** : यह बात अनेक बार हमारे सामने आ चुकी है कि जब भी श्री शास्त्री खड़े होते हैं और क्योंकि वह अपंग हैं, तो इस ओर से उनका उपहास किया जाता है । यह बहुत ही अनुचित है तथा संसद-सदस्य की शान के खिलाफ है । इसकी भर्त्सना की जानी चाहिये ।

**अध्यक्ष महोदय** : मैं पूरी तरह सहमत हूं । यही मैंने कहा था । मैंने श्री शास्त्री से कहा था कि वे इस पर ध्यान न दें । जिन लोगों ने उनकी नकल बनाने की कोशिश की थी स्वयं उनको ही इस पर अफसोस होगा ।

**Shri Ramavtar Shastri** : The hon. Members of this House as well as of the other House have put definite blames through their statement that the Jan Sangh engineered the riots in different parts of the country. I want to know whether the attention of the hon. Home Minister has been drawn towards these statements; and if so, is the Government prepared to have an inquiry in this matter ?

**श्री यशवन्तराव चव्हान** : जब एक राजनैतिक दल पर दूसरे राजनैतिक दल द्वारा आरोप लगाये जायें, तो मैं आशा करता हूँ कि वह राजनैतिक दल ही इसका उत्तर दे।

**डा० रानेन सेन** : यह क्या उत्तर हुआ ? हमतो यह जानना चाहते हैं कि क्या वह इस मामले में जांच करायेंगे ?

**श्री बलराज मधोक** : साम्प्रदायिकता का यह प्रश्न बार-बार उठ रहा है। मैंने पहले भी सुझाव दिया था कि हम इस पर चर्चा कर लें कि साम्प्रदायिकता क्या है, कौन साम्प्रदायिक हैं आदि। इस शब्द पर बहुत ही अधिक बहस होती है। इस देश में सामाजिक दल, आर्थिक दल, धार्मिक दल आदि विभिन्न दल हैं। इनसे बड़ा भी एक दल है—राष्ट्रीय दल। वही व्यक्ति साम्प्रदायिक है जो राष्ट्र को भूल कर किसी निम्न कोटि के दल के प्रति वफादार होता है। उन लोगों की तुरन्त भर्त्सना की जानी चाहिये। मैं किसी को भी चुनौती देता हूं कि वह यह सिद्ध करे कि जन संघ अपने दल के हितों को देश से ऊपर मानता है। हमारे लिये देश ही सर्वोच्च है। मैं यह दावा करता हूँ कि केवल हमारा दल ही सच्चा राष्ट्रवादी है। (व्यवधान)।

**अध्यक्ष महोदय** : सदन में, विशेष रूप से प्रश्न-काल के समय, एक अनुपूरक प्रश्न के दौरान हम एक दल द्वारा दूसरे दल पर लगाये गये आरोपों के बारे में निर्णय नहीं कर सकते। इसका कोई फल नहीं निकलेगा।

**Shri Madhu Limaye** : An inquiry committee or a commission was constituted in connection with this communal riots. No report has so far been received from that. Would the Home Minister ask that Committee or Commission to go into the reasons for the disturbances in Allahabad, Karimganj, Ahmednagar of Maharashtra, Neemach and Mandsor—there is no part of the country which escaped it—; and after the receipt of its report, will you call a meeting of the State Home Ministers and Senior police officials to discuss this matter ?

There are certain patent reasons that these disturbances take place on certain specific occasions like Holi, Ganeshotsav, Tazias and Id. After the receipt of the report, will he convene certain meeting to discuss seriously as to how this bureaucracy should function, and before these riots take place, how to check them with the help of the citizens ?

**श्री यशवन्तराव चव्हान**। मैं पर्याप्त सीमा तक स्पष्ट कर चुका हूं और मैं फिर दोहराता हूँ। दायल-आयोग लगभग आधा दर्जन साम्प्रदायिक घटनाओं के बारे में जांच कर रहा है। सरकार इसमें कुछ और वृद्धि करने का विचार नहीं रखती क्योंकि उस कारण फिर रिपोर्ट में विलम्ब हो जायेगा। इस जांच के पास इस समय काफी अधिकार हैं। वे जो निष्कर्ष निकालेंगे उनका निश्चय ध्यान से अध्ययन किया जायेगा तथा इस पर मुख्य मंत्रियों के साथ चर्चा की जायेगी। मुख्य मंत्रियों का सम्मेलन बुलाने के लिये मैं उस रिपोर्ट की प्रतीक्षा में नहीं हूँ। साम्प्रदायिकता, हरिजनों आदि से सम्बन्धित समस्याओं पर चर्चा करने के लिये मैं इसी मास मुख्य मंत्रियों का सम्मेलन बुला रहा हूँ।

## मूर्तियों की चोरी

*1623. **श्री रा० बरुआ** : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत पांच वर्षों में अर्थात् वर्ष 1962 से 1967 तक की अवधि में समस्त देश में मन्दिरों से चुराई गई बहुमूल्य मूर्तियों का कोई लेखा जोखा उपलब्ध है;

(ख) यदि हां, तो कितने मामले पकड़े गये हैं तथा कितने मामलों में मूर्तियां आदि बरामद कर ली गई हैं; और

(ग) क्या इन चोरियों में किसी ऐसे संगठित गिरोह का हाथ है, जो ऐसी मूर्तियों का व्यापार करता है ?

**गृह मन्त्रालय में मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल)** : (क) से (ग) सदन के सभा पटल पर एक विवरण रखा गया है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल. टी. 1152/68**)

**श्री रा० बरुआ** : क्या मैं जान सकता हूँ कि क्या कोई ऐसा सुसंगठित अन्तर्राज्य गिरोह है जो कि भारत भर से चुराई गई मूर्तियों का व्यौपार करता है तथा क्या सरकार इस गिरोह का पता लगाने में समर्थ रही है ?

**श्री विद्याचरण शुक्ल** : हमने विभिन्न राज्य सरकारों को लिखा था तथा वहां से प्राप्त उत्तरों ये यह विदित नही होता कि वहां नियमित रूप से काम करने वाला कोई गिरोह है जो कि ऐसी चोरियां करता है। परन्तु ऐसा करते हुऐ कुछ लोग पेकड़े गये हैं। उन्हें बन्दी बना लिया गया है तथा उनके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जा रही है।

**श्री रा० बरुआ** : क्या यह सत्य है कि कुछ धनी देशों में ऐसी मूर्तियों की भारी मांग है और यह घोटाला इन दोनों पक्षों के मध्य नियमित रूप से चला रहा है।

**श्री विद्याचरण शुक्ल** : यह सत्य हैं कि ऐसे घोटाला करने वालों की बिदेशों में बड़ी मांग हैं तथा इसी कारण ऐसी गतिविधियां चल रही हैं।

**विदेशी एयरलाइन कम्पनियों द्वारा भारत को विमान सेवा बन्द करना**

***1624. श्री क० प्र० सिंह देव** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि कुछ विदेशी एयरलाइन कम्पनियां भारत में विमान सेवायें बन्द करने का विचार कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्णसिंह)** : (क) से (ग) फिलहाल 31 विदेशी हवाई कम्पनियां भारत को/में से होकर अनुसूचित विमान सेवायें परिचालित कर रही हैं। जहां तक भारत सरकार की जानकारी है इन हवाई कम्पनियों में से किसी ने भी भारत को/में से होकर विमान सेवायें स्थागित करने का नोटिस नहीं दिया है।

**श्री क० प्र० सिंह देव** : क्या मैं जान सकता हूँ कि (क) क्या आई ए टी ए विनियमों के अन्तर्गत भारत और ब्रिटेन के मध्य भारत से ब्रिटेन जाने वाले आप्रवासियों के लिये रियायती भाड़ा लागू करने के लिये कोई समझौता हुआ है ; (ख) ऐसे समझौते करने का क्या अभिप्राय है, तथा (ग) क्या किन्हीं मध्य-पूर्व ऐयरलाइन-कम्पनियों ने इसका विरोध किया है।

**पर्यटन और असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह)** : भारत और ब्रिटेन ने दिल्ली-बम्बई से लन्दन तक 100 पोंड के विशिष्ट प्रवासी भाड़े के बारे में एक समझौता किया है। यह आई० ए० टी० ए० की किसी धारा के अन्तर्गत है। इसके विरोध में अनेक पश्चिमी ऐशियाई एयरलाईन कम्पनियों की ओर से विरोध-पत्र प्राप्त हुए थे।

**श्री क० प्र० सिंह देव** : क्या मैं जान सकता हूँ कि कई एयरलाइन-कम्पनियों द्वारा भारत में आई० ए० टी० ए० के विनियमों का उल्लघंन किया जा रहा है तथा क्या कुछ अनधिकृत अभिकर्ता टिकटों का अपविक्रय कर रहे हैं तथा कुछ पैसे लेकर भोले भाले यात्रियों को पासपोर्ट तथा 'पी' फार्म भरने में सहायता देते हैं।

**डा० कर्ण सिंह** : ऐसा सन्देह किया जाता है कि ऐसी कुछ गतिविधियां हो रही है तथा वित्त मंत्रालय का प्रवर्तन निदेशालय इस बारे में खोज-बीन कर रहा है।

**डा० रानेन सेन** : क्या यह सत्य है कि दो-तीन दिन पूर्व मध्य-पूर्व एअरवेज के अधिकारियों ने भारतीय वायुसेवा प्राधिकारियों से बातचीत की थी तथा इस बातचीत के दौरान मध्य-पूर्व एअरवेज के अधिकारी बैठक से उठकर चले गये क्योंकि पुलिस ने बम्बई तथा अन्य स्थानों पर विमान-टिकटों के वितरण की अनियमितताओं के बारे में तलाशियां ली थी? यदि हां, तथा वास्तविक तथ्य क्या है तथा अब क्या स्थिति है?

**डा० कर्ण सिंह** : यह सच है कि जो प्रवासी भाड़ा हमने लागू किया है उसके परिणाम स्वरूप बेरूत में बातचीत हुई थी। जैसा कि मैंने कहा, मध्य-पूर्व एअरलाइन-कम्पनियों की ओर से कुछ विरोध-पत्र प्राप्त हुए थे तथा उन्होंने आई० ए० टी० ए० के भाड़ा सम्बन्धी सारे ही ढांचे की निन्दा की थी। इस बारे में आगे कार्यवाही करने के लिये यहां से एक प्रतिनिधि मडल बेरूत गया और उनके साथ बात चल रही थी। इसी बीच, प्रवर्त्तन निदेशालय कुछ एअरलाइन-कम्पनियों के विरुद्ध कार्यवाही कर रहा था तथा तलाशियां ले रहा था, जिसके इस बातचीत से कोई प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं था। उस समय उन्होंने सेवाएँ स्थगित कर देने की धमकी दी परन्तु ऐसी कोई स्थगन-सूचना वास्तव में प्राप्त नहीं हुई है। वास्तव में इस बातचीत के परिणाम स्वरूप ऐसा लगता है कि यह स्थिति कम से कम छः मास तक जारी रहेगी जिसके बाद बातचीत फिर आरम्भ होगी।

**श्री नरेन्द सिंह महीवा** : श्रीमन् सस्ते दामों पर टिकट बेचकर तथा इस प्रकार हमारी सरकार को विदेशी मुद्रा की हानि पहुंचाकर इन अनधिकृत अथवा अधिकृत अभिकर्ताओं द्वारा प्रवासियों को ठगा जा रहा है या उनको रियायतें दी जा रही हैं। क्या मैं जान सकता हूँ कि क्या मन्त्री महोदय ने इस हानि का अनुमान लगाया है; यदि हां, तो इस विदेशी-मुद्रा की हानि की राशि क्या है?

**डा० कर्ण सिंह** : क्योंकि यह एक अवैध आदान-प्रदान है, अतः वास्तव में हमारे लिये इस सम्बन्ध में ठीक राशि का जानकारी देना सम्भव नहीं है। परन्तु मैं यह कहना चाहूंगा कि इस बारे में बड़ी चिन्ता है तथा वित्त मंत्रालय इस प्रकार की हानि को रोकने के लिये कारगर कदम उठा रहा है।

# अल्प सूचना प्रश्न
# SHORT NOTICE QUESTIONS

**Disruption of Tele-Communication links of Bihar**

**S. N. Q. No. 30. Shri Bhogendra Jha :** Will the Minister of **Communications** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that tele-communication links of Bihar with outside get disrupted very often;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) the steps being taken to remove the same ?

**The Minister for Parliamentary Affairs and Communications (Dr. Ram Subhag Singh) :** (a) The tele-communication links from stations in Bihar with outside generally work satisfactorily, though occasionally some interruptious have occurred.

(b) The Telephone Circuits from Patna to New Delhi, Calcutta, Kanpur, Varanasi and other important centres are provided on channels of the coaxial cable system. Though there have been some faults occasionally on this equipment between Patna and Sasaram, these circuits have been working satisfactorily. Some telegraph circuits like Patna Allahabad, Patna-Varanasi etc. which are routed on open wire lines have been subject to copper wire theft and have given a lower performance.

(c) Steps are being taken to reduce the copper wire thefts by amending the Telegraph Wires (Unlawful Possession) Act, 1950 to provide for enhanced punishment. State Chief Ministers have also been requested to tighten the law and order arrangements in the State with specific reference to copper wire thefts. Closer liasion is maintained with State police to check this menace.

**Shri Bhogendra Jha :** The hon. Minister has stated in his reply that the function of tele-communication is generally satisfactory. Later on, he has talked about certain occasional interruptions also. The hon. Minister can assess the 99% as "occasional" and the 1% as "generally". The failure of the functioning of Telecommunication was known when recently, I visited Bihar where 1,56,000 teachers were on strike and when their arrests were being made. A lot of disorder was experienced in course of securing links even with New Delhi, Allahabad and other places from Patna. I want to know the responsibility for this disorder is that of the technic or plant or of certain officials. The hon. Minister has mentioned that there had been certain occasional interruption; so what is the reason for this "occasional" ? Has it been gone into whether the plant or some officials is responsible for it.

**Dr. Ram Subhag Singh :** Had the hon. Questioner heard the reply attentively, there would have been no scope for this qestion perhaps. The hon. Member has stated about Patna to Allahabad. As I have stated in my original answer; some telegraph circuits have been routed on open wire lines and these wires are sometimes stolen away. We have requested the state Chief Ministers to keep a strict vigil so that there is no theft of wires. It is not the job of this Department to check this theft. The hon. Member is well aware that the copper wires are often stolen away on Patna-Allahabad line. I would request them also to check the theft of wires.

**Shri Bhogendra Jha :** The hon. Minister has stated that his Department is neither a factor to this disorder nor it is responsible for it, As regards that area, it is the hon. Minister's own constituency. If he himself makes an effort, it will surely be improved. If we go there, it will be said that we want to defeat him although we shall try for it after four years.

If the hon. Minister does not owe the responsibility and the Chief Minister and other people have to do it, then it can well be guaranteed that this disorder will continue in future also and that the telecommunication link will not exist continuously. I want to know whether the hon. Minister, not evading and putting off this responsibility on others, will ensure that no continuous interruptions and disorder occur in the tele-communication system ?

**अध्यक्ष महोदय** : यदि आप दोनों इस मामले पर बाहर बात करते तो सदन का समय बच सकता था ।

**Shri Bhogendra Jha :** The hon. Minister is holding the Bihar Government responsible for it. If he hands over the charge of his Department to Bihar Govt. I hope the Bihar Chief Minister can well do this job.

# प्रश्नों के लिखित उत्तर
# WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

## पश्चिम बंगाल सरकार के कर्मचारी

**1625. श्री मुहम्मद इस्माइल :** **श्री गणेश घोष :**
**श्री भगवानदास :**

क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल सरकार के कर्मचारियों ने 20 मार्च, 1968 को सरकार को अपनी मांगों का एक ज्ञापन पेश किया था ;

(ख) यदि हाँ, तो उनकी मांगें क्या हैं; और

(ग) इस विवाद को निपटाने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल)** : (क) से (ग) एक विवरण सदन के सभा पटल पर रखा गया है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1153/68**]

## आजाद हिन्द सरकार स्थापना दिवस

***1626. श्री समर गुह** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नेताजी सुभाष चन्द्र बोस द्वारा स्थापित की गई आजाद सरकार के स्थापना दिवस के रजत जयन्ती समारोह, जो इस वर्ष 21 अक्तूबर को मनाया जा रहा है, के सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ; और

(ख) क्या 1945 में नेताजी द्वारा स्थापित किये गये आजाद हिन्द फौज के शहीदों के ऐतिहासिक स्मारक का, जो सिंगापुर पर पुनः अधिकार करने के बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा नष्ट कर दिया गया था, पुनर्निर्माण करने के लिये सिंगापुर सरकार से बातचीत करने का भी सरकार का विचार है ?

**शिक्षा मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद)** : (क) मामला विचाराधीन है ।

(ख) जी नहीं ।

**Nagas Obstructing Development Works**

*1627. **Shri Maharaj Singh Bharati :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the percentage of law abiding Nagas has increased because of the development works and the Naga hostiles are completeley against the development works; and

(b) if so, the efforts being made by Government to ensure that the hostiles do not obstruct the development works ?

**The Minister of Home Affairs (Shri Y. B. Chavan):** (a) The people in Nagaland except the extermist sections of the underground are law abiding and want peace to continue. No instance of obstruction by the underground in development work has come to notice.

(b) Does not arise.

**Pay Scales of Primary Teachers**

*1628 **Shri Molahu Prasad :** Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) the pay scales and allowonces of the primary teachers in different States :

(b) whether it is a fact that there is considerable disparity in the pay scales and allowances of teachers in different States; and

(c) if so,the action taken by Government for the co-ordination of pay scales and allowances ?

**The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Bhagwat Jha Azad) :** (a) A statement showing the pay and dearness allowance admissible to Matric Primary trained teachers in various States is laid on the Table of the House. **(Placed in Library. See. No. LT-1154/68)**

(b) The scales of pay of teachers are not uniform throughout India.

(c) The recommendations of the Education Commission in this respect have been communicated to the State Governments and it is for them to initiate action in this regard.

**ग्राम्य सड़कों का विकास**

1629. **श्री कामेश्वर सिंह :**

**श्री श्रीधरन :**

क्या **परिवहन तथा नौवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी राज्य सरकार ने वर्ष 1967-68 और 1968-69 में ग्राम्य सड़कों का विकास करने के लिए सरकार से वित्तीय सहायता मांगी है;

(ख) यदि हाँ, तो किन-किन राज्यों ने ऐसी सहायता मांगी है; और

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**परिवहन तथा नौवहन मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) :** (क) से (ग) ग्रामीण सड़कों के लिए 1967-68 और 1968-69 के लिए अभी तक किसी राज्य सरकार से वित्तीय सहायता के लिए कोई अनुरोध नहीं प्राप्त हुआ है ।

**केन्द्रीय सरकार तथा दिल्ली प्रशासन के बीच कार्यों का बंटवारा**

*1630. **श्री तेन्नेटि विश्वनाथम् :**

**श्री मणिभाई जे० पटेल :**

क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली प्रशासन तथा केन्द्रीय सरकार के बीच कामों का बंटवारा बिल्कुल स्पष्ट नहीं है;

(ख) क्या दिल्ली महानगर परिषद में दिल्ली के मामलों में केन्द्रीय सरकार द्वारा हस्तक्षेप का आरोप लगाया गया है;

(ग) क्या इस परिषद ने एक संकल्प पास किया है जिसमें केन्द्रीय सरकार से उस अधिसूचना को रद्द करने के लिए कहा गया है जिसके अन्तर्गत कुछ विषयों को रक्षित विषय घोषित किया गया है; और

(घ) क्या इस संकल्प की एक प्रति इस बीच प्राप्त हो गई है और यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

**गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल)** : (क) जी नहीं, श्रीमान ।

(ख) जी हाँ, श्रीमान ।

(ग) जी हां, श्रीमान ।

(घ) केन्द्रीय सरकार को संकल्प की प्रतिलिपि प्राप्त नहीं हुई है ।

## दिल्ली विश्वविद्यालय में दाखिला

***1631. श्री कंवर लाल गुप्त :** क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आगामी वर्ष में दिल्ली विश्वविद्यालय में सभी पात्र विद्यार्थियों को दाखिल करने के लिए प्रबन्ध किये हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

**शिक्षा मन्त्री (डा० त्रिगुण सेन)** : (क) नियुक्त किये गये एक कार्यकारी दल द्वारा मामले में जांच की जा रही है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

## अपराध की स्थिति

***1632. श्री क० लकप्पा :**

**श्री रामावतार शास्त्री :**

क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस वर्ष देश में अपराधों की प्रवृत्ति वृद्धि पर है ;

(ख) यदि हाँ, तो इस वृद्धि के क्या कारण हैं; और

(ग) इनकी वृद्धि को रोकने के लिये क्या कार्यवाही का गई है ?

**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल)** : (क) से (ग) चालू वर्ष के अपराधिक आंकड़े शीघ्र उपलब्ध नहीं हैं, और राज्य सरकारों से एकत्रित किये जा रहे हैं ।

**काश्मीर में राजनैतिक स्थिति**

*1633. **स० मो० बनर्जी** : क्या गृह कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शेख अल्दुल्ला की हाल की काश्मीर यात्रा के पश्चात वहां की राजनैतिक स्थिति और अधिक बिगड़ गई है;

(ख) क्या शेख अब्दुल्ला को स्वतन्त्र काश्मीर के सम्बन्ध में अपने निजी विचार खुले-आम व्यक्त करने की छूट है;

(ग) क्या इससे पाकिस्तान को अपना भारत-विरोधी प्रचार फिर से आरम्भ करने का प्रोत्साहन मिला है; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

**गृह-कार्य मन्त्री (श्री यशवन्तराव च व्हान)** : (क) जी नहीं श्रीमान ।

(ख) भारत के किसी नागरिक के लिए देश की अखण्डता तथा प्रभुसत्ता को चुनौती देने वाली कोई बात कहना अनुचित तथा आपत्तिजनक है । इस सम्बन्ध में सरकार के विचार सार्वजनिक रूप में व्यक्त किये गये हैं ।

(ग) और (घ) सरकार को जानकारी है कि पाकिस्तान शेख अब्दुल्ला के भाषणों का भारत-विरोधी प्रचार के लिए प्रयोग कर रहा है, किन्तु वह अभी कोई विशेष कार्यवाही करने की आवश्यकता नहीं समझती है ।

**बम्बई बन्दरगाह में सूखी गोदी की सुविधायें**

1634. **श्री रा० स्व० विद्यार्थी** : क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बम्बई बन्दरगाह में सूखी गोदी की सुविधाओं सम्बन्धी समस्या का अध्ययन करने के लिये एक समिति बनाई गई है; और

(ख) यदि हां, तो किस तारीख तक प्रतिवेदन मिलने की सम्भावना है ?

**परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव)** : (क) और (ख) 1966 में बम्बई पोर्ट ट्रस्ट द्वारा एक छोटी सी संयोजक समिति स्थापित की गई थी । इसमें पोर्ट ट्रस्ट, पोत मालिक और पोत मरम्मत करने वालों के प्रतिनिधि थे । इसका काम पोर्ट ट्रस्ट सूखी गोदियों में मौजूदा पोत मरम्मत सुविधाओं की यथासम्भव सर्वोच्च उपयोगिता का सुनिश्चियन करना और उनमें सुधार के लिये सिफारिश करना था । समिति ने कई नियतकालीन बैठकें की हैं और पोर्ट ट्रस्ट से कई शिफारिशें भी की हैं । समिति द्वारा की गई सिफारिशों के प्रकाश में ट्रस्ट ने अतिरिक्त सुविधाओं की व्यवस्था करना सिद्धान्त तौर पर स्वीकार कर लिया है । वे सुविधायें ये हैं; पोर्ट ट्रस्ट सूखी गोदियों पर कम्प्रैस्ड एयर प्लांट, आक्सीएसिटिलीन-प्लान्ट, विद्युत सप्लाई, तटीय प्रकाश इत्यादि । फिलहाल पोर्ट ट्रस्ट बोर्ड इनके लिए सरकार की स्वीकृति प्राप्त करने के लिये विस्तृत योजनायें और प्राक्कलन तैयार करने में लगा हुआ है ।

**बम्बई बन्दरगाह में सूखी गोदी की सुविधायें**

1635. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि बम्बई-आगरा सड़क नामक राष्ट्रीय राजपथ न केवल बहुत तंग है बल्कि इन्दौर और नासिक के बीच बहुत खतरनाक हालत में भी है;

(ख) इस राजपथ पर गतवर्ष कितनी सड़क दुर्घटनायें हुईं;

(ग) क्या सरकार को यह भी पता है कि यह राजपथ न केवल अधिकांशतः भारी वाणिज्यिक मोटरगाड़ियों द्वारा प्रयोग किया जाता है; और बल्कि भारतीय तथा विदेशी पर्यटकों द्वारा भी इसका प्रयोग किया जा रहा हैं; और

(घ) यदि हाँ, तो न केवल इस राजपथ की मरम्मत करने बल्कि इसको द्विमार्गी यातायात के उपयुक्त बनाने के लिये इसे काफी चौड़ा करने के लिये क्या कार्यवाही करने का सरकार विचार है ?

**परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री भक्त दर्शन)** : (क) जी हाँ। सरकार को इस तथ्य का पता है कि राष्ट्रीय मुख्य-मार्ग के इन्दौर-नासिक अनुभाग का एक बड़ा भाग संकरा है परन्तु वह भीषण रूप से बुरी दशा में नहीं है।

(ख) और (ग) अपेक्षित सूचना महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की सरकारों से मांगी गई है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जायेगी।

(घ) भारी यातायात वाले कुछ अनुभागों में द्विमार्गी आवागमन के लिये मुख्य-मार्ग को चौड़ा करये तथा सुधार करने के प्रस्ताव विचाराधीन हैं। राष्ट्रीय मुख्य मार्गों के लिये चतुर्थ पंच-वर्षीय योजना के अधीन आवंटनों का पता लग जाने पर इन प्रस्तावों को अन्तिम रूप दिया जायेगा।

**गुजरात सरकार के श्री नागरवाला के विरुद्ध भ्रष्टाचार का मामला**

*1636. **श्री मधु लिमये** :— क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात सरकार के एक अधिकारी श्री नागरवाला के विरुद्ध भ्रष्टाचार का मामला जाँच आयोग को सौंपा गया था ;

(ख) क्या जांच आयोग ने अपना प्रतिवेदन दे दिया है;

(ग) क्या इस मामले में संघ लोक सेवा आयोग की राय मांगी गई है;

(घ) इस आयोग को यह मामला सौंपे कितना समय हो गया है; और

(ङ) सरकार को आयोग की राय कब प्राप्त हो जायेगी और सरकार का इस मामले में कब तक कार्यवाही करने का विचार है ?

**गृह-कार्य मन्त्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण)** : (क) से (ग) जी हां, श्रीमान।

(घ) तथा (ङ) फरवरी, 1967 में संघ लोक सेवा आयोग को मामला भेजा गया था। उन्होंने बताया है कि वे अपनी राय सरकार को मई, 1968 के मध्य तक दे सकेंगे। यहाँ यह बताया जा सकता है कि मामले के अभिलेख विस्तारमय हैं तथा जांच आयोग का प्रतिवेदन 1088 पृष्ठों का है। सरकार आयोग से परामर्श प्राप्त होने पर आगे कार्यवाही करेगी।

**राष्ट्रीय एकता परिषद**

*1637. **श्री शिवचन्द्र झा** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय एकता परिषद के सदस्यों के बारे में कोई अन्तिम निर्णय कर लिया गया है ;

(ख) यदि हाँ, तो इसका ब्योरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल)** (क) जी हां श्रीमान ।

(ख) एक विवरण सदन के सभा पटल पर रखा गया है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 1155/68]**

## हरियाणा सरकार के कर्मचारियों की भूख हड़ताल

***1638. श्री श्रीचन्द गोयल** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हरियाणा अधीनस्थ सेवा कर्मचारी महासंघ के कुछ नेताओं ने चण्डीगढ़ तथा अन्य स्थानों पर अनिश्चित काल के लिए भूख हड़ताल कर दी है क्योंकि 8 तथा 9 फरवरी को की गई हड़ताल के कारण उन्हें राज्य सरकार द्वारा तंग किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो भूख हड़ताली नेताओं के जीवन की रक्षा करने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल)** : (क) और (ख) एक विवरण सदन के सभा पटल पर रखा गया है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 1156/68]**

## Soviet Planes

***1639. Shri Raghuvir Singh Shastri**: Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether the U.S.S.R. had offered to supply planes to India at a lower price for civil aviation in exchange of steel and goods wagons;

(b) how the operational cost of the above planes compare with that of Jambo Jets and

(c) the decision taken by Goverment in this regard ?

**The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh)**: (a) Aircraft was one of the items offered but no price had been mentioned.

(b) The USSR did not offer an aircraft compa rable in passenger capacity with Jambo Jets.

(c) A team of experts of the Indian Airlines recently visited Moscow to examine the suitability of the aircraft offered by Russia for use on Indian Airlines' routes. The corporation are awaiting some further data on this aircraft from the USSR to enable them to evaluate its operatoinal cost and performance in comparison with similar types of aircraft manufactured in other countries. The corporation are expected to make concrete proposals after these studies have been completed.

**नेफा में सड़कों का विकास**

**1641. श्री हिम्मतसिंहका :** क्या परिवहन तथा नौवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1967-68 में नेफा में सड़क विकास योजना कहां तक कार्यान्वित की गई है और वर्ष के अन्त में यह योजना कार्यान्वित के लिये कितनी शेष रह गई थी; और

(ख) इस योजना के लिये कुल कितनी धन राशि नियत की गई थी और उस पर वास्तव में कितनी धनराशि खर्च हुई ?

**परिवाहन तथा नौवहन मंत्रालय में उपमंत्री ( श्री भक्त दर्शन)** (क) : आवश्यक सूचना नेफा प्रशासन से प्राप्त की जा रही है और उसे यथासमय सभा पटल पर रख दिया जाएगा ।

(ख) मूलत: 1967-68 के बजट अनुमानों में पूंजीगत निर्माण कार्यों के लिये 46 लाख रुपये की व्यवस्था की गई थी परन्तु इसे अंत में बढ़ाकर 66.61 लाख रुपये किया गया । किये गये वास्तविक व्यय के बारे में नेफा प्रशासन से सूचना मंगाई जा रही है और प्राप्त होने पर उसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा ।

**अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये सेवाओं में आरक्षण**

***1642. श्री प्र० र० ठाकुर :** क्या गृह मंत्री 8 मार्च, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3340 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नियुक्ति करने वाले प्रत्येक अधिकारी को सेवाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आरक्षण को पूरा करने के रोस्टर बनाने के आदेश किस प्रयोजन से जारी किये गये थे;

(ख) इस उद्देश्य को कैसे पूरा किया जाता है और क्या अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त ने इस बारे में कोई सिफारिश की है और यदि हां, तो उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों को समुचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिये इस सम्बन्ध में निर्धारित की गई प्रक्रिया का ब्यौरा क्या हैं; और

(घ) क्या रोस्टर बनाने तथा वार्षिक विवरण देने सम्बन्धी आदेश सभा पटल पर रखने का सरकार का विचार है ?

**गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी)** : (क) : से (घ) : एक विवरण सदन के सभा पटल पर रखा गया है । पुस्तकालय में रखा गया देखिये सख्या एल. टी० 1157/68

**National Commission of Scientists**

***1643. Shri K. M. Madhukar :** Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether the attention of Govt. has been drawn to the statement of Prof. R. M. Dogra, Director, Indian Institute of Technology, wherein he has demanded the constitution

of a National Commission of Scientists to raise the standard of Scientific and technical education in the country;

(b) if so, the reaction of Government in this regard; and

(c) if no such commission is proposed to be set up, the reasons therefor ?

**The Minister of Education (Dr. Triguna Sen) :** (a) According to a report received from Prof. Dogra, he suggested that in the present context of unemployment among engineers, admissions to engineering colleges should be reduced in a rational manner and to that end, an independent committee or commission should be appointed to assess the training potential of each institution.

(b) and (c) Government has already decided to reduce admissions to engineering colleges according to their present state of development and is preparing a detailed plan in consultation with State Govts, universities and other educational authorities. In the circumstances, Government does not consider it necessary to appoint any special committee or commission.

***1644 श्री बेदब्रत बरुआ :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की कोई योजना आग बुझाने वालों को 'बहादुरी का विशेष पुरस्कार' देने तथा विकलांग हुए आग बुझाने वालों के परिवारों के कल्याण के लिये कोई कोष आरम्भ करने की है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय की घोषणा कब तक होने की संभावना है ?

**गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री के०एस० रामास्वामी):** (क) और (ख) : अग्नि-शमन सेवा के लिये बहादुरी तथा विशिष्ट सेवा व दीर्घकालिक सेवा एवं अच्छे आचरण के लियें पुरस्कार देने के एक सुझाव पर स्थायी अग्नि सलाहकार समिति द्वारा विचार किया जा रहा है। विचार अभी प्राथमिक अवस्था में है और समिति को अपनी सिफारिशें देने में कुछ समय लग सकता है।

राज्य सरकार और संघ क्षेत्र के प्रशासनों को यह सुझाव दिया गया था कि 14 अप्रैल, 1968 को अग्नि सेवा दिवस मनाने के एक भाग के रूप में वे आग बुझाने वाले व्यक्ति तथा उनके परिवारों के कल्याण के लिए झण्डे बेचकर धन एकत्रित करें। केन्द्रीय सरकार द्वारा इस प्रकार का कोष बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

**Implementation of Resolution on Language Policy**

***1645. Shri S. C. Samanta :**
**Shri Murasoli Maran :**

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the steps taken to implement the resolution on the language policy which was passed by Parliament along with the Official Languages (Amendment) Act :

(b) whether Government propose to convene a Conference of the Chief Ministers to discuss the language policy with a view to equalise the burden imposed on a section of the people as a result of the said Act and the resolution; and

(c) if so, when ?

**The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla)** (a) Briefly, the present position regarding the steps taken for the implementation of the Resolution is as under:—

Paras : 1 and 2—The Ministries of Education, Law, and Information and Broadcasting have been requested to prepare programmes for the spread and development of Hindi and other languages mentioned in the Eighth Schedule to the Constitution. The Ministry of Home Affairs will shortly take steps to prepare a programme for the use of Hindi for official purposes of the Union

Para : 3—Progress made in the implementation of the three-language formula is periodically assessed and where necessary the State Governments are requested to take further necessary measures.

Para 4 (a)—Various suggestions for the equalisation of burden are under consideration.

Para 4 (b)—The Union Public Service Commission are engaged in examining the various practical aspects involved in the introduction of the additional media for the Combined Competitive Examination.

(b) No such decision has yet been taken.

(c) Does not arise.

## पुरुलिया में छर्रा हवाई पट्टी के निकट विस्फोटकों का पाया जाना

*1646. **श्री हेम बरुआ** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पुरुलिया से लगभग चार मील दूर छर्रा हवाई पट्टी के निकट कुछ समय पहले लकड़ी के ग्यारह बक्से पाये गये थे जिनमें अतिश विस्फोटक पदार्थ थे;

(ख) क्या यह भी सच है कि गत तीन महीनों में कलकत्ता के विभिन्न भागों तथा देश के अन्य भागों में विस्फोटक पदार्थ पाए गये थे; और

(ग) यदि हां, तो इस प्रकार पाए गये विस्फोटक पदार्थों का ब्यौरा क्या है और सरकार ने क्या उपाय किये हैं ?

**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल)**: (क) से (ग) : अभी तक केवल कुछ राज्य सरकारों / संघ प्रशासनों से सूचना प्राप्त हुई है जो सदन के सभापटल पर रखे विवरण में दे दी गई है। शेष राज्यों/संघ प्रशासनों से जैसे ही सूचना प्राप्त होगी सदन के सभा पटल पर रख दी जाएगी। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल. टी. 1158/68**]

## इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन की विमान सेवाओं में विलम्ब

9395. **श्री मुरासोली मारेन** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 2 अप्रैल, 1968 को इंडियन एयरलाइनन्स कारपोरेशन के दिल्ली आने वाले कैरेवेल विमान के मद्रास से प्रस्थान में कुछ घंटों का विलम्ब हो गया था, क्योंकि उसके अगले पहिये के टायर में पंक्चर हो गया था;

(ख) क्या यह सच है कि खराब टायर बदलने के लिये फालतू टायर कलकत्ते से लाया गया था;

(ग) यदि हां, तो मद्रास में फालतू टायर न रखे जाने के क्या कारण हैं;

(घ) उन पुर्जों की सूची क्या है, जो उस दिन कलकत्ते में तो उपलब्ध थे, परन्तु मद्रास में उपलब्ध नहीं थे,

(ङ) ऐसे पुर्जों को मद्रास में न रखने के क्या कारण हैं; और

(च) भविष्य में मद्रास में ऐसे महत्व पूर्ण पुर्जे रखने की क्या व्यवस्था की गई है ?

**पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्णसिंह)** : (क) और (ख) : जी, हां।

(ग) कारवेल विमानों के लिये दो फालतू अगले पहियों की सज्जाएं (नोज व्हील एसेबलीज) सामान्यतया ऐसे स्टेशनों पर उपलब्ध होती हैं जो कारवेल सेवा द्वारा जुड़े रहते हैं जिनमें मद्रास भी सम्मिलित है। परन्तु विदेशों से अगले पहियों के टायरों की प्राप्ति में विलम्ब होने के कारण कारवेल विमानों के बम्बई स्थित मुख्य बेस पर इस आइटम की अत्यधिक कमी अनुभव की गयी। बम्बई स्थित बेस की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये कारपोरेशन ने 31 मार्च 1968 को प्रत्येक रात्रि-विमान स्टेशन से एक एक नोज़ व्हील एसेंबली तथा ट्रांजिट स्टेशनों से दोनों नोज़ व्हील एसेंबलियां ले लेने का निर्णय किया। इसलिये मद्रास से, जोकि एक ट्रांजिट स्टेशन है, फालतू पुर्जों के रूप में रखी गयी दोनों नोज़ व्हील एसेंबलियां ले ली गयीं। कलकत्ते में, जो कि एक रात्रि-विराम स्टेशन है, फालतू पुर्जे के रूप में रखी गयी एक नोज़ व्हील एसेंबली मद्रास जाने वाली पहली ही कारवेल सेवा से मद्रास पहुंचा दी गयी।

(घ) और (ङ) : यह सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं हैं।

(च) : मद्रास सहित विभिन्न केन्द्रों पर आवश्यकता के अनुसार, तथा फालतू पुर्जों की सूची को यथोचित रूप से नवीन बनाये रखने की जरूरत के मुताबिक, महत्वपूर्ण फालतू पुर्जों को रखने की व्यवस्था विद्यमान है।

**दिल्ली में कारों तथा स्कूटरों की चोरी**

**9396. श्री बाबू राव पटेल :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले वर्ष दिल्ली में कितनी कारें तथा स्कूटर चुराये गये और कितनी कारें तथा स्कूटर बरामद किये गये और वे किस हालत में बरामद किये गये;

(ख) उन व्यक्तियों के नाम क्या हैं जो मोटर गाड़ियाँ चुराते पकड़े गये थे और उन लोगों की आयु कितनी-कितनी हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि दिल्ली से चुराई गई कारें कुछ अन्तर्राज्यीय कार चोरों के द्वारा अपने आप को सैनिक अधिकारी तथा व्यापारी बताकर और जाली दस्तावेज दिखाकर जबलपुर में बेची जाती हैं;

(घ) यदि हां, तो इस प्रकार कितनी कारें बेची गई हैं और किस-किस को; और

(ङ) कारों की चोरियां रोकने के लिये सरकार ने क्या निश्चित कार्यवाही की हैं ?

**गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल)** :

| (क) गाड़ियों का वर्गीकरण | 1967 में चोरी किये गये | अविकृत बरामद | लुप्त पुर्जों सहित बरामद |
|---|---|---|---|
| कार | 139 | 72 | 58 |
| स्कूटर | 155 | 80 | 46 |

| (ख) | गिरफतार व्यक्तियों के नाम | | आयु |
|---|---|---|---|
| 1. | बचन सिंह | लगभग | 40/45 वर्ष |
| 2. | अमरसिंह | ,, | 30 |
| 3. | जसबीर सिंह | ,, | 25 ,, |
| 4. | सुरीन्द्र सिंह | ,, | 25/30 ,, |
| 5. | बचित्तर सिंह | ,, | 30 ,, |
| 6. | भूषण कुमार | ,, | 25 ,, |

(ग) और (घ) : यह सूचित किया गया है कि जाली दस्तावेजों की सहायता से दिल्ली से चुराई गई 7 कारों को एक अन्तरराजीय कार-चोर गिरोह ने जबलपुर में तथाकथित बेचा था। गिरोह का नेता स्वयं को पुरानी कारों का तथाकथित व्यापारी बतलाता है।

7 कारों में से 5 कारें ऐसी बरामद हुई है जिनमें इंजन और चैसिस के बदले हुए नम्बर हैं। निम्नलिखित व्यक्तियों को वे बेची गईं।

(1) श्री ओ० पी० सेठी जबलपुर निवासी
(2) श्री अशोक झा जबलपुर निवासी।
(3) श्री जयराम, जिला जबलपुर निवासी।
(4) श्री आर० चक्रवर्ती ग्वालियर के।
(5) श्री ज्वाला प्रसाद जबलपुर निवासी।
(6) दिल्ली में कारों की चोरी की जांच दिल्ली पुलिस की सी० आई० डी० ब्रांच के एक विशेष दल द्वारा की जाती है। प्रभावित क्षेत्रों में निगरानी रखने के लिये विशेष कार्यवाही की जाती है। कार चोरी करने वाले ज्ञात व्यक्तियों की एक सूची रखी जाती है और उनकी गतिविधियों पर नजर रखी जाती है। ऐसे क्षेत्रों में रखी जा रही चौकसी को कड़ी करने के लिये नियतकालिक विशेष अभियान भी चलाये जाते हैं। कार-मार्किट से मोटर-कार और स्कूटरों के पुराने पुर्जों के व्यापार के बारे में गुप्त सूचनाएं एकत्रित करने के लिए सावधानी से निगरानी रखी जाती है।

**Secular Co-operative House Building Society Ltd. New Delhi**

**9397. Shri Sheopujan Shastri :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that two years ago the police filed a criminal suit against the Secretary and other office-bearers of the Secular Co-operative House building Society Ltd., New Delhi, for misappropriation of Rs. 81,000 ;

(b) if so, the charges levelled against them; and

(c) the progress made so far in the case ?

**The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) :** (a) and (b) The Delhi Police had investigated into a complaint received against the Secretary, an office bearer of the Secular Co-operative House Building Society Ltd., and a local coloniser for misappropriation of an amount of Rs. 1,62,111/-. A case u/s 408/465/471/120 (B) of I. P. C. was registered and put up to court,

(c) One of the accused was convicted by the court. The cases against the Secretary and the office bearer of the Society are pending in court.

**Disputes Between M. P. and Maharashtra**

**9398. Shri Deorao Patil :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that some boundry disputes between Maharashtra and Madhya Pradesh are still undecided; and

(b) if so, the details thereof; and

(c) the action taken by Government in this connection ?

**The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla):** (a) and (b) No such dispute has been brought to the notice of the Government by either State.

(c) Does not arise.

**Non-Maharashtrians in Maharashtra**

**9399. Shri Deorao Patil :**—Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the number of such people belonging to other States as have settled in Maharashtra State and the names of Districts where these people where rehabilitated during the period from 1954 to 1967 ;

(b) the number of people who have settled in Bombay during the said period ?

**The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri K. S. Ramaswamy) :** (a) and (b) : As the eata on migration is collected through decennial Censuses, the information regarding the number of persons belonging to other States who settled in Maharashtra during the period from 1954 to 1967 is not available. However, according to the 1961 Census 25,50, 278 persons born in other States of India were enumerated in Maharashtra. Their districtwise distribution is shown in the attached statement. **[Placed in Library. See No. LT-1159/68.]**

**Bridges in U. P.**

**9400. Shri Jageshwar Yadav :** Will the Minister of **Transport and Shipping** be pleased to State :

(a) whether it is a fact that Bridges over Murval and Blebai rivers on Banda-Bebru road (Uttar Pradesh) are lying incomplete for the last many years ;

(b) the reasons for suspending their construction, and

(c) when these two bridges would be completed ?

**The Deputy Minister in the Ministry of Transport and Shipping (Shri Bhakt Darshan) :** (a) to (c) : The information is being collected and will be laid on the table of the Sabha in due course.

**एकस्वपत्र अपील**

**9401. श्री साधूराम :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली उच्च न्यायालय में पिछले कुछ महीनों में एकस्व पत्र अपीलों को नियमित मामलों के रूप में सुनवाई के लिये नहीं लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इनके निपटारे में बिलम्ब न होने देने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) :** (क) एक मामले या मामलों की एक श्रेणी को प्राथमिकता देने का सक्षम अधिकारी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होता है। फिर भी यह कहना सही नहीं है कि विचाराधीन एकस्व पत्र अपीलों में से

कोई भी दिल्ली उच्च न्यायालय में पिछले चार महीनों में नियमित रूप से सुनवाई के लिए नहीं ली गई है।

(ख) आवश्यक मामलों को निपटाने की आवश्यकता के अनुरूप प्राथमिकताओं के अनुसार शेष कार्य समाप्त करने के प्रयास किये जा रहे हैं।

**मद्रास राज्य को अनुदान**

*9402. **श्री किरूत्तिनन :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने वर्ष 1967-68 में सांस्कृतिक योजना के लिये थमीजागा आरासू (मद्रास सरकार) को कोई अनुदान दिये थे;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है; और

(ग) वर्ष 1968-69 में तामिल नाड (मद्रास राज्य) को कितनी राशि देने का विचार है ?

**शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भगवत झा आजाद) :** (क जी हां।

(ख) अनुदानों का ब्यौरा इस प्रकार है :—

(i) कोनिमारा पब्लिक लाइब्रेरी, मद्रास के लिये भवन निर्माण हेतु 2 लाख रु० की राशि।

(ii) संग्राहालयों के पुनरोत्थान की विकास-योजना के लिये 10.000 रुपये निर्धारित किये गये थे परन्तु वर्ष 1967-68 में मद्रास सरकार के लिये कोई अनुदान नहीं दिया गया था।

(iii) अर्न्तराज्य सांस्कृतिक दलों के आदान-प्रदान की योजना के अन्तर्गत 15,037.85 रुपये।

(iv) भारतीय खण्डों के मध्य "विशिष्ट कलाकारों के आदान-प्रदान" की योजना के अन्तर्गत 4,000 रुपये।

(ग) प्रस्तावित योजनाओं के अन्तर्गत धन राशियों के निर्धारण के बारे में अभी निर्णय नहीं किया गया है।

**मद्रास में बहुशिल्प शिक्षणालय (पोलिटेक्निक)**

*9403. **श्री किरुतिनन :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मद्रास राज्य में दिसम्बर, 1967 के अन्त तक लड़कों और लड़कियों के लिये कुल कितने बहु-शिल्प शिक्षालय (पोलिटैक्निक) चल रहे थे और प्रत्येक पोलिटेक्निक किस-किस स्थान पर था;

(ख) क्या 1968-69 में उनकी संख्या में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

**शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) :** (क) लड़कों के लिये पोलिटेक्निक : 29 लड़कियों के लिये पोलिटेक्निक : 3

**लड़कों के लिये पोलिटैक्निक्स**

1. गवर्नमेंट पोलिटेक्निक, कोइम्बाटोर ।
2. सैंट्रल पोलिटेक्निक, मद्रास ।
3. तमिलनाड पोलिटेक्निक, मदुरई ।
4. इन्स्टिट्यूट आफ टैक्स्ट्राईल टेक्नोलोजी, मद्रास ।
5. गवर्नमेंट पोलिटेक्निक, नगरकोयल ।
6. गवर्नमेंट पोलिटेक्निक, वेलूर ।
7. गवर्नमेंट पोलिटेक्निक, युवाकुड़ी, तिरुचिरपल्ली ।
8. गवर्नमेंट पोलिटेक्निक टुटिकोरिन ।
9. इन्स्टिट्यूट आफ लैदर टेक्नोलोजी, मद्रास ।
10. रीजनल स्कूल आफ प्रिन्टिग, मद्रास ।
11. इन्स्टिटयूट आफ केमिकल टैक्नोलोजी, मद्रास ।
12. मुथियाह पोलिटेक्निक, अन्नमलाईनगर ।
13. पी० टी० ली० चैंगलवराया नेकर्स टेक्निकल इन्स्टिट्यूट, वेपरी, मद्रास ।
14, रामकृष्ण मिशन टेक्निकल इन्स्टिटयूट, मद्रास ।
15. पी० एल० जी० पोलिटेक्निक, कोइम्बाटोर ।
16. शेशासायी इन्स्टिटयूट आंफ टेक्नोलोजी, तिरुचिरपल्ली ।
17. अलगप्पा पोलिटेक्निक, कराइकुड़ी ।
18. अन्नमलई पोलिटेक्निक, चेतीनाद ।
19. मुरुगप्पा चेतियार मेमोरियल पोलिटेक्निक अवाडी, मद्रास ।
20. नाचीमुथु पोलिटेक्निक, पोलाची ।
21. वालीवलम देसीकार पोलिटेक्निक, नागापट्टिनाम ।
22. विरुन्धुनगर एस० विलाइचेमी नादार पोलिटेक्निक, विरुन्धुनगर ।
23. शंकर इन्स्टिटयूट आफ पोलिटेक्निक, शंकरनगर तलाइयुथू ।
24. थियागराजार पोलिटेक्निक, सलेम ।
25. भक्तवत्सलम् पोलिटेक्निक, कंचीपुरम ।
26. राजगोपाल पोलिटेक्निक, गुडीयत्तम ।
27. श्रीनिवास सभराया पोलिटेक्निक, पुत्तूर (सिरकाली) जिला तंजोर ।
28. कोइम्बाटोर इन्स्टिट्यूट आफ टेक्नोलोजी, सैंडविच पोलिटेक्निक, कोइम्बाटोर ।
29. पी० ए० वी० रामासामी राजा पोलिटेक्निक, राजापलायम ।

**लड़कियों के लिये पोलिटेक्निक्स**

1. गवर्नमेंट पोलिटेक्निक, मद्रास ।
2. गवर्नमेंट पोलिटेक्निक, मदुराई ।
3. गवर्नमेंट पोलिटेक्निक, कोइम्बाटोर ।

(ख) और (ग) राज्य योजना संस्थानों के अन्तर्गत दो और सैंडविच पाठ्यक्रम आयोजित

करने के लिये सिब्बन्दी को सिद्धान्त रूप में स्वीकार कर लिया गया है। औद्योगिक सहयोग, पाठ्यक्रमों तथा अनुमानों का ब्यौरा तैयार किया जा रहा है।

**मदुरे-धनुषकोटि राष्ट्रीय राजपथ**

**9404. श्री किरूतिनन :** क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि मदुरे-धनुषकोटी राष्ट्रीय राजपथ सड़क कुछ तंग है और इस सड़क पर बने हुए कुछ पुल बहुत पुराने हैं,

(ख) क्या यह सच है कि इस सड़क पर बहुत यातायात होता है, और

(ग) यदि हां, तो इस सड़क को सुधारने के लिये तथा पुलों को चौड़ा करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

**परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री भक्त दर्शन) :** (क) : जी हां, 7 मील के टुकड़े को छोड़कर इस सम्पूर्ण सड़क में एक गली वाला यानमार्ग है। कुछ छोटे पुल और पुलियां भी पुरानी और संकरी हैं ।

(ख) : सूचना राज्य सरकार से एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होने पर सभापटल पर रख दी जाएगी ।

(ग) : मनामदुराई और पार्थीवानुर पर बाहरी मार्ग का प्रस्ताव है। इन बाहरी मार्गों के लिये भूमि प्राप्त करने के अनुमान मंजूर हो गये हैं और भूमि प्राप्त कर ली गयी है । गत योजना काल में 537450 रु० की अनुमानित लागत से तीन छोटे पुलों का पुनर्निर्माण किया गया था । अन्य विकास निर्माण कार्य संकरे पुलों और पुलियों का पुनर्निर्माण वित्तीयस्थिति के अनुकूल होने पर धीरे धीरे शुरू किया जाएगा ।

**ईसाई धर्म प्रचार स्कूल, शिमला**

**9405. श्री म० ला०सोंधी :** क्या **शिक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि शिमला के एक ईसाई धर्म प्रचार स्कूल के 6 भारतीय कर्मचारियों को नौकरी से इस लिये निकाल दिया गया है क्योंकि वे भारतीय हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

**शिक्षा मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) :** (क) और (ख) अपेक्षित सूचना एकत्रित की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

**डा० तनवीर**

**9406. श्री महन्त दिग्विजय नाथ :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डा० तनवीर जिनसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय की हत्या के मामले में पूछताछ की जा रही है के मकान से एक बिल्ला मिला था जिस पर "पाकिस्तानी अल्प संख्यक जाति सम्मेलन का स्वयं-सेवक" अंकित था;

(ख) क्या यह भी सच है कि पाकिस्तान तथा चीन के साथ डा० तनवीर के संबंधों के बारे में कुछ और महत्वपूर्ण सुराग भी मिले हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कुछ और लोगों की गिरफ्तारियां की हैं; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

**गृह-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी)** : (क) से (घ) राज्य सरकार से तथ्य मालूम किये जा रहे हैं।

**Arrest of Asad Madni in Allahabad**

**9407. Shri Bhabichushan Bajpai :**
**Shri M. A. Khan :**

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state ;

(a) the reasons for which Shri Asad Madni and his five colleagues were arrested recently in Allahabad ;

(b) whether it is a fact that when Shri Asad Madni and his colleagues were arrested, their car was standing at a Police Station and a number of articles were removed therefrom : and

(c) if so, the action proposed to be taken by Government in this connection ?

**The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla)** (a) : According to the State Government Shri Asad Madni and his five colleagues were arrested in Allahabad under section 188 IPS for alleged violation of the curfew orders,

(b) : The State Government have denied that when Shri Madni and his colleagues were arrested, their car was parked at the Police Station. The car was taken into compound of Police Station Kotwali through the driver of the car and tn the presence of the driver as well as witnesses a search memo was prepared for the foilowing articles recovered from the car.

1. Driving licence No. 21574.
2. Registration and Insurance Certificates.
3. Tax token.
4. A bunch of keys containing three keys.
5. A transsistor-Nippon with a leather case.
6. One envelope containing Rs. 3.17 P.
7. Two sticks (from inside the car).
8. Stepney from the luggage boot.

These articles were subsequently returned to the owner under a proper receipt.

(c) The matter is under police investigation.

**राजधानी में कालेजों की वित्तीय कठिनाइयां**

***9408. श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :**
**श्री यमुना प्रसाद मंडल :**

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजधानी के चार कालेज वित्तीय कठिनाइयों में से गुजर रहे हैं तथा वे अपना कार्य आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर होकर नहीं चला सकते ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इन सब कालेजों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से पर्याप्त सहायता मिल रही है ;

(ग) क्या इस संबंध में इनमें से दो कालेजों के वित्तीय प्रशासन के बारे में जांच की गई है और यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ; और

(घ) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

**शिक्षा मन्त्री (डा० त्रिगुण सेन)** : (क) जी हां, यह सत्य है कि दिल्ली के चार कालेज वित्तीय कठिनाइयों से गुजर रहें हैं ।

(ख) जी हां, उनको निर्धारित अनुदान की पूरी पूरी राशि दी जा रही है ।

(ग) दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त की गई निरीक्षण समिति द्वारा सूचित किया गया है कि अध्यापकों की भविष्य-निधि तथा विद्यार्थियों की निधि के अनधिकृत उपयोग सहित कई अनियमिततायें पाई गई हैं; और

(घ) मामला विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विचाराधीन है ।

**तामिलनाड में केन्द्रीय गुप्तचर विभाग**

**9409. श्री कुचेलर** : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तामिलनाड में केन्द्रीय गुप्तवार्ता विभाग के प्रतिवेदनों की प्रतियां मद्रास राज्य के मुख्य मंत्री को नहीं दी गई हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या मुख्य मंत्रियों को प्रतिवेदनों की प्रतियां भेजने की प्रथा नहीं थी; और

(ग) यदि हां, तो ऐसे प्रतिवेदनों की प्रतियां न भेजने के क्या कारण थे;

**गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल)** : (क) से (ग) : गुप्तवार्ता विभाग की यह रीति नहीं है कि राज्य के मुख्य मंत्री को कोई रिपोर्ट सीधी भेजी जाये । प्रत्येक स्तर पर निकटतम सम्पर्क स्थापित किया जाता है और राज्य के हित में मामलों पर सूचना राज्य की सी० आई० डी० को दी जाती है ।

**Depolypment of intelligence Personnel at M. P's. Quarters**

**9410. Shri Hardayal Devgon** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government have deployed the personnel of the Central Intelligence on the residences of Members of Parliament belonging to the opposition parties for spying purposes;

(b) whether it is also a fact that the personnel of the Central Intelligence keep a vigil on the Members of Parliament belonging to opposition parties;

(c) if so, the reasons therefor; and

(d) whether Government propose to give up this practic ?

**The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Sukla)** :

(a) and (b) No, Sir.

(c) and (d) Do not arise.

**मैसर्स राधाकृष्ण विमल कुमार फर्म के मालिकों का गिरफ्तार किया जाना**

**9411. श्री रामचरण :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत रक्षा नियमों के अधीन तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 420 तथा 120 और अत्यावश्यक परन्तु अधिनियम की धारा 3/7 के अधीन 14 दिसम्बर, 1967 को मैसर्स राधाकृष्ण विमल कुमार फर्म के मालिकों को गिरफ्तार किया गया था;

(ख) क्या यह भी सच है कि बुलन्दशहर जिले के डिस्ट्रिक्ट सप्लाई अफसर/पुलिस अधिकारी मामले को वापस लेने का प्रयत्न कर रहे हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) :** (क) उत्तर प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि कथित फर्म के मालिकों को गिरफ्तार नहीं किया गया था। फिर भी फर्म के दो कर्मचारियों को झूठे और गलत स्टाक रजिस्ट्रों को रखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। तीसरे अभियुक्त ने न्यायालय में आत्म-समर्पण किया था। कथित धाराओं के अन्तर्गत एक मामला दर्ज कर लिया गया है और जाँच की जा रही है ।

(ख) जी नहीं, श्रीमान ।

(ग) स्थानीय पुलिस द्वारा दर्ज हुए मामले की जाँच के अतिरिक्त जिला पूर्ति अधिकारी ने मैसर्स राधाकृष्ण विमल कुमार से जाँच के दौरान पता लगाई गई अनियमितताओं के लिये उनका स्पष्टीकरण देने के लिये अनुरोध किया है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस मामले में उनका स्पष्टीकरण प्राप्त होने पर उपर्युक्त कार्यवाही की जाएगी ।

**अरुवांकाडू स्थित कार्डाइट कारखाने में गोलीकांड**

**9412. श्री नम्बियार :** **श्री उमानाथ :**

**श्री रमानी :** **श्री पी० राममूर्ति :**

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मद्रास में अरुवाँकाडू स्थित कार्डाइट कारखाने के कर्मचारियों पर पुलिस द्वारा गोली चलायी जाने के बारे में कोई रिपोर्ट प्राप्त हुई है ;

(ख) यदि हां, तो उस रिपोर्ट का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) गोली चलाई जाने के क्या कारण थे ?

**गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) :** (क) से (ग) मद्रास सरकार से एक प्रतिवेदन उस घटना के बारे प्राप्त हुआ है जिसमें पहली मार्च 1968 को सायं पांच बजे पुलिस ने अरुवाँकाडू पुलिस स्टेशन के सामने गोली चलाई थी, जिसके परिणामस्वरूप 4 व्यक्ति मारे गये थे और कई व्यक्ति घायल हो गये थे : राज्य सरकार ने एक जांच आयोग, जिसमें न्याय पालिका का जिला और शेशन जजों के संवर्ग का सदस्य है, की नियुक्ति उन हालतों की जांच करने के लिये की गई है जिनके अन्तर्गत उपरोक्त घटना में पुलिस को गोली चलानी पड़ी थी ।

**नेशनल सर्विस कोर**

***9413. श्री क० प्र० सिंह देव :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने कालेज और विश्वविद्यालयों में डिग्री के विद्यार्थियों के लिये नेशनल सर्विस कोर और राष्ट्रीय खेलकूद संगठन बनाने की योजना को अन्तिम रूप दे दिया है ।

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस योजना को लागू करने का उद्देश्य क्या है ?

**शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भगवत झा आजाद)** : (क) जी नहीं, वह योजना विचाराधीन है ।

(ख) ब्यौरा अन्तिम रूप से तैयार नहीं हुआ है ।

(ग) इस योजना का उद्देश्य राष्ट्रीय-चेतना, सामाजिक दायित्व की भावना, अनुशासन की भावना तथा श्रम के महत्व की भावना को जगाना है ।

**हिल्टन होटल्स के साथ सहयोग**

**9414. श्री न० कु० सांघी** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में होटल स्थापित करने के लिये हिल्टन होटल्स के सहयोग के बारे में भारत सरकार और गैर सरकारी पक्ष के बीच किन-किन विशिष्ट बातों पर मतभेद है ?

**पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह)** : क्योंकि इस मामले में अभी बातचीत चल रही है, जब तक अन्तिम निर्णय नहीं हो जाता अभी इस स्थिति में मतभेद के विषयों का उल्लेख करना उचित न होगा ।

**Foreign visits by Education Ministry Official**

**9415. Shri Sashibhushan Bajpai** : Will the Minister of **Education** be pleased to state ;

(a) the number of times the Education Secretary visits Europe in a year and the visits made to Europe and America by the present incumbent since he took over charge; and

(b) the number of times the same Secretary has been sent abroad by the Government of India on their own behalf and on the invitation of the foreign countries ?

**Minister of Education (Dr. Tirguna Sen)** : (a) and (b) The number of times the Education Secretary visits Europe during a year is not fixed. The incumbent of the post until the 30th April, 1968, to whom the question evidently relates, made 20 visits to Europe, 1 visit to America and 8 visits to other Asian and African countries during the period he held charge of the post i. e. from 12th June, 1960, to 29th April, 1968. Out of 20 visits to Europe, 16 visits were to Paris, where he was required to attend the meetings of the Executive Board of Uneco and other committee meetings of the Board. Out of the total number of 29 visits made by him, he was sent by the Govrnment of India on 24 occasions. However, the Government of India was called upon to meet expenditure on 6 occasions only. On five occasions, he was permitted to accept invitation of foreign agencies.

**Agreement/ Contracts signed in Hindi by Government Companies/Corporation**

**9416. Shri Raghuvir Singh Shastri** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) the number of agreements and contracts signed by different Companies and Corporations under the control of the Government of India from the 15th to 31st January, 1968;

(b) the number of agreements and contracts out of them drafted in Hindi; and

(c) when the Hindi versions of the remaining agreements and contracts will be ready in accordance with the provisions of the Official Languages Act ?

**The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla):** (a) and (b) : The collection of the data asked for will involve time and labour which may not be commensurate with the results to be achieved.

(c) Administrative instructions for the implementation of the provisions of the Official Languages (Amendment) Act, 1967, are being issued shortly. The companies and corporations under the control of the Government of India will thereafter start using both Hindi and the English language for agreements and contracts.

**पश्चिम बंगाल में निवारक निरोध अधिनियम**

**9417. डा० रानेन सेन :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल की जेलों में निवारक निरोध अधिनियम के अन्तर्गत अभी तक नजरबन्द राजनैतिक कार्यकर्ताओं की संख्या कितनी है ; और

(ख) क्या उनकी रिहाई के लिये सरकार ने कोई निर्णय किया है ?

**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) :** (क) इस समय पश्चिम बंगाल में 36 राजनैतिक कार्यकर्त्ता नजरबन्द है ।

(ग) इस समय उनकी रिहाई का प्रश्न विचाराधीन नहीं है ।

**उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश पर हमला**

**9418. श्री दी० चं० शर्मा :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 13 मार्च, 1968 को मनमोहन दास द्वारा उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश ए० एन० ग्रोवर की हत्या के कथित प्रयास की जांच पूरी हो गई है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले हैं; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

**गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) :** (क) से (ग) इस मामले में जांच अब पूरी कर ली गई है । अभियुक्त का चालान कर दिया गया है और 29.3.68 को न्यायालय में मामला प्रस्तुत कर दिया गया है ।

**प्रतिभाशाली वैज्ञानिकों की खोज**

**9419. श्री न० रा० देवधरे :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उन अभ्यर्थियों के मामलों पर, जिन्होंने 1967 में हुई विज्ञान प्रतिभा खोज परीक्षा (वरिष्ठ) में सन्तोषजनक परिणाम दर्शाया था, किन्तु जो चुने नहीं जा सके थे, पुनर्विचार किया है, ताकि वे अपनी विज्ञान की प्रतिभा का विकास करने के लिये प्रोत्साहन प्राप्त कर सकें, क्योंकि चुने हुये विद्यार्थियों द्वारा अन्य पाठ्यक्रमों में चले जाने के कारण अनेक छात्रवृत्तियां बच जाती हैं, और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम रहा है ?

**शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन)** : (क) और (ख) राष्ट्रीय प्रतिभा खोज योजना सलाहकार बोर्ड ने विचार व्यक्त किया है कि चुनाव के लिये कड़े स्तर की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए परीक्षा में बैठने वाले 6,000 प्रत्याशियों में से छात्रवृतियों के लिये 350 उम्मीदवारों के चुनाव से ही यह सिद्ध होता है कि उनका स्तर ऊंचा है ।

## पत्तनों का विकास

**9420. श्री देवकी नन्दन पाटोदिया** : क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री 29 मार्च, 1968 के तारांकित प्रश्न संख्या 937 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पत्तनों तथा बन्दरगाहों सम्बन्धी जिन अन्तर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों ने भारतीय पत्तनों में सुधार के उपायों के सुझाव देने की दृष्टि से भारतीय बन्दरगाहों का सर्वेक्षण किया था, क्या उन्होंने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रतिवेदन सरकार को कब तक प्राप्त हो जायेगा ?

**परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० श्री वी० के० आर० वी० राव)** : (क) जी नहीं

(ख) रिपोर्ट के शीघ्र ही मिल जाने की आशा है ।

## सेफ्टी ज़ोनल कमिश्नर के पद की समाप्ति

**9421. श्री क० लकप्पा** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सेफ्टी ज़ोनल कमिश्नर का पद समाप्त कर दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

**पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह)** : (क) रेलवे सुरक्षा आयोग में सेफ्टी ज़ोनल कमिश्नर (सुरक्षा क्षेत्रीय आयुक्त) के कोई पद नहीं हैं । इस आयोग में आयुक्त के एक पद के अलावा अतिरिक्त रेलवे सुरक्षा आयुक्त के पांच पद हैं और उनकी संख्या कम करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

## Roads in Gorakhpur District, Uttar Pradesh

**9422. Shri Molahu Prasad** : Will the Minister of **Transport and Shipping** be pleased to state :

(a) the amount spent by U. P. Government on each road constructed in Gorakhpur District during the last three Five Year Plan periods; and

(b) the particulars of other roads on which constrution work is proposed to be started during the Fourth Five Year Plan period in Gorakhpur District and the estimated cost of each of these roads ?

**The Deputy Minister in the Ministry of Transport and Shipping (Shri Bhakt Darshan)** : (a) and (b) : The information is being collected from the State Government of Uttar Pradesh and will be laid on the table of the Sabha in due course.

**Artificial Rains**

**9423. Shri Raghuvir Singh Shastri:** Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether the attention of Government has been drawn to the news item that experiments are being carried on for artificial rains, on regular basis, in the dry areas of America like Kolarado Basin;

(b) whether Government have studied such experiments in America and other countries with a view to make use of them in India; and

(c) if not, the reasons therefor ?

**Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh):** (a) Yes, Sir.

(b) Yes, Sir.

(c) Does not arise.

**Indian Institute of Petroleum, Dehradun**

**9424. Shri Maharaj Singh Bharati:** Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether the Indian Institute of Petroleum is located at Dehra Dun from where the oil wells and refineries are at a distance of hundred of miles;

(b) whether the said Institute is proposed to be shifted to a place somewhere near oil-wells and refineries; and

(c) if not, the reasons therefor ?

**Minister of Education (Dr. Triguna Sen):** (a) Yes, Sir.

(b) No, Sir.

(c) The location of the Indian Institute of Petroleum at Dehradun was considered at the Governing Body meeting held on October 17, 1959 and it was decided that the institute should be located at Dehradun as intensive scientific and technological research work could be cerried out from such a central place; and field laboratories could be set up, wherever necessary, to carry out investigations.

Setting up of the Institute at Dehradun has the additional facility of working in close collaboration and consultation with Oil and Natural Gas Commission and its Research and Traininig Institute.

**दिल्ली में अनुसूचित जातियों के छात्रों के लिये छात्रवृत्तियां**

**9425. श्री कंवर लाल गुप्त :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में इस समय अनुसूचित जातियों के छात्रों की संख्या कितनी है तथा वर्ष 1967-68 में दिल्ली में उन्हें छात्रवृत्तियों के रूप में कुल कितनी धनराशि दी गई है ;

(ख) क्या यह सच है कि दिल्ली नगर निगम अथवा किसी सरकारी विभाग में काम करने वाले और 125 रुपये से अधिक वेतन पाने वाले दिल्ली के किसी भी मेहतर के बच्चे को छात्रवृत्ति नहीं दी जाती है, और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा इस मामले में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

**शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) :** (क) दिल्ली प्रशासन द्वारा दी गई सूचना के अनुसार यह संख्या 80.417 है ।

(ख) और (ग) अनुसूचित जाति के केवल उन्हीं विद्यार्थियों को छात्रवृत्तिकाएं अनुमत्य हैं जिनके माता पिता/ अभिभावकों की वार्षिक आय 1.500 रु० से कम है तथापि, दिल्ली प्रशासन ने दिल्ली के अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के माता-पिता/अभिभावक की आय-सीमा 1,500 रु० से बढ़ाकर 2,400 रु० वार्षिक करने का प्रस्ताव किया है, तथा प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है।

**Naga Activities on Imphal-Tamenglong Road.**

**9427. Shri Ram Gopal Shalwale :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the bus service on the Imphal-Temenglong Road has been suspended on account of the intensification of the activities of Nagas, Kukis and Mizo rebels in that area; and

(b) if so, the action taken by Government for the smooth running of the traffic on this road ?

**Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri K. S. Ramaswamy) :** (a) Bus service on the Imphal-Tamenglong road remained suspended between 26th March and 5th April, 1968, on account of a local quarrel between residents of different villages in the area of which the drivers did not want to get involved.

(b) Several police posts have been established for patrolling the road and to ensure smooth flow of traffic on it.

**Map of India**

**9428. Shri Ram Gopal Shalwale :** Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether Government propose to lay on the Table of the House a map showing the boundry of the country and all the Indian territories;

(b) if so, whether Government propose to appoint a special Committee for the publication of the said map; and

(c) if the reply to Parts (a) and (b) above be in the negative, the reasons therefor keeping in view the fact that many countries like Ceylon and Burma are trying to declare the territories on our border as disputed areas ?

**The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Bhagwat Jha Azad) :** (a) A map of India and adjacent countries on the scale of 40 miles to one-inch showing the boundary of the country and all the Indian territories, subject only to limitations arising out of scale, has already been published in 1962 by the Survey of India. Copies of the fourth edition of the map are being placed in the library of Parliament. A Road Map of India on scale 1 : 25,00,000 (Second Edition, 1962) has also been published by the Survey of India showing the boundary of the country and Indian territories. Copies of the Road map are also being placed in the library of Parliament.

(b) and (c) Do not arise.

**दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा गैर-सरकारी कॉलेजों को अपने अधिकार में ले लिया जाना**

***9429. श्री हिम्मतसिंहका :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 30 मार्च, 1968 को 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में प्रकाशित हुए समाचार के अनुसार दिल्ली विश्वविद्यालय की विद्या संबंधी परिषद् के कुछ सदस्यों ने राजधानी के

कुछ गैर-सरकारी कालेजों द्वारा की गई गम्भीर अनियमितताओं के कारण उनको दिल्ली विश्व-विद्यालय द्वारा अपने अधिकार में लिये जाने की मांग की है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस प्रस्ताव पर समुचित दृष्टि से विचार किया है और

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन)** : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

**Allocation to Delhi Polytechnics**

**9430. Shri Nihal Singh :** Will the Minister of **Education** be pleased to refer to reply given to Unstarred Questions Nos. 4889 and 4956 on the 22nd March, 1968 and state :

(a) whether it is a fact that an amount of Rs. 51,000 has been allocated to Delhi Polytechnics for the current year (1967-68) which is more than the amount allocated for the previous year; and

(b) if so, the reasons for granting only 20 scholarships to the students of three categories namely, backward classes, low-income groups and Scheduled Castes for the current year as compared to 65 scholarships granted last year ?

**The Minister of Education (Shri Trigun Sen)** : (a) No, Sir. The provision for scholarships for Scheduled Caste and low-income group students in the Union Territory of Delhi is made for the Scheme as a whole, for all subjects, for all students and for all institutions. No separate allotment is made for polytechnics. The total provision made was as follows:—

| | |
|---|---|
| 1966—67 | Rs. 4.55 lakhs. |
| 1967—68 | Rs. 5.60 lakhs. |

(b) The total number of scholarships awarded to these categories of students in the Union Territory of Delhi was 710 during 1966-67 and 813 during 1967-68.

**Expenditure on Raj Bhavans**

**9431. Shri Hukam Chand Kachwai :**
**Shri Sharda Nand :**

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether the expenditure, which is incurred on Raj Bhavans meant for the residences of Governors and Lt. Governors in different States, is borne by the State Governments or the Central Government or by both the Governments partly;

(b) if the axpenditure is met by both the State and the Central Governments jointly, the ratio thereof met by each of them;

(c) the amount spent by the Central Government each year on Raj Bhavans in each State during the period from 1962 to-date; and

(d) the amount earmarked for this purpose for the financial oear 1968-69 ?

**The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) :** (a) Only the expenditure for the maintenance of the residence of the Lt. Governor of Delhi is met from the Consolidated Fund of the Union. Such expenditure in other cases is met by the Government of the concerned State or Union territory.

(b) Does not arise.

(c) and (d) : The Administrator of Delhi was designated as Lieut. Governor only in 1966. The expenditure incurred in his official residence during the years 1966-67 and

1967-68 is as follows:—

| | |
|---|---|
| 1966—67 | Rs. 54,669 |
| 1967—68 | Rs. 1,48,548 |

and a sum of Rs. 1,86,280 has been earmarked for the purpose for the year 1968/69.

**एक दल को छोड़ कर दूसरे दल में जाने वाले विधायक**

**9432. श्री हेम बरुआ :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत आम चुनावों से लेकर अब तक 213 विधायकों ने और उनमें से कुछ ने एक से अधिक बार दल बदले हैं ; और

(ख) इन 213 विधायकों में से कितने विधायक मंत्री बने हैं ?

**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) :** (क) और (ख) प्राप्त सूचना के अनुसार गत आम चुनावों के बाद कम-से-कम 220 विधायकों ने दल बदले हैं। उनमें से 115 मंत्री, राज्य मंत्री और उपमंत्री के पद पर रहे थे ।

**Employees of the Central Government**

**9534. Shri Ramavatar Shastri :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the number of Gaaetted and non-Gazetted employees, respectively, working under the Central Government;

(b) the number of Harijans and Adivasis among them;

(c) the total number of Class IV employees in the Central Government; and

(d) the number of Harljan, Adivasi employees among them separately ?

**The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri K. S. Ramaswamy) :** (a) to (d) : The number of Central Government employees in variou- Classes from Class I to Class IV (excluding sweepers) and the number amongst them belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes, as on 1-1-67, is given in the attached statement. Their break up in to Gazetted and non-Gazetted is not readily available for the above date. However, employees in Classes I and II are usually Gazetted.

**विवरण**

| Class | Total number of employees | Scheduled Castes | Scheduled Tribes |
|---|---|---|---|
| Class I | 22,296 | 425 | 74 |
| Class II | 35,418 | 1,055 | 87 |
| Class III | 11,36,475 | 1,02,590 | 13,490 |
| Class IV (excluding sweepers) | 11,63,593 | 2,12,003 | 41,527 |

**जादवपुर विश्वविद्यालय**

***9435. श्री समर गुह :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार जादवपुर विश्वविद्यालय को, जो कि सबसे पुरानी शैक्षणिक संस्था है और जिसे स्वतंत्रता संग्राम के समय राष्ट्रीय नेताओं के राष्ट्रीय शिक्षा के प्रचार-प्रसार के लिये स्थापित किया था, केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा देने का है ; और

(ख) यदि हां, तो कब ?

**शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन)** : (क) और (ख) ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

## राष्ट्रीय आचार्यों का चयन

**9436. श्री समर गुह** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय आचार्यों का चयन उनके मंत्रालय द्वारा किया जाता है या विशेषज्ञों की एक समिति द्वारा,

(ख) किसी विख्यात शिक्षा शास्त्री अथवा वैज्ञानिक को किस आधार पर राष्ट्रीय आचार्य के रूप में सम्मानित किया जाता है, और

(ग) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय आचार्यों की सूची को इस वर्ष बढ़ाकर कुछ विख्यात इतिहासकारों और संस्कृत विद्वानों को सम्मानित करने का है ?

**शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन)** : (क) प्रारम्भ में राष्ट्रीय प्रोफेसरों की नियुक्तियां प्रभारी मंत्री और प्रधान मंत्री द्वारा अनुमोदित की गई और उसके बाद वित्त मंत्रालय की अनुमति प्राप्त की गई। वर्तमान पद्धति यह है कि प्रोफेसर की नियुक्तियां मंत्रिमण्डल की नियुक्ति-समिति के अनुमोदन और वित्त मंत्रालय की अनुमति से की जाती हैं ।

(ख) प्राय: संबंधित व्यक्तियों के चुनाव का आधार अपने विशिष्ट प्राप्त क्षेत्रों में उनकी प्रसिद्धि है ।

(ग) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

## Foreign Exchange to Cricket Team Going Abroad

**9437. Shri Shri Chand Goel :**
**Shri J. B. Singh :**

Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) the amount of foreign exchange allocated to the cricket teams going abroad since 1961 to-date, year-wise;

(b) whether the said expenses are borne by Government or by the players or jointly by both; and

(c) in case the said expenses are shared by both, the amount spent by Government during the said period ?

**The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Bhagwat Jha Azad)** : (a) Nil.

Foreign Exchange, if any, advanced for certain tours abroad is adjusted against earnings.

(b) The expenses are either met from the earnings of the tour or are borne by the Board of Control for Cricket in India or its affiliated Units.

(c) Does not arise.

## दिल्ली-नागपुर विमान सेवा

**9438. श्री देवराव पाटिल** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन ने 15 अप्रैल 1968 से दिल्ली-नागपुर विमान सेवा बन्द कर दी है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) उक्त विमान सेवा से यात्रा करने वाले व्यक्तियों के लिये सरकार द्वारा क्या वैकल्पिक व्यवस्था की गई है ?

**पर्यटन तथा नागर असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) :** (क) जी, हां ।

(ख) इंडियन एयरलाइन्स दिल्ली और नागपुर के बीच पृथक् दिन-सेवा को आर्थिक दृष्टि से अलाभप्रद समझती है ।

(ग) इंडियन एयरलाइन्स का दिल्ली और नागपुर के बीच जुलाई, 1968 तक एक यात्री-व-रात्रि डाक वाइकाउण्ट सेवा चालू करने का प्रस्ताव है । इस बीच नागपुर से दिल्ली जाने वाले विमान-यात्री एक विशेष रूप से घटाये गये किराये पर, जो कि इससे पहले के 200/- रुपये वाले सीधे किराये के बराबर है, बम्बई के मार्ग से यात्रा कर सकते हैं । बम्बई में अगले विमान से कनेक्शन लगभग तत्काल प्राप्त हो जाता है ।

### Foreign Exchange Granted to Hockey Team

**9439. Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Education** be pleased to state the amount of foreign exchange granted to the hockey team annually since 1961 to-date for going abroad to play matches ?

**The Miinster of State in the Ministry of Education (Shri Bhagwat Jha Azad) :** The requisite information is given below:—

| Sl. No. | Period | Amount of foreign exchange sanctioned. |
|---|---|---|
| 1. | 1961—65 | Nil |
| 2. | 1966 | £ 900/— |
| 3. | 1967 | £ 570/— |
| 4. | 1968 | No amount sanctioned so far. |

The above does not include the amount of foreign exchange released in favour of Indian Olympic Association for participation of Indian contingent, including the hockey team, in Asian and Olympic Games.

### Attack on Employees engaged in Survey of Roads in Manipur and Nagaland Hills

**9440. Shri Maharaj Singh Bharati :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state the number of times Mizo, Kuki and Naga hostiles attacked the employees engaged in survey of roads in Manipur and Nagaland Hills during March and April, 1968 and the number of casualties ?

**The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri K. S. Ramaswamy) :** There was one incident on the 9th April, 1968, when a Survey Party of Boarder Road Organisation staying at P. W. D. rest camp at Kotokhal in Manipur was attacked by a gang suspected to consist of Mizo and Kuki hostiles. The police party on protection duty returned the fire. There was no casualty on either side.

**Police Stations in Gorakhpur District**

**9441. Shri Molahu Prasad :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the daily number of reports registered in each Police Station in Gorakhpur District of Uttar Pradesh during 1966-67 as well as the sections under which such reports were registered;

(b) the number of those reports out of them which pertained to cognizable and non-cognizable offences respectively;

(c) the details of those reports which were registered for cognizable offences but the Police intervened in those cases only at the instance of Pargana and District authorities; and

(d) the detailed information in regard to part (a), (b) and (c) separately ?

**The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidhya Charan Shukla) :** (a) to (d) : The information asked for is not readily available and its collection will involve time and labour which is not likely to be commensurate with the results.

**Roadways Buses Plying in U. P.**

**9442. Shri Molahu Prasad :** Will the Minister of **Transport and Shipping** be pleased to state :

(a) the region-wise number of private and Government Roadways buses separately plying in Uttar Pradesh:

(b) the region-wise amount of revenue receipts during 1966-67;

(c) the regionwise number of employees of each category working in Government Roadways; and

(d) the number of said employees belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other Castes respectively ?

**The Deputy Minister in the Ministry of Transport and Shipping (Shri Bhakt Darshan) :** (a) to (d) : The required information is being collected from the Government of Uttar Pradesh and will be laid on the Table of the Sabha, when received.

**Junior High Schools in Uttar Pradesh**

**9443. Shri Molahu Prasad :** Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) the number of Junior High Schools which are being run in Uttar Pradesh under Scheme No. 9 and the number of such schools out of them where the entire or some of the staff is not being paid salaries according to pay scales obtained in Government schools:

(b) whether Government have issued direction to the management of all those schools, which are being run under ths said scheme that they should pay fourthwith the arrears of pay with restrospective effect to the employees who have not been paid salaries according to pay scales fixed by Government according to their qualifications; and

(c) if not, the alternative measures proposed to be taken in this regard ?

**Minister of State in the Ministry of Education (Shri Bhagwat Jha Azad) :** (a) to (c) The information is being obtained and will be laid on the Table of the House in due course.

**वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद में अनर्ह व्यक्ति**

9444. **श्री सी० दास :** **श्रीमती तारा सप्रे :**
**श्री श्रद्धाकर सूपकार :**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद में कितने ऐसे वैज्ञानिक हैं, जिन के पास स्नातकोत्तर अथवा अनुसंधान की योग्यता नहीं है ; और

(ख) उनमें कितने वैज्ञानिक एक हजार रुपये वेतन प्राप्त कर रहे हैं ?

**शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) :** (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभापटल पर रख दी जायगी ।

**दिल्ली में इन्द्रप्रस्थ बिजली घर के निकट यमुना नदी के बांध पर पुल**

9445. **श्री हरदयाल देवगुण :** क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में इन्द्रप्रस्थ बिजली घर के निकट यमुना नदी के बांध पर बने पुल को यातायात के लिये कब खोले जाने की संभावना है ;

(ख) क्या पुल तक जाने वाली सड़कों का निर्माण कार्य पूरा हो गया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो सम्पर्क सड़कों के निर्माण-कार्य को पूरा करने में बिलम्ब होने के क्या कारण हैं ?

**परिवहन तथा नौवहन मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री भक्त दर्शन) :** (क) अगस्त 1968

(ख) जी नहीं, किन्तु अस्थायी पहुँच मार्ग बनाने के प्रबन्ध कर लिये गये हैं जिससे यातायात अगस्त 1968 से ही पुल का उपयोग कर सकें ।

(ग) न्यायालय अवरोध के कारण और पिछली वर्षा में बाढ़ के कारण पहुंच मार्गों के बनाने के लिये अपेक्षित भूमि प्राप्त करने में मुख्यत: कठिनाई अनुभव हुई थी ।

**Enquiries against Government Employees**

9446. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 4069 on the 13th December, 1967 and state :

(a) The Ministry-wise number of Gazetted and non-Gazetted Officers against whom open enqniry was conducted by the Special Police Establishment of the Central Bureau of Investigation;

(b) the break-up of 605 Defence Services personnel, commissioned and non-commissioned, belonging to Army, Navy and Air Force;

(c) the number of cases still pending with civil and mlitary courts, separately; and

(d) the respective number of gazetted and non-gazetted, commissioned and non-commissioned officials against whom departmental action has been advised to the departments ?

**The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) :**

(a) The Ministry-wise break up of the Gazetted and non-Gazetted Officers involved in the new cases taken up by the S. P. E. Division of the Central Bureau of investigation

during the years 1965 to November, 1967 is given in the attached Statement No. I. **(Placed in Library. See. No. LT-1160/68)**

(b) The break-up of the 605 Defence Services Personnel is given in the attached Statement No. II. **(Placed in Library. See. No. LT-1160/68)**

(c) 337 cases are still pending with the Civil courts and 2 cases are pending with the Military Courts.

(d) The number of Officers against whom cases have so far been reported to the departments concerned for departmental action is as follows :

| | |
|---|---|
| Commissioned Officers ... ... ... ... ... | 40 |
| Non-Commissined Officers ... ... ... ... ... | 7 |
| Other Gazetted Officers ... ... ... ... | 521 |
| Other non-Gazetted Officers... ... ... ... ... | 4905 |

**Recovery of Arms from Pakistans.**

**9447. Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 3094 on the 6th December, 1967 and state :

(a) whether the two pistols and 10 cartidges seized from two Pak nationals were manufactured in Pak Ordnance factories or Indian Ordnance factories;

(b) whether Government intend to deport them after the cases against them are decided; and

(c) if not, the reasons for not deporting them ?

**The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) :** (a) The two pistols and their ammunition seized from the two Pakistani nationals were manufactured in Spain and France respectively.

(b) They will be proceeded against in accordance with the Law.

(c) Does not arise.

**Recovery of Arms from Extremists of Naxalbari Movement**

**9448. Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that some of the arms looted by the extremists in the Naxalbari movement have been recovered from them;

(b) if so, the number of the arms recovered, and

(c) the number of the persons arrested on this account and the action taken against them ?

**The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri K. S. Ramaswamy) :** (a) Yes, Sir.

(b) Nine guns have been recovered.

(c) Ten persons were arrested on this account and cases against them are pending.

**Tourist Literature**

**9449. Shri O. P. Tyagi :** Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that suitable Tourist literature is not made available at most of the tourist resorts for the guidance and encouragement of tourists and

private parties have published guide book in incoherent language and in an indecent manner on ugly and cheap paper which are sold by them at exhorbitant prices;

(b) if so, whether Government propose to publish beautiful, attractive and cheaper guide books for each tourist centre; and

(c) if so, when such guide books would be brought out ?

**The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh):** (a) to (c) Government publishes a wide range of interesting and well produced tourist material on the majority of the main tourist centres. This will be continued and efforts will be made to improve the quality and quantity of this literature.

**कचार जिले में पाकिस्तानी झंडे का फहराया जाना**

**9450. श्री कामेश्वर सिंह :** **श्री श्रीधरन : :**

**श्री हेम बरुआ :**

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आसाम में कचार जिले में किसी एक गांव के कुछ नागरिकों ने हाल में उस गांव में पाकिस्तानी झण्डा फहराया था ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस मामले में जांच की है और यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) :** (क) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

**व्यापारी जहाजी बेड़े के अधिकारियों तथा अन्य कर्मचारियों का प्रशिक्षण**

**9451. श्री कामेश्वर सिंह :**

**श्री श्रीधरन :**

क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में व्यापारी जहाजी बेड़े के अधिकारियों तथा अन्य कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिये की गई व्यवस्था अपर्याप्त है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रशिक्षण की व्यवस्था को सुधारने और उसका विस्तार करने के लिये क्या कार्यवाही की गई हैं ?

**परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) :** (क) और (ख) पूर्व स्वतन्त्रता काल में एक प्रशिक्षण संस्थान के विपरीत आजकल छः व्यापारिक नौ प्रशिक्षण संस्थान हैं-अधिकारियों और रेटिंग दोनों में से हर एक के लिये तीन तीन । सैलून विभाग के रेटिंगों के प्रशिक्षण के सिवाय इन संस्थानों में किये गये प्रबन्ध पर्याप्त हैं । प्र० पो० भद्रा पर भंडारी रसोइये के रूप में नियुक्त किये जाने के लिये बालकों की सीमित संख्या प्रशिक्षित की जा रही है और प्र० पो० डफरिन में सैलून रेटिंग के रूप में नियुक्ति के लिये प्रशिक्षण दिया जा रहा है । प्रवर सैलुन

रेटिंगों के लिये एक पुनर्नवीयन पाठ्यक्रम चलाने के लिये सरकार के सक्रिय विचाराधीन एक स्कीम है । जहां, आवश्यकता हो वहां सुधार करने के लिये और भविष्य की आवश्यकता पूर्ति के लिये मौजूदा प्रशिक्षण सुविधाओं का विस्तार करने के लिये प्रशिक्षित व्यापारी नौ कर्मचारियों की आवश्यकतायें तथा व्यापारी नौ प्रशिक्षण संस्थानों में उनके प्रशिक्षित किये जाने की पद्धति की राष्ट्रीय नौवहन बोर्ड और व्यापारिक नौप्रशिक्षण बोर्ड की परामर्श में बराबर समीक्षा की जाती है । मौजूदा प्रशिक्षण पोत डफ़रिन के स्थान में आधुनिक पोत लाने का निर्णय लिया जा चुका है । यह आधुनिक पोत मौजूदा 80 बालकों के स्थान पर प्रतिवर्ष 125 बालकों को प्रशिक्षण देने में सक्षम होगा ।

**अखिल भारतीय सेवा**

**9452. श्री हेमबरुआ** : क्या **गह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार शिक्षा, वन, और स्वास्थ्य के लिये अखिल भारतीय सेवा पदालियों का गठन करने का है ;

(ख) यदि हां, तो क्या राज्य सरकारों की प्रतिक्रिया पूछी गई है ; और

(ग) यदि हाँ, तो उनकी प्रतिक्रिया क्या है ?

**गह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्या चरण शुक्ल)** : (क) जी हां, श्रीमान् । भारतीय वन सेवा का 1.7.1966 से पहले ही गठन किया जा चुका है । अन्य नई अखिल भारतीय सेवाओं के गठन का प्रस्ताव है : —

(i) इंजिनियर्स की भारतीय सेवा

(ii) भारतीय चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा ।

(iii) भारतीय शिक्षा सेवा

(iv) भारतीय कृषि सेवा

(ख) जी हां, श्रीमान् ।

(ग) सभी राज्य सरकारें आरम्भ में उपरोक्त नई सेवाओं के निर्माण के लिये सिद्धान्त: सहमत हो गई थीं । किन्तु हाल में मद्रास सरकार ने स्वयं को पूर्णत: नई अखिल भारतीय सेवाओं के विरुद्ध बतलाया है तथा और अधिक व्यापक रूप में इसी प्रकार केरल सरकार ने व्यक्त किया है । इसके अतिरिक्त आंध्र प्रदेश, राजस्थान और मैसूर सरकारों ने भी सूचित किया है कि वे भारतीय शिक्षा सेवा में भाग नहीं लेना चाहते हैं ।

**दिल्ली पुलिस**

**9454. श्री तेन्नेटि विश्वनाथम** :

**श्री मणिभाई जे० पटेल** :

क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली पुलिस द्वारा की गई ज्यादतियों के विरोध में 5 अप्रैल को दिल्ली में लगभग 500 कारखाने बन्द रहे ;

(ख) यदि हाँ, तो इस घटना का ब्यौरा क्या है तथा उस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) क्या कारखानों के मालिकों ने सरकार से भी इस बारे में कोई अपील की है ?

**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल)** :(क) जी नहीं श्रीमान् ।

(ख) और (ग) : प्रश्न ही नहीं उठते ।

**Foreign Missionaries**

**9455. Shri Kanwar Lal Gupta :**
**Shri T. P. Shah :**

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state the number of foreign missionaries in Nagaland, Assam, NEFA and Kashmir areas who were asked to quit India for their anti-national activities during the last three years and the number of foreign missionaries whose period of stay in India was not extended ?

**The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) :** The number of foreign missionaries in the areas mentioned, who were asked to leave India during the last three years, is ten.

Information regarding the number of foreign missionaries whose period of stay in India was not extended is being collected and will be laid on the Table of the House.

**काश्मीर में फैडरल व्यवस्था बनाने का सुझाव**

**9456. श्री क० लकप्पा :** क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इन समाचारों की ओर दिलाया गया है कि 'जम्मू आटोंनामी फारम ने गजेन्द्रगडकर आयोग को एक ज्ञापन दिया है जिसमें काश्मीर में फैडरल व्यवस्था बनाने का सुझाव दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है तथा उस सुझाव के क्या परिणाम निकले होंगे ?

**गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल)** : (क) सरकार ने प्रेस रिपोर्ट देखी है ।

(ख) गजेन्द्रगडकर आयोग को दिया गया ज्ञापन उनके विचार करने का विषय है ।

**पंडित दीनदयाल उपाध्याय की हत्या**

**9457. श्री स० चं० सामन्त** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंडित दीनदयाल उपाध्याय की कथित हत्या के बारे में केन्द्रीय गुप्तचर विभाग तथा उत्तर प्रदेश सरकार के जाच अभिकरणों द्वारा की जा रही जांच पड़ताल इस समय किस स्तर पर है; और

(ख) अब तक किन-किन व्यक्तियों को पकड़ा गया है और उनसे किन-किन रहस्यों का पता चला है ?

**गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल)** : (क) केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा

राज्य पुलिस से जांच का कार्य ले लिया गया था और अब पूर्णतया पूरा हो गया है। एकत्रित सामग्री की परीक्षा की जा रही है। और आशा की जाती है कि शीघ्र ही मामला जांच के लिए प्रस्तुत किया जायगा।

(ख) 11 व्यक्ति गिरफ्तार किये गये हैं। एक सूची जिनमें उनके नाम दिये गये हैं, सदन के सभा-पटल पर रख दी गई है चूंकि जांच के दौरान दिये गये वक्तव्यों का उल्लेख न्यायालय में होगा अतः ऐसे वक्तव्यों का ब्यौरा देना न्याय के हित में नहीं होगा। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1161/68**]

**पर्यटन का विकास**

**9458. श्री स० चं० सामन्त** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पर्यटन के विकास के लिए क्या कार्यवाही की गई है;

(ख) किन-किन स्थानों को पर्यटक केन्द्रों के रूप में विकसित किया जा रहा है तथा इस काम के लिये कितने धन की आवश्यकता है; और

(ग) क्या उन स्थानों में, जहां बन्दरगाहें हैं अथवा जिनका विकास बन्दरगाहों वाले नगरों के रूप में किया जायेगा, पर्यटकों को निर्बाध बन्दरगाह की सुविधायें भी दी जायेंगी ?

**पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह)** : (क) और (ख) पर्यटन के विकास के लिए उठाये गये कुछ कदम ये हैं :—

पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण केन्द्रों का विकास, होटल आवास व्यवस्था की वृद्धि, तथा परिवहन सुविधाओं की व्यवस्था। चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि में और अधिक विकास की योजनाएं तथा उनकी लागत के प्राक्कलन फिलहाल तैयार किये जा रहे हैं।

(ग) फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है। लेकिन, दिल्ली हवाई अड्डे पर शुल्क-मुक्त दुकानें कार्य कर रही हैं और अन्य अन्तरांष्ट्रीय हवाई अड्डों पर भी ऐसी दुकानें चालू करने का प्रस्ताव है।

**अध्यापकों के लिये मजूरी बोर्ड**

**9459. श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतर माध्यमिक स्कूलों तथा प्राथमिक स्कूलों के अध्यापकों के वेतनों का पुनरीक्षण करने तथा काम करने की स्थिति को युक्तिसंगत बनाने के लिये एक मजूरी बोर्ड अथवा वेतन आयोग नियुक्त करने के लिये सरकार विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कब निर्णय किये जाने की सम्भावना है ?

**शिक्षा मन्त्रालय में राज्यमंत्री (श्री भागवत झा आजाद)** : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

## विज्ञान सम्बन्धी राष्ट्रीय नीति

**9460. श्री रवि राय** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें पता है कि 20वीं वर्ष गांठ मनाने के लिये विज्ञान सप्ताह के अंग के रूप में दिल्ली में आयोजित की गई भारतीय वैज्ञानिक कार्यकर्त्ता संघ की एक बैठक में यह मांग की गई थी कि विज्ञान सम्बन्धी सुदृढ़ राष्ट्रीय नीति बनाने के लिये सरकार पर दबाव डालने हेतु वैज्ञानिकों को राजनीतिक क्षेत्र में घुसना चाहिए ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

**शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन)** : (क) समाचार पत्रों में प्रकाशित रिपोर्टों के अनुसार इस प्रकार की दलील वैज्ञानिक कार्यकर्त्ताओं की संस्था द्वारा दी गई प्रतीत होती है ।

(ख) जहां तक सरकार और सरकार द्वारा प्रायोजित संगठनों में कार्य करने वाले वैज्ञानिकों का सम्बन्ध है उनकी राजनीतिक गतिविधियाँ उनकी सेवा के नियमों और विनियमों द्वारा नियंत्रित होती है ।

## विभिन्न गोदियों में चोरी के मामले

**9461. श्री रा० स्व० विद्यार्थी** : क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विभिन्न गोदियों में चोरी के मामलों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है;

(ख) यदि हाँ, तो चोरी रोकने के लिये क्या उपाय करने का विचार है; और

(ग) वर्ष 1966-67 में कितने ऐसे मामले दर्ज किये गये तथा ये कितनी राशि के थे ?

**परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव)** : (क) जी हां ।

(ख) टिकिया चोरी को दूर करने की दृष्टि से बड़े पत्तन अधिकारी सुरक्षा के अपने उपायों को बराबर दृढ़ बना रहे हैं । पत्तन पुलिस और वाच और वार्ड टिकिया चोरी के विरुद्ध उपाय करते रहते हैं, टिकिया चोरी दूर करने के उपायों में ये शामिल हैं :—पत्तन क्षेत्र में प्रवेश के लिए परमिट पद्धति, चहार दीवारी की ऊंचाई को बढ़ाना, ट्रांजिट शेडों में लाक-फास्टों को मजबूत करना, जेट्टियों, यार्डों और डाकों की रोशनी में सुधार करना और चल स्कैडों का चालन, इत्यादि ।

इस स्थिति पर निगाह रखने के लिए अधिकांश पत्तनों पर टिकिया चोरी निवारण समितियां नियमित रूप से कार्य करती हैं और जहाँ आवश्यक होता है और वहां वह नये उपाय सुझाती है ।

बम्बई में 1-2-1966 से एक अलग मजिस्ट्रीयल न्यायालय काम करता आ रहा है । उसका काम पत्तन क्षेत्र में होने वाले अपराधों पर न्याय करना है जिससे टिकिया चोरी के मामलों का निपटारा शीघ्रता से हो सके । 1-2-1968 से बादला में एक पृथक पुलिस स्टेशन स्थापित किया गया है और बादला और डाकों के बीच रेलगाड़ियों पर पुलिस नियुक्त की जाती है और पत्तन रेलवे वर पुलिस की निगरानी दृढ़ कर दी गई है ।

(ग) पत्तन द्वारा सूचित स्थिति इस प्रकार है :—

| पत्तन का नाम | मामलों की संख्या | ऋण राशि | अभिवचन |
|---|---|---|---|
| कलकत्ता | 980 | उपलब्ध नहीं है | टिकिया चोरी की गई वस्तुओं का मूल्य कलकत्ता पत्तन द्वारा नहीं दिया गया है क्योंकि वह उनके पास उपलब्ध नहीं है। फिर भी उसने टिकिया चोरी के फलस्वरूप 1966-67 में 15722 रु० के दावों का भुगतान दिया। |
| बम्बई | 398 | 642501 रु० | इसमें से 568101 रुपये की वस्तु बरामद की गई थी। |
| मद्रास | 207 | 59161 रु० | |
| कांडला | 3 | 4438 रु० | |
| विशाखापत्तनम् | 230 | 4117 रु० | इसमें से 3780 रु० की वस्तुएं बरामद की गयी थीं। |
| कोचीन | उपलब्ध नहीं | 6870 | |
| मारमुगा आ | उपलब्ध नहीं परन्तु टिकिया चोरी मामूली है। | | |
| पारादीप | कुछ नहीं | | |

**शिक्षा निदेशालय के अधीन शिक्षक**

**9462. श्री रा० स्व० विद्यार्थी** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि शिश्रा निदेशालय दिल्ली के अधीन काम कर रहें प्रशिक्षित स्नातक अध्यापकों की पदोन्नति पर प्रतिबन्ध है; और

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं और क्या इस प्रतिबन्ध को हटाने का सरकार विचार कर रही है ?

**शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आज़ाद)** : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

**साम्प्रदायिक शान्ति**

**9463. श्री प्रेम चन्द वर्मा** :

**श्री शिवपूजन शास्त्री** :

क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के कुछ शिक्षा शास्त्रियों ने देश में साम्प्रदायिक शान्ति बनाये रखने के लिये सरकार को कोई योजना प्रस्तुत की है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस पर विचार किया है तथा क्या वह योजना स्वीकार पाई गई है ?

**गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल)** : (क) साम्प्रदायिक दंगों को दूर करने के उपायों के बारे में सरकार को कुछ शिक्षा शास्त्रियों से सुझाव प्राप्त हुए हैं।

(ख) कुछ सुझाव जैसे उपद्रवियों के विरुद्ध पर्याप्त और तुरन्त कार्यवाही करना और दण्ड के रूप में जुर्माने लगाना सरकार द्वारा पहले ही स्वीकार कर लिये गये हैं। अन्य सुझाव विचाराधीन हैं।

**दिल्ली के अध्यापकों की मांगें**

**9464. श्री प्रेमचन्द वर्मा** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के अध्यापकों द्वारा बिना शर्त अपना आन्दोलन वापिस लिये जाने के बाद उन्होंने अध्यापको की माँगों पर विचार किया है ;

(ख) अध्यापकों की कौन-कौन सी मांगे उचित तथा सरकार की स्वीकार्य पाई गई हैं तथा सरकार उनमें से कोन-कौन सी माँगों को स्वीकार करना सम्भव नहीं समझती; और

(ग) इस सम्बन्ध में कब अन्तिम निर्णय किया जायेगा ;

**शिक्षा मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद)** : (क) से (ग) दिल्ली के अध्यापकों की मुख्य माँगें ये थीं :—

( i ) वेतनमानों में संशोधन ,

( ii ) शिक्षा का एकीकृत नियंत्रण,

( iii) सेवा-शर्तों में एकरूपता।

दिल्ली के स्कूलों के अध्यापकों के वेतनमानों में पहले ही संशोधन किया जा चुका है। अन्य दो माँगों के लिये दिल्ली प्रशासन तथा स्थानीय निकायों को सर्वप्रथम, जो विशेष रुप से सम्बन्धित हैं, विचार करना है और फिर स्वीकृत निर्णय पर पहुंचना है ।

**बेकार सूती टुकड़ों से हाथ द्वारा कागज का निर्माण**

**9465. श्री प्रेम चन्द वर्मा** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय वैज्ञानिक तथा औद्योगिक गवेषणा परिषद ने बेकार सूती टुकड़ों जैसे कि सूती कपड़े के चिथड़ों, दर्जी की काट से बचे टुकड़ो बनियान, जुराब आदि बनाने में बचे हुए ठुकड़ों तथा रुई के छोटे रेशों से हाथ द्वारा विशेष प्रकार का कागज़ बनाने का तरीका निकाला है;

(ख) यदि हां, तो क्या कोई परिष्करण तकनीक तैयार की गई है तथा इस कच्चे माल से किस प्रकार का कागज तैयार किया जा सकता है;

(ग) क्या यह आशा है कि अन्तिम उत्पाद सस्ते मूल्यों पर तैयार होगा; और

(घ) क्या सम्भावित उत्पादन का कोई अनुमान लगाया गया है और यदि हां, तो इस प्रकार के कच्चे माल से कितना कागज तैयार होने की सम्भावना है ?

**शिक्षा मंत्री ( डा० त्रिगुण सेन )** : (क) दर्जी की सूती कतरनों, होजरी कतरनों और रुई के रेशों से विशेष प्रकार के कागज तैयार करने के लिए प्रादेशिक अनुसंधान प्रयोगशाला, हैदराबाद ने प्रक्रियाओं का विकास किया है ।

(ख) निम्नलिखित प्रकार के कागजों के लिए प्रक्रिया जानकारी उपलब्ध है :—

( i ) क्रीमटोन्ड दस्तावेज कागज,

( ii ) उच्च स्फूटन सामर्थ्य कागज,

( iii ) विक्षेष ड्राइंग कागज,

( iv ) मोटा बाण्ड कागज,

( v ) मध्यम बाण्ड कागज़,

( vi) फिल्टर कागज, और

( vii ) "अफशान" स्वर्ण और रजत बिन्दु सहित कागज (केवल प्रयोगशाला द्वारा निर्मित) ।

(ग) जी हां, प्रयोगशाला को ऐसी आशा है ।

(घ) जी नहीं ।

**इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन का टिकट घर, नई दिल्ली**

**9466. श्री बाबूराव पटेल :** क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 16 सितम्बर, 1967 को नई दिल्ली में कनाट प्लेस में इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के जीर्णोद्धारित टिकट घर के उद्घाटन के अवसर पर अतिथियों को 2500 रुपये के मूल्य की शराब पिलाई गई थी ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण थे ; और

(ग) जिन अधिकारियों ने शराब पिलाने का निर्णय किया था उनके नाम तथा पदनाम क्या हैं ?

**पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह)** : (क) से (ग) 16-9-1967 को नई दिल्ली में कनाट प्लेस में इण्डियन एयरलाइन्स के नवीकृत बुकिंग आफिस के उद्घाटन के अवसर पर 2557.50 रुपये के मूल्य की शराब, ठण्डे पेय एवं स्नैक, इत्यादि खान-पान वस्तुए दी गयी थीं। शराब सम्बन्धित उत्पादन शुल्क अधिकारियों से आवश्यक अनुमति लेकर दी गई थी । ऐसे समारोहों में शराब का दिया जाना एयरलाइन उद्योग में एक सामान्य प्रथा है ।

**भारतीय सीमान्त प्रशासनिक सेवा**

**9467. श्री वेणी शंकर शर्मा :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय सीमान्त प्रशासनिक सेवा कब स्थापित की गई थी तथा इसका उद्देश्य क्या था;

(ख) क्या यह सच है कि सरकार ने इस सेवा को भारतीय प्रशासनिक सेवा संवर्ग में मिलाने का निर्णय किया था, परन्तु अब यह विचार छोड़ दिया गया है; और

(ग) यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं ?

**गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल)** : (क) से (ग) भारतीय सीमा प्रशासन सेवा का औपचारिक रूप से गठन नेफा, नागालैंड, त्रिपुरा आदि सीमावर्ती स्थानों पर–जहां रहन-सहन तथा संचार से सम्बन्धित परिस्थितियां बड़ी कठिन है :- कुछ प्रशासनिक पदों की पूर्ति करने के लिये वर्ष 1956 में किया गया था। इसके लिये एक विशेष संवर्ग आवश्यक समझा गया था क्योंकि आदिम जाति क्षेत्रों में ठीक सूजबूझ वाले अनुभवी अधिकारियों की आवश्यकता थी।

विशेष रूप से इन शेत्रों से सम्बन्धित संवर्ग के प्रशासन में कठिनाइयां उत्पन्न होने के कारण यह निर्णय किया गया कि केन्द्र प्रशासित प्रदेशों के लिए इस सेवा को भारतीय प्रशासनिक सेवा के साथ मिला दिया जाये। इस विचार को छोड़ा नहीं गया है।

**आसाम की जनसंख्या**

**9468. श्री वेणी शंकर शर्मा** : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आसाम के मैदानों और पहाड़ियों में रहने वाले विभिन्न भाषाओं और संस्कृति वाली आदिम जातियों के नाम क्या हैं और उनकी संख्या कितनी है और उनकी जनसंख्या धर्म-वार कितनी कितनी है;

(ख) क्या अलग पहाड़ी राज्य की ऐसी मांग उन सब पहाड़ी आदिमजातियों ने इकट्ठे मिल कर की है या उनमें से कुछ ने ही ऐसी मांग की है और उन आदिमजातियों के नाम क्या हैं; और

(ग) क्या यह सच है कि अलग पहाड़ी राज्य की मांग ईसाई धर्मानुयायी आदिम-जातियां ही कर रही हैं जिन्हें विदेशी धर्म प्रचारक समर्थन दे रहे हैं और असम का हिन्दु समाज इसका जोरदार विरोध कर रहा है ?

**गृह-मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल)** : (क) एक विवरण संलग्न है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1162/68]**

(ख) तथा (ग) मांग किसी विशेष पहाड़ी आदिम जाति अथवा आदिम जातियों के नाम से नहीं की गई है। यह एक क्षेत्रीय मांग है जो पहाडी क्षेत्रों के लोगों के एक वर्ग की और अधिक स्वायतता प्राप्त करने की इच्छा के कारण हुई है।

**पश्चिम बंगाल में जहाजों और नावों में नियुक्त पाकिस्तानी राष्ट्रजन**

**9469. श्री वेणीशंकर शर्मा** : क्या परिवहन तथा नौवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल में सरकारी तथा गैर-सरकारी लोगों, फर्मों और कम्पनियों के जहाजों और नावों में नियुक्त पाकिस्तानी राष्ट्रजनों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या उन पाकिस्तानी राष्ट्रजनों को अपनी कमाई का कुछ भाग पाकिस्तान को भेजने की अनुमति है; और

(ग) यदि हां, तो पिछले पांच वर्षों में उन्होंने पाकिस्तान को कितनी धन राशि स्थानान्तरित की है या भेजी है ?

**परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव)** : (क) से (ग) सूचना एकत्रित की जा रही और यथा समय सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

**Caste Distinctions among Students in Bihar**

**9470. Shri Madhu Limaye** : Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that in the school-registers in Bihar, the words "High caste Hindu" and "Low caste Hindu" are written against the names of students;

(b) whether the use of such words is in keeping with the principles of the Constitution; and

(c) whether the words "advanced class' and "backward class" are not used in place of the said words ?

**The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Bhagwat Jha Azad)** : (a) to (c) The information is being collected and will be laid on the Table of the House as soon as received.

**Memorandum from Hindi Teachers in Madras**

**9471. Shri Madhu Limaye** : Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether Government have received any memorandum from Hindi Teachers working in Madras State in which it has been mentoined that more than five thousand Hindi Teachers would be rendered unemployed, because of the discontinuance of Hindi teaching by the Madras Government; and

(b) if so, the steps Government propose to take for the security of their jobs or to provide them with alternative employment ?

**The Minister of State for Education (Shri Bhagwat Jha Azad)** : (a) Yes, Sir.

(b) In their order of 24th January, 1968, discontinuing the teaching of Hindi in schools, the Government of Madras have made it clear that every effort will be made to absorb the existing Hindi teachers in suitable posts for which they are found qualified.

**Medium of Instruction in Schools in NEFA**

**9472. Shri Madhu Limaye** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Hindi had been the medium of instruction in all the schools in the whole of NEFA border area since 1947 to date but the NEFA administration has replaced Hindi by Assamese as medium of instruction with effect from March, 1967;

(b) whether it is also a fact that the students there want to learn Hindi as Assamese is not the local language;

(c) if so, the action being taken by Government in this connection; and

(d) whether Government propose to issue orders to the officials of NEFA to reintroduce Hindi as medium of instruction in those areas of NEFA ?

**The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla):** (a) to (d) : The quession of language instruction in NEFA has posed very difficult issues. Till 1954 the medium of instruction was Assamese. In mid 1954 system of basic education was introduced with Hindi as medium beyond primary stage. This also created serious difficulties and in 1959 Assamese had again to be made the medium of instruction except in some schools close to the border. Bring Committee went in to this question in great detail and in 1965 recommended as follows after assessing the general opinion of the people :—

(a) At present at the primary stage the medium of instruction is the local tribal dialect. These dialects are, however, very rudimentary in their vocabulary and have no written script. No useful purpose will be served by keeping alive dialects assiduously and the NEFA Administration should let the use of these dialects in schools fade away gradually ;

(b) The medium of instruction in all the schools of NEFA from the primary stage onwards should be in a recognised language of the country.

(c) The same language should continue to be the medium of instruction upto Higher Secondary standard;

(d) From the 5th or the 7th class, on the basis of the three language formula, another Indian language and English can be introduced as optional subject.

2. Government have accepeed these recommendations which are being implemented. The consequence of this was that Assamese became the medium of instruction again even for border schools in gradual stage with the agreement of people from 1966.

## लद्दाख का विकास

**9473. श्री शिव चन्द्र झा :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लद्दाख को अपने आर्थिक विकास के मामले में कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है;

(ख) यदि हां, तो वे कठिनाइयाँ क्या हैं तथा उनको दूर करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(ग) पहली पंचवर्षीय योजना के आरम्भ से लेकर अब तक लद्दाख में कृषि उद्योगों तथा शिक्षा के क्षेत्र में क्या विशिष्ट प्रगति हुई है ?

**गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) :** (क) से (ग) अपनी भौगोलिक स्थिति, ऊंचाई और भौतिक स्वरूप इत्यादि लद्दाख के विकास में अन्तर्निहित कठिनाइयां हैं। सन् 1960 से केन्द्रीय सरकार लद्दाख के विकास के लिए एक विशेष कार्यक्रम में धन दे रही है। अब तक की प्रगति का जहां तक सम्बन्ध है, गृह मन्त्रालय की 1967-68 की रिपोर्ट के आठवें अध्याय की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है।

## केन्द्रीय अपराध अन्वेषी प्रयोगशालाएं

**9474. श्री शिवचन्द्र झा :** क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय अपराध अन्वेषी विज्ञान प्रयोगशालाएं अभी चालू नहीं हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो उन्होंने जिसमें कलकत्ता स्थित प्रयोगशाला भी शामिल है, अब तक कितनी सफलता प्राप्त की है ?

**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्या चरण शुक्ल)** : (क) से (ग) एक विवरण संलग्न है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल. टी. 1163/68**]

**हाई स्कूल स्तर तक अध्यापन पाठ्यक्रम में समानता लाना**

**9475. श्री शिव चन्द्र झा** . क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

क्या सरकार का विचार सारे देश में हाई स्कूल स्तर तक विषयों के अध्यापन सम्बन्धी पाठ्यक्रम को समान बनाने की है ;

(ख) यदि हाँ, तो कब तक तथा किस प्रकार; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**शिक्षा मन्त्री (डा० त्रिगुण सेन)** : (क) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद राज्य सरकारों तथा अन्य प्राधिकारियों द्वारा स्वीकृत कराने अथवा अपनाने के लिए स्कूल शिक्षा के सभी स्तरों के वास्ते विभिन्न विषयों में आदर्श पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तकें व शिक्षक मार्ग-दर्शक तैयार कर रही हैं।

(ख) और (ग) : परियोजना को पूर्ण करने के लिए कोई नियत समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई है, बल्कि यथाशीघ्र इसे पूरा करने के लिए हरएक कोशिश की जा रही है।

**संस्कृत विद्वानों की सहायता**

**9476. श्री शिव चन्द्र झा** : क्या **शिक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संस्कृत विद्वानों की सहायता करने की सरकार की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) अब तक राज्यवार कितनी वित्तीय सहायता दी गई है; और

(घ) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर 'नहीं' हो तो इसके क्या कारण हैं ?

**शिक्षा मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद)** : (क) जी हां।

(ख) और (ग) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल. टी. 1164/68**]

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

**चण्डीगढ़ के लिए किराया प्रतिबन्ध अधिनियम**

**9477. श्री श्रीचन्द गोयल** : क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार चण्डीगढ़ में किराया प्रतिबन्ध अधिनियम लागू करने का विचार कर रही है;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में सरकार को कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ग) यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल)** : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) जी हां, श्रीमान् ।

(ग) मामले पर ध्यान पूर्वक विचार किया गया है किन्तु यह निर्णय किया गया है कि वर्तमान में चण्डीगढ़ में किराया प्रतिबन्ध अधिनियम लागू न किया जाए ।

**चण्डीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र के लिए स्थानीय निकाय**

**9478. श्री श्रीचन्द गोयल** : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चण्डीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र के लिए कोई निर्वाचित स्थानीय निकाय बनाने के लिये सरकार विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो इस दिशा में क्या कार्यवाही की गई है ?

**गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्या चरण शुक्ल)** : (क) जी नहीं, श्रीमान ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

**चण्डीगढ़ में जीवन बीमा निगम के कर्मचारी संघ के कार्यकर्ताओं के विरुद्ध मुकदमें**

**9479. श्री श्रीचन्द गोयल** : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चण्डीगढ़ प्रशासन ने जीवन बीमा निगम के कर्मचारी संघ के कार्यकर्त्ताओं के विरूद्ध अपराधिक मुकदमे चलाये हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

**गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल)** : (क) और (ख) स्थानीय जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों ने 5-4-1968 को एक दिन की साँकेतिक हड़ताल निगम में स्वचलित यंत्रों को लागू करने के विरोध में सेन्ट्रल बाडी द्वारा दिये गये आवाहन् के उत्तर में की थी । यह बतलाया जाता है कि 5-4-1968 की शाम को कुछ हड़ताली विभिन्न गैर-हड़ताली कर्मचारियों के घर गये थे तथा उन्होंने तथाकथित अवैध रूप से प्रवेश किया तथा घर वालों को हड़ताल में शामिल न होने पर गम्भीर परिणामों की धमकी दी । जीवन बीमा निगम के पदाधिकारियों से प्राप्त एक शिकायत पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 506/147 के अन्तर्गत पुलिस स्टेशन, पश्चिम चण्डीगढ़ में दर्ज किया था । 7 कर्मचारी गिरफ्तार किये गये थे और जमानत पर रिहा कर दिये गये हैं :

**शहीद भगतसिंह, राजगुरु तथा सुखदेव का स्मारक**

**9480. श्री म० ला० सोंधी** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का फिरोजपुर में तूड़ी बाजार में उस मकान को अर्जित करने का विचार हैं जिसमें क्राँतिकारी भगतसिंह, राजगुरु तथा सुखदेव कार्य किया करते थे तथा रहते थे; और

(ख) क्या उनके सम्मान में तथा जनता की मांग का आदर करते हुए वहां एक उपयुक्त स्मारक बनाने का सरकान का विचार है ?

**शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद)** : (क) और (ख) फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

**दिल्ली में सड़क दुर्घटनाएं**

**9481. श्री म० ला० सोंधी :** क्या परिवहन तथा नौवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में पिछले 75 दिनों में 1680 सड़क दुर्घटनायें हुई हैं जिनमें 80 व्यक्ति मारे गये हैं, और

(ख) यदि हां, तो जनता को यातायात सम्बन्धी नियमों की शिक्षा देने के लिये क्या कार्यवाही की गई है तथा यातायात पुलिस को इस सम्बन्ध में अपने प्रयत्नों में अब तक कितनी सफलता प्राप्त हुई है ?

**परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री भक्त दर्शन ) :** (क) और (ख) अपेक्षित सूचना दिल्ली प्रशासन से इकठ्ठी की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जायगी।

**परिवहन मंत्रालय में सहायक इन्जीनियरों तथा सड़कों और पुलों के सहायक सलाहकारों के पद**

**9482. श्री म० ला० सौधी :** क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि फरवरी 1966 में संघ लोक सेना आयोग ने परिवहन मंत्रालय के सहायक इन्जीनियरों तथा सड़को और पुलों के सहायक सलाहकारों के 48 पदों के लिये विज्ञापन दिया था;

(ख) क्या किसी व्यक्ति को चुना गया है और नियुक्ति की पेशकश की गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री भक्त दर्शन) :** (क) जी हां,।

(ख) जी नहीं।

(ग) संघ लोक सभा आयोग की सिफारिशों के प्राप्त होने के तुरन्त बाद ही इस मंत्रालय के सड़क पक्ष की अमला आवश्यकताओं की समीक्षा वित्त मंत्रालय की कर्मचारी जाँच एकांश द्वारा प्रारम्भ कर दी गई थी। इस एकांश ने सड़क पक्ष के मौजूदा तकनीकी राजपत्रित कर्मचारियों में कटौती करने की सिफारिश की है। अतएव आयोग द्वारा सिफारिश किये गये 48 अभ्यार्थियों में से किसी का भी नियुक्ति प्रस्ताव भेजना संभव न हो सका।

**"Vijaya Sena" in Calcutta University**

**9483. Shri Raghuvir Singh Shastri :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state ;

(a) Whether Government are aware that the students of Calcutta University have organised a "Vijaya Sena" to oppose the propagation of Hindi in West Bengal;

(b) whether the said Sena also aims to start a campaign to oppose the employment of non-Bengalies in Government and private service; and

private service; and

(c) if so, the reaction of Government thereto ?

**The Deputy Home Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri K.S. Ramaswamy) :** (a), to (c) : Information is being collected and will be laid on the Table of the House.

**Women's College at Shahdara**

**9484. Shri Raguvir Singh Shastri :** Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that the girls of Shahdara have to face great difficulty in going daily either to Delhi or Ghaziabad for receiving education in the absence of a Women's College at Shahdara; and

(b) if so, whether Government propose to open at least one Women's College at Shahdara ?

**The Minister of Education (Dr. Triguna Sen) :** (a) and (b) A co-educational degree College already exists in the area. The question of opening new colleges, including Women's Colleges in the Union Territory of Delhi during 1968-69 will be considered by the Working Group appointed by the Delhi Administration.

**नये राष्ट्रीय राजपथ**

**9485. श्री गं० च० दीक्षित :** क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने किन्ही नये रास्ट्रीय राजपथों तथा बड़े पुलों के निर्माण और इन वर्तमान राजपथों और पुलों के सुधार के लिये जिनकी ओर अविलम्ब ध्यान देने की आवश्यकता है कोई प्रस्ताव पेश किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

**परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री भक्त दर्शन) :** (क) और (ख) जी हाँ, । संभवत: सदस्य के विचार में चतुर्थ पंचवर्षीय योजना से संबंधित मध्य-प्रदेश की सरकार द्वारा राष्ट्रीय मुख्य-मार्गों के लिये किये गए प्रस्ताव है । ये प्रस्ताव चतुर्थ योजना के आवंटनों को अन्तिमरूप दिये जाने की प्रतीक्षा में हैं ।

**Vacancies in Madhya Pradesh High Court**

**9486. Shri G.C. Dixit :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the number of vacancies of Judges in the Madhya Pradesh High Court at present;

(b) the period since these posts have been lying vacant; and

(c) the reasons for delay in filling up these vacancies and when these posts are likely to be filled up ?

**The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla)** (a) One.

(b) Since 20th March, 1968.

(c) The vacancy will be filled as soon as proposal for appointment is received from the State authorities.

**Archaeological Survey in Rajasthan**

**9487. Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether Government are conducting an archaeological survey in the hills of Jawar Pan at a distance of 30 miles from Udaipur, Rajasthan;

(b) if so, the broad details in this regard; and

(c) if not, whether Government propose to undertake such suvey in the said place of mythological importance ?

**The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Sher Singh) :** (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) At present there is no proposal to undertake such a survey in this region.

**Mahesh Yogi**

**9488. Shri Onkar Lal Bohra :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the sources from which Mahesh Yogi of Rishikesh receives the enormous wealth for the magnificant construction of the Ashram;

(b) whether it is a fact that American money is being utilised there; and

(c) if so, the reaction of Government thereto ?

**The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri K.S. Ramaswamy) :** (a) to (c) : Facts are being ascertained from the State Government.

**Nehru Park, Udaipur**

**9489. Shri Onkar Lal Bohra :**
**Shri Hem Raj :**

Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) the amount provided in the next year's budget for the development of Nehru Park, Udaipur which is fast developing into a Centre of tourist attraction;

(b) whether there is any proposal to construct tourist bungalows at Chittor, Ranakpur and Haldighat;

(c) if so, when it is going to be implemented ?

**The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) :** (a) No funds have been provided for development of Nehru Park at Udaipur, as the development of parks is the responsibility of local bodies.

(b) and (c) Tourism schemes for 1968-69 have yet to be finalised in consultation with the State Government.

**ओलम्पिक खेल**

**9490. श्री दी० च० शर्मा :** क्या शिक्षा मंत्री 5 अप्रैल 1968 के तारांकित प्रश्न संख्या 1103 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत द्वारा मेक्सिको में होने वाले ओलम्पिक खेलों में भाग लिये जाने के संबंध में भारत सरकार ने अन्तिम निर्णय क्या किया है ?

**शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) :** अब क्योंकि दक्षिण अफ्रीका को मेक्सिको ओलम्पिक खेलों में भाग लेने की अनुमति नहीं दी गई है, भारत खेलों में भाग लेगा ।

**करौलबाग, नई दिल्ली में अग्निकाण्ड**

**9491. श्री दी० चं० शर्मा :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 10 अप्रैल 1968 को करोल बाग, नई दिल्ली के एक कारखाने के गोदाम यार्ड में बेकार कपास का बड़ा भण्डार नष्ट किया गया;

(ख) यदि हां, तो अनुमानत: कितनी हानि हुई; और

(ग) आग लगने का कारण क्या था तथ इस मामले में क्या कार्यवाही की गई ?

**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) :** (क) और (ख) 10 अप्रैल 1967 को करौलबाग में एक कारखाने में कपास के भण्डार में आग लग गई थी, जिससे 6,000 से 10,000 रुपये तक की हानि हुई ।

(ग) आग का सम्भावित कारण बिजली का गिरना माना जाता है। जैसे ही दिल्ली अग्नि शमन सेवा द्वारा 10 अप्रैल 1968 को सन्देश प्राप्त हुआ, 2 आग बुझाने वाले दल शंकर रोड़ अग्नि शमन केन्द्र से भेजे गये। 3 और आग बुझाने वाले दल जे० आर० रोड़ अग्नि शमन केन्द्र से भी अधिक कुमुक के रूप में भेजे गए। लगभग एक घण्टे में आग पर काबू पा लिया गया और 4 घण्टे में आग पूरी तरह बुझा दी गई।

**भूतत्ववेत्ताओं तथा भूभौतिकीविदों में बेरोजगारी**

**9492. श्री हिम्मतसिंहका :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बेरोजगार भूतत्ववेत्ताओं तथा भूभौतिकीविदों को बेरोजगारी भता देने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हाँ, तो उन्हें कितना मासिक भता देने का विचार है ?

**शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) :** (क) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

**अखिल भारतीय इन्जीनियरी सेवा**

**9493. श्री हिम्मतसिंहका :**

**श्री रवि राय :**

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अखिल भारतीय इन्जीनियरी सेवा का गठन करने की योजना रोक दी गयी है ;

(ख) कौन से राज्य इस योजना के पक्ष में नहीं है और उन्होंने इसका विरोध किन आधारों पर किया है; और

(ग) इस सेवा का शीघ्र गठन करने के लिये अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री : (श्री विद्याचरण शुक्ल)** : (क) इस सेवा से संबंधित प्रारूप संवर्ग और भर्ती नियमों पर कुछ राज्य सरकारों के विचार अभी प्राप्त होने हैं।

(ख) मद्रास सरकार ने सूचित किया है कि उनका नई अखिल भारतीय सेवाओं में, जो पूर्णतया राज्यों के क्षेत्राधिकार का विषय है, भाग लेने का इरादा नहीं है। केरल सरकार ने और अधिक व्यापक रूप में व्यक्त किया हैं नई अखिल भारतीय सेवाओं के निर्माण की नीति से असहमति इस आधार पर की है कि ऐसी सेवाओं का निर्माण राज्य सरकार की स्वायतता का अतिक्रमण करता है।

(ग) शेष राज्य सरकारों को अपने विचार शीघ्र भेजने का अनुरोध किया जा रहा है।

**पर्यटकों के लिये बीसा**

**9494. श्री कामेश्वर सिंह :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विदेश स्थित भारतीय दूतावास प्राचीन भारतीय सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य से प्राचीन ऐतिहासिक नगरों को देखने के लिये भारत आने के इच्छुक विदेशियों को बीसा नहीं देते हैं;

(ख) यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या विदेशियों को वीसा न देने से पर्यटन पर प्रभाव पड़ता है ?

**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल)** : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) और (ग) : प्रश्न ही नहीं उठते।

**होम गार्ड**

**9495. श्री प्र० र० ठाकुर** : क्या गृह-कार्य मंत्री 29 मार्च, 1968 के तारांकित प्रश्न संख्या 945 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी बंगाल तथा असम के सीमावर्ती जिलों में होम गार्डों का एक सीमावत कक्ष बनाने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है तथा कब तक इस योजना के मंजूर हो जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल)** : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) प्रश्न हीं, नहीं उठता।

(ग) संबंधित राज्य सरकारों की राय में सीमावर्ती जिलों के होम गार्डों की भांति संगठन उनकी सुरक्षात्मक आवश्यकताओं के लिये उपयुक्त नहीं हैं।

**Freedom Fighters**

**9496. Shri Nihal Singh :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :.

(a) the names of the freedom fighters still alive in the country;

(b) the extent of assistance being provided by Government to the families of freedom fighters who laid down their lives and to those who are still alive; and

(c) whether it is a fact that the dates of birth of martyrs of freedom struggle have not been included in the list of holidays for Central Government employees, and if so, the reasons therefor and the action taken by Government in this regard ?

**The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla):** (a) No such list has been complied.

(b) The responsiblity for the grant of relief and rehabilitation facilities to political sufferers is primarily that of the State Governments who have formulated their own schemes of relief and render assistance to such sufferers in the form of pensions, cash grants, land grants, rehabilitation loans and educational concessions to their children. In individual cases of hardship, assistance is also given to political sufferers in the shape of non-recurring cash grants from the Home Minister's Discretionary Grant.

(c) It would not be practicable to include such dates in the list of holidays.

**Pay Scale of Teachers**

**9497. Shri Ram Avtar Sharma :**
**Shri Shiv Kumar Shastri :**

Will the Minister of **Education** be pleased to state ;

(a) whether he has received any representation from the Meerut University Teachers' Association regarding pay scales of College teachers, grant of increments while fixing new pay scales and grant of D.A. on Central Government rates;

(b) if so, the details thereof; and

(c) the reaction of Government thereto ?

**The Minister of Education (Dr. Triguna Sen) :** (a) Yes, Sir.

(b) The following sugesstions have been made in the Memorandam received from the Association :

( i ) The scale of Rs. 700-1100 should be given to all post-graduate teachers by seniority within the limit of 25%.

(ii) No post-graduate Head of Department should be given the scale of Rs. 400-800 and this grade should be given to more teachers by increasing the posts in this scale progressively.

(iii) Service increments as recommended by the U.G.C. should be given.

(iv) The revised pay scales should be applied in the case of teachers in colleges which are not on the grant-in-aid list.

(v) Dearness allowance at U.P. Government rates should be given.

(c) Such proposals have initially to be examined by the State Government to whom a copy of the Memorandum has been sent. The matter will be dealt with at the Centre when the proposals of the State Government are received.

**Sanskrit University in Delhi**

**9498. Shri Ram Avtar Sharma :** Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether Government are considering a scheme to open a Sanskrit University in Delhi; and

(b) if not, the reasons therefor ?

**The Minister of Education (Dr. Triguna Sen):** (a) No, Sir.

(b) It is felt that adequate facilities for the study of and research in Sanskrit are already available in the Delhi University and the Lal Bahadur Shastri Rashtriya Sanskrit Vidyapeetha, Delhi.

**Aligarh University and Jamia Millia Islamia**

**9499. Shri Ram Avtar Sharma :** Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government propose to end the communal features of the Aligarh Muslim University and Jamia Millia Islamia, Delhi;

(b) whether Government have received complaints to the effect that these institutions have contributed towards communal tension; and

(c) if so, the reaction of the Government in this regard.

**The Minister of Education (Dr. Triguna Sen):** (a) The Aligarh Muslim University and the Jamia Millia Islamia, Delhi are open to persons of either sex and of whatever race creed, caste, or class. The question of ending communal features, therefore, does not arise.

(b) and (c) The factual position in this regard is being ascertained and will be laid on the table of the Sabha in due course.

**Issue of Licences to Private Arms Dealers in Madhya Pradesh**

**9500. Shri Ram Avtar Sharma :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 897 on the 16th February, 1968 and state :

(a) whether Government have taken a final decision on the request received in December, 1966 from the Madhya Pradesh Government seeking permission to issue licences to the private Arms dealers in Madhya Pradesh for crop protection purposes; and

(b) if so, the details thereof ?

**The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla)** (a) and (b) : Yes, Sir; the Government of India have since considered the matter in all its aspects and have decided not to grant fresh licences for the manufacture of muzzle loading guns in the private sector, in relaxation of the Government of India's Industrial Policy Resolution of 1956, in view of the existing unutilised capacity in the private sector and the possibility of spare Capcity being availabie for such manufacture in the public sector.

**Kidnapping of Teachers in Manipur**

**9501. Shri Ram Avatar Sharma :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 3368 on the 8th March, 1968 and state :

(a) whether the enquiry into the incident of kidnapping of two teachers from Giribam Sub-Division, Manipur on the 18th February, 1968 has since been completed; and

(b) if so, the details thereof ?

**The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri K.S. Ramaswamy)** (a) Yes, Sir.

(b) The gang of Mizo hostiles came from Mizo Hills District and took away the two teachers as their guides. They were released two days later on the 20th February, 1968. A case has been registered, but the present whereabouts of the Mizo gang are not known.

**Use of Indian Wells by Pakistani Nationals in Rajasthan**

**9502. Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Pakistani nationals use water from a well situated within the boundary of Indian territory in Rajasthan;

(b) if so, the reasons for not imposing ban on their entry into Indian territory; and

(c) since when the said Pakistani nationals have been fetching water from that well ?

**The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) :** (a) : No, Sir.

(b) and (c) : Do not arise.

**Officers in I.A.C.**

**9503. Shri Sheopujan Shastri :** Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state the number of Officers in I.A.C. who are Matriculates or Graduates or hold technical diplomas ?

**The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) :** The requisite information is given below :

| Matriculates | — | Graduates | — | Technical Diploma-holders |
|---|---|---|---|---|
| 1,084 | | 448 | | 90 |

**India-Lebanon Air Service**

**9504. Shri Sheopujan Shastri :** Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether negotiations in regard to air service have recently been held between India and Lebanon;

(b) if so, the time by which the air-services are likely to start; and

(c) the amount of expenditure involved ?

**The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) :** a), (b) and (c) : Air Services by the national carriers of India and Lebanon through each others countries were never discontinued. Air India continue to operate regular air services through Beirut (Lebanon) to London/New York since 1955. Similarly, the Lebanese carriers **viz.**, Middle East Airlines, Lebanese International Airways and the Trans-mediterranian Airways continue to operate air services to/through India since 1958.

Discussions were recently held in Beirut between the delegations of the Government of India and the Government of Lebanon on questions of additional rights for two of the Lebanese airlines and on the situation created by Lebanon by withdrawing from Interna-

tional Air Transport Association fares on route 2/3 (London-Tokyo) as a reaction to the establishment of an emigrant fare jointly by Air India, British Overseas Airways Corporation and the Governments of India and U.K. for Indian emigrants going to U.K. from India under a permissive resolution of International Air Transport Association. This fare is available only to Air India and British Overseas Airways Corporation. The talks concluded with an agreement to extend the existing arrangements namely that the Lebenese Airlines will adhere to International Air Transport Association fare and will not participate in the Emigrant fare, for a further period of six months. This does not involve any additional expenditure.

**औरंगाबाद जिले में ग्रामीणों द्वारा नये बौद्धों का बहिष्कार**

**9505. श्री देवराव पाटिल** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले के गंजूगांव के सभी नये बौद्धों का इस महीने के पहले सप्ताह में वहां के ग्रामीणों ने बहिष्कार कर दिया था;

(ख) क्या यह सच है कि नये बौद्धों को गांव छोड़कर जाना पड़ा है; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

**गृह-कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी)** : (क) से (ग) सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन के सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

**काश्मीर में नये चुनाव कराने की शेख अबदुल्ला की मांग**

**9506. श्री वेदव्रत बरुआ** :
**श्री बीरभद्र सिंह** :
**श्री न० कु० सांधी** :

क्या गृह-कार्य यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि शेख अबदुल्ला के समर्थकों द्वारा संसद सदस्यों को एक नोट भेजा गया है जिसमें काश्मीर में नये चुनाव कराने के बारे में कुछ अन्तिम प्रस्ताव रखे गये है;

(ख) क्या सरकार को भी इस बारे में शेख अबदुल्ला अथवा उसके समर्थकों की ओर से कोई पत्र प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है –

**गृह-कार्य मंत्रालव में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल)** : (क) ज्ञात हुआ है कि ऐसा एक नोट भेजा गया है ।

(ख) जी नहीं, श्रीमान ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

**Grants to Aligarh University/Jamia Millia**

**9507. Shri Ran Gopal Shalwale** : Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) the amount of annual grant given to the Aligarh University and Jmia Millia Islamia, Delhi;

(b) whether it is a fact that the grant given to Gurukul Mahavidyalaya, Jawalapur and other Gurukuls is less than that granted to the Aligarh University and Jamia Millia Islamia; and

(c) if so, the reasons for the disparity ?

**The Minister of Education (Dr. Triguna Sen)** : (a) During 1967-68 maintenance grants amounting to Rs. 1,73,03,122.24 and Rs. 11,86,422.48 were paid to the Aligarh Muslim University and Jamia Millia Islamia respectively.

(b) and (c) The maintenance grant is determined in relation to the activities of an institution. The Gurukulas are comparatively smaller institutions and the grants paid to them are naturally less a compared with those paid to the Aligarh Muslim University and Jamia Millia Islamia.

**Pro-Mao Slogans in Hyderabad**

**9508. Shri Nihal Singh :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a person carrying the Red Book in his hand and shouting the slogans of 'Mao Zindabad' entered the precincts of Hyderabad Legislative Assembly; and

(b) if so, the name of the political party to which he belonged and the action taken by the State Government in that regard ?

**The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla):** (a) and (b) : The State Government have reported that on 27th March, 1968, a person carrying a book of Mao's sayings in Telugu, rushed into the Legislative Assembly compound and started shouting slogans 'Mao Zindabad' and 'Viplavam Vardillai' (long live Revolution). He was immediately arrested by the local police under section 55 of the Cr. P.C. and prosecuted under section 70 of the City Police Act. He was convicted and sentenced to imprisonment till the rising of the Court on 28th March, 1968.

**Safdarjang Airport**

**9509. Shri Nihal Singh :** Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 1688 on the 2nd February, 1968 and state :

(a) whether Government have since taken a decision regarding the shifting of the Safdarjang Aerodrome, and if so, the details in regard thereto; and

(b) the estimated expenditure involved ?

**The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) :** (a) A survey is being conducted to locate a suitable alternate site. A decision regarding shifting of the aerodrome will be taken after receipt of the survey report.

(b) Does not arise.

**अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिलिप्यधिकार**

**9510. श्री स० चं० सामन्त :** क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिलिप्यधिकार से कम से कम कुछ सीमित अवधि के लिये भारत का छूट दिलाने में कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) इस बारे में मुख्य रुकावटें क्या हैं और उनको कैसे दूर किया जायेगा; और

(ग) इस उद्देश्य को प्राप्त करने में कितना समय लगेगा ?

**शिक्षा मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आज़ाद) :** (क) भारत सरकार 1967 में स्टाकहोम में स्वीकृत बर्न कनवेन्शन के संशोधित पाठ के प्रति यूनाइटेड किंगडम जैसे विकसित देशों की प्रतिक्रिया देख रही है । अभी तक कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

**खारा पानी**

**9511. श्री स० चं० सामन्त :** क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खारे पानी को पीने तथा कृषि में प्रयोग के योग्य बनाने के लिये किसी सुगम तथा व्यवहारिक तरीके का पता लगाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसका प्रयोग कहां किया गया है ;

(ग) इस प्रकार के तरीके में कितनी धनराशि व्यय होगी ; और

(घ) इसके लिये किन चीजों की आवश्यकता होगी और क्या वे सब देश में ही उपलब्ध हैं ?

**शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन)** : (क) खारे पानी की सफाई के लिये आयन विनिमय तकनीकों पर आधारित दो प्रक्रियायें उपलब्ध हैं।

(ख) सौराष्ट्र में मोरवी और राजस्थान में लुंकारा नसर में क्षेत्र-सर्वेक्षण किया गया था।

(ग) 1500 पी० पी० एम० विलीन ठोस द्रव्यों वाले खारे पानी से नमक निकालने की अनुमानतः लागत 6·70 रुपये प्रति 1000 गेलन है और 5000 पी० पी० एम० विलीन ठोस द्रव्यों वाले खारी पानी से नमक निकालने की अनुमानतः लागत 8.00 रुपये प्रति 1000 गैलन है।

(घ) इस प्रयोजन के लिये आवश्यक मुख्य सामग्री आयन विनिमय रेजिन और आयन विनिमय मेम्ब्रन्स है। दोनों ही देश में उपलब्ध हैं।

**कलकत्ता पत्तन**

**9512. श्री सु० कु० तापड़िया :**
**श्री चित्तिबाबू :**
**श्री सुब्राबेलू :**
**श्रीं दीवीकन :**
**श्री मयाबन :**
**श्री कमलानाथन् :**

**क्या परिवहन तथा नौवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में सबसे अधिक बन्दरगाह शुल्क लेने के बावजूद कलकत्ता बन्दरगाह को अपने कार्य-संचालन में घाटा हो रहा है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि अधिक शुल्क होने के कारण कलकत्ता बन्दरगाह पर आने के बजाय माल दूसरे बन्दरगाहों को चला जाता है ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इसे आधुनिक बनाने के लिये तथा इसका प्रवर्तन व्यय कम करने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

**परिवहन तथा नौवहन मन्त्री (डा० वी० के० आर० वी० राव)** : (क) कलकत्ता पत्तन ट्रस्ट के कार्यचालन के परिणाम 1965-66 से घाटा दिखा रहे हैं। इसका मुख्य कारण यातायात के कमी और अमला को दिये जाने वाले महगांई भत्ते में वृद्धि का होना और उनको अन्य रियायतें देना है।

(ख) पत्तनों से होने वाले यातायात प्रभावित करने वाली कई बातों में पत्तन प्रभार एक बात है विभिन्न सेवाओं पर पत्तन प्रभार में प्रत्येक मामले में की गई अतिरिक्त प्रभार के प्रभाव का मूल्यांकन करने के बाद ही वृद्धि की गयी है। कलकत्ता पत्तन कमिश्नरों के अनुसार यातायात का जितना कुछ विशाखन हुआ हो यह सीमान्त है और कमी मुख्यतः दूसरे कारणों से हुई है।

(ग) जैसा पहले बताया गया है कार्य चालन-व्यय में वृद्धि नवीनीकरण के अभाव के अलावा अन्य कारणों से होती है। इस वृद्धि को निष्प्रभाव किया जा सकता है यदि यायायात से होने वाली आय को उस स्तर पर रखा जाय जिस पर पत्तन के रखरखाव का व्यय जिसमें से अधिकांश निश्चित और अपरिवर्तनशील है, को पूरा किया जा सके।

भारत सरकार ने एक एक सदस्यीय समिति नियुक्त की है जिसमें श्री पी० सी० भट्टाचार्य हैं वे कलकत्ता पत्तन के विल पर प्रतिवेदन देंगे और उसमें सुधार करने के लिये उपचारी उपाय सुझायेंगे ।

**अन्दमान नागरिक समाज की ओर से प्रधान मन्त्री को ज्ञापन**

**9513. श्री जार्ज फरनेन्डीज :** क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्दमान नागरिक समाज, पोर्ट ब्लैयर के प्रधान ने प्रधान मंत्री को उनकी हाल की अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह की यात्रा के समय एक ज्ञापन दिया था ।

(ख) क्या सरकार ने उस ज्ञापन में उठाये विभिन्न प्रश्नों पर विचार किया है; और

(ग) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

**गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) :** (क) जी हां, श्रीमान ।

(ख) जी हाँ, श्रीमान ।

(ग) जैसे कि ज्ञापन में समाविष्ट है समाज की मांगों का एक विवरण तथा उन पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही संलग्न है [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०** 1165 /68]

**फेडकों के मामले में कैदियों के लिये रिहाई आदेश**

**9514. श्री जार्ज फरनेन्डीज :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान महाराष्ट्र सरकार के इस कार्य की ओर दिलाया गया है जिसके अधीन उसने भारत के उच्चतम न्यायालय के द्वारा 'फेडकों' नामक मामले में विभिन्न अवधियों के लिये सजा पाये गये लोगों की रिहाई का आदेश दिया है ;

(ख) क्या महाराष्ट्र सरकार तथा केन्द्रीय सरकार के बीच इस मामले पर किसी समय विचार विमर्श हुआ था ;

(ग) क्या भारत सरकार महाराष्ट्र सरकार के इस निर्णय का अनुमोदन करती है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

**गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) :** (क) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ख) जी नहीं, श्रीमान ।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते, क्योंकि मामले में निर्णय लेने का उपयुक्त अधिकार महाराष्ट्र सरकार को है ।

**सीमाओं पर दर्रों से आने जाने पर प्रतिबन्ध**

**9515. श्री कार्तिक ओराओं :** क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत-चीन और भारत-पाकिस्तान से बीच दर्रों से आने जाने पर प्रतिबन्ध लगाये जाने के परिणामस्वरूप सीमा सुरक्षा दल पर होने वाले व्यय में कमी हो जायेगी; और

(ख) यदि हां, तो (1) भारत-चीन और भारत पाकिस्तान सीमा पर कितने दर्रे हैं;

(2) सीमा, सुरक्षा दल पर प्रत्येक वर्ष कितना व्यय होता है ; और

(3) इन दर्रों से आने जाने पर प्रतिबन्ध लगाने के लिये कुल कितना व्यय होने की संभावना है ?

**गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्या चरण शुक्ल)** : (क) जी हां, श्रीमान ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

**अनुसूचित आदिम जातियों के लिये रक्षित पद**

**9516. श्री कार्तिक ओराओं** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि अनुसूचित आदिम जाति के लोगों के लिये रक्षित किये गये पदों में से राज्यों तथा केन्द्रीय सरकार के 90 प्रतिशत पद, जिनमें प्रथम श्रेणी के पद भी शामिल हैं, उन लोगों द्वारा प्राप्त किये जाते हैं, जो ईसाई बन गये हैं ;

(ख) क्या सरकार को पता है कि जो ईसाई बन गये हैं वे आदिम जाति जनसंख्या का केवल 10 प्रतिशत भाग है ; और

(ग) यदि हाँ, तो सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है ?

**गृह-कार्य मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री के० एस० रामास्वामी)** : (क) और (ख) अनुसूचित आदिम जातियों को संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन राष्ट्रपति आदेशों द्वारा निर्दिष्ट किया गया है । अनुसूचित आदिम जातियाँ किसी भी धर्म की हो सकती हैं । केन्द्रीय सेवाओं में भर्ती ईसाई धर्म की अनुसूचित आदिम जातियों तथा अन्य धर्मों की अनुसूचित आदिम जातियों की पृथक से सूचना एकत्रित नहीं की जाती है, अतः यह उपलब्ध नहीं है । जहां तक राज्य सेवाओं का सम्बन्ध है, राज्य सेवाओं में अनुसूचित आदिम जातियों का आरक्षण सम्बन्धित राज्य सरकारों का विषय है, संविधान के अनुच्छेदों 16(4) तथा 12 समेत अनुच्छेद 335 को देखिये ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

**बेरोजगार स्नातक**

**9517. श्री कार्तिक ओराओं** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय विभिन्न विश्वविद्यालयों में स्नातक कक्षाओं में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) विभिन्न राज्यों और केन्द्र प्रशासित क्षेत्रों में अभी भी बेरोजगार स्नातकों की कुल संख्या कितनी है; और

(ग) विभिन्न राज्यों और केन्द्र प्रशासित क्षेत्रों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित आदिम जाति के स्नातकों की कुल संख्या कितनी है ?

**शिक्षा मन्त्री (डा० त्रिगुण सेन)** : (क) विभिन्न विश्वविद्यालयों में डिग्रीयों के लिये अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों के सम्बन्ध में उपलब्ध सूचना निम्नाँकित है :—

| | | |
|---|---|---|
| 1966-67 | बी० ए०, बी० एस० सी० और बी० काम | 6,70,622 |
| 1963-64 | सभी डिग्रियां (व्यवसायिक डिग्रियों सहित | 7,22,929) |

(ख) यह सूचना उपलब्ध नहीं है । तथापि, 31-12-1967 को रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टरों पर स्नातकों की जो संख्या है वह अनुबन्ध I में दी गई है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये सख्या एल० टी० 1166/68]**

(ग) उन स्नातकों की कुल संख्या उपलब्ध नहीं है जो अनुसूचित जातियों और अनुसूचित कबीलों के सदस्य हैं । तथापि, 1961 में विभिन्न राज्यों और संघ क्षेत्रों के शहरी इलाकों के अनु-

सूचित जातियों और अनुसूचित कबीलों के स्नातकों की संख्या अनुबन्ध II में दी गई है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 1166/68]**

**गांधी युग पुराण**

**9518. श्री ओंकार सिंह :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने 'गांधी युग पुराण' को कितनी राशि का अनुदान दिया है ;

(ख) उक्त परियोजना में कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं तथा उन्हें कितना वेतन दिया जाता है ;

(ग) क्या इस परियोजना के लिये स्वीकार की गई अनुदान की राशि में से वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग का एक अधिकारी 1200 रुपये प्रतिमास प्राप्त कर रहा है ; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

**शिक्षा मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) :** (क) गांधी युग पुराण के लिये सरकार द्वारा कोई अनुदान नहीं दिया गया है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता

(ग) जी नहीं । किन्तु, वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग का एक अधिकारी, 'गांधी युग पुराण' का सेठ गोविन्द दास के साथ सहसम्पादक है । पुस्तक एक सम्पादकीय बोर्ड के पर्यवेक्षण में लिखी जा रही है । उक्त अधिकारी को न तो कोई पारिश्रमिक अथवा उसके कार्य के एवज में कोई अन्य रियायत मिलती है और न ही वह प्रकाशन की बिक्री में से कोई रायल्टी भी लेता है ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

**वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग द्वारा मुद्रित संदर्भग्रन्थ सूची**

**9519. श्री जगन्नाथ राव जोशी :** क्या **शिक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फरवरी 1968 में बनारस में हुये उपकुलपतियों के सम्मेलन के लिये वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग द्वारा कितनी संदर्भग्रंथ सूचियां तैयार की गयीं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि उनमें बहुत सी गलतियाँ हैं तथा उनमें बहुत सी सामग्री एक जैसी है ;

(ग) क्या चौदह संदर्भग्रंथ सूचियों की एक जैसी सामग्री के लिये कम्पोजिंग की लागत पृथक् पृथक् दी गई थी; और

(घ) यदि हां, तो इस संबन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

**शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद)** (क) से (ग) : फरवरी, 1968 में बनारस में हुये उपकुलपतियों के सम्मेलन के अवसर पर आयोग ने हिन्दी में विश्वविद्यालय स्तर की पुस्तकों की एक सूची प्रकाशित की थी । इस अवसर पर संदर्भग्रंथ सूची नहीं निकाली गई ।

मुख्य सूची में सम्मिलित 6 विषयों में से प्रत्येक के 200 पुनर्मुद्रण भी आवरण तथा मुख्य पृष्ठ सहित अलग से सम्मेलन के प्रयोग के लिये उपलब्ध कराये गये थे ।

क्योंकि सूची-पत्र को तैयार करने तथा उसे मुद्रित कराने का काम एक पक्ष के भीतर ही पूरा करना था अतः मुद्रण की कुछ त्रुटियाँ स्वाभाविक तौर पर रह गईं ।

16 विषयवार सूचीपत्रों के पुनर्मुद्रण में अतिरिक्त कंपोजिंग व्यय नहीं किया गया क्योंकि यह मूल सूचीपत्र के मुद्रण का अंग ही था।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

**चीनी सेना द्वारा मिजो क्षेत्र पर अस्थायी रूप से कब्जा**

**9520. श्री मुत्तु स्वामी :** **श्री रा० कि० अमीन :**

**श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी :** **श्री गिरिराज शरण सिंह :**

**श्री कार्तिक ओराओं :** **श्री हेम बरुआ :**

क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 13 अप्रैल, 1968 को "स्टेट्समैन" में प्रकाशित हुये एक समाचार की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है जिसमें मिजो नेशनल फ्रन्ट ने यह निर्णय किया है कि वह मिजो क्षेत्रों पर चीनी सेनाओं के अस्थायी कब्जे को स्वीकार करता है ;

(ख) यदि हां, तो इस संबन्ध में भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार को स्थानीय अधिकारियों से कोई रिपोर्ट मिली है और क्या उसकी एक प्रति सभा पटल पर रखी जायेगी ?

**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) :** (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) और (ग) प्रेस रिपोर्ट की पुष्टि करने के लिये कोई अन्य सूचना नहीं है।

**मूर्ति चोर**

**9522. देवकी नन्दन पाटोदिया :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 10 अप्रैल, 1968 को 'टाइम्स आफ इण्डिया' में प्रकाशित एक समाचार की ओर आकर्षित कराया गया है जिसमें यह बताया गया है कि दिल्ली मूर्ति चोरों का गढ़ है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि यह मूर्ति चोर दक्षिण दिल्ली की आलीशान रिहायशी कालोनियों से कार्यवाही कर रहे हैं ;

(ग) क्या इनकी गतिविधियों की पुलिस को जानकारी है ; और

(घ) यदि हां, तो अब तक इस सम्बन्ध में कोई गिरफ्तारी क्यों नहीं की गई और दिल्ली से कार्यवाही करने वाले अन्तर्राज्यीय गिरोह को अब तक क्यों समाप्त नहीं किया जा सका ?

**गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) :** (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) से (घ) : दिल्ली पुलिस के ध्यान में ऐसा कोई दृष्टान्त नहीं आया है। फिर भी उत्तर प्रदेश में मूर्तियों की चोरी के मामलों की खोज के दौरान उत्तर प्रदेश पुलिस ने दिल्ली में दो व्यक्तियों के गोदामों की तालाशी ली और 13 मूर्तियाँ बरामद कीं। मामले की जाँच की जा रही है।

**भारत के होटलों में ठहरने के स्थान**

**9523. श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :** क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पर्यटन निदेशक ने 3 अप्रैल, 1968 के हिन्दुस्तान टाइम्स में प्रकाशित एक समाचार के अनुसार यह कहा है कि भारत में होटलों में ठहरने के स्थान उपलब्ध न होने के कारण बड़ी संख्या में पर्यटकों को भारत यात्रा रद्द करनी पड़ी थी ;

(ख) क्या इसके कारण प्रति वर्ष विदेशी मुद्रा में होने वाली हानि के आँकड़े सरकार के पास हैं ;

(ग) क्या चौथी योजना में पर्यटकों के लिये होटलों में स्थान और उनकी मांग का अनुमान लगाया गया है और यदि हां, तो स्थान कितना कम होगा ; और

(घ) इस बारे में क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है ?

**पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह)** : (क) पर्यटन महा निदेशक ने मद्रास में होटल मालिकों के आठवें वार्षिक सम्मेलन में दिये गये अपने भाषण में इस बात का उल्लेख किया कि अपर्याप्त होटल आवास व्यवस्था भारत के लिये पर्यटक यातायात की अभिवृद्धि में बाधक कारणों में से एक है ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) सरकार द्वारा हाल ही में स्थापित की गयी होटल पुनरालोकन व सर्वेक्षण समिति इस पहलू की जांच कर रही है ।

(घ) होटल आवास व्यवस्था की वृद्धि को प्रोत्साहित करने के लिये गैर-सरकारी क्षेत्र (प्राइवेट सैक्टर) को कई प्रोत्साहन दिये गये हैं , जिनमें कर व आर्थिक राहत, दिल्ली क्षेत्र में सरकारी जमीन की रियायती शर्तों पर बिक्री, और सरकार द्वारा इस उद्देश्य से मंजूर की गयी एक विशेष स्कीम से ब्याज-देय ऋणों के रूप में वित्तीय सहायता सम्मिलित है । भारत पर्यटन विकास निगम का भी, जो कि एक सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है, अति प्रमुख पर्यटन केन्द्रों पर होटलों के निर्माण का कार्यक्रम है ।

## तमिल आर्मी

**9524. श्री दामानी :**

**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :**

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि मदुरे में 'तमिल आर्मी' की स्थापना की गई है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इसका उद्देश्य 'भारत में तथा बाहर तमिल मूलक लोगों के कल्याण' का दायित्व ग्रहण करना है ;

(ग) क्या इसने धमकी दी है कि यदि सरकार तमिल लोगों के हितों की रक्षा में असफल रही तो वह "सीधी कार्यवाही" करेगी ; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले में सरकार का क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

**गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल)** : (क) जी हाँ श्रीमान ।

(ख) राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार ऐसा प्रतीत होता है कि तमिल सेना तमिल लोगों के हितों की रक्षा करने की दृष्टि से बनाई गई है ।

(ग) तथ्य मालूम किये जा रहे हैं ।

(घ) सरकार घटनाओं पर ध्यानपूर्वक निगरानी रख रही है। यदि तमिल सेना की गतिविधियां कानून के किसी उपबन्धों का उल्लंघन करती पाई गईं, तो उपयुक्त कार्यवाही की जायेगी।

**उद्योग आयोग**

**9525. श्री दामानी :** **श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :**

**श्री हरदयाल देवगुण :**

क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रशासनिक सुधार आयोग के कार्यकारी दल ने एक उद्योग आयोग की स्थापना का सुझाव दिया है ;

(ख) क्या दल ने इस्पात और कोयला नियंत्रक के संगठन को बिल्कुल समाप्त करने और तकनीकी विकास के महा-निदेशालय के पुनर्गठन की सिफारिश की है ; और

(ग) यदि हाँ, तो इस बारे में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

**गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल)** : (क) से (ग) : प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा नियुक्त 'विकास नियंत्रण और नियमित संगठन' पर कार्यकारी दल ने आयोग को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है जिसकी एक प्रति संसदीय पुस्तकालय में रख दी गई है। प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर आयोग को विचार करना है। आयोग को सरकार को विषय पर अपनी सिफारिशें अभी देनी हैं। सरकार द्वारा इस अवस्था में कोई कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

**पर्यटन के विकास के लिये राज्यों को सहायता**

**9526. श्री धीरेन्द्र नाथ देव :**

**श्री रा० रा० सिंह देव :**

क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा विभिन्न राज्यों में (राज्यवार) पर्यटन के विकास के लिये राज्य सरकारों को दी गई सहायता का ब्यौरा क्या है ;

(ख) इस काम के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा उड़ीसा राज्य को दी गई सहायता का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार उड़ीसा सरकार की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकी है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**पर्यटन तथा नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह)** : (क) और (ख) पिछले बारह वर्षों में (दूसरी पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ से) उड़ीसा सहित राज्य सरकारों को दी गयी सहायता का ब्यौरा प्रस्तुत करने वाला एक विवरण संलग्न है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1167/68**]

(ग) उपलब्ध साधनों के अन्तर्गत तथा राज्य सरकार की फण्डों का उपयोग करने की क्षमता के सापेक्ष, जहां तक सम्भव हो सका है उड़ीसा की आवश्यकताओं को पूरा किया गया है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

**Alleged Inaction of Police Against a Search Thief in Delhi.**

**9527. Shri Maharaj Singh Bharati :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a swindler who duped a marriage party at Thana Paharganj on the 2nd March, 1968 and made away with jewellery was caught by the police;

(b) whether it is also a fact that the accused admitted the crime and also disclosed the name of his accomplice but the Police did not search either of the persons and let them off; and

(c) Whether Government have received any complaint regarding the release of the accused persons by the police on receiving bribe?

**The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla)** : (a) and (b) : It was reported to Delhi Police on 2.3.68 that a box containing jewellery belonging to a marriage party at Paharganj was taken away by a person posing as a coolie.

During investigation of the case a person was arrested by the police as a suspect. He gave several contradictory statements. He did not have any accomplice. He, however, named a shop where he had allegedly disposed of some property. This was verified by the police and was found to be false. This person is at present on bail. The case is still under investigation.

(c) Yes, Sir. The complaint has been enquired into and the allegations were found baseless.

**इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम के लिये पाठ्य विवरण**

**9528. श्री गा० शं० मिश्र :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम के लिये निर्धारित पाठ्य विवरण पुराना हो चुका है और इसमें इंजीनियरिंग की विभिन्न शाखाओं में हुए आधुनिकतम विकास को शामिल नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो निर्धारित पाठ्य-विवरण का नवीकरण करने के संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ;

(ग) क्या यह सच है कि बहुत सी तकनीकी संस्थाओं में प्रयोगशाला और वर्कशाप उपकरण और उनके फालतू पुर्जों की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है; और

(घ) यदि हां, तो चालू वित्तीय वर्ष में इसके लिये क्या व्यवस्था की गई है ?

**शिक्षा मन्त्री (डा० त्रिगुण सेन)** : (क) और (ख) : अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् अपने इंजीयिरी अध्ययन बोर्ड की सहायता से इंजीनियरी पाठ्यक्रमों के पाठ्यक्रमों और पाठ्यचर्याओं का समय-समय पर संशोधन कर रही है ताकि उन्हें नवीनतम घटनाओं के अनुरूप बनाया जा सके, साथ ही परिषद् तकनीकी संस्थाओं को सलाह देती है।

(ग) जी नहीं। प्रयोगशालाओं तथा अन्य अनुदेशात्मक सुविधाएं सामान्यतः अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा निर्धारित स्तरों के अनुसार प्रदान की जा रही हैं।

(घ) वर्तमान वित्त वर्ष में तकनीकी शिक्षा के लिये केन्द्रीय बजट में कुल 22.14 करोड़ रुपये की व्यवस्था (आयोजना) की गई है। इसमें से लगभग 4.19 करोड़ रुपये उपस्कर के लिये

हैं। राज्य सरकारों ने भी अपने-अपने बजटों में ऐसी ही व्यवस्था की है, किन्तु ठीक-ठीक ब्यौरा तत्काल उपलब्ध नहीं है।

**उच्चतम न्यायालय के भवन में चोरी**

*9529. **श्री महन्त दिग्विजय नाथ :** क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 15 अप्रैल, 1968 को उच्चतम न्यायालय के परिसर में चोरी हुई थी;

(ख) यदि हाँ, तो इस चोरी का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में कुछ गिरफ्तारियां की गई हैं ; और

(घ) सरकारी सम्पत्ति की रक्षा के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) :** (क) से (घ) 15 अप्रैल, 1968 को सर्वोच्च न्यायालय के एक एडवोकेट द्वारा दिल्ली पुलिस को सूचित किया गया कि उनके चैम्बर से एक टाइपराइटर, एक छत वाला पंखा तथा एक काला कोट गुम है। सर्वोच्च न्यायालय वकील संस्था के एक पदाधिकारी ने भी ब्लाक के बाहर की खिड़कियों की चटकनियों की पीतल की पट्टियों के गुम होने की सूचना दी थी। इस मामले में दिल्ली पुलिस द्वारा जांच की गई थी। एक व्यक्ति गिरफ्तार किया गया और 250 रुपये की सम्पत्ति बरामद की गई है। मामले की जाँच की जा रही है।

2. हाल में सर्वोच्च न्यायालय के अहाते में सुरक्षात्मक प्रबन्ध मजबूत कर दिये गये हैं और अतिरिक्त प्रहरी नियुक्त किये गये हैं।

**खजुराहो से मूर्तियाँ चुराने वालों की गिरफ्तारी**

9530. **श्री महन्त दिग्विजय नाथ :** क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 15 अप्रैल, 1968 को खजुराहो के विख्यात मन्दिर की मूर्तियों को चुराने वाले लोगों का एक गिरोह झाँसी में गिरफ्तार किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या पूछताछ के फलस्वरूप कुछ और व्यक्तियों के गिरफ्तार होने की सम्भावना है ;

(ग) क्या इस गिरोह का सम्बन्ध चोरों के अन्तर्राष्ट्रीय गिरोह से है ; और

(घ) यदि हां, तो ऐसी चोरियों की रोकथाम के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) :** (क) से (घ) मध्य प्रदेश सरकार ने बताया है कि खजुराहो मन्दिर की मूर्ति चुराने वालों के गिरोह के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं हैं। वैसे दिनांक 11-4-1968 को छः व्यक्ति एक कार में बैठकर खजुराहो में एक दुकान पर आये थे। उनमें से एक ने मिट्टी की एक मूर्ति खरीदी और वे लोग बिना मूल्य चुकाये ही वहां से चले गये। स्थानीय पुलिस में इसकी रिपोर्ट लिखाई गई जिसने मोरानीपुर (झासी) में अधिकारियों को सूचित कर दिया। उन लोगों की कार रोक ली गई तथा उनके अधिकार से मिट्टी की मूर्तियाँ बरामद की गई। छहों व्यक्तियों को बन्दी बना लिया गया तथा बाद में जमानत पर छोड़ दिया गया। मामले की जाच हो रही है

उत्तर प्रदेश सरकार से भी जानकारी एकत्रित की जारही है तथा प्राप्त हो जाने पर उसे सदन के सभा-पटल पर रख दिया जायेगा ।

**डेमोक्रेटिक नैशनल कांफ्रेंस, जम्मू तथा काश्मीर**

9531. **श्री महन्त दिग्विजय नाथ** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जम्मू तथा काश्मीर की डेमोक्रेटिक नेशनल काफ्रेंस ने काश्मीर में नक्सलबाड़ी जैसा तरीका अपनाने के लिये एक गोपनीय संकल्प पारित किया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि ऐसी कार्यवाही में चीन और पाकिस्तान का मिला जुला हाथ है ; और

(ग) यदि हां, तो ऐसी स्थिति का किस प्रकार सामना करने का सरकार का विचार है ?

**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल)** : (क) और (ख) सरकार के पास ऐसी कोई सूचना नहीं है ।

(ग) सरकार मामले के प्रति सावधान है ।

**हिन्दुस्तान शिपयार्ड**

9532. **श्री तेन्नेटी विश्वनाथम्** : क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

क) क्या यह सच हैं कि हिन्दुस्तान शिपयार्ड के कर्मचारी-बृन्द ने सरकार को कई अभ्यावेदन भेजे हैं जिनमें उनका ध्यान इस बात की ओर दिलाया गया है कि उनके खातों में अधिनियमित दर से पूरी भविष्य निधि जमा नहीं की गई है;

(ख) किस अवधि में यह जमा नहीं की गई है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) कुल कितनी राशि बकाया है ?

**परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव)** (क) जी हां ।

(ख) कर्मचारियों के संघों ने जिन अवधियों के लिए कर्मचारियों और मालिकों द्वारा भुगतान किये जाने वाले अंशदानों के देने की माँग की है वे अमला से संबद्ध 1-1-63 से 28-2-66 और कामगरों से संबद्ध 1-1-63 से 31-8-66 है । हिन्दुस्तान शिपयार्ड के अनुसार कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम की धारा 17 के अंतर्गत 1952 से आगे यार्ड छूट प्राप्त फैक्ट्री है और 8 प्रतिशत की बढ़ाई गयी संवैधानिक दर शिपयार्ड के कर्मचारियों पर लागू नहीं होती है । क्षेत्रीय भविष्य निधि कमिश्नर, आंध्र प्रदेश ने हिन्दुस्तान शिपयार्ड के प्रबन्धकों से मालिक और कर्मचारियों के भविष्य निधि अंश दानों को जमा करने के लिये कहा है । शिपयार्ड के प्रतिनिधि ने इस मामले में केन्द्रीय भविष्य निधि कमिश्नर, दिल्ली और क्षेत्रीय भविष्य निधि कमिश्नर हैदराबाद से विचारविमर्श किया है । मामला केन्द्रीय भविष्य निधि कमिश्नर पर निर्भर है जिन के आदेशों की प्रतीक्षा की जा रही हैं ।

(ग) यदि कोई राशि शेष रहती है तो उसका निर्धारण केन्द्रीय भविष्य निधि कमिश्नर के निर्णय के प्रकाश में किया जायेगा ।

**केन्द्रीय सचिवालय के लिये भारतीय प्रशासनिक सेवा में राज्यों का कोटा**

**9533. श्री नीतिराज सिंह चौधरी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सचिवालय तथा अन्य केन्द्रीय सरकारी कार्यालयों में कार्य करने के लिये भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों का राज्य-वार कितना कोटा निर्धारित है;

(ख) उक्त कोटे में से प्रत्येक राज्य से वास्तव में कितने अधिकारी लिये हुये हैं; और

(ग) निर्धारित कोटे के अनुसार अधिकारियों को लेने तथा जिस राज्य से अधिक अधिकारी आये हुए हैं उन्हें वापिस भेजने और जिन राज्य से कम अधिकारी आए हुए हैं वहाँ से अधिक मात्रा में अधिकारी लेने के सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की हैं ?

**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल)** : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1168/68**]

(ग) केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति कोटे का वास्तविक प्रयोग राज्य संवर्ग में अधिकारियों की वास्तविक संख्या पर, केन्द्रीय सरकार के अधीन नियुक्ति के लिए उपयुक्त अधिकारियों को देने में राज्य सरकार की सहमति पर, तथा विचार करने के समय केन्द्रीय सरकार के अधीन उपलब्ध विशेष पद पर कार्य करने वाले अधिकारी की उपयुक्तता पर निर्भर करता है। इन सीमाओं के अधीन सर्वथा केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति कोटे का पूरी तरह प्रयोग करने का प्रयास किया जाता है।

**अन्दमान के लिये जहाज में 'केबिन दर्जे' का किराया**

**9534. श्री गणेश** : क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री 5 अप्रैल, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6586 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सैलून श्रेणी की विभिन्न श्रेणियों के किराये में 50 प्रतिशत वृद्धि हो जाने पर अब उनका क्या किराया है ;

(ख) इन्डियन एयर लाइन्स की स्थाई मास्टर सेवा द्वारा क्या किराया लिया जाता है ;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि यात्रियों द्वारा विमानों से जाने के कारण व्यावहारिक तौर पर हानि और बढ़ जायेगी; और

(घ) क्या इसके परिणामस्वरुप लगभग 500 यात्रियों को कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा जो अपने खर्चे पर यात्रा करते हैं और जिनसे आय में कोई ठोस वृद्धि नहीं होती है ?

**परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव)** : (क) पुनरीक्षित किराये इस प्रकार हैं :—

| स्थान का वर्ग | मार्ग भाड़ा (बगैर भोजन) | भोजन प्रभार |
|---|---|---|
| 'ए' डीलक्स केबिन | 354 रु० | प्रतियात्रा प्रति प्रौढ़ रु० 36-50 |
| 'ए' ग्रेड केबिन | 260 ,, | ,, |
| '2' बर्थ केबिन | | |
| 'बी' 1 ग्रेड केबिन | 219 ,, | ,, |
| 'बी' ग्रेड केबिन और 4 | | |

| | | |
|---|---|---|
| तथा 6 बर्थ केबिन | 207 ,, | ,, |
| सी ग्रेड (पूप डैक) | 189 ,, | ,, |
| स्टेट रूम संख्या 1 | 311 ,, | ,, |

(ख) : आई० ए० सी० स्कार्यमास्टर भाड़ा 250 रु० प्रतियात्री है और 20 किलोमीटर से अधिक सामान प्रभार 2.75 रु० प्रति प्रत्येक अतिरिक्त किलोग्राम है।

(ग) : निम्न कारणों से स्थल मार्ग से विमान मार्ग पर विपर्यन पूर्वावधारित नहीं किया जाता है।

1. भारतीय एयर लाइन कलकत्ता और पोर्ट ब्लेयर में केवल साप्ताहिक सेवा चलती है।
2. मुख्य देश और अन्दमान के बीच यात्रा करने बाले कुल यात्रियों का 50 प्रतिशत मद्रास। पोर्ट ब्लेयर क्षेत्र से सम्बधित होता है और चूकि सीधी विमान सेवा नहीं है अत: इस क्षेत्र में यात्री यातायात में कोई कमी नहीं सोची जाती है।
3. कलकत्ता/पोर्ट ब्लेयर क्षेत्र में भी यातायात में कोई विचलन नहीं विचारा जाता है क्योंकि सब सैलून यात्री 227 किलोग्राम तक का उदार मुफ्त सामान भत्ता पाने के कारण भारी सामान लेकर चलते हैं। केवल इससे अधिक सामान पर प्रति 100 किलोग्राम पर 16 रुपये चार्ज किये जाते हैं जबकि भारतीय एयर लाइन्स 20 किलोग्राम मुफ्त भत्ता से अधिक पर प्रति किलोग्राम के लिये 2.75 रुपये चार्ज करती है।
4. केबिन क्षेणी की क्षमता जिसके लिये विमान भाड़े की अपेक्षा भाड़ा अधिक हैं समस्त केबिन क्षेणी की सम्पूर्ण क्षमता का 22.2 प्रतिशत ही है।

(घ) जो यात्री अपने खर्च पर केबिन श्रेणियों में चलते हैं (अर्थात सरकारी खाते के यात्री से अतिरिक्त यात्री) स्वभावत: भाड़े में वृद्धि अनुभव करेंगे। परन्तु इसमें कुछ भी नहीं किया जा सकता है क्योंकि अन्दमान/मुख्यदेश सेवा में यात्री भाड़े कम और गैर किफायती थे। अत: सरकार ने केवल सेलून भाड़ों की 50 प्रतिशत वृद्धि करने का निश्चय किया और नीची क्षेणी के किरायों को वैसा ही रहने दिया जिसमें यातायात के गरीब अनुभाग को को कष्ट न हो।

**केन्द्रीय सचिवालय सेवा (सी० और ए०) नियम 1965**

**9535. श्री एस० एम० जोशी** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सचिवालय सेवा (सी० और ए०) नियम, 1965 के नियम 15 (एक) के अन्तर्गत अनुशासनिक प्राधिकारी नये सिरे से जांच करने के लिये सक्षम हैं जब इन नियमों के 'अन्तर्गत अग्रेतर जांच' शब्द प्रयोग में लाया गया हो ; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या अनुशासनिक प्राधिकारियों द्वारा नये सिरे से जाँच के आदेश, नियमों के विरुद्ध नहीं है ?

**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल)** (क) और (ख) : केन्द्रीय सचिवालय सेवा (सी० सी० ए०) नियम, 1965 के नियम 15 (1) में यह व्यवस्था है कि

अनुशासनिक प्राधिकारी अपने द्वारा लिखित रूप में दर्ज किये कारण के लिये जाँच प्राधिकारी को आगे जांच और रिपोर्ट के लिये मामला भेज सकता हैं तथा जांच प्राधिकारी उसके बाद उक्त नियमों के नियम 14 के उपबन्धों के अनुसार और जांच करने की कार्यवाही करेगा जहां तक हो सकता है। यह प्रश्न कि क्या "अग्रेतर जांच" में नए सिरे से जांच शामिल हैं, नियम की व्याख्या पर निर्भर करता है। जहाँ तक ज्ञात है इस विषय पर सर्वोच्च न्यायालय ने कोई राय नहीं दी है।

**Hotels in Rajasthan**

**9536. Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) the number of tourist resorts in Rajasthan where hotels have been constructed by the Central Government;

(b) the amount of foreign exchange earned thereby during 1967;

(c) whether this income is shared with the State Government; and

(d) if so, the amount of foreign exchange paid to the State Government ?

**The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) :** (a) The Laxmi Vilas Palace Hotel, Udaipur which was purchased by the Government, is managed on its behalf by the India Tourism Development Corporation, a public sector undertaking.

(b) The foreign exchange directly earned by the hotel during 1967 was dollar 550/- and £ 25/-. Most of the bills were, however, paid by the tourists in local currency, and no calculation of the foreign exchange component of such payments is available.

(c) No Sir.

(d) Does not arise.

**Transport for Badrinath Fair**

**9537. Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of **Transport and Shipping** be pleased to state ;

(a) whether Government are aware of the transport difficulties faced by the people for going to attend the Badrinath fair; and

(b) if so, the steps taken by Government to remove their difficulties ?

**The Deputy Minister in the Ministry of Transport and Shipping (Shri Bhakt Darshan) :** (a) Yes, Sir.

(b) The following steps have been taken by the Government of Uttar Pradesh to remove the difficulties ;—

( i ) As the road to Badrinath is narrow and only one-way traffic is possible on it, the State Government have laid down "gate timings" for the movement of vehicles, keeping in view the convenience of passengers.

( ii ) The various oil companies are being moved for adequate supply of diesel and petrol on the route, so that vehicles are not held up for want of these essential items.

(iii ) To ensure that the number of buses plying on this route is adequate, it has been decided to adopt a liberal policy in the matter of issuing temporary permits. Private transport companies have been allowed to operate their busses between Joshimath and Badrinath also. Bus services will thus be run now directly from Rishikesh or Kotdwara

to Badrinath, and pilgrims will not have to change buses at Joshimath. The need to provide regular and efficient services on this route has been impressed upon the transport companies concerned, and they have assured their full co-operation in the matter.

(iv) To prevent breakdowns of vehicles, some Technical Inspectors have been posted by the State Transport Department at important stations on the route, who will inspect the mechanical fitness of vehicles. The Transport Companies have agreed to depute their representatives to see that alternate vehicles are provided, as soon as possible, in cases of breakdowns.

## हिन्दी सम्मेलन

**9538. श्री ना० स्व० शर्मा :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 12 मई, 1967 को हिन्दी सलाहकार की अध्यक्षता में हुए सम्मेलन में बताया गया था कि उनके मंत्रालय में हिन्दी में प्राप्त हुए सभी पत्रों के संबंध में सभी प्रक्रमों पर कार्यवाही हिन्दी में होती है, और जब उनका उत्तर अंग्रेजी में तैयार कर लिया जाता हैं तब उनका अनुवाद हिन्दी में होता है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे अनुभाग कितने हैं जिनमें हिन्दी में प्राप्त हुए पत्रों के संबंध में सभी प्रश्नों पर कार्यवाही हिन्दी में होती है तथा ऐसे अनुभागों के नाम क्या हैं।

**शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेरसिंह) :** (क) जी नहीं, बैठक में यह कहा गया था कि शिक्षा मंत्रालय में काफी काम हिन्दी में किया जाता है। जो पत्र हिन्दी में आते हैं उनका अनुवाद अंग्रेजी में नहीं किया जाता है।

(ख) संस्कृत और हिन्दी विभागों में प्रत्येक स्तर पर हिन्दी में काम होता है। हिन्दी अनुवाद एकक जहाँ कहीं आवश्यक हो, हिन्दी कार्य में मंत्रालय के अन्य विभागों की सहायता करता है।

## Joint and Assistant Educational Advisers in Ministries of Education.

**9539. Shri N.S. Sharma :** Will the Minister of Education be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a Joint Education Adviser has been appointed in place of Joint Secretary (Administration) in his Ministry;

(b) if so, the reasons therefor,

(c) whether it is proposed to appoint Assistant Educational Advisers in-place of Under Secretaries in the Administration Branch; and

(d) if not, the reasons therefor ?

**The Minister of Education (Dr. Triguna Sen):** (a) and (b) As a part of the re-organisation of the work in the Ministry, the responsibilities of the different officers at the level of Joint Educational Adviser/Joint Secretary were changed and a Joint Educational Adviser was placed in charge of the Administration Division. This charge was previously held by a Joint Secretary.

(c) No such proposal is under consideration at present.

(d) Appointments or changes in the charges of officers are made only as and when necessary in the public interest.

**Correspondence in Hindi by C. B. I.**

**9540. Shri N.S. Sharma :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that only one percent of letters received in Hindi are replied to in Hindi in the Branch offices of the Central Bureau of Investigation; and

(b) if so, the steps proposed to be taken to ensure that all letters received in Hindi are replied to in Hindi ?

**The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla):** (a) and (b) : No, Sir. Even so, instructions are again being issued to emphasise that the letters received in Hindi are replied to in Hindi.

**Noting in Hindi in Subordinate Offices**

**9541. Shri N.S. Sharma :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government took a decision in 1961 that noting on files might be done in Hindi in the Subordinate offices of Ministries located in Hindi speaking states;

(b) if so, whether it is a fact that this order was again issued in April, 1962 and September, 1964;

(c) whether the Central Government offices located in Hindi Speaking States are still transacting their work only in English; and

(d) if so, whether orders would be issued to those offices of Ministry of Home Affairs which are located in Hindi Speaking states, to use Hindi in Office work ?

**The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla):** (a) The orders issued in 1961 stated that, wherever feasible, the use of Hindi might be permitted for noting on files in the local offices of Central Government Departments situated in Hindi-speaking areas.

(b) No, Sir.

(c) and (d) ; The Official Languages Act, 1963 (as amended) permits the use of both Hindi and English for official purposes of the Union. Thus the staff are free to use, at their option, either Hindi or English for noting on official files in offices located either in Hindi-speaking areas or in non-Hindi-speaking areas. Administrative instructions in this regard are being issued shortly.

**अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के छात्रों को विदेशों में अध्ययन के लिये छात्रवृत्तियां**

**9542. श्री प्र० रं० ठाकुर :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशों में अध्ययन संबंधी भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं, राष्ट्रमंडल छात्रवृत्तियों तथा शिक्षा वृत्तियों संबंधी योजना तथा राष्ट्रमंडल शिक्षा तथा सहकार योजना के अन्तर्गत और विदेशों द्वारा दी गई छात्रवृत्तियों पर 1950 से आज तक वर्ष वार कितने विद्वानों/छात्रों को बाहर भेजा गया;

(ख) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये विदेशी छात्रवृत्तियां संबंधी योजना के अन्तर्गत भेजे गये लोगों के अलावा उक्त अवधि में बाहर भेजे गये अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के विद्वान विद्यार्थियों की तदानुरूपी संख्या कितनी थी ?

(ग) क्या यह सच है कि संघ सेवा आयोग को केवल अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित

आदिम जातियों के लिये विदेशी छात्रवृत्तियों की योजना आदि के अन्तर्गत विद्वानों को चुनने का कार्य सौंपा जाता है और उसे अन्य योजनाओं के अन्तर्गत विद्वानों को चुनने का कार्य नहीं सौंपा जाता है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

**शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद)** : (क) और (ख) शिक्षा मंत्रालय द्वारा संचालित छात्रवृत्ति-योजनाओं के संबंध में पिछले पांच वर्षों की सूचना नीचे दी गई है : —

| वर्ष | दी गई छात्रवृत्तियों की कुल संख्या | छात्रवृत्तियों के लिए चुने गए अनुसूचित जातियों के उम्मीदवारों की संख्या | छात्रवृत्तियों के लिए चुने गये अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवारों की संख्या |
|---|---|---|---|
| 1963-64 | 369 | कुछ नहीं | 1 |
| 1964-65 | 295 | 2 | कुछ नहीं |
| 1965-66 | 395 | कुछ नहीं | कुछ नहीं |
| 1966-67 | 417 | 1 | कुछ नहीं |
| 1967-68 | 293 | कुछ नहीं | कुछ नहीं |

इससे पहले के वर्षों की सूचना देना संभव नहीं है क्योंकि अधिकतर संबंधित रिकार्ड पहले ही खत्म किया जा चुका है ।

(ग) और (घ) : जी हां । अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिम जातियों आदि के लिए विदेशी छात्रवृत्तियों की भारत सरकार की योजना के अन्तर्गत छात्रों का चुनाव 1963-64 तक संघीय लोक सेवा आयोग द्वारा किया जाता है । 1964-65 वर्ष में संघीय लोक सेवा आयोग ने अन्य अत्यावश्यक कार्यों में पहले से ही व्यस्त होने के कारण इस काम को लेने से इन्कार कर दिया । तब से इस योजना के अन्तर्गत उम्मीदवारों का चुनाव यथावत गठित चुनाव समिति द्वारा किया जाता है जैसा कि शिक्षा मंत्रालय द्वारा संचालित छात्रवृत्तियों की अन्य योजनाओं के संबंध में होता है ।

**न्यायिक सेवा में अनुसूचित ज ति तथा अनुसूचित आदिम जाति के व्यक्ति**

**9543. श्री प्र० रं० ठाकुर** : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र प्रशासित प्रत्येक राज्य में इस समय न्यायिक सेवा में दीवानी और फौजदारी विभागों में श्रेणीवार और वेतनवार अधिकृत और वास्तविक संख्या कितनी है ;

(ख) वर्ष 1950 में न्यायिक सेवा के तुलनात्मक आंकड़े क्या थे और इस सेवा में अब तक वर्षवार कितनी वृद्धि हुई है; और

(ग) केन्द्र प्रशासित प्रत्येक राज्य में वर्ष 1950 से वर्षवार न्यायिक सेवा में विभिन्न श्रेणियों/वर्गों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जाति के व्यक्तियों का क्या प्रतिनिधित्व था ?

**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल)** : (क) इस समय किसी

संघ राज्य क्षेत्र में नियमित रूप से कोई न्यायिक सेवा गठित नहीं है।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठते।

**सिविल पुलिस में अनुसूचित जाति और अनुसूचित आदिम जाति के व्यक्ति**

**9544. श्री प्र० र० ठाकुर :** क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र प्रशासित और केन्द्र नियंत्रित प्रत्येक राज्य में इस समय सिविल पुलिस बल की अधिकृत और वास्तविक संख्या कितनी है उनका श्रेणीवार और वेतनवार ब्यौरा क्या है;

(ख) वर्ष 1950 में पुलिस बल के तुलनात्मक आँकड़े क्या थे और इस सेवा में अब तक प्रत्येक वर्ष कितनी वृद्धि हुई है; और

(ग) केन्द्र प्रशासित प्रत्येक राज्य में तथा केन्द्र में वर्ष 1950 से, वर्षवार, पुलिस सेवा में विभिन्न श्रेणियों/वर्गों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के व्यक्तियों का क्या प्रतिनिधित्व रहा है ?

**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) :** (क) से (ग) अंदमान निकोबार द्वीप समूह, चण्डी गढ़, दिल्ली, लकादीव और मिनिकोय द्वीप समूह, मनीपुर संघ राज्य क्षेत्रों के सम्बन्ध में अभी तक प्राप्त सूचना संलग्न विवरणों में दी गई है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल. टी. 1169/68**] इन पुलिस दलों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के प्रतिनिधित्व के बारे में पृथक आंकडे एकत्रित किये जा रहे हैं और अन्य अपेक्षित सूचना के साथ सदन के सभा पटल पर रख दिये जायेंगे।

**जलगांव के समीप हवाई अड्डा**

**9545. श्री एस० एस० सैयद :** क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र राज्य में जिला जलगांव में जलगाँव नगर के निकट एक हवाई अड्डा बनाने की योजना क्रियान्वित नहीं की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और उस पर निर्माण कार्य कब आरम्भ होगा और कब पूरा हो जायगा ?

**पर्यटन तथा असैनिक उड्ययन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) :** (क) और (ख) : महाराष्ट्र राज्य में जलगांव में या इसके निकट एक हवाई अड्डा बनाने के लिये कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

**Beating of a Banjara by Police in U.P.**

**9546. Shri Ram Charan :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to State

(a) whether it is a fact that the Police Officer of Thana Banna Devi in U.P. had badly beaten a banjara, who was having a licenced gun with shoes and sticks during this month and the Inspector and constables had snatched away his gun ;

(b) whether it is also a fact that both the Superintendents of Police of Bulandshahr and Aligarh did not take any action in spite of written complaints made to them in this connection; and

(c) if so, the reasons therefor ?

**The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shuka):** (a) to (c): The information is being collected from the Government of Uttar Pradesh. it will be laid on the Table of the House when received.

**Reports Lodged under Section 307 of I.P.C. in Aligarh District**

**9547. Shri Lakhan Lal Kapur:** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state the number of reports lodged under Section 307 of I.P.C. in Aligarh District during the last one year and the number of those reports which were enquired into and the time taken in making enquiry into each report ?

**The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla).** It is reported by Uttar Pradesh Government that 59 cases were reported and enquired into under Section 307 I.P.C. during the 1967 in Aligarh District. The time taken in the investigation of each of these cases is noted in the attached statement. **[Placed in Library. See No. LT-1170/68]**

**पर्यटन केन्द्र के रूप में भारत**

**9548. श्री दामानी :** क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कैलिफोर्निया की स्टेन्फोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट तथा ट्रैवल रिसर्च इन्टरनेशनल द्वारा किये गये सर्वेक्षणों से यह पता चला है कि यद्यपि भारत में पर्यटन की बहुत संभावना है किन्तु कुछ गम्भीर त्रुटियों के कारण भारत पर्यटन केन्द्र नहीं बन सका है; और

(ख) यदि हाँ, तो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये सरकार का क्या उपाय करने का विचार है ?

**पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) :** (क) जी, हां ।

(ख) विदेशों में, खासकर यू० एस० ए० में स्थित पर्यटन कार्यालयों के लिये विज्ञापन कार्यों एवं जन-संपर्क कार्यों के लिये और अधिक बड़ी राशियों का नियतन किया जाता है । इस क्षेत्र में विज्ञापन-कार्य इस ढंग से किया जायेगा कि 'स्टैनफोर्ड इंस्टीटयूट रिसर्च सर्वे', और ट्रैवल रिसर्च इन्टरनेशनल द्वारा तैयार किये गये 'पैसिफिक विजिटर्स सर्वे' में प्रकाश में लाई गयी कुछ प्रतिकूल बातों को दूर कर दिया जाय। इसके अलावा, पर्यटन विभाग भारत में वन्य पशु, भारत में मछली मारना, योग, बौद्ध मठों (आइसे), भारत में समुद्र-तटीय विहार-स्थल, इत्यादि जैसे नये विषयों पर प्रचार साहित्य का उत्पादन करता रहेगा जिससे इस देश में उपलब्ध मनोरंजन तथा अन्य आकर्षणों की जानकारी प्रस्तुत करने में सहायता मिलेगी। फिल्मों और प्रदर्शनियों के माध्यम का व्यापक रूप से प्रयोग किया जायेगा। यात्रा-लेखकों और यात्रा व्यवसाय के सदस्यों को और अधिक संख्या में भारत में आमंत्रित करने का भी प्रस्ताव है ताकि उन्हें इस देश में उपलब्ध पर्यटन सुविधाओं के बारे में सीधी जानकारी मिल सके जिससे कि वे वापस लौटने पर भारत के बारे में कुछ मिथ्या धारणाओं का निवारण कर सकें ।

पर्यटन विषयक चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में, जोकि तैयार की जा रही है; पर्यटन के

आधार-भूत उपादानों (इन्फ्रा स्ट्रक्चर) में सुधार तथा वृद्धि करने के उपाय सम्मिलित होंगे जिनकी कमी से इस देश को आने वाले पर्यटक यातायात पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है ।

**Jamia Millia Islamia**

*9550. **Shri Ram Gopal Shalwale :** Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that in Jamia Millia Islamia, "Tarana" is sung instead of reciting "Vande Matram", and

(b) if so, Government's raction therto ?

**The Minister of Education (Dr. Triguna Sen) :** (a) Both "Vande Matram" and Jamia Taranas" are sung in the Jamia Millia Islamia at appropriate Occasions.

(b) Does not arise.

**Development of Bithoor as Tourist Resort**

9551. **Shrimati Sushila Rohatgi :** Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether Government would consider developing Bithoor as Tourist resort in view of its being a place of religious, historical and cultural importance, where Lav and Kush were born, Sitji spent the period of her banishment and Nana Rao Peshwa opposed the British Empire; and

(b) if not, the reasons therefor ?

**The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh):** (a) No, Sir.

(b) Bithoor is primarily of regional importance, and the development of facilities there is the responsibility of the State Government.

**राज्य प्रशासन सेवा संघ का अखिल भारतीय सम्मेलन**

9552. **श्री हरदयाल देवगुण :** क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 13 अप्रैल, 1968 को मध्य प्रदेश में राज्य प्रशासन सेवा संघ के अखिल भारतीय सम्मेलन में सरकारी कर्मचारियों की सेवाओं से सम्बन्धित मामलों के बारे में कुछ मांगें की गई थीं ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) उसके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) :** (क) जी हां, श्रीमान ।

(ख) सम्मेलन ने राज्य सिविल/प्रशासनिक सेवा अधिकारियों की सेवा परिस्थितियों जैसे वेतन मानों, पदोन्नति अवसर तथा केन्द्रीय सरकार में नियुक्ति आदि में सुधार करने की मांग की है ।

(ग) सम्मेलन द्वारा पारित संकल्प इस मन्त्रालय के ध्यान में अभी हाल में ही आये हैं, अतः इनकी परीक्षा अभी नहीं हुई है ।

**धन्साली-भीड़ी मोटर-सड़क**

9553. **श्री स० मो० बनर्जी :** क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश के टिहरी गढ़वाल जिला में धन्साली-भीड़ी मोटर-सड़क का निर्माण कभी 1962 में किया गया था ;

(ख) क्या यह भी सच है कि सरकार ने इस प्रकार अर्जित की गई भूमि के लिये प्रतिकर की राशि निश्चित कर दी थी और मालिकों को इसका शीघ्र भुगतान करने का बचन दिया था;

(ग) यदि हां, तो बुदाना गांव के प्रत्येक ग्रामवासी को कितना प्रतिकर दिया गया है ; और

(घ) उन मालिकों के नाम क्या हैं जिनको अभी तक प्रतिकर नहीं दिया गया है, विलम्ब के क्या कारण हैं और कब तक प्रतिकर दिये जाने की सम्भावना है ?

**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल)** : (क) इस सड़क का निर्माण अभी हो रहा है।

(ख) (ग) और (घ) उत्तर प्रदेश सरकार को अपेक्षित सूचना के बारे में लिखा गया है। जो प्राप्त होने पर सदन के सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

**छावनी नगर**

9554. **श्री क० प्र० सिंह देव** : क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रशासनिक सुधार आयोग ने छावनी नगरों और सीमा-क्षेत्र की छावनियों में असैनिक जनसंख्या और रिहायशी बस्तियों की अप्रतिबन्धित बढ़ोतरी के बारे में कुछ प्रस्ताव किये हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार ने प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा दिये गये इन प्रस्तावों को स्वीकार कर लिया है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल)** : (क) जी नहीं, श्रीमान।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

**सरकारी कर्मचारियों को विदेशी रेडियो सेवाओं में प्रसारण करने की अनुमति**

9555. **श्री सुब्रावेलू** : **श्री मयावन** :
**श्री दण्डपाणि** : **श्री कमलानाथन** :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कुछ सरकारी कर्मचारियों को अनुमति दी है कि वे बी० बी० सी०, वाइस आफ अमेरिका, रेडियो सीलोन आदि जैसे विदेशी रेडियों संगठनों द्वारा प्रसारित होने वाले वैज्ञानिक, सांस्कृतिक तथा साहित्यिक विषयों के रूपक तथा वार्ताएं इन रेडियों संगठनों को दे सकते हैं तथा उनका अनुवाद कर सकते हैं ;

(ख) यदि हां, तो यदि कोई शर्त लगाई गई हो, तो किन शर्तों के अधीन, ऐसी अनुमति दी गई है ; और

(ग) क्या इस साहित्यिक कार्य के लिये सरकारी कर्मचारी पारिश्रमिक ले सकते हैं ?

**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल)**: (क) से (ग) : सरकारी कर्मचारियों को विदेशी संगठनों के प्रसारण के लिये रूपक तथा वार्तायें देने या उनका अनुवाद करने के लिये अनुमति देने के बारे में सरकारी कर्मचारियों को दी गई सूचना शीघ्र उपलब्ध नहीं है। फिर भी एक सरकारी कर्मचारी को बिना अपने सरकारी कर्तव्यों को कोई हानि पहुंचाए प्रासंगिक कृतियों के लिये तथा साहित्यिक, कलात्मक या वैज्ञानिक प्रकृति के लेखों के लिये पारिश्रमिक स्वीकार करने की सरकार से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। पर सरकार को यह अधिकार है कि वह सरकारी कर्मचारी को यदि आवश्यक समझती हो तो ऐसा कार्य न करने अथवा उसे बन्द करने का निदेश दे सकती है।

**मौसम सम्बन्धी वेधशालायें**

9556. **श्री कमलानाथन्** : **श्री दीवीकन** :
**श्री सुब्रावेलू** : **श्री नारायणन** :
**श्री मयावन** :

क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में ऐसी कितनी मौसम वेधशालायें हैं, जहां सूर्य सम्बन्धी अनुसंधान का कार्य किया जाता है ; और

(ख) उक्त अनुसंधान कार्य के लिये वेधशालाओं के चयन का आधार क्या है ?

**पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह)** : (क) सौर अनुसंधान कार्य केवल कोडाइकनाल स्थित खगोल-भौतिकी वेधशाला में किये जाते हैं।

(ख) यह वेधशाला कोडाइकनाल में इन कारणों से बनायी गयी है-चुम्बकीय भूमध्य रेखा से इसकी निकटता, वर्ष की अधिकांश अवधि में अनुकूल जलवायु और माध्य समुद्रतल (मीन सी लेवल) से इसकी 2,343 मीटर की ऊंचाई जो कि आस पास के मैदानी भाग के धुन्ध और धूल के तल से ऊपर है।

**कोडाइकनाल वेधशाला**

9557. **श्री सुब्रावेलू** : **श्री मयावन** :
**श्री कमलानाथन्** : **श्री दण्डपाणि** :
**श्री दीवीकन** : **श्री नारायणन** :

क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोडाइकनाल वेधशाला को हैदराबाद अथवा किसी अन्य स्थान पर स्थानान्तरण करने की कोई योजना है ; और

(ख) यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं ?

**पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह)** : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

**Dacoity in U.P. Government Roadways Bus**

**9558. Shri Y.S. Kushwah** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that in the second week-end of April, 1968 dacoits looted a Government Roadways bus near Khairagarh, District Agra, U.P., shot dead the Police

Inspector took away thirty persons including the Tehsildar, with the ultimately kidnapped four persons out of them; and

(b) if so, the details of the incident and the action taken by Government in this regard ?

**The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla)** (a) and (b): It is reported by Uttar Pradesh Government that on 10th April, 1968 at 9 P.M. a U.P Government Roadways bus was stopped by some dacoits near Kheragarh. The dacoits shot dead the Sub-Inspector of Police who was travelling in the bus. They also took away some of the passengers including the Tehsildar of Kheragarh. Subsequently, they released the Tehsildar and other passengers excepting four of them. The dacoits also looted cash and ornaments from the passengers.

A special police force has been deputed by the State Government for operations against the gang of dacoits which committed the above crime.

**विदेशों द्वारा वित्त पोषित वृत्त रूपक सिंडिकेट**

**9559. श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 2, बसन्ता रोड, कलकत्ता-26, के श्री डब्ल्यू वुल्फ के पत्र की ओर दिलाया गया है जो कि 10 अप्रैल, 1968 के दिल्ली के नेशनल हेरल्ड समाचारपत्र में प्रकाशित हुआ था ;

(ख) क्या डब्ल्यू वुल्फ नामक कोई भारतीय अथवा विदेशी राष्ट्रिक वास्तव में कलकत्ता में उक्त स्थान पर रहता है ;

(ग) क्या कलकत्ता के इस मकान में दो समाचार तथा वृत्त रूपक सिंडिकेट स्थित है जिनका वित्त पोषण तथा संचालन विदेशियों द्वारा किया जाता है ; और यदि हाँ, तो उक्त सिंडिकेटों में किन-किन व्यक्तियों का हाथ है ; और

(घ) क्या इस देश में स्थित बहुत से विदेशी मिशन भारतीय समाचारपत्रों में अपने विचारों तथा दृष्टिकोणों का प्रचार करने के लिये पत्र लेखकों को अपने यहाँ नियुक्त करते हैं ?

**गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) :** (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) और (ग) तथ्य मालूम किये जा रहे हैं ।

(घ) सरकार के पास ऐसी कोई सूचना नहीं है ।

**पश्चिम बंगाल सिविल सर्विस से भारतीय प्रशासनिक सेवा में नियुक्ति**

**9560. श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दस वर्षों में पश्चिम बंगाल सिविल सर्विस से कितने व्यक्ति भारतीय प्रशासनिक सेवा में लिये गये हैं ;

(ख) ऐसे कितने व्यक्तियों के आवेदन पत्रों पर विचार किया गया था ; और

(ग) ऐसे कितने व्यक्तियों को बारी के बिना तरक्की दी गई है ?

**गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) :** (क) से (ग) संलग्न विवरण में सूचना दी जाती है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 1171/68]**

**Collaboration by Indian Firms With Foreign Publishers**

***9561. Shri Nihal Singh :** Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether any scheme is under the consideration of Government regarding collaboration by Indian firms with foreign publishers;

(b) if so, the details thereof; and

(c) the names of the Indian firms which are interested in collaboration with foreign publishers and the names of the foreign publishers with whom they want to collaborate ?

**The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Bhagwat Jha Azad):** (a) and (b); No, Sir. Each application for collaboration between an Indian firm and a foreign publisher is considered individually on merits.

(c) All applications received so far have been disposed of on merits, except one which is receiving consideration. It would not be in the public interest to divulge the name of this Indian firm and that of the foreign publisher with which the former desires to collaborate.

**"आर्गनाइजर" में प्रकाशित एक पत्र**

9562. **श्री गाडिलिंगन गोड :**
**श्री सु० कु० तापड़िया :**
**श्री नन्द कुमार सोमानी :**

क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 21 मार्च, 1968 के "आर्गनाइजर" के पृष्ठ 5 पर प्रकाशित एक पत्र की ओर दिलाया गया है जिसमें भारत को मुस्लिम भारत कहा गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) :** (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) जिला इलाहाबाद के महागांव में अमीर मुस्लिम लीग जैसी कोई संस्था नहीं है। फिर भी एक हमीर इस्लाम जाफरी जो स्वयं को अमीर, मुस्लिम लीग, महगांव, इलाहाबाद बतलाता है, 'मुस्लिम इंडिया' के शब्दों का अपने पत्रों और लिफाफों पर प्रयोग करता है। बताया जाता है कि वह एक असंतुलित मस्तिष्क का एक व्यक्ति है। डाकखाना अधिनियम की धारा के अन्तर्गत उसके विरुद्ध निदेशक, डाक सेवा, उत्तर प्रदेश, की रिपोर्ट के आधार पर एक मामला दर्ज किया गया है। जांच अभी जारी है।

**चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र में निजी प्रबन्धक के स्कूलों के अध्यापक**

9563. **श्री ईश्वर रेड्डी :**
**श्री रामावतार शास्त्री :**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय प्रशासित क्षेत्र चण्डीगढ़ के निजी प्रबन्ध वाले (मान्यता प्राप्त) स्कूलों के अध्यापकों ने कई बार मांग की है कि उनको वेतनमानों के मामले में पंजाब के अध्यापकों के समकक्ष लाया जाये;

(ख) क्या यह सच है कि केन्द्रीय प्रशासित क्षेत्र चण्डीगढ़ के सरकारी स्कूलों में अध्यापकों को कोठारी आयोग द्वारा मंजूर वेतनमान दिये गये हैं।

(ग) यदि हाँ, तो निजी प्रबन्ध में स्कूलों के अध्यापकों को कोठारी आयोग द्वारा मंजूर वेतनमान देने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं या उठाये जा रहें हैं ; और

(घ) क्या केन्द्रीय प्रशासित क्षेत्र चण्डीगढ़ के प्रशासन ने निजी प्रबन्ध के मान्यता प्राप्त स्कूलों के अध्यापकों को आश्वासन दिया था कि जैसे ही पंजाब में कोठारी आयोग के वेतनमानों को कार्यान्वित किया जायेगा इन्हें केन्द्रीय प्रशासित क्षेत्र चण्डीगढ़ में भी कार्यान्वित किया जायेगा ?

**शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद)** : (क) से (घ) पंजाब के अध्यापकों के संशोधित वेतनमानों के आधार पर चण्डीगढ़ प्रशासन ने सरकारी स्कूलों के अध्यापकों के वेतनमानों में संशोधन किया है; गैर-सरकारी प्रबन्ध में मान्यता प्राप्त स्कूलों के अध्यापकों के संशोधित वेतनमानों के बढ़ाने का प्रश्न विचाराधीन है ।

**पश्चिम बंगाल के प्रगतिशील लोकतांत्रिक मोर्चे के सदस्यों के लिये निजी अंगरक्षक**

**9मैं64. श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी बंगाल के प्रगति-शील लोकतांत्रिक मोर्चे के कुछ सदस्यों को निजी अंगरक्षक प्रदान किये गये हैं ;

(ख) क्या इसी प्रकार के अंगरक्षक उस संस्था से सम्बन्धित किसी संसद् सदस्य को भी दिये गये हैं ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल)** : (क) डा० पी० सी० घोष की सुरक्षा को खतरे के परिणामस्वरूप उनके बचाव के लिये सुरक्षात्मक प्रबन्ध किये गए हैं । प्रगतिशील लोकतांत्रिक मोर्चे के किसी सदस्य को वर्तमान में कोई अंग रक्षक नहीं दिए गए हैं ।

(ख) प्रगतिशील लोकतांत्रिक मोर्चे के किसी संसद सदस्य को वर्तमान में सुरक्षा अंगरक्षक नहीं दिए गए हैं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

**पर्यटक केन्द्र**

**9565. श्री क० प्र० सिंह देव** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने वर्ष 1967-68 में विकास के लिये कौन-कौन से पर्यटक केन्द्र चुने थे ;

(ख) इस अवधि में किन-किन केन्द्रों का विकास किया गया था ;

(ग) उन पर कितनी राशि व्यय की गई ;

(घ) क्या वर्ष 1667-68 में उड़ीसा राज्य में एक पर्यटक केन्द्र चुनने और उसका विकास करने के लिये कोई सर्वेक्षण किया गया था ; और

(ङ) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार 1968-69 में ऐसा सर्वेक्षण करने का है ?

**पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह)** : (क) से (ग) 1967-68 के दौरान पर्यटन विषयक स्कीमों की सूची और विभिन्न केन्द्रों पर पर्यटन सुविधाएं प्रदान करने के लिये इन स्कीमों में प्रत्येक पर भारत सरकार द्वारा किये जाने वाले खर्च को दिखाने वाला एक विवरण संलग्न है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 1172/68]**

(घ) जी, नहीं ।

(ङ) चौथी पंचवर्षीय योजना के सम्बन्ध में जो कि अप्रैल, 1969, से चालू हो जायेगी, देश के विभिन्न राज्यों में संभावित पर्यटक यातायात का सामान्य रूप से निर्धारण कार्य जारी है । उड़ीसा के लिये संभावित पर्यटक यातायात का निर्धारण-कार्य भी इस सर्वेक्षण का एक अंश होगा ।

**भारतीय आर्थिक सेवा की परीक्षा**

**9566. श्री रणजीत सिंह :** क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नवम्बर, 1967 में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा ली गई भारतीय आर्थिक सेवा की परीक्षा का परिणाम अभी तक घोषित नहीं किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) कब तक इसके घोषित हो जाने की संभावना है ?

**गृह-कार्य मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) :** (क) जी हाँ, श्रीमान्, अभी तक परिणाम घोषित नहीं किया गया है ।

(ख) और (ग) परीक्षा के लिये नियत समय के अनुसार अगस्त, 1968 के अन्त तक अन्तिम परिणाम घोषित कर दिये जाने की आशा है ।

**दिल्ली में एक लड़के पर आक्रमण**

**9567. श्री विद्याधर बाजपेयी :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 4 अप्रैल, 1968 को लाजपत नगर-चार की एक सार्वजनिक सड़क पर दिन दहाड़े कुछ गुण्डों ने एक लड़के को बहुत बुरी तरह पीटा तथा पुलिस ने उस लड़के को बेहोशी की हालत में जब उसके शरीर से बहुत खून बह रहा था वहाँ से उठाया और उसे सफदरजंग अस्पताल में दाखिल करवाया ; और

(ख) यदि हां, तो अपराधियों के विरुद्ध पुलिस ने क्या कार्यवाही की है ?

**गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) :** (क) यह सूचित किया गया है कि लाजपत नगर का एक युवक 4 अप्रैल, 1968 को लाजपत नगर में सब्जी मण्डी, दिल्ली के एक निवासी द्वारा तथा कथित बुरी तरह पीटा गया । घायल व्यक्ति से खून बह रहा था, किन्तु वह बेहोश नहीं था । वह पुलिस द्वारा सफदरजंग हस्पताल में भेजा गया था ।

(ख) भारतीय दण्ड संहिता की धारा 324 के अन्तर्गत स्थानीय पुलिस स्टेशन में एक मामला दर्ज किया गया था उस व्यक्ति को, जिस पर उसे मारने के आरोप थे ; गिरफ्तार कर लिया गया है और मामले की जांच की जा रही है ।

**D.T.U.**

**9568. Shri A.S. Saigal :** Will the Minister of Transport and Shipping be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a large number of private buses have been permitted by D.T.U. to ply on long routes without inviting any open tenders;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) the daily total earnings to the Owners of these buses and the amount paid by them to the D.T.U. daily ?

**The Deputy Minister in the Ministry of Transport and Shipping (Shri Bhakt Darshan):** (a) According to the Delhi Transport Undertaking, on an average 185 buses perday, belonging to private operators, are being operated at present on D.T.U. routes. Sealed tenders were invited through the press for hiring these buses. As offers for supply of sufficient number of buses were not received, the Delhi Transport Committee, while accepting the offers made through some of the tenders, decided to contact individual operators for hiring their buses on fixed terms and conditions offered by the Undertaking. It is, however, not correct that only long routes have been allotted to these buses.

(b) Buses of private operators were allowed to be operated on D.T.U. routes in order to meet the growing transport requirements of the travelling public.

(c) According to the Delhi Transport Undertaking, they do not maintain any data regarding the total earnings of these private buses. However, the owners are required to pay to the Undertaking Rs. 750/- per bus per month, with the exception of one operator who offered the rate of Rs. 800/- per bus per month through the tender received from him.

## पदोन्नति द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा में नियुक्ति का कोटा

**9569. श्री नीतिराज सिंह चौधरी :** क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य सेवा के अधिकारियों की पदोन्नति द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा भारतीय पुलिस सेवा में उनकी नियुक्ति के वर्तमान 25 प्रतिशत कोटे को बढ़ा कर 80 प्रतिशत करने की अनुमति मांगी है; और

(ख) यदि हां, तो इसके सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) :** (क) जी हां, श्रीमान्। हमें हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार से इस सम्बन्ध में एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

(ख) इस प्रस्ताव पर अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

## Jamuna-Chambal Valley Protection Against Terror Committee.

**9570. Shri Sarjoo Pandey:** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether a deputation of Jamuna—Chambal Valley Protection against Terror Committee met the Prime Minister last month and submitted a report in connection with dacoits; and

(b) if so, the demands made by the said deputation and Government's reaction thereto ?

**The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla):** (a) One Shri Kameshwar Prasad presented to the Prime Minister a communication signed by him as the President of Jamuna-Chambal Ghati Atankit Raksha Samiti on 8.4.68.

(b) In the petition Shri Kameshwar Prasad has demanded the constitution of a Development Board for these areas. He has also suggested that the Army should be asked to deal with the dacoity problem.

The petition has been forwarded to the State Governments concerned.

**बम्बई के सान्ताकूज हवाई अड्डे पर एयर इण्डिया के विमान का दुर्घटनाग्रस्त होना**

9571. **म० ला० सोंधी :**

**श्री मधु लिमये :**

क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 28 मार्च, 1968 को बम्बई के सान्ताकूज हवाई अड्डे पर हुई विमान दुर्घटना की ओर दिलाया गया है जिसमें एयर इण्डिया का एक बोइंग विमान तथा ट्रांसवरल्ड एयरलाइन्स का एक बोइंग विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गये थे ;

(ख) यदि हां, तो कितनी हानि हुई ; और

(ग) दुर्घटना के क्या कारण थे ?

**पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) :** (क) जी, हां ।

(ख) एयर इण्डिया बोइंग का 'पोर्ट विंग टिप' और टी० डब्ल्यू० ए० बोइंग का 'नोज सेक्शन' जिसमें 'राडार नोज़ डोम' होता है, क्षतिग्रस्त हुए ।

(ग) दुर्घटना की जांच की जा रही है ।

**दिल्ली तकनीकी शिक्षा निदेशालय की छात्रवृत्तियां**

9573. **श्री जी० ब० सिंह :** क्या **शिक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली के तकनीकी शिक्षा निदेशक ने सरकार से प्रार्थना की है कि तकनीकी शिक्षा निदेशालय को छात्रवृत्तियाँ देने के अधिकार दिये जायें ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई है और तकनीकी शिक्षा निदेशालय को यह अधिकार कब तक दे दिये जायेंगे ?

**शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) :** (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

**खोसला आयोग**

9575. **श्रीमती सुशीला रोहतगी :** क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली पुलिस के बारे में खोसला आयोग के प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों का अध्ययन किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उन्हें कार्य रूप देने में मुख्य बाधा क्या है ?

**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) :** (क) और (ख) खोसला आयोग ने अपना अन्तिम प्रतिवेदन 15 अप्रैल, 1968 को प्रस्तुत किया था । प्रतिवेदन का अध्ययन सरकार द्वारा किया जा रहा हैं ।

**जालन्धर में निर्मम हत्या**

9576. **श्री देवेन सेन :** क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनको जालंधर शहर के स्वर्गीय राजेन्द्र शर्मा की पत्नि श्रीमती सुदर्शन कुमारी की ओर से एक ज्ञापन प्राप्त हुआ है जिसमें माँग की गई है कि उनके पति स्वर्गीय राजेन्द्र शर्मा जिसका शव जालंधर शहर में मैसर्स अमीचन्द भोला नाथ के परिसर के निकट पाया गया बताया

जाता है और जिनके परिसर के अन्दर उस राजेन्द्र शर्मा की निर्मम हत्या की जाने का आरोप है, की हत्या की जांच केन्द्रीय ब्यूरो से कराई जाये ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल)** : (क) जी हाँ, श्रीमान् ।

(ख) पंजाब सरकार से मामले के तथ्य देने के लिये अनुरोध किया गया है ।

**कुकी तथा मिजो विद्रोहियों द्वारा गोली चलाया जाना**

**9577. श्री क० प्र० सिंह देव** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुकी तथा मिजो विद्रोहियों ने हाल में इम्फाल तामेंगलाम सड़क पर चालवा के निकट गोलीबारी की थी, जिसमें कुछ सैनिक मारे गये थे ;

(ख) यदि हां, तो इसके परिणामस्वरूप कितने सैनिक तथा अन्य व्यक्ति मारे गये ; और

(ग) सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

**गृह-कार्य मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री के० एस० रामास्वामी)** : (क) से (ग) : सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन के सभा पटल पर रख दी जायगी ।

**दिल्ली-बेलगाम विमान उड़ान**

**9578. श्री अगाड़ी** : क्या **पर्यटन अथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कुछ ऐसे अभ्यावेदन प्राप्त हुये हैं जिनमें अनुरोध किया गया है कि दिल्ली से बम्बई के रास्ते बेलगाम के बीच, विमानों की उड़ानों के कार्यक्रम को इस प्रकार से समायोजित किया जाये जिससे कि बम्बई में पूरी रात के लिये न रुकना पड़े; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाही की है ?

**पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह)** : (क) जी, हां ।

(ख) बेलगाम से दिल्ली की यात्राओं में बम्बई में रात्रि-विमान (नाइट हॉल्ट) आवश्यक नहीं है । परन्तु फिलहाल वे विपरीत दिशा में, अर्थात् बम्बई से दिल्ली को की जाने वाली यात्राओं में आवश्यक है । अन्य कठिनाइयों, उदाहरण के लिये डाक व समाचार पत्र सेवा में कठिनाई, को जन्म दिये बगैर विमानों की उड़ानों के कार्यक्रम के समंजन मात्र से रात्रि-विराम समस्या को दूर नहीं किया जा सकता । परन्तु बम्बई से होकर दिल्ली से नागपुर की रात्रि सेवा के, जिसे कि इण्डिय एयरलाइन्स शीघ्र परिचालित करने वाली है, चालू होने से दिल्ली से चलने वाले यात्री बम्बई में बिना लम्बा ठहरे बेलगाम जा सकेंगे ।

**मैसूर में विश्राम गृह**

**9579. श्री अगाड़ी** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसूर राज्य में बीजापुर और धारवाई जिलों में पुरातत्वीय महत्व के स्थानों तथा इयोहोल, पट्टाडकाल, लाखुंडी, इतागी महादेव मन्दिर के निकट पर्यटक गृह अथवा विश्राम गृह बनाने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में कोई अभ्यावेदन भी प्राप्त हुआ है ; और

(ग) यदि हां, तो उस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

**पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) :** (क) दूसरी और तीसरी योजनाओं की अवधि में बीजापुर, एहोली, और बादामी में पर्यटक बंगले बनाये गये थे । चौथी योजना में इस क्षेत्र में और पर्यटन सुविधाओं का विकास करने का प्रस्ताव है । ब्यौरा तैयार किया जा रहा है ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

**दिल्ली पुलिस अराजपत्रित कर्मचारी संघ के अध्यक्ष की भूख हड़ताल**

9580. **श्री शिवकुमार शास्त्री :**
**श्री श्रीधरन :**
**श्री सेझियान :**
**श्री भोगेन्द्र झा :**
**श्री लताफत अली खां :**
**श्री गणानन्द ठाकुर :**
**श्री सत्यनारायण सिंह :**
**श्री जार्ज फर्नेन्डीज :**
**श्री रामावतार शास्त्री :**
**श्री क० मि० मधुकर :**
**श्री किकर सिंह :**
**श्री ओंकार लाल बेरवा :**
**श्री द० रा० परमार :**
**श्री रा० की० अमीन :**
**श्री रामचन्द्र ज० अमीन :**
**श्री प्र० न० सोलंकी :**
**श्री कामेश्वर सिंह :**
**श्री चन्द्रशेखर सिंह :**
**श्री चितरंजन राय :**
**श्री स० मो० बनर्जी :**
**श्री पी० राममूर्ति :**
**श्री सूरजभान :**
**श्री यशपाल सिंह :**
**श्री उमानाथ :**
**श्री देवेन सेन :**
**श्री महाराज सिंह भारती :**
**श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :**
**श्री क० लकप्पा :**
**श्री समर गुह :**
**श्री स० कुण्डू :**
**श्री ओ० प्र० त्यागी :**

**क्या गृह कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली पुलिस अराजपत्रित कर्मचारी संघ के अध्यक्ष, श्री भगवान दास शास्त्री ने भूख हड़ताल कर रखी है ;

(ख) यदि हां, तो कब से और कहाँ पर, और इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या दिल्ली प्रशासन ने दिल्ली पुलिस के आन्दोलन से सम्बन्धित मामलों की सुनवाई करने के लिये भारत के उच्चतम न्यायालय के आदेशों की सक्रिय उपेक्षा और उल्लंघन कर के दण्डाधिकारी नियुक्त किये थे और भारत के उच्चतम न्यायालय ने उन दण्डाधिकारियों को हटाने का आदेश दिया था; और

(घ) यदि हां, तो उच्चतम न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवांही करने का विचार है ?

**गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्या चरण शुक्ल)** : (क) और (ख) : यह बताया जाता है कि दिल्ली पुलिस के हैड कॉंस्टेबल श्री भगवान दास शास्त्री ने 16 अप्रैल 1968 के प्रातः काल से नार्थ ब्लाक के बाहर 72 घण्टे की भूख हड़ताल आरम्भ की । प्राप्त सूचना के अनुसार श्री शास्त्री द्वारा प्रस्तुत मुख्य माँगे ये हैं कि दिल्ली पुलिस के उन कर्मचारियों के विरुद्ध, जिन्होंने गत वर्ष पुलिस आन्दोलन में भाग लिया था, मामले वापिस लिये जाएं और सभी को सेवाओं में पुनः बहाल किया जाये और खोसला आयोग प्रतिवेदन को कार्यान्वित किया जाए ।

(ग) जी नहीं श्रीमान् ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

## अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

## CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

### दिल्ली में सरकारी कर्मचारियों के लिये रामकृष्णपुरम तथा अन्य बस्तियों में पीने के पानी की कमी

**Shri Balraj Madhok** (South Delhi) : Mr. Speaker, I call the attention of the Minister for Health, Family Planning and urban Development to the following matter of urgent public importance and I request him to make statement thereon :

"acute shortage of drinking water in Ramkrishnapuram and other colonies for Government Employees in Delhi"

**The Minister for Health, Family Planning and Urban Development (Shri Satya Narain Sinha)** : Sir,

दिल्ली के विभिन्न भागों में सरकारी कर्मचारियों की बहुत सी बस्तियां है तथा उनमें से अधिकांश में पीने के पानी की कोई कमी नहीं है । वैसे निम्नलिखित बस्तियों में पानी की कुछ कमी अनुभव की गई है :—

1. रामकृष्ण पुरम के कतिपय सेक्टरों में स्थित क्वार्टर
2. तिमारपुर क्षेत्र स्थित क्वार्टर
3. सेवानगर क्षेत्र स्थित क्वार्टर

रामकृष्णपुरम के सेक्टर 3 और 4 तथा 8 और 9 में भी पानी की कमी कभी-कभी अनुभव की जाती है क्योंकि यह क्षेत्र ऊंचाई पर है । वहां पर राहत देने के लिये एक बूस्टर पम्पिंग स्टेशन पहले ही लगाया जा चुका है । स्थायी उपाय के रूप में दक्षिण दिल्ली क्षेत्र के लिये 1.33 करोड़ रुपये की लागतकी कैलाश जलाशय योजना के भावी आयोजन में इस क्षेत्र के पूरे वितरण तन्त्र को ध्यान में रखा गया है । और इसके मार्च 1970 में पूरा हो जाने की सम्भावना है ।

तिमारपुर तथा सेवा नगर क्षेत्रों में पानी की कमी इसलिये है कि जल वितरण तंत्र जो वर्षों पहले बिछाया गया था अब पुराना पड़ गया है और साथ ही उससे अधिक काम भी लिया जा रहा है । वितरण तंत्र को नये ढंग से बिछाने और जहाँ कहीं आवश्यक है डबरों, बूस्टर पम्पों तथा औरहैड टेंकों की व्यवस्था करने सम्बन्धी प्रश्न को दिल्ली जल पूर्ति एवं मल निष्कासन उपक्रम ने केन्द्रीय सार्वजनिक निर्माण विभाग से मार्च 1968 में उठाया ।

2. केन्द्रीय सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा रामकृष्णपुरम के सेक्टर 8 और 9 में निर्मित लगभग 1200 क्वार्टरों को दिल्ली नगर निगम ने नवम्बर 1967 से पानी देना शुरू किया है। इन क्षेत्रों के लिये 50-50 हजार गैलन पानी की क्षमता वाले दो भूमिगत जलाशयों की व्यवस्था कर दी गई है। इन क्वार्टरों को लगभग 1.5 लाख गैलन पानी प्रतिदिन दिया जा रहा है। इन क्वाटरों में लगभग 6000 व्यक्ति रहते हैं और इस प्रकार प्रति व्यक्ति 25 गैलन पानी का हिसाब बैठता है गर्मियों के महीनों में पानी की मांग बढ़ जाती है और सेक्टर 8 और 9 में स्थित क्वार्टरों के लिये यह पहला गरमी का मौसम है। इन सेक्टरों में 29-4-68 को पहली बार पानी की कमी महसूस की गई और दिल्ली जल पूर्ति एवं मल निष्कासन उपक्रम ने शीघ्र ही इस स्थिति में सुधार करने के लिए समुचित कदम उठाये। पानी की सप्लाई अब काफी कुछ नियत्रण में बतलाई जाती है।

3. मार्च से जून तक के महीनों के अलावा शेष समय यमुना नदी में, जो दिल्ली का प्रमुख जल स्रोत है, वजीराबाद मे ऊपर की तरफ काफी पानी रहता है। इस अवधि में इस कमी को पूरा करने के लिये हरयाणा सरकार से ऐसी व्यवस्था कर दी गई है कि वह भाखड़ा जलाशय से पश्चिमी यमुना नहर द्वारा 325 कुसेक पानी देगी। इस तरह वर्ष के इन महीनों में यमुना नदी से पानी की सप्लाई संबंधी कमी को भाखड़ा जलाशय से पूरा कर दिया जाता है।

4. वजीराबाद के निकट यमुना नदी में कच्चे पानी की हालत अभी तक सन्तोषजनक है और दिल्ली जल पूर्ति एवं मल निष्कासन उपक्रम को यमुना नदी में नहर का पानी नहीं लेना पड़ा है। कतिपय क्षेत्रों में पानी के कम दबाव की शिकायत के अलावा बस्तुतः अधिकांश क्षेत्रों में इस समय पानी की कोई कमी नहीं है। वैसे वजीराबाद पर नदी की स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है तथा जब भी निकास नीचे जायेगा नदी में जल पूर्ति बढ़ाने के लिए नहर का पानी छोड़ दिया जायेगा। इस विषय में दिल्ली जल पूर्ति तथा मल निष्कासन उपक्रम ने पश्चिम यमुना नहर के सुपरिटेण्डिंग इन्जीनियर को पहले से ही अग्रिम सूचना दे दी है। इसलिए वर्तमान गर्मी के मौसम में दिल्ली की जलपूर्ति में कटौती करने की कोई संभावना नहीं।

5. यह भी बता दिया जाए कि 1963-64 में जहां औसतन 8.81 करोड़ गैलन प्रतिदिन पानी दिया जाता था वहां अब 14.68 करोड़ गैलन प्रतिदिन पानी दिया जा रहा है। दिल्ली की जल पूर्ति बढ़ाने के लिये कदम भी उठाये जा रहे हैं :

**Shri Balraj Madhok :** Sir, the population of Delhi in 1947 was only 5 lakh people but now it has reached 40 lakh people. There are certain parts of the city where water is available for all the 24 hours but there are others where it is not available even for one hour Near R.K. Puram itself there are 8 storeyed buildings where water is available all the time but in two-storeyed buildings in R.K. Puram it is available for a short time only. Till full arrangements are made for the supply of water in such colonies will you instal tube wells or pumps and make water available to the people.

Secondly will you make arrangements for equal distribution of water to all localities.

Thirdly will you send water to people in these localities by means of tankers : and

Fourthly will the hon. Minister visit those localities along with me to see for himself the condition of people in this respect ?

**Shri Satya Narain Sinha :** Even now the per capita consumption of water in Delhi is more than what it is in other big cities such as Madras, Bombay and Calcutta. But I can

assure the hon. Member that we have a scheme of Rs. 35—36 crores and it will be completed by 1970. I had a talk with the hon. Minister for Works and Housing in this respect. Then there is responsibility of the Delhi Municipal Corporation, Delhi, Metropolitan council and the Delhi Administration. The hon, Minister for Works and Housing has informed me that he was getting installed Tube Wells and pumps. We are also trying to send water through tankers. Per capita water consumption in Delhi is 60 gallons where as it is only 41 gallons in other places. It is difficult to equalise distribution of water to all as some V.I.Ps. also live here.

**श्री दी० चं० शर्मा** (गुरदासपुर) महोदय क्या कारण है कि सड़क के एक ओर तो सात मंजिल तक पानी जाता है और दूसरी ओर पहली मंजिल तक भी पानी नहीं जाता ;

दूसरी बात यह कि क्या कारण है कि पानी के बारे में एक व्यापक योजना नहीं बनाई गई,

तीसरी क्या सरकार ऐसा प्रबन्ध करेगी कि इन सब बातों के बारे में एक केन्द्रीय प्राधिकार स्थापित करे ?

**श्री सत्य नारायण सिन्हा** : इस सम्बन्ध में हम कुछ योजनाओं पर चल रहे हैं और उनके पूरे होने पर पानी की समस्या हल हो जायेगी । मैंने इस सम्बन्ध में चीफ इंजीनियर से भी बात की है ।

एक प्राधिकार के रास्ते में राजनीतिक दिक्कतें आती हैं । इस गर्मी की ऋतु के पश्चात पानी पर्याप्त मात्रा में मिल जायेगा ।

**श्री तेन्नेटि विश्वनाथम** (विशाखापटनम्) : क्या यह सच नहीं है कि सेक्टर 8 में पानी की आवश्यकता 1,60,000 गैलन है परन्तु आप इन्हें केवल 50,000 गैलन पानी दे रहे हैं । सेक्टर 9 में पानी की आवश्यकता 1,40,000 गैलन है परन्तु आप उन्हें 50,000 गैलन दे रहे हैं और सेक्टर 12 में पानों की आवश्यकता 40,000 गैलन है जबकि आप उन्हें कुछ भी पानी नहीं दे पा रहे हैं । क्या सरकार जमुना में खुदाई करके अथवा धरती के नीचे का पानी निकाल कर पानी सप्लाई करने का प्रबन्ध करेगी तथा क्या कारण है कि सात मंजिल की इमारतों में हर समय पानी मिलता हैं जबकि एक या दो मंजिल की इमारतों में थोड़े समय पानी मिलता है ;

**श्री सत्य नारायण सिन्हा** : यह सत्य है कि हम पानी की आवश्यकता को पूरा करने में असमर्थ रहे हैं । फिर भी इसमें बढ़ोतरी की जायेगी और हम के पानी पम्प लगाकर उसे पूरा करने का प्रयत्न कर रहे हैं ।

एक परियोजना हमने तैयार की है, उसे पूरा होते ही पानी की परेशानी दूर हो जायगी परन्तु उसके पूरा होने में समय लगेगा ।

---

## विशेषाधिकार का प्रश्न
## QUESTION OF PRIVILEGE

**Shri Kanwar Lal Gupta** (Delhi Sadar) : Sir, a Satyagraha is going on regarding Kutch problem. Three members of Parliament Sarvshri Brij Bhushan Lal, Shrimati Shakuntla Nayar and Shri Bharat Singh Chauhan were arrested regarding Kutch Satya-

graha. On 30th April when they reached 5—6 miles from Khavda, they were stopped by the Superintendent of Police and arrested. They were brought back in a Police van and released later on.

Sir, according to the rules whenever such arrests are made of M.Ps. the information has to be given to the speaker and he has to convey it to the House.

When the speaker read the first telegram he mentioned the name of only Shri Brij Bhushan Lal and not of others. It is a breach of privilege.

**अध्यक्ष महोदय** : मुझे श्रीमती शकुन्तला नायर के बारे में मुझे सूचना प्राप्त नहीं हुई थी । श्री भारत सिंह चौहान के बारे में भी कुछ भ्रान्ति हुई है क्योंकि उनका नाम स्पष्ट नही था । जो तार मुझे उस दिन प्राप्त हुआ था उसकी मैंने घोषणा कर दी थी । में इस बारे में मन्त्री महोदय से पता करूंगा कि क्या कारण है कि श्रीमती शकुन्तला नायर के नाम की सूचना क्यों नहीं दी । मन्त्री महोदय इसका पता करें ।

---

## सभा पटल पर रखे गये पत्र
## PAPERS LAID ON THE TABLE

**विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा भारतीय प्रबन्ध व्यवस्था संस्था के प्रतिवेदन**

**शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन)** . मैं निम्न को सभा पटल पर रखता हूं :- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 18 के अन्तर्गत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के 1966-67 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति ।

भारतीय प्रबन्ध व्यवस्था संस्था, कलकत्ता के 1 अप्रैल, 1964 से 31 मार्च, 1967 तक की अवधि के प्रतिवेदन की एक प्रति । **[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी० 1146/68]**

**अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनाएं**

**वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया)** : मैं गृह कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री श्री विद्या चरण शुक्ल की ओर से निम्न सभा पटल पर रखता हूँ :-

अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) जी० एस० आर० 722, जो दिनांक 20 अप्रैल 1968 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नियम, 1954 की अनुसूची III में कतिपय संशोधन किये गये ।

(दो) जी० एस० आर० 723, जो दिनांक 20 अप्रैल, 1968 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा भारतीय पुलिस सेवा (पदाली की संख्या का निर्धारण) विनियम, 1955 में एक संधोधन किया गया । **[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी० 1146/68]**

**डाकघर बचत बैंक (संशोधन) नियम**

**वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया)** : में निम्न सभा पटल पर रखता हूँ :—

सरकारी बचत बैंक अधिनियम, 1873 की धारा 15 की उपधारा (3) के अन्तर्गत डाक घर बचत बैंक (संशोधन) नियम, 1968 की एक प्रति, जो दिनाँक 19 अप्रैल, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 779 में प्रकाशित हुये थे ।

---

## लोक सभा में 6 मई 1968 से आरंभ होने वाले सप्ताह में सरकारी कार्य सम्बन्धी वक्तव्य

## THE STATEMENT ON GOVERNMENT BUSINESS IN LOK SABHA DURING THE WEEK COMMENCING 6th. MAY, 1968.

**संसद कार्य तथा संचार मंत्री (डा० राम सुभग सिंह)** : महोदय सोमवार 6 मई, 1968 से आरम्भ होने वाले सप्ताह में निम्नलिखित सरकारी कार्य लिया जायेगा :—

(1) वर्ष 1968-69 के बजट (पश्चिमी बंगाल) सम्बन्धी अनुदानों की माँगों पर आगे चर्चा तथा मतदान ।

(2) नागरिक सुरक्षा विधेयक, 1967

**(विचार तथा पास करना)**

(3) पांडिचेरी (विधियां का विस्तारण) विधेयक, 1967

**(विचार तथा पास करना)**

(4) संविद श्रमिक (विनियमन तथा उत्सादन) विधेयक, 1967

**(संयुक्त समिति को सौंपना)**

(5) केन्द्रीय विधियां (जम्मू तथा काश्मीर पर विस्तारण) विधेयक, 1968

**(विचार तथा पास करना)**

(6) भारतीय सिक्का टंकण (संशोधन) विधेयक, 1968

**(विचार तथा पास करना)**

(7) सरकार का (दुष्कृति में दायित्व) विधेयक 1967

**(संयुक्त समिति को सौंपना)**

(8) सम्पदा शुल्क (संशोधन) विधेयक 1968

**(विचार तथा पास करना)**

(9) मोटर गाड़ी (संशोधन) विधेयक, 1966

**(विधेयक को संयुक्त समिति को सौंपने की राज्य-सभा की सिफारिश से सहमति के लिये प्रस्ताव)**

(10) कीटनाशी विधेयक, 1966, राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में ।

**( विचार तथा पास करना )**

(11) जन्म तथा मृत्यु रजिस्ट्रीकरण विधेयक, 1968, राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में

**(विचार तथा पास करना)**

(12) औद्योगिक विवाद (संशोधन) विधेयक, 1967, राज्य सभा द्वारा किये गये रूप में ।

**(विचार तथा पास करना)**

(13) परिवहन तथा नौवहन मंत्री द्वारा एक प्रस्ताव पेश किये जाने पर सड़क परिवहन करारोपण जांच समिति के प्रतिवेदन पर चर्चा ।

(14) मातृत्व प्रसूविधा (संशोधन) विधेयक, 1967, राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में ।

**(विचार तथा पास करना)**

(15) विदेशी विवाह विधेयक, 1963

**(विधेयक को संयुक्त समिति को सौंपने की राज्य सभा की सिफारिश से सहमति के लिए प्रस्ताव)**

(16) धान कूटन उद्योग (विनियमन) संशोधन विधेयक, 1968, राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में ।

**(विचार तथा पास करना)**

(17) केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल विधेयक, 1968, राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में

**(विचार तथा पास करना)**

(18) निम्नलिखित नियमों में रूपभेद करने के लिये प्रस्तावों पर प्रत्येक के सामने दिखाई गई तारीख तथा समय को, विचार :

(एक) मंत्रियों के निवास स्थान (संशोधन) नियम, 1967 जिसकी सूचना श्री मधु लिमये द्वारा दी गई है,

**सोमवार, 6 मई, 1968 को 6 बजे म० प० पर ।**

(दो) गोवा, दमन और दीव (समाविष्ट कर्मचारियों की सेवा की शर्तें) संशोधन नियम, 1967, जिसकी सूचना श्री इरास्मो डि सक्वीरा द्वारा दी गई है;

**मंगलवार, 7 मई, 1968 को 5-30 बजे म० प० पर ।**

(तीन) आय-कर (दूसरा संशोधन) नियम, 1968, जिसकी सूचना श्री स० स० कोठारी द्वारा दी गई है ;

**बुधवार, 8 मई, 1968 को 6 बजे म० प० पर ।**

(चार) प्रदीप पत्तन न्यास (बोर्ड की बैठकों सम्बन्धी प्रक्रिया) नियम, 1967, जिसकी सूचना श्री श्रीनिवास मिश्र द्वारा दी गई है;

**गुरुवार, 9 मई, 1968 को 6 बजे म० प० पर ।**

**Shri Gulam Mohammed Bakshi** (Srinagar) : Sir, we should have an opportunity here to discuss the communal situation in the country before we adjourn.

**श्री दी० ना० मुकर्जी** (कलकत्ता-उत्तर पूर्व) : महोदय हम बहुत सी बातें कार्य मंत्रणा समिति के लिये छोड़ रहे हैं । राष्ट्रीय एकता के बारे में भी यहां बात हो रही है। साथ ही स्थगित होने से पूर्व हम कुछ इस सम्बन्ध में निर्णय करें ।

**अध्यक्ष महोदय** : बख्शी गुलाम मुहम्मद ने साम्प्रदायिकता के बारे में प्रश्न उठाया! इसके बारे में हम सोमवार को बात करेंगे। यदि मंत्री महोदय इसके बारे में कुछ कहना चाहें तो कह सकते हैं।

**डा० राम सुभग सिंह** : मुझे बहुत से मन्त्री महोदयों ने अपने अपने विधेयकों के बारे में कहा है। साथ ही साम्प्रदायिकता की स्थिति के बारे में भी हमें विचार करना है। परन्तु 20 तारीख तक सदन का बैठना कठिन है।

**Shri Madhu Limaye** (Monghyr):Sir, I want to draw the attention of hon. Commerce Minister to his statement regarding textile policy. He made certain announcements regarding excise duties. Why did he not do so at 12 O'clock ? You should find some time for this too.

## अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित आदिम जातियाँ आदेश (संशोधन) विधेयक सम्बन्धी संयुक्त समिति के बारे में प्रस्ताव

## MOTION RE : JOINT COMMITTEE OF SCHEDULED CASTE AND SCHEDULED TRIBES ORDERS (AMENDMENT) BILL

**श्री अनिल कु० चन्दा** (भोलपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों की सूचियों में कतिपय जातियों तथा आदिम जातियों को सम्मलित करने और उन्हें उनसे निकालने, उनके प्रतिनिधित्व के पुनः समायोजन तथा संसदीय तथा विधान सभा के निर्वाचन क्षेत्रों के पुनः सीमांकन जहां तक यह पुनः समायोजन तथा पुनः सीमांकन करना कतिपय अनुसूचित जातियों तथा आदिम जातियों को सूचियों निकालने अथवा उसमें सम्मिलित करने के परिणामस्वरूप आवश्यक हो, तथा से तत्सम्बन्धी विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक सम्बन्धी संयुक्त समिति में श्री डी० संजीवैया द्वारा उक्त संयुक्त समिति की सदस्यता से त्याग-पत्र देने के कारण हुई रिक्तता में, राज्य सभा का एक सदस्य नियुक्त करे और उक्त संयुक्त समिति में राज्य सभा द्वारा इस प्रकार नियुक्त सदस्य का नाम इस सभा को बताये।"

**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा राज्य से सिफारिश करती है कि राज्य सभा अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों की सूचियों में कतिपय जातियों तथा आदिम जातियों को सम्मिलित करने और उन्हें उनसे निकालने, उनके प्रतिनिधित्व के पुनः समायोजन तथा संसदीय तथा विधान सभा के निर्वाचन क्षेत्रों के पुनः सीमांकन जहां तक यह पुनः समायोजन तथा पुनः सीमांकन करना कतिपय अनुसूचित जातियों तथा आदिम जातियों को सूचियों से निकालने अथवा उसमें सम्मिलित करने के परिणामस्वरूप आवश्यक हो, तथा तत्सम्बन्धी विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक सम्बन्धी संयुक्त समिति की सदस्यता से त्याग-पत्र देने के कारण हुई रिक्तता में, राज्य सभा का एक सदस्य नियुक्त करे और उक्त संयुक्त समिति में राज्य सभा द्वारा इस प्रकार नियुक्त सदस्य का नाम इस सभा को बताये।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ**

**The Motion was adopted**

# उत्तर प्रदेश बजट–जारी
# (UTTAR PRADESH BUDGET-CONTD.

[ उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Deputy Speaker in the Chair ]

**Shri Molahu Prasad** (Bansgaon) : Mr. Deputy Speaker Sir, the U.P. Budget has been presented here. It is a matter of regret that the Governors have been functioning in an autocratic manner due to instructions from the central Government.

The eastern districts of U.P. are backward and more attention should be paid towards them. The manner in which the Central Government gives aid to the states, it will not be of much use to them. More aid should be given to states and the recommendations of the Patel commission should be implemented in regard to eastern districts of U.P.

There was much bungling in the distribution of 1.25 lakh area of land when congress party was in power there. Although investigations about 44 districts have been completed yet no action seems to have been taken against the persons involved in that. Such attitude of the administration is condemnable.

I wanted to know something about the action taken against mill owners who violated certain provisions of Factories Act 1948. The reply was given that was a state subject. But it is not so. President's rule was proclaimed there on 25th February and hence this is an irresponsible reply. Similarly they replied that they had no information when a question was asked about number of people who pay income tax in the scheduled castes and scheduled Tribes. Government can collect statistics about important matters but they have not done so about such an important matter.

It is a matter of shame that the report of the Governor's Advisory Committee has been sent in English although the United Front Government had decided that all Governmental work could be done in Hindi.

The sugar department employees of the state have certain grievnces and they were forced to resort to "Gherao" for asking for fulfilment of the same. Government should consider those demands sympathetically so that the situation may not deteriorate further. With these words I oppose the demands for grants.

**इसके पश्चात लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिये 2 बजे म० प० तक के लिये स्थगित हुई।**

**The Loka Sabha then adjourned for lunch till Fourteen of the Clock.**

**मध्याह्न भोजन के पश्चात लोक सभा 2 बजे म० प० पर पुनः समवेत हुई**

**The Lok Sabha re-assmbled after lunch at Fourteen of the Clock.**

[ उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Deputy Speaker in the Chair ]

**Shri Ganpat Sahai** (Sultanpur) : Mr. Deputy Speaker, first of all I want to congratulate the Finance Minister. It is wrong to say that the people of U.P. have been put to trouble after the proclaimation of President's rule there. The fact is that they are happy now. The U.P. Government did nothing for the agriculturists. They on the other hand finished some of the concessions which the congress Government had given to them.

It will have to be admitted that the central Government have not paid full attention to U.P. The amount given in the budget for U.P. is inadequate. Eastern districts are backward and special attention should be paid towards them. The condition of Sultanpur districts is strange as it has been included neither in the Western districts nor in the eastern districts of U.P. Due to this it has been much neglected. The district has been neglected even in regard to agriculture. It is a deficit district and even then nothing is being done to instal tube wells there to develop agriculture. Due to floods in Gomati the crops are damaged and yet nothing has been done in this regard.

There is no industry in Sultanpur. More attention should be paid by Government in this regard for the industrial development of this district.

**Shri Chandrika Prasad** (Ballia) : Sir, I am sorry to point out that the certain districts, Bundelkhand area and hill areas of U.P. have been neglected. Long back they had appointed Patel commission about eastern U.P. but were not as yet implemented its recommendations.

The eastern part of U.P. is most backward. There are no industries. They have laid foundation stone for the laying out of a sugar factory in Rasda Tehsil of Ballia district after pondering over it for 13 years but they have not yet constructed the factory. It is a gross neglect.

There is a provision for the construction of houses for Harijans but the amount has been spent only in Kabal districts and the rural area has been neglected as there is no provision in the Budget for it.

We have no objection to it that there is a provision in the Budget for the construction of the houses for Harijans in Kavai towns but the villages should not be neglected for without acting in this way our aim of socialistic pattern of Society will not be achieved. Gorakhpur should be included in Kavai Towns. SVD Government has shown indifference towards the Harijans. Provision should be made in the Budget for the uplift of Harijans. We asked for a Railway crossing at Ballia but there is no mention of it in the Budget, Similarly there is no mention of the Pontoon bridge which connects Uttar Pradesh with Bihar and survey has been conducted in respect of bridge at Majtis.

Our area is very backward in respect of education among girls. There is no degree college in eastern district for girls. Provision should be made in the budget for opening a degree college in that area. The lands of the Harijans occupied by others should be got vacated and land should be allotted to the Harijans for the constructions of houses. The quota of the harijans in the services is not being filled. Provision should be made for filling up this quota. The funds allotted for the flood control are inadequate. Ballia Beria Dam and Bailsara Srinagar Dam which are already existing should be strengthened and the Retier Dam should not be constructed. The Government should fulfil the demands of the Government employees and specially the dismissed women employees should be reinstated.

For establishing a socialistic pattern of society we will have to make many changes in the budget so that the backward class and the backward areas may be developed. The facilities which were discontinued to the farmers should be provided again.

**श्री श्रीनिवास मिश्र** (कटक) : उत्तर प्रदेश के बजट को देखने से पता चलता हैं कि इस राज्य का प्रशासन बड़ी बुरी तरह चलाया जाता है । इस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक निर्धन राज्य उड़ीसा के प्रति व्यक्ति आय के बराबर है । इस राज्य में औद्योगिक विकास बहुत धीमी गति से हो रहा हैं जैसाकि बजट को देखने से पता चलता है । यद्यपि राज्य के गाँवों की जनसंख्या 87 प्रतिशत है फिर भी कृषि से आय बड़ी असन्तोषजनक है । राज्य में सड़कों की हालत बहुत ही खराब है । कृषि कार्यक्रम ऐसी अवस्था में हैं कि कृषि विश्वविद्यालय जिनको कि अच्छे बीज बेचने का उत्तरदायित्व दिया हुआ है वे दो वर्ष पुराने बीज बेच रहे हैं । राज्य के लोगों के हितों को ध्यान में नहीं रखा जाता ।

सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में बहुत बड़े जंगल हैं लेकिन उनका उपयोग नहीं किया जा रहा है । पहाड़ी स्रोतो का भी उपयोग नहीं किया जा रहा है जो कि बिना व्यय के बिजली पैदा कर सकते हैं । एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक सब ज· ह कानून और व्यवस्था की समस्या बनी हुई हैं । उत्तर प्रदेश में शायद मजदूरों की मजदूरी भी अन्य सब राज्यों की अपेक्षा कम है । बजट में राजस्व आय 356 करोड़ रुपये है यद्यपि ऋण, जमा आदि को मिलाकर कुल प्राप्ति 1,110 करोड़ रुपये है । इस प्रकार प्रति व्यक्ति राजस्व प्राप्ति 44 रुपये होगी । किन्तु इस राज्य

का प्रति व्यक्ति ऋण 100 रुपये है । जिसमें महिलायें, बच्चे, बेरोजगार आदि सभी शामिल हैं । इस प्रकार बजट को सन्तुलित किया जा रहा है । लोगों की हालत को सुधारने के लिये तथा सड़कों आदि में सुधार करने के लिए तथा बजट को सन्तुलित करने के लिए किसी भी आधारभूत नीति में परिवर्तन नहीं किया गया है । प्रशासनिक सेवाओं में कुल आय का जिसमें ऋण, अनुदान आदि भी सम्मिलित हैं, 4 प्रतिशत व्यय होता है । सामाजिक और विकास सम्बन्धी सेवाओं में 13 प्रतिशत व्यय होता है । इसी स्थिति में राज्य की दशा में कैसे सुधार हो सकता है ? सिंचाई और बिजली के लिए पूंजी खर्च और राजस्व व्यय केवल 2 प्रतिशत है । हम आशा करते हैं कि सरकार उस पर अमल करेगी जो कुछ बजट में प्रस्तुत किया गया है और निधि का अच्छा उपयोग होगा जिससे कि कुछ भी बेकार न जाय और इससे लोगों को लाभ हो ।

**Shri Shambhu Nath** (Saidpur) : Every body knows that Uttar Pradesh is the biggest state in the country and its population is 9 crores. There is no doubt that all the problems which our country is facing can be found in Uttar Pradesh. So far as agriculture is concerned 95 percent holdings are uneconomic in our country and only 5 percent holdings are such which can be called economic. Therefore, there is a need for paying attention to provide facilities in respect of irrigation, fertilizer and improved seeds. There is a need also for establishing industries in the undeveloped areas, like eastern districts of Uttar Pradesh. These areas have been neglected so far and all the industries are being set up in big cities like Kanpur and Meerut. There is a need to rectify it. In the eastern districts of the state industrial estates have been set up. Only buildings have been constructed there and the industrial work has not yet started in them. Therefore, the needful must be done.

So far as the harijans are concerned they cannot be allotted land because there is not enough land in Uttar Pradesh. The Government have to consider about the livelihood for the harijans. Small scale industries should be established for them so that their uplift can be achieved.

There should be a non-official committee for Uttar Pradesh which should include some M.Ps. some officers and some non-officials so that the voice could be expressed. Government is going to finalize the Fourth Plan. Priorities will be fixed in regard to Uttar Pradesh also. Because there is no popular Government in Uttar Pradesh at present therefore the plan regarding Uttar Pradesh should be finalised in consultation with the Members of Parliament from the state. There was a need for a bridge on Ganga in Gazipur. Patel Commission also recommended it but unfortunately no attention has been paid so far towards these recommendations. I request that attention should be paid to fulfil this long standing demand of the people of that area.

**Shri Ramji Ram** (Akbarpur): Agriculture is the main occupation of the people of Uttar Pradesh. Therefore, it is necessary to provide facilities of irrigation, improved seeds and fertilizers. But no concrete steps have been taken to provicd these facilities to the agriculturists. The small irrigation schemes have been neglected and efforts have also not been made to provide land to the landless labourers. If we want to build a socialistic pattern of society we should work for the uplift of harijans, agricultural labourers, mill-workers, and other backward classes and minorities. There work should be given due importance and a special attention should be paid towards them. One and a half crores of rupees were lapsed last year out of the amount allotted for the welfare of harijans. This year a sum of Rs. 4,31,61,600 have been allotted for the development of the scheduled castes and backward classes. In its comparision a sum of Rs. 5,27,05,900 have been earmarked for animal husbandry and fisheries. This shows that the scheduled castes and backward classes have been given a lower place than animals and fishes. Indifference has been shown

towards education. Arrangement for the construction of buildings for the schools should be made. Arrangements should be made for the admission of the children of harijans and labourers in the schools, colleges and Universities. The grants of those institutions should be stopped which do not admit them. Boarding houses should be constructed for the Harijan students in the colleges which are in Gosaiganj, Akbarpur, Jalalpur, Tanda etc. Industrial Institutions should be opened. Roads are in worst conditions in our district, therefore proper attention should be paid towards their improvement and maintanance. In some places there is a necessity for the construction of bridges, so this work should also be undertaken.

Proper attention should also be paid towards the Industrial development. No Factory has been established in Faizabad for the last 20 years. At least one factory should be established in the eastern district so that unemployment of that area could be reduced.

No progress has been made in the social welfare programme. The child Marriage Restriction Act 1929 has not been implemented. Concrete steps for the consolidation of holdings should be taken.

Discrimination is being done with the Harijans. It is clear from the Income-tax list that no quota, permit and licence has been given to them. The backward classes have been totally neglected. If the Government do not take any revolutionary steps for the betterment and uplift of these people then there will be a possibility of a great revolution from their side and the entire responsibility will fall upon the ruling class.

**Shri Ram Sewak Yadav** (Bara Banki) : In a supplementary election manifesto the congress party of Uttar Pradesh declared that if they return to power, in the state they will abolish land revenue on uneconomic holdings.

Now there is President's rule in the state. But no attention has been paid towards the assurances given in the Election manifesto for their implementation. Large tracks of cultivable land are lying unutilised in Gonda, Bahraich. Lakhimpur, Pilibhit and Nainital districts and are not being allotted to harijans and landless people. The land is under the occupation of Mill wOners.Today in Uttar Pradesh an agitation is being carried on by the landless people.

Food problem in Uttar Pradesh is an acute problem. The Government should make efforts to solve the land problem so long a popular Government is not formed in that state otherwise the agitation will take a violent turn and the people will occupy the land forcibly. The Government should see that such a situation should not take peace and peace should be maintained in the State.

**The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K- C. Pant)** : During the debate on the budget many questions and local problems have been raised and many suggestions have also been made. We hope that the concerned officers will consider them and will try to reap benefit out of them. It is true that Uttar Pradesh has not made much headway in the field of industrialisation. We have to develop industries there. Certain old industries like cloth and sugar are facing difficulties. But I do not agree with this view that U.P. has not made progress in the field of agriculture. There is a good crop of wheat in Jaunpur, Sultanpur, Banaras and Ajamgarh this year, although these are rice producing areas. Similarly in Terai areas much progress has been made in the field of agriculture, The use of improved seeds have increased and the irrigation facilities have also increased. Specially in the last two years the agricultural production has increased. It has been said that only 2 percent of the budget is spent over irrigation in Uttar Pradesh. But on seeing the figures I came to know that there is a provision of Rs. 20 crores for minor irrigation and Rs. 13 crores for major irrigation and thus there is a provision of Rs. 38 crores for

irrigation in this budget which is 24 percent of the total budget. More attention will have to be given for the development of eastern Uttar Pradesh, hill areas etc.

There is no doubt that the economic progress of the whole country depends upon the economic progress of Uttar Pradesh to some extent. Therefore, U.P. cannot be allowed to remain behind in the economic race. But the question is how to accelerate the rate of progress and how to fulfil the requirements of the state. The first thing is that if we want assistance from the centre we will have to see that how much resources have been raised by U.P. state itself. During the First Five year Plan the target was of Rs. 50 crores but the state provided only Rs. 11 crores, during the second Five Year Plan there was a target of Rs. 69 crores but only Rs. 31 crores were made available and during the third plan the target was Rs. 109 crores but only Rs. 90 crores were provided by the state, thus it has lagged behind in this respect and the progress could not be made during the last 9—10 months the SVD Government also neglected this aspect. But they have suggested many concessions in taxes and allowed concession in some cases. They did not pay attention to the fact that along with the concession in taxes if the resources are not raised there will be a decline in the rate of development.

So far as eastern U.P. is concerned it can not be said that nothing has been done for the progress of this area. During the Third Five Year Plan some assistance was given specially of eastern U.P. During the last year of the Third Five year Plan Rs. 8.5 crores were given as aid to the eastern districts of U.P. In the Fourth Plan also these areas will have their due place in the state plan. During the first two five year plans no industry was set up by the centre in U.P. bnt during the Third Five Year Plan some industries have been set up and now a fertilizer plant is going to be set up at Kanpur in private sector. The Railway Ministry has also set up a diesel locomotive factory at Banaras. It is fact that big industries strengthen the economic structure but it is also true that their impact on the income of the individual is not as quick as that of the small scale industries. Therefore small scale industries are to be set up in U.P. to achieve progress. Today western U.P. is more developed than eastern U.P. and the reason is that in western districts of U.P. many small scale industries have been set up. It is a fact that the per capita assistance given by the centre to Uttar Pradesh is much less than that given to other states. The reason is that U.P. has the largest population. But if we look to the amount of assistance given during the last three Five Year Plans, we will find that it has been constantly increasing. You will be pleased to know that in the Fourth Five Year Plan population factor is being special importance and 70 percent of the central assistance will be based on this factor of population and the remaining 30 percent on other factors.

Some hon-members made a reference to the communal problem in U.P. It is true that some Communal riots broke out in Uttar Pradesh. We realise that those were undesirable incidents. It is a matter which requires serious consideration. We should all rise above party level and endeavour to see that such incidents do not occur again. It is the duty of all of us to curb all such riots.

**उपाध्यक्ष महोदय द्वारा सभी कटौती प्रस्ताव मतदान के लिये रखे गये**

**तथा अस्वीकृत हुए ।**

**The Cut motions were put and negatived.**

**उपाध्यक्ष महोदय द्वारा वर्ष 1968-69 के लिये उत्तर प्रदेश के सम्बन्ध में अनुदानों की निम्नलिखित मांगें मतदान के लिए रखी गईं और स्वीकृत हुई**

**The following demands for grants in respect of Uttar Pradesh were put and adopted.**

**वर्ष 1968-69 के लिये उत्तर प्रदेश के सम्बन्ध में निम्नलिखित अनुदान की मांगें प्रस्तुत की गई ।**

| मांग संख्या | शीर्षक | राशि |
|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) |
| | | रुपये |
| 1 | वृहत् जोत-कर | 2,51,500 |
| 2. | भू-राजस्व | 8,11,93,900 |
| 3. | राज्य आबकारी | 34,34,300 |
| 4. | बिक्री-कर | 63,07,200 |
| 5. | अन्य कर और शुल्क | 20,39,400 |
| 6. | स्टाम्प | 10,38,200 |
| 7. | निबन्धन (रजिस्ट्रेशन) | 23,99,100 |
| 8 | राज्य विधान मण्डल | 35,16,900 |
| 9. | निर्वाचन | 8,41,700 |
| 10. | सामान्य प्रशासन | 1,97,51,200 |
| 11. | आयुक्त और जिला प्रशासन | 7,74,28,900 |
| 12. | गांव सभायें और पंचायतें | 1,21,41,200 |
| 13. | न्याय प्रशासन | 1,98,03,700 |
| 14. | कारागार | 2,18,38,100 |
| 15. | पुलिस | 16,86,36,900 |
| 16. | खाद्य और रसद तथा अन्य संगठन | 1,05,06,200 |
| 17. | वैज्ञानिक शोध तथा सांस्कृतिक कार्य | 16,68,500 |
| 18. | शिक्षा | 38,96,49,000 |
| 19. | चिकित्सा | 7,93,19,800 |
| 20. | सार्वजनिक स्वास्थ्य | 8,56,82,400 |
| 21. | कृषि सम्बन्धी विकास | 8,97,42,600 |
| 22. | उपनिवेशन | 2,14,100 |
| 23. | पशु-पालन तथा मत्स्य-पालन | 3,52,75,900 |
| 24. | सहकारिता | 1,55,55,300 |
| 25. | उद्योग | 6,72,95,700 |
| 26. | नियोजन और समन्वय | 14,22,54,600 |
| 27. | श्रम और सेवायोजन | 3,42,79,700 |
| 28. | सूचना निदेशालय | 29,16,800 |
| 29. | अनुसूचित और पिछड़ी हुई जातियाँ | 2,91,40,600 |

| मांग संख्या | शीर्षक | राशि |
|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) |
| | | रुपये |
| 30. | समाज कल्याण | 38,78,300 |
| 31. | राजस्व से किये जाने वाले सिंचाई के निर्माण-कार्य | 16,20,52,200 |
| 32. | सिंचाई अधिष्ठान | 6,51,35,100 |
| 33. | सार्वजनिक निर्माण-कार्य जो राजस्व से किये जाते हैं | 8,26,56,000 |
| 34. | संचार साधनों का सुधार | 83,75,400 |
| 35. | सार्वजनिक निर्माण-कार्य अधिष्ठान | 2,83,38,400 |
| 36. | सार्वजनिक निर्माण-कार्यों के लिये सहायक अनुदान | 1,17,41,400 |
| 37. | परिवहन | 23,43,29,800 |
| 38. | दुर्भिक्ष सहायता | 34,44,300 |
| 39. | अधिवर्ष भत्ते और पेंशनें | 2,42,26,900 |
| 40. | राजनीतिक पेंशनें तथा भत्ते | 16,05,000 |
| 41. | लेखन-सामग्री और मुद्रण | 1,67,59,800 |
| 42. | वन | 4,83,74,100 |
| 43. | प्रकीर्ण व्यय | 3,42,73,500 |
| 44. | राष्ट्रीय संकट से सम्बद्ध व्यय | 1,48,38,700 |
| 45. | कृषि योजनाओं पर पूंजी परिव्यय | 33,43,57,000 |
| 46- | औद्योगिक और आर्थिक विकास पर पूंजी परिव्यय | 8,40,10,500 |
| 47. | बहु-प्रयोजनीय नदी योजनाओं पर पूंजी परिव्यय | 10,09,33,000 |
| 48. | सिंचाई निर्माण-कार्यों पर पूंजी परिव्यय | 6,61,02,400 |
| 49. | सार्वजनिक निर्माण-कार्यों पर पूंजी परिव्यय | 13,64,28,300 |
| 50. | सड़क परिवहन तथा अन्य योजनाओं पर पूंजी परिव्यय | 2,71,64,000 |
| 51. | पेंशनों का राशि मूल्य | 4,94,100 |
| 52. | राज्य व्यापार की योजनायें | 58,19,92,400 |
| 53. | ब्याज वाले ऋण और अग्रिम | 47,44,55,600 |

# उत्तर प्रदेश विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 1968
# UTTAR PRADESH APPROPRIATION (NO. 2)BILL

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त)** : मुझे वित्तीय वर्ष 1968-69 की सेवाओं के लिये उत्तर प्रदेश राज्य की संचित निधि में से निश्चित राशि के भुगतान और विनियोग का अधिकार देने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय।

**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1968-69 की सेवाओं के लिए उत्तर प्रदेश राज्य की संचित निधि में से निश्चित राशि के भुगतान और विनियोग का अधिकार देने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय।

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ**

**The motion was adopted**

**श्री कृष्ण चन्द्र पन्त** : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूँ।

मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि वित्तीय वर्ष 1968-69 की सेवाओं के लिये उत्तर प्रदेश राज्य की संचित निधि में से निश्चित राशि के भुगतान और विनियोग का अधिकार देने वाले विधेयक पर विचार किया जाय।"

**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1968-69 की सेवाओं के लिए उत्तर प्रदेश राज्य की संचित निधि में से निश्चित राशि के भुगतान और विनियोग का अधिकार देने वाले विधेयक पर विचार किया जाय।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

**The motion was adopted.**

**उपाध्यक्ष महोदय** : अब हम इस विधेयक पर खण्डवार चर्चा करेंगे।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 1 से 3, अनुसूची, अधिनियम सूत्र और शीर्षक विधेयक का अंग बने।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

**The motion was adopted**

**खण्ड 1 से 3, अनुसूची, अधिनियम सूत्र, और शीर्षक विधेयक में जोड़े गये।**

**Clauses 1 to 3, the Schedule, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill**

**श्री कृष्ण चन्द्र पन्त** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाय।"

**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाय।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ**

**The motion was adopted.**

# पश्चिमी बंगाल बजट
# WEST BENGAL BUDGET

**उपाध्यक्ष महोदय** : अब सभा में पश्चिमी बंगाल के बजट 1968-69 से सम्बन्धित अनुदानों की मांगों पर विचार किया जायेगा। श्री गणेश घोष अब कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करें।

**पश्चिमी बंगाल आय-व्ययक की मांगों के सम्बन्ध में निम्नलिखित कटौती, प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये** :—

| माँग संख्या | कटौती प्रस्ताव संख्या | प्रस्तावक का नाम | कटौती का आधार | कटौती की राशि |
|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 12 | 1 | श्री गणेश घोष | नवम्बर, 1967 से फरवरी, 1968 के दौरान पुलिस द्वारा किये गये अत्याचारों के विरुद्ध उचित कार्यवाही न करना। | राशि घटाकर 1 रुपया कर दिया जाये |
| 12 | 2 | ,, | साम्प्रदायिक दंगों को रोकने के लिये समुचित कार्यवाही न करना। | ,, |
| 12 | 3 | ,, | नकसलबाड़ी क्षेत्र के उग्रवादी किसानों के प्रति बदले की भावना वाली नीति अपनाना। | ,, |
| 12 | 4 | ,, | दैनिक आवश्यकता की वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि रोकने में असफलता। | ,, |
| 12 | 5 | ,, | अलोकतन्त्रीय तथा जनविरोधी प्रशासकीय नीति। | ,, |
| 12 | 6 | ,, | बिना मुकदमा चलाये बहुत से राजनीतिक व्यक्तियों को हिरासत में रखना। | ,, |
| 12 | 7 | ,, | अनाज वसूली नीति की असफलता। | ,, |
| 12 | 8 | ,, | राज्य सरकार के कर्मचारियों की न्यायोचित तथा उपयुक्त मांगों को पूरा न करना। | ,, |
| 12 | 9 | ,, | बंगाल के ग्रामीण क्षेत्रों के कमी वाले इलाकों में पर्याप्त 'जी आर' और 'टी आर' उपलब्ध करने के लिये उचित कार्यवाही न करना। | ,, |
| 15 | 10 | ,, | शान्तिपूर्ण लोकतन्त्रीय आंदोलन का पुलिस द्वारा दमन। | ,, |

| मांग संख्या | कटौती प्रस्ताव संख्या | प्रस्तावक का नाम | कटौती का आधार | कटौती की राशि |
|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 15 | 11 | श्रीगणेशघोष | गत दिसम्बर मास में उत्तरपाड़ा प्यारे मोहन कालेज के विद्यार्थियों तथा अध्यापकों पर पुलिस के अत्याचार । | रशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये |
| 15 | 12 | " | शिक्षा संस्थाओं में पुलिस का प्रवेश बन्द न करना । | " |
| 15 | 13 | " | जन साधारण के प्रति पुलिस के व्यवहार में सुधार न करना । | " |
| 30 | 14 | " | बढ़ती बेरोजगारी रोकने में असफलता । | |
| 30 | 15 | " | नियोजकों को, मनमाने ढंग से छंटनी, तालाबन्दी तथा जबरी छुट्टी देना, रोकने के लिये बाध्य न करना । | " |
| 45 | 16 | " | 24 परगना में कालिकापुर स्थित टालीगंज रेलवे कालोनी में इस समय धरना दे रहे विस्थापित परिवारों का पुनर्वास न करना । | " |
| 45 | 17 | " | पूर्वी बंगाल से आये विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास हेतु पर्याप्त कार्य-वाही न करना । | " |

**उपाध्यक्ष महोदय** : अब हम इन कटौती प्रस्तावों पर विचार करेंगे ।

**श्री गणेश घोष** : पश्चिमी बंगाल का बजट न तो उस गम्भीर आर्थिक संकट की स्थिति को प्रतिबिम्बित करता है जिससे कि यह राज्य गुजर रहा है और न ही प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष, किसी भी रूप से यह वहाँ के राजनीतिक संकट को प्रतिबिम्बित करता है जिससे कि यह अभागा राज्य ग्रस्त रहा ।

यह बजट कांग्रेस सरकार द्वारा तैयार किये गये पहले अन्य बजटों की प्रतिलिपि ही है, पश्चिम बंगाल में विभिन्न प्रकार के उद्योग हैं, जिनमें कई लाख लोग काम करते हैं । वर्तमान मंदी के कारण समूचे राज्य की अर्थ-व्यवस्था पर भयंकर प्रभाव पड़ा है । इंजीनियरी उद्योग पर अधिक प्रभाव पड़ा है, छोटे इंजीनियरी कम्पनियों को बन्द होना पड़ा है जबकि बड़े इंजीनियरी उद्योगों ने बड़े पैमाने पर छंटनी, जबरी छुट्टी और तालाबन्दी का सहारा लेकर सारा बोझ श्रम-जीवियों पर डाल दिया है । श्रमजीवी, किसान, विद्यार्थी आदि सभी लोग मूल्य वृद्धि, भूख और अपने जीवन के लिये भीषण संघर्ष में जुटे हुए हैं । केन्द्र में कांग्रेस के नेता एकाधिपतियों तथा जमीदारों के इशारों पर इन भूखे संघर्ष-रत लोगों को कुचलने के सभी उपाय कर रहे हैं ।

बजट में जेल और पुलिस के लिये लगभग 20.50 करोड़ की व्यवस्था से इस नीति का स्पष्ट संकेत मिलता है। 4 करोड़ की जनता पर, जिसमें मर्द, औरत, बच्चे और बूढ़े लोग भी शामिल हैं, यह अनिवार्य वसूली है, जो 5 रुपये प्रति व्यक्ति होती है। ब्रिटिश शासन काल में 6 करोड़ की आबादी के लिये लिये यह राशि केवल 2 करोड़ रुपए थी। जब 1942 में यह राशि बढ़ाकर 4 करोड़ रुपये की गई, तो हमारे सामने बैठे सज्जनों ने ही एक तूफान मचा दिया था। ब्रिटिश सरकार पुलिस पर प्रति व्यक्ति 12 आने खर्च करती थी परन्तु अब कांग्रेस सरकार प्रति व्यक्ति 5 रुपये खर्च करती है। यह लगभग 700 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

पश्चिम बंगाल में राज्यपाल धर्मवीर के शासन से लाभ उठाकर नियोजक और कारखानेदार मनमाने ढंग से सैकड़ों नहीं हजारों श्रमिकों की छंटनी कर रहे हैं और तालाबन्दी की घोषणा कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल सरकार या तो उपेक्षा करती है अथवा कर्मचारियों और श्रमिकों के शांन्तिपूर्ण आन्दोलनों को निर्दयता से कुचलकर प्रत्यक्ष रूप से नियोजकों की सहायता करती है। माईनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी इंडस्ट्रीज, दुर्गापुर में औद्योगिक विवाद पर समझौते के लिये बातचीत के दौरान 6 मई से तालाबन्दी का नोटिस दे दिया गया है। रानीगंज में रत्तीबारी और कुआर्डी कोयला खानों में प्रतिनिधि कार्मिक संघों को तोड़ने तथा दबाने के निरन्तर प्रयत्न किये जा रहे हैं। इन खानों के प्रबन्धकों ने गुण्डों द्वारा श्रमिकों तथा उनके परिवारों को उनके घरों से बेदखल करा दिया। राज्य सरकार तथा पुलिस के अधिकारियों ने खुले आम और बेशर्मी के साथ इसमें सहयोग प्रदान किया टैक्सनाको, बंगाल लैम्प और बंगाल इम्यूनिटी कम्पनियां कितने ही दिन के लिये बन्द हो जाती हैं। पश्चिम बंगाल में बड़े पैमाने पर बेरोजगारी है जिससे राज्य की अर्थ-व्यवस्था छिन्न-भिन्न हो रही है।

[श्री तिरुमल राव पीठासीन हुए।
Shri Thirumala Rao in the Chair]

राज्य सरकार द्वारा हाल में किये गये एक सर्वेक्षण से पता चला है कि राज्य में 38 प्रतिशत परिवार बेरोजगारी से प्रभावित हैं। बजट में इस गम्भीर स्थिति का कोई संकेत नहीं है और तथ्यों को छिपाने का प्रयास किया गया है। राज्य सरकार के कर्मचारियों को राहत देने के लिये बजट में कोई व्यवस्था नहीं की गई है।

कांग्रेस का विरोध करने वाले सभी राजनीतिक दलों के लोगों को अब भी बिना कोई मुकदमा चलाये बड़ी खराब हालत में जेल में रखा जा रहा है। नक्सलबाड़ी के उग्रवादी किसानों का अब भी भयंकर दमन जारी है। इससे केवल राजनीतिक प्रतिद्वन्दियों के प्रति वैमनस्य की स्पष्ट झलक मिलती है।

अनाज की वसूली बिल्कुल असफल रही है और बड़े जमींदारों ने अपना धन छिपा लिया है। राज्य सरकार के गोदामों में केवल 2.5 लाख टन अनाज जमा हुआ है। अनुग्रह सहायता तथा अन्य प्रकार की सहायता की राशि, जो 15-16 प्रतिशत हुआ करती थी, केवल एक प्रतिशत हो गई है। पटसन और सूती कपड़ा उद्योगों के श्रमिकों, विद्यार्थियों, शिक्षकों, किसानों आदि सभी वर्गों को अपने जीवन के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। पश्चिम बंगाल की जनता राज्य में निष्पक्ष चुनाव कराने के लिये तुरन्त राज्यपाल धर्मवीर के हटाये जाने की मांग कर रही है। लेकिन

केन्द्रीय सरकार ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। केन्द्रीय सरकार के कांग्रेसी नेताओं ने पश्चिम बंगाल की मुनाफाखोर एकाधिपतियों तथा चोर-बाजारी करने वाले लोगों का स्वच्छन्द शिकारगाह बना दिया गया है। मैं इस बजट का कड़ा विरोध करता हूं।

**श्री विमल कांति घोष** (सेरामपुर) : पश्चिम बंगाल बजट की वर्ष 1968-69 के लिये अनुदानों की मांगों का समर्थन करते हुए मैं राज्य की गम्भीर खाद्य स्थिति की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। पश्चिम बंगाल में अनाज का विशेष रूप से चावल का अत्यन्त अभाव है। केन्द्रीय सरकार को पश्चिम बंगाल को पर्याप्त मात्रा में चावल भेजना चाहिए। साथ ही चावल तथा अन्य अत्यावश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि को रोकने के लिये उचित कार्यवाही भी की जानी चाहिये।

ग्रामीण क्षेत्रों में एम० आर० दुकानों के जरिये सस्ती दरों पर तथा पर्याप्त मात्रा में चावल सप्लाई किया जाना चाहिए। वितरण का कार्य अंचालिक परिषदों अथवा स्थानीय अंचन पंचायतों के सीधे नियंत्रण में होना चाहिए। मेरे विचार में राज्य को अनाज में आत्म-निर्भर बनाने के लिये कृषि को उच्चतम प्राथमिकता दी जानी चाहिए। यह प्रसन्नता की बात है कि अधिक उपज देने वाली किस्मों के कार्यक्रम को महत्व दिया जा रहा है। गत वर्ष 55,000 एकड़ भूमि में अधिक उपज देने वाला धान बोया गया है। आगामी वर्ष का लक्ष्य 7.5 लाख एकड़ है। राज्य में तीन प्रमुख सिंचाई योजनाओं, अर्थात् मयूराक्षी, कंगसबती और दामोदर घाटी निगम से 10 लाख एकड़ से अधिक भूमि में सिंचाई की व्यवस्था है। छोटी सिंचाई योजनाओं पर अधिकतम जोर दिया जाना चाहिए। नलकूप खोदे जाने चाहिये तथा ग्रामीण क्षेत्रों में तालाबों को सुधारने पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। सस्ती दरों पर तथा पर्याप्त मात्रा में उर्वरक भी सप्लाई किये जाने चाहिए। सामान्यतः किसानों को समय पर सिंचाई के लिये पानी तथा उर्वरक प्राप्त करने में कठिनाई होती है। इस ओर तुरन्त ध्यान दिया जाना चाहिए, ग्रामीण क्षेत्रों में सिंचाई के हेतु नलकूपों के लिये राज्य बिजली बोर्ड द्वारा सस्ती दरों पर बिजली सप्लाई की जानी चाहिए।

पश्चिमी बंगाल की जनसंख्या 20 वर्षों में लगभग दुगनी हो गई है। इसलिये खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता के लिये कोई योजना बनाते समय इसको ध्यान में रखा जाना चाहिए। कृषकों के हितों की रक्षा के लिये फसल बीमा योजना को तुरन्त लागू किया जाना चाहिए। पश्चिम बंगाल की दूसरी उत्कट समस्या बेरोजगारी की है। अब यह समस्या ग्रामीण क्षेत्रों में भी तीव्र गति से बढ़ती जा रही है। औद्योगिक क्षेत्रों में उद्योगों का विकास किया जाना चाहिए और रोजगार देने में किसानों को उच्चतम प्राथमिकता दी जानी चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को वैकल्पिक रोजगार देने के लिये वहां पर कुटीर तथा लघु उद्योग स्थापित किये जाने चाहिए। सरकार को इसके लिये सहायता देनी चाहिए। पश्चिम बंगाल में हथकरघा उद्योग सर्वाधिक महत्वपूर्ण कुटीर उद्योग है। इसे सबसे अधिक आर्थिक सहायता दी जानी चाहिये। गांवों में बिजली का प्रसार करने से कुटीर उद्योगों को बहुत लाभ पहुंचेगा। इसलिए गांवों में बिजली लगाने का काम तुरन्त आरम्भ किया जाना चाहिए। प्रत्येक पंचायत में एक स्वास्थ्य केन्द्र होना चाहिए। तथा प्रत्येक विकास खंड में एक अस्पताल होना चाहिए। नगरपालिकाओं को अधिक वित्तीय सहायता दी जानी चाहिए। पूर्वी पाकिस्तान से आने वाले विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास के लिये अविलम्ब कार्यवाही की जानी चाहिए। गहरे समुद्र में मछली पकड़ने सम्बन्धी संगठन क ापुनर्गठन किया जाना चाहिए। गावों में

सड़कों का यथाशीघ्र विकास किया जाना चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं पश्चिम बंगाल की अनुदानों की माँगों का समर्थन करता हूँ।

**श्री देवकी नन्दन पाटोदिया** (जालौर) : 1967 के आम चुनावों के बाद 15 महीनों में पश्चिम बंगाल एक कठिन दौर से गुजरा है। समूचे राज्य में असुरक्षा, अस्थिरता और अराजकता की स्थिति रही है। राज्य का प्रशासन बिलकुल निष्क्रिय हो गया था तथा सरकार वस्तुतः नहीं रही थी। राज्य औद्योगिक गतिविधियां ठप्प हो गई थीं। केन्द्रीय सरकार को करोड़ रुपये के राजस्व की हानि हुई। केन्द्रीय सरकार द्वारा कार्यवाही करने में विलम्ब किये जाने से स्थिति और खराब हो गई। 20 फरवरी को जब वहां पर राष्ट्रपति का शासन लागू किया गया, बहुत क्षति हो चुकी थी। लोकतन्त्रीय प्रक्रिया में जनता का विश्वास लगभग समाप्त हो गया था। लोग रोष में भी आ गये थे और अभी यह रोष समाप्त नहीं हुआ है। आज या कल के समाचार पत्रों में हमने विद्यार्थियों द्वारा कलकत्ता विश्वविद्यालय के उपकुलपति का 3 घण्टे तक घेराव किये जाने का समाचार पढ़ा। सामरिक दृष्टि से भी राज्य का अत्यधिक महत्व है। वहां पर पाकिस्तानी एजेंट भी क्रियाशील रहे हैं तथा चीन के एजेंट भी क्रियाशील हैं जैसा कि नक्सलबाड़ी में प्रमाण मिला। ये तत्व आज भी शान्त नहीं बैठे हैं। हमें समाचार पत्रों से पता चला है कि 2000 पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा हमारी सीमा चौकी पर आक्रमण किये जाने के कारण उस क्षेत्र से स्त्रियों और बच्चों को निकालना पड़ा। जहां यह राज्य औद्योगिक गतिविधियों का केन्द्र है, वहां पर साथ-साथ केन्द्रीय सरकार को बहुत सा राजस्व प्राप्त होता है। समूचे पूर्वी क्षेत्र का सारा विदेशी व्यापार कलकत्ता बन्दरगाह से होता है। ऐसे क्षेत्र में जरा सी भी अशान्ति से हमारे औद्योगिक उत्पादन, अर्थव्यवस्था, सामरिक स्थिति तथा सामाजिक उन्नति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। हमें शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए तथा ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होने देनी चाहिए तथा राज्य की जनता में लोकतन्त्र के प्रति आस्था को पुनः निर्मित करना चाहिए।

पश्चिम बंगाल में बिजली की कमी का अभूतपूर्व संकट पैदा हो गया है। राज्य में उद्योगों तथा कृषि का विकास पूर्ण रूप से बिजली की उपलब्धता पर निर्भर करता है। सिंचाई तथा विद्युत मंत्री श्री के० एल० राव के अनुसार पूर्वी क्षेत्र में बिजली की कमी 1970-71 तक 200 मिगेवाट, 1973-74 तक 500 मिगेवाट और 1975-78 तक 1300 मिगेवाट हो जाने का अनुमान है। इस केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किये गये विज आयोग ने भी इस मत की पुष्टि की है। इस मांग को पूरा करने के लिये जनवरी 1963 में ऐसे योजना बनाई गई थी जिसके अन्तर्गत दुर्गापुर प्रौजैक्ट्स लिमिटेड को 150 मिगेवाट बिजली सप्लाई करने के लिये एक नया जैनेरेटर लगाना था। इस बारे में सिविल कार्य तथा परामर्श पर 29 लाख रुपये खर्च भी किये जाने के बाद भी इस योजना की क्रियान्वित को रोक दिया गया। इसके अतिरिक्त हैवी इलैक्ट्रिकलन लिमिटेड, भूपाल भी 120 मिगेवाट बिजली सप्लाई करने के लिये सहमत हो गई थी परन्तु इस पर भी उचित ध्यान नहीं दिया गया। राज्य को विकास की गति को बनाये रखने के लिये विद्युत संसाधनों के विकास की ओर समुचित ध्यान देना आवश्यक है इसके लिये केन्द्रीय सरकार को पर्याप्त धन की व्यवस्था करनी चाहिए।

1968-69 के बजट में 250 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई, जो 1966-67 की तुलना में 26 करोड़ रुपये अधिक है। इसमें कम से कम 10-15 करोड़ रुपये की बचत की जा सकती है। दो प्रकार का व्यय होता है, एक जिससे व्यय के साथ-साथ कुछ राजस्व भी प्राप्त नहीं होता और दूसरी श्रेणी का व्यय वह होता है जिससे कोई राजस्व प्राप्त नहीं होता है। प्रथम श्रेणी के करारोपण के बारे में उदाहरणस्वरूप मैं भू-राजस्व का उल्लेख करूंगा। 1966-67 में भू-राजस्व पर व्यय 4,73,48,000 रुपये का और आय 5,99,89,000 रुपये की। अब दो वर्ष बाद 1968-69 में ये आंकड़े क्रमशः 5,88,47,000 रुपये और 1,14,93,000 रुपये हो गये हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि व्यय 1.14 करोड़ रुपये बढ़ गया परन्तु आय केवल 36 लाख रुपये ही बढ़ी। इसी प्रकार राज्य उत्पादन शुल्क सम्बन्धी व्यय में दो वर्षों में 14,71,000 रुपये की वृद्धि हो गई परन्तु आय केवल 87,000 रुपये बढ़ी। ऐसे अनेक मामले हैं जिनसे स्पष्ट है कि बचत की बहुत गुंजाइश है।

दूसरी श्रेणी के व्यय के अन्तर्गत चिकित्सा पर 14,41,39,000 रुपये की व्यवस्था की गई है। क्या यह राशि उपयुक्त प्रयोजनों के लिये खर्च की जाती है। कुछ दिन पहले मेरी ध्यानाकर्षण सूचना के उत्तर में स्वास्थ्य मन्त्री ने स्वीकार किया था कि पश्चिम बंगाल के अस्पतालों में अपव्यय हो रहा है और भ्रष्टाचार विद्यमान है। इसी प्रकार सहकारिता, सामुदायिक विकास, राष्ट्रीय आपात स्थिति सम्बन्धी व्यय आदि में बचत की जा सकती है। ये मद राजनीतिक लाभ बाँटने का साधन बन गये हैं। इस बारे में उचित जांच की जानी चाहिए। आपात स्थिति व्यय के 1967-68 में 1 42,00,000 रुपये से बढ़कर 2.11,00,000 रुपये हो जानेके क्या कारण हैं? मेरा यही अनुरोध है कि अपव्यय को रोका जाना चाहिये और जहां कहीं सम्भव हो, वास्तविक बचत की जानी जाहिए।

**श्री अ० कु० सेन** (कलकत्ता-उत्तर पश्चिम) : भारत के इस भाग के हम लोगों को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा है, जिनमें से बहुत सी समस्याएं हमारी बनाई हुई नहीं हैं। विभाजन के साथ वित्तीय सामाजिक और राजनीतिक अनेक समस्याएं उत्पन्न हो गईं, जिनका अकेले भार वहन करना राज्य के लिये सम्भव नहीं था। उदाहरण के लिये विस्थापित व्यक्तियों के आने का समाप्त न होने वाला सिलसिला आरम्भ हो गया। लगभग 40 लाख शरणार्थी आ गये। वित्तीय दृष्टि से राज्य तबाह हो गया। उन्हें बसाने के लिये भूमि भी नहीं रही है। फिर भी इस वर्ष विस्थापितों के लिये 2 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। समस्याएं अभी तक पूर्ण रूप से हल नहीं हुई हैं। हजारों लोगों को अभी बसाया जाना बाकी है। राज्य से बाहर बसाये गये व्यक्तियों के साथ उपयुक्त व्यवहार नहीं किया गया। मैंने अन्दमान में देखा कि उन्हें बंजर और ऐसी भूमि दी गई, जहां पानी उपलब्ध नहीं था। इस गम्भीर मानवीय समस्या ने समूचे राज्य की जड़ें हिला दीं। अन्य शहरों के समान कलकत्ता नगर का विकास नहीं हुआ। इसकी ओर उचित ध्यान नहीं दिया गया। चारों ओर शरणार्थी फैले हुए हैं और पानी की सप्लाई की व्यवस्था में बहुत सुधार करने की आवश्यकता है।

जनसंख्या, जो 19वीं शताब्दी में 10 लाख थी, अब बढ़कर लगभग 60 लाख हो गई परन्तु सुविधाएँ उतनी है। सम्पूर्ण कलकत्ता नगर उपेक्षा की प्रतिमूर्ति है। विशाल कलकत्ता विकास योजना के लिये 39.55 लाख रुपये मांगे गये हैं। देश के इस भाग में न तो सड़कें हैं, न नालियां

और न ही मल-निकास व्यवस्था है । यह एक आश्चर्य की बात है कि वहां पर लोग किस प्रकार रह रहे हैं । इस मामले में और विलम्ब नहीं करना चाहिए । सीमा समस्या, शरणार्थी समस्या आदि अखिल भारतीय समस्याएं हैं । इसलिये इस कार्य का उत्तरदायित्व केवल पश्चिम बंगाल सरकार पर ही नहीं बल्कि सारे भारत पर । अतः केन्द्रीय सरकार को कलकत्ता की समस्या को हल करने का उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेना चाहिए ।

विकास और बेरोजगारी की समस्या आज बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि मध्यम तथा अन्य वर्गों के हजारों शिक्षित व्यक्ति बेरोजगार है जो अपने श्रम तथा मानसिक शक्ति से वास्तव में बहुत कुछ पैदा कर सकते हैं । इस समस्या को एक ठोस औद्योगिक पुनर्निर्माण कार्यक्रम द्वारा ही हल किया जा सकता है ।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए ।
Mr. Deputy Speaker in the Chair]

सरकार को देश के इस भाग के प्रति सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण अपनाना चाहिए । मैं आशा करता हूं कि न केवल वर्तमान अन्तरिम सरकार बल्कि भावी लोकतन्त्रीय सरकार तथा केन्द्रीय सरकार कलकत्ता की समस्या की गम्भीरता को समझेगी और कुछ वास्तविक ठोस कार्यवाही करेगी ।

## गैर–सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति
## COMMITTEE ON PRIVATE MEMBER'S BILLS AND RESOLUTIONS

### तीसवां प्रतिवेदन

**श्री कृ० मा० कौशिक** (चांदा) : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के तीसवें प्रतिवेदन से, जो 30 अप्रैल, 1968 को सभा में पेश किया गया था, सहमत है ।"

**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के तीसवें प्रतिवेदन से, जो 30 अप्रैल, 1968 को सभा में पेश किया गया था ।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ**
**The motion was adopted**

## जर्मन लोकतंत्र गणराज्य की राजनयिक मान्यता सम्बन्धी संकल्प–जारी
## RESOLUTION RE : DIPLOMATIC RECOGNITION OF GERMAN DEMOCRATIC REPUBLIC-CONTD.

**श्री बाकर अली मिर्जा** (सिकन्दराबाद) : यह एक नीति विषयक मामला है और प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री की स्वीकृति के बिना राज्य मंत्री द्वारा निर्णय नहीं किया जा सकता है । इसलिये इस पर किसी अन्य समय पर विचार किया जाये ।

**उपाध्यक्ष महोदय** : राज्य मंत्री श्री भगत यहां पर उपस्थित हैं और हमें यह मानना चाहिये कि वे इस बारे में सरकार के विचार जानते हैं ।

**श्री ही० ना० मुकर्जी** (कलकत्ता-उत्तरपूर्व) : सिद्धान्त रूप से तथा व्यवहारिकता के दृष्टकोण से कोई कारण नहीं कि जर्मन लोकतन्त्र गणराज्य को पूर्ण मान्यता देने में विलम्ब किया जाये। मेरे विचार में अब तो जो विलम्ब हुआ है, वह अनुचित तथा हमारे देश की शान के विरुद्ध है। वास्तव में काफी समय से एक प्रकार की वस्तुतः मान्यता रही है तथा दोनों देशों के बीच बहुत से मैत्रीपूर्ण लेनदेन हुए हैं। 1954 से जर्मन लोकतंत्र गणराज्य के साथ हमारे कई राजकीय व्यापार समझौते हुए हैं और 1964 तक व्यापार दस गुना बढ़ कर 24 करोड़ रुपये हो गया। जर्मन लोकतंत्र गणराज्य ही ऐसा पहला मित्र देश है, जिसने भारत के साथ अपने व्यापार में रुपये में भुगतान व्यवस्था लागू की जिससे हमें विदेशी मुद्रा संकट में सहायता मिली। हमने नवम्बर, 1963 में एक नौवहन समझौता भी किया। फरवरी, 1964 में एक सांस्कृतिक करार भी हुआ।

जर्मन लोकतन्त्र गणपाज्य के स्वर्गीय प्रधान मंत्री ओटो ओटोवोहल भारत आये थे तथा जर्मन लोकतंत्र गणराज्य की संसद् के अध्यक्ष दो बार भारत आ चुके हैं। उनके विदेश मन्त्री श्री ओटो विंजर तथा अनेक अन्य प्रतिष्ठित व्यक्ति भारत आ चुके हैं। 22 और 23 अगस्त 1961 को श्री जवाहरलाल नेहरू ने संसद् में कहा था दो जर्मनी के अस्तित्व को स्वीकार करना चाहिए। उन्होंने युद्ध-उपरान्त की सीमा को स्वीकार करने की बात कही थी। श्री नेहरू ने पश्चिम जर्मनी की सैन्यशक्ति तथा परमाणु अस्त्रों से खतरे पर भी बल दिया था और बातचीत द्वारा शान्तिपूर्ण हल निकालने के महत्व के बारे में कहा था। मई, 1965 में अपनी रूस यात्रा की समाप्ति पर श्री लाल बहादुर शास्त्री ने इन्हीं विचारों को दोहराया था। 1966 में अपनी रूस यात्रा के दौरान प्रधान मन्त्री इन्दिरा गांधी ने भी दो जर्मनी के बारे में इन्हीं सिद्धान्तों को दोहराया था। इस नीति और इन सिद्धान्तों के दोहराये जाने के बावजूद अब भी अकर्मण्यता की स्थिति विद्यमान है। भारत सरकार ते उस देश के साथ वाणिज्यिक दौत्य सम्बन्ध तक स्थापित नहीं किये हैं। वहां पर भारत सरकार का व्यापार प्रतिनिधि भी नहीं है। बहुत क्षोभकर बातें होती है। उदाहरण के लिए भारत सरकार जर्मन लोकतन्त्र गणराज्य के पासपोर्टों को मान्यना नहीं देती है परन्तु अपने वीसा विशेष प्रकार के कागज पर देती है। भारत सरकार अपने मंत्रियों को वहां पर जाने की अनुमति नहीं देती है परन्तु जब जर्मन लोकतन्त्र के मंत्री यहां आते हैं, तो प्रधान मन्त्री तथा अन्य प्रतिष्ठित व्यक्तियों से मिलते हैं। इन्हें सरकारी तौर पर भेंट नहीं माना जाता है।

यदि हम सच्चे अर्थों में गुट-निरक्षेप हैं और हमारी अपनी स्वतन्त्र विदेश नीति है, तो हमें जर्मन संघ गणराज्य तथा जर्मन लोकतन्त्र गणराज्य के साथ समान व्यवहार करना चाहिए और दो जर्मन देशों की वास्तविकता को स्वीकार करना चाहिए। यदि हमारी नीति स्वतन्त्र हैं तो जर्मन संघ गणराज्य के साथ विशेष व्यवहार तथा जर्मन लोकतन्त्र गणराज्य के साथ भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। यदि हमारी नीति स्वतन्त्र होती, तो हमें हैल्सटीन सिद्धान्त को अस्वीकार कर देना था और हम पश्चिम जर्मनी की ब्लैक मेल के आगे नहीं झुकते।

जर्मन लोकतन्त्र गणराज्य के साथ हमारे अनेक बातों में मतैक्य है, जैसे, उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद का विरोध, विवादों को शान्तिपूर्ण तरीकों से हल करना, सभी देशों को सहयोग देना तथा उनके प्रति सद्भाव रखना। इसके विपरीत जर्मन लोकतन्त्र गणराज्य के साथ हमारी कोई समानता नहीं है। मैं उसके साथ राजनयिक सम्बन्ध समाप्त करने के लिये नहीं कहता हूं।

आर्थिक नैतिक अथवा किसी अन्य प्रकार की, कोई भी समानता नहीं है। यह एक सैन्यवादी और फासिस्ट देश है। राष्ट्रपति ल्यु बैक पर युद्ध अपराधी होने के आरोप लगाये गये हैं। मैंने स्वयं बुचेनवाल्ड बन्दी शिविर में चान्सलर कीसिंगर के युद्ध अपराधों में सम्बद्ध होने सम्बन्धी पत्रादि देखे हैं। गत नवम्बर में पालम अड्डे वाली सड़क पर उनका चित्र लगा देखकर मुझे दुःख हुआ। जब श्री नेहरू ने वियना में नाजियों की गलियों में नृशंसता के समाचार सुने, तो वे खाली पर्वतीय स्थल में विश्राम नहीं कर सके। आज जवाहरलाल नेहरू के देश को क्या हो गया है, जहां किसिंगर का भव्य स्वागत किया जाता है।

जर्मन लोकतन्त्र गणराज्य ने अत्यन्त कठिन परिस्थितियां होने पर भी अच्छी प्रगति की है। ब्रिटेन के अंग्रेजी के उदार समाचार-पत्र "गार्डि" "गार्जियन" ने 26 सितम्बर, 1967 के अंक में पूर्वी जर्मनी की आर्थिक प्रगति को एक चमत्कार बताया है। यूरोप के पांचवे और विश्व के आठवें स्थान के औद्योगिक देश केस ाथ जिसका समाजवादी संविधान है और जहाँ पर राष्ट्रीय मोर्चे की विभिन्न दलों की मिली-जुली सरकार है, हमारे इस प्रकार के व्यवहार का कोई उचित कारण नहीं है। इस देश में सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र में एक विशेष सह अस्तित्व है, जिससे हमारे ईमानदार पूंजीवादी तत्वों को शिक्षा लेनी चाहिए। सरकार को भय है कि पश्चिम जर्मनी दाण्डिक कार्यवाही करेगा। यह भय न केवल हमारे गौरव और आत्म-सम्मान पर आघात है अपितु मूर्खता-पूर्ण और व्यावहारिक रूप से उन्मादपूर्ण विचार है।

जब यूगोस्लाविया ने 1957 में जर्मन लोकतन्त्र गणराज्य से पूर्ण राजनयिक सम्बन्ध स्थापित किये, तो पश्चिम जर्मनी ने उसके साथ राजनयिक सम्बन्ध समाप्त कर दिये परन्तु बाद में पश्चिम जर्मनी को नीचा देखना पड़ा। 1960 में बर्मा और जर्मन लोकतन्त्र गणराज्य ने अपने-अपने महा बाणिज्य दूत भेजे। उस समय तो पश्चिम जर्मनी ने विरोध किया परन्तु बाद में बर्मा में में अपने प्रतिनिधि को राजदूत का दर्जा दे दिया। जब फरवरी 1964 में श्रीलंका और जर्मन लोकतन्त्र के बीच वाणिज्य दौत्य सम्बन्ध स्थापित हुए, तो पश्चिम जर्मनी ने लंका को सभी प्रकार की सहायता बन्द करने की धमकी दी। लेकिन श्रीलंका अडिग रहा और उसने पश्चिम जर्मनी की माँग को अस्वीकार कर दिया। श्रीलंका के मामले में धमकी बेकार रही लेकिन यह लज्जा की बात है कि हम धमकियों के आगे झुक रहे हैं। हमें इस स्थिति को समाप्त करना चाहिए।

सभी समाजवादी देशों के जर्मन लोकतन्त्र गणराज्य में पूर्ण-स्तर के दूतावास हैं। संयुक्त अरब गणराज्य अथवा कम्बोडिया जैसे देशों के राजनयिक स्तर के विशेष प्रतिनिधि हैं। जर्मन लोकतंत्र गणराज्य तथा बर्मा, श्रीलंका, इंडोनेशिया, ईरान, सीरिया, तंजानिया और यमन ने अपने अपने महावाणिज्य दूत भेजे हैं। अल्जीरिया, ब्राजील फिनलैंड, गियाना, लेबनान, मोराक्को, सूडान और यूटगवे में राजकीय व्यापार प्रतिनिधि हैं, अनेक अन्य देशों के व्यापार मिशन हैं परन्तु हमारा कोई मिशन नहीं हैं। जर्मन लोकतन्त्र गणराज्य का नई दिल्ली में व्यापार प्रतिनिधि है। हम इस सद्भाव का भी प्रत्युत्तर नहीं देते। यहां तक कि ब्रिटेन, फ्रांस, स्वीडन, बेल्जियम और नीदरलैण्डस ने भी अपने विदेश व्यापार वाणिज्य मण्डल के प्रतिनिधि रखना आवश्यक समझा है।

पश्चिम जर्मनी अब भी कुछ देशों को, जैसे स्विट्जरलैण्ड, स्वीडन और भारत पर दबाव डालने का प्रयास कर रहा है। हमें, इसके विरुद्ध संघर्ष करना है। अफ्रीका और एशिया में भारत

सबसे बड़ा देश है परन्तु अफ्रीकी -एशियाई देशों में से भारत के जर्मन लोकतंत्र गणराज्य के साथ सम्बन्ध निम्नतम स्तर के हैं। गांधीजी ने हमें अभय और निडरता की शिक्षा दी थी। यदि हम सत्यता के मार्ग पर हैं, तो हमें डरना नहीं चाहिए। लेकिन हमारी सरकार डरती है और वह डालर के दबाव में है। जर्मन संघ गणराज्य हमसे सहायता का मूल्य ले रहा है। पश्चिम जर्मनी के साथ हमारा वार्षिक व्यापार लगभग 100 करोड़ रुपये है, जिसमें हमें प्रति वर्ष 70-80 करोड़ रुपये घाटा होता है। प्रतिकूल व्यापार संतुलन 1961-62 में 97.53 करोड़ रुपये, 1965-66 में 1,18,74 करोड़ रुपये और जून, 1966 से फरवरी, 1967 तक 94.71 करोड़ रुपये रहा। इसके विपरीत पूर्व जर्मनीके साथ व्यापार संतुलन 1962-63 में 57 लाख रुपये, 1964-65 में 4 करोड़ रुपये, 1965-66 में 69 लाख रुपये और जून, 1966 से फरवरी, 1967 तक 7 लाख रुपये हमारे पक्ष में रहा।

जर्मन लोकतन्त्र गणराज्य के विदेशी व्यापार में भारत प्रमुख हिस्सेदार है। तिपजिग मेले में भारत सबसे बड़ा प्रदर्शक था। जर्मन लोकतन्त्र गणराज्य अत्यधिक उन्नत औद्योगिक देश होते हुए भी सभी प्रकार की वस्तुएं खरीदने के लिये तैयार है। सोवियत संघ की तरह जर्मन लोकतन्त्र गणराज्य को भी रेलवे माल डिब्बों के निर्यात की बड़ी सम्भावना है। मैं पश्चिम जर्मनी के साथ राजनयिक सम्बन्धों के विरुद्ध नहीं हूँ। परन्तु सही दिशा में सोचने वाला प्रत्येक व्यक्ति के दिमाग में यह बात समझ में नहीं आ सकती कि दो जर्मन देशों के बीच भेदभाव क्यों करें।

जर्मन लोकतन्त्र गणराज्य पहला देश था, जिसने अक्टूबर, नवम्बर 1962 में चीन के साथ भारत के संघर्ष में भारत का समर्थन किया था। जर्मन लोकतन्त्र गणराज्य जर्मनी की वास्तविक रचनात्मक परम्परा का अनुसरण कर रहा है। दो विश्व युद्धों की विभिषिका से पीड़ित जर्मनी समाजवाद के निर्माण का प्रयास कर रहा है। क्या भारत इससे अलग होना चाहता है? क्या हम शान्ति और मानव सुख के आधार पर पुनर्निर्मित हो रहे जर्मनी के साथ मित्रता चाहते हैं अथवा पश्चिम जर्मनी के नव-साम्राज्यवादियों के साथ चिपके रहना चाहते हैं? सरकार को कहना चाहिए कि हमने इस प्रश्न के बारे में बहुत विलम्ब किया है। मेरा अनुरोध है कि सभा इस संकल्प को स्वीकार करे तथा सरकार इसके अनुसार कार्य करे।

**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री मधु लिमये ने एक संशोधन की सूचना दी है। यह संशोधन काल-बाधित होने के अतिरिक्त नियम बाह्य है क्योंकि यह विचाराधीन संकल्प के मुख्य प्रयोजन से बाहर जाता है। इससे प्रस्ताव का विषय-क्षेत्र बढ़ जाता है।

**श्री अमृत नाहाटा** (बाड़मेर) मैं इस संकल्प पर अपना सशोधन प्रस्तुत करता हूँ।

**श्री इन्द्रजीत गुप्त** (अलीपुर) : मैं इस संकल्प पर अपना संशोधन प्रस्तुत करता हूँ।

**Shri Amrit Nahata** (Barmer): Mr. Deputy Speaker Sir, tomorrow the world is going to celebrate the 150th birth anniversary of the great ideologist and philospher, Karl Marx who enthused a revolutionary spirit in the human thinking. Now it is a fact of history that two Germanys have separate entities. Necessary corollary of this premise is that we should establish our diplomatic relations with both the Germanys and both these countries should be treated at par.

It is ironical that we have given recognition to West Germany where Fascist forces are once again raising their heads. While do not plead for snapping our ties with West Germany, but at the same time I must say that we should establish our relations with East Germany also. While West Germany asserts its neutrality as regards the Kashmir issue, they are arming Pakistan and when they are asked about it, they say that they are not doing anything and that it is only the Private Companies that are doing so. Not only that Kashmir has been shown as an independent state in the atlases and maps included the books of West Germany and not as an integral part of India. The Government of West Germany cannot exonerate itself from this utter irresponsibility.

It is highly deplorable that we are maintaining diplomatic relations with a country which does not recognise Kashmir as an integral part of India, but we are not having diplomatic relations with East Germany which has consistently stood by us and averted that Kashmir is an integral part of India.

In giving recognition to other state, we should not be dictated by another power. It is our internal affair and we cannot tolerate any body's interference. The Hollstein doctrine is already dead. Nobody should dictate us as to whom we should recognise or to whom we should not recognise. It is our affair and we must recognise East Germany. In doing so we must not have any fear that in case we recognise East Germany, West Germany will severe diplomatic relations with us.

Often an argument is given that East Germany is not a Member of United Nations and as such how can we establish diplomatic relations with her. We have never acted on this principle. This is not the basis on which we have recognised countries. Even West Germany was not a Member of U.N. But we have established diplomatic relations with her. So this argument does not hold good that East Germany is not a Member of U.N. and so we can not recognise her.

The Prime Minister has said that it is a very complicated question. I say there is no complication in it. We should have no fear that if we recognise East Germany, West Germany will be annoyed and we must establish diplomatic relations with East Germany. With these words I present my amendment.

**श्री पीलु मोडी** (गोधरा) : जर्मन लोकतन्त्रात्मक गणराज्य को मान्यता देने के प्रश्न पर इसके राजनैतिक, वाणिज्यिक तथा अन्य आधारों पर इसके पक्ष और विपक्ष में विभिन्न मत प्रस्तुत किये गये हैं। कुछ तर्क ऐसे हैं, जो न्यायसंगत हैं तथा कुछ तर्क ऐसे हैं जिन्हें न्यायसंगत नहीं कहा जा सकता। इससे पूर्व कि मैं जर्मनी को मान्यता देना अथवा इसे मान्यता न देने को उचित बताऊं, मैं इस प्रश्न की पृष्ठ भूमि पर प्रकाश डालना चाहता हूँ। वास्तव में जर्मन समस्या इतिहास में अपनी तरह की एक ही समस्या है, जिसका वर्तमान इतिहास में कोई उदाहरण नहीं है। जर्मन लोग किसी अन्य जाति से अधिक संगठित लोग हैं, जो अपने इतिहास तथा संस्कृति पर गर्व करते हैं और यद्यिपि उन्हें गुमराह होकर दो महाविनाशकारी विश्वयुद्धों में शामिल होना पड़ा, तथापि उन्होंने अपना व्यक्तित्व बनाये रखा है। बर्सेलीज़ की विनाशकारी संधि के बाद जर्मनी के जो भाग पड़ौसी देशों को दे दिये गये थे, उन्होंने पुनः जर्मनी में शामिल होने का निर्णय किया। यहां तक कि जो भाग फ्रांस को दिये गये थे, उन्होंने भी पुनः जर्मनी में शामिल होने का निर्णय किया, हालांकि फ्रांस की स्त्रियां और शराब विश्व विख्यात हैं। ऐसे स्वाभिमानी राष्ट्र पर दूसरे महायुद्ध के अन्त में चारो ओर से आक्रमण किये गये, परन्तु इस बार मित्र राष्ट्रों ने वे गलतियां नहीं की, जो बर्सेलीज़ की सन्धि के समय की थीं तथा वर्ष 1945 में पोस्टर्डम की सन्धि के अनुसार जर्मनी को

एक आर्थिक एकक स्वीकार किया गया। वर्ष 1949 तक चार शक्ति करार के अनुसार जर्मनी का प्रशासन चलाया जाता रहा और जर्मनी को एक राजनैतिक एकक समझा जाता रहा। परन्तु वर्ष 1949 में रूस ने अपने नियंत्राधीन क्षेत्र में एक साम्यवादी तानाशाही राज स्थापित कर दिया। पश्चिमी राष्ट्रों ने जर्मनी के पुन: एकीकृत न कर सकने से निराश होकर अपना नियंत्रण समाप्त करके एक शांति सन्धि पर हस्ताक्षर कर दिये और जर्मनी के संघीय गणराज्य की स्थापना की, जिसने बाद में संविधान बनाने तक एक मूल विधान बनाया जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया कि यह गणराज्य उन जर्मन लोगों की ओर से भी काम कर रही है, जिन्हें इसमें शामिल होने से वंचित रखा गया है और यह कि 1 करोड़ 70 लाख जर्मन, जो सोवियत तानाशाही राज में अपनी इच्छा के विरुद्ध रह रहे हैं, उन्हें भी इस गणराज्य में पूरे नागरिक अधिकार प्राप्त होंगे।

जब निन्दनीय "बर्लिन बन्द" असफल हो गया, तो रूस के वास्तविक उद्देश्य सामने आ गये। इसके पश्चात जर्मनी की पुन: एकीकरण की समस्या को यूरोप की सुरक्षा के साथ जोड़ दिया गया। पश्चिम राष्ट्र चाहते थे कि यूरोप की सुरक्षा के लिये जर्मनी का एकीकरण किया जाना चाहिये तथा रूस की मांग थी कि यूरोप की सुरक्षा के हित में यह है कि जो क्षेत्र उसके आधीन है उसे अलग रखा जाये। इसके बाद कई सम्मेलन हुए, जिनका मैं विस्तारपूर्वक उल्लेख नहीं करना चाहता। अन्त में वर्ष 1955 में जेनेवा में एक शिखर सम्मेलन हुआ, जिसमें रूस ने भी भाग लिया। उस शिखर सम्मेलन में यह समझौता किया गया कि जर्मनी के एकीकरण की समस्या स्वतंत्र चुनावों द्वारा हल की जायेगी। इसके बाद जो कुछ हुआ है वह सर्वविदित है। सोवियत रूस ने जर्मनी के पुनः एकीकरण का अर्थ दो जर्मनी राज्यों की स्थापना से निकाला और बलपूर्वक बनाये रखने का प्रयत्न किया।

वर्ष 1949 से 1961 तक 35 लाख जर्मन पूर्व जर्मनी से पश्चिम जर्मनी में गये और वहां आश्रय मांगा। इससे जर्मन लोगों की एकता का सही प्रमाण मिलता है। पश्चिमी शक्तियों ने मार्शल प्लान के अन्तर्गत जर्मनी को 133 करोड़ 30 लाख डालर की सहायता की है, जबकि रूस ने युद्ध हर्जाने के नाम पर जर्मनी से 600 करोड़ डालर कीं मशीनें तथा अन्य सामान लूटा है। रूस ने जर्मनी पर नग्न अत्याचार किये हैं। पूर्व जर्मनी की सरकार रूस की कठपुतली है और वहाँ जो चुनाव होते हैं। उसमें रूसी टैंकों का इस्तेमाल किया जाता है और जर्मनी की जनता को कुचला जाता है। यद्यपि बर्लीन की दीवार बनी हुई है, तथापि पूर्व जर्मनी की कैद से बचने के लिये 24,000 व्यक्तियों ने अपने जीवन को खतरे में डाला है। ऐसी स्थिति में यदि भारत सरकार जर्मनी के पुनः एकीकरण में विश्वास रखती है, तो जर्मन लोकतंत्रात्मक गणराज्य को स्वीकार करना महापाप होगा।

यह बड़े दुख की बात है कि जर्मनी का एक भाग पर विदेशी अधिकार है और एक करोड़ 70 लाख पूर्वी जर्मनी के लोग साम्राज्यवादी नियंत्रण में दुःख पा रहे हैं और उन्हें स्वतंत्रता का वरदान प्राप्त नहीं है। परन्तु यह एक आन्तरिक समस्या है और हम केवल अपनी सहानूभूति व्यक्त कर सकते हैं, हस्तक्षेप नहीं कर सकते। हमें सैद्धान्तिक कमजोरियों, चालाक तर्कों और असंगत उदाहरणों के बहकावे में नहीं आना चाहिये। चीन ने हमारी 47,000 वर्ग मील भूमि पर अधिकार

किया हुआ है । कल्पना कीजिये यदि चीन वहां कठपुतली सरकार स्थापित करता है तथा कोई देश उसे मान्यता देता है, तो हमारे दिल पर क्या गुजरेगी । वही स्थिति पश्चिम जर्मनी की है ।

**श्री बाकर अली मिर्जा** (सिकन्दराबाद) : साम्यवाद की बुराइयों के बारे में बड़े ओज-पूर्ण भाषण दिये गये हैं । एक माननीय सदस्य ने कहा है कि एक बड़ी दीवार के होते हुये भी 3 करोड़ 50 लाख व्यक्ति पश्चिम जर्मनी में चले गये हैं । मैं समझता हूं यह तर्क न्यायसंगत नहीं है । आप वियतनाम को देखिये ! यद्यपि अमरीका ने इस्पात की दीवार खड़ी कर रखी है तथा 1,300 करोड़ डालर खर्च किये हैं, तथापि करोड़ों व्यक्ति उत्तर वियतनाम से दक्षिण वियतनाम में जा रहे हैं । इसलिये यह प्रश्न विचारधारा का प्रश्न नहीं है । किसी देश को मान्यता देना इस बात पर निर्भर नहीं करता कि उस देश की विचार धारा क्या है । किसी देश की शासन-प्रणाली उसका अपना घरेलू मामला होता है । कुछ नियमों के आधार पर देशों को मान्यता दी जाती है । मैं श्री मुकर्जी से इस बात पर सहमत नहीं हूँ कि पश्चिम जर्मनी के डर के कारण हमने पूर्व जर्मनी को मान्यता नहीं दी है । दूसरे विश्व युद्ध के बाद पूर्व और पश्चिम के बीच शीतयुद्ध जोरों से चल पड़ा था और छोटे से कार्य से भी स्थिति में कुछ परिवर्तन हो सकता था । हम आशा करते थे कि एक न एक दिन दोनों जर्मनी एक हो जायेंगी और उनका समझौता हो जायेगा । इस लिये हमने किसी को भी मान्यता नहीं दी ।

[ श्री रा० ढो० भण्डारे पीठासीन हुए
Shri R. D. Bhandare in the Chair ]

किन्तु बाद में व्यवहारिकता के आधार पर हमने पूर्वी जर्मनी के साथ इस तरह व्यवहार किया है जैसे उसे मान्यता दे रखी हो । मैं समझता हूं कि ऐसी स्थिति में अब उसे औपचारिक मान्यता देना एक सही कदम होगा । पूर्व जर्मनी का रवैया हमारे प्रति हमेशा मित्रता पूर्ण रहा है, जबकि पश्चिम जर्मनी का रवैया हमारे प्रति हमेशा शत्रुतापूर्ण रहा है । पश्चिम जर्मनी पाकिस्तान को खुले तौर पर या गुप्त रूप से हथियार सप्लाई करता रहा है, और उसका रवैया हमेशा भारत विरोधी रहा है, जबकि पूर्वी जर्मनी का रवैया मित्रतापूर्ण रहा है और उसके सहयोग और सहायता का आधार व्यापारिक है । जो सहायता हमें रूस अथवा पूर्वी जर्मनी से व्यापारिक आधार पर मिलती है, वह हमारे देश के लिये बहुत अच्छी है तथा जो सहायता दबाव डालने के लिये डालर के रूप में मिलती है, वह हमारे हित में नहीं है । इस प्रकार की सहायता को जितनी जल्दी बन्द किया जाये, उतना ही अच्छा होगा । अतः यह बात अजीब नजर आती कि उस देश को मान्यता देने में हम हिचकिचा रहे हैं, जिसका रवैया हमारे प्रति मित्रतापूर्ण है, जबकि हमने उस देश को मान्यता देने में बहुत उत्सुकता दिखाई है जिसका रवैया हमारे प्रति शत्रुतापूर्ण है । हमें पूर्व जर्मनी को मान्यता देनी चाहिये ।

**Shri Ram Sewak Yadav** (Bara Banki) : I support the motion. One of the outcome of the Second World War had been the bifurcation of many countries. Our country was divided into two parts i.e. India and Pakistan. The Germany was divided into parts i.e. East and West Germany and side by side rose the problems of Israel, South Korea and North Korea and Formusa. It would have certainly been a very good thing if all these divided countries are united again. But the reality is that, that is not going to happen. So the wiser course is to recognise them all.

Though the Government of India are saying again and again that they are following a straight policy, but the fact is that our Government's policies are emanated from a sense of fear. In some cases they want to please USA and in some cases they try to please USSR. When it comes to the question of giving recognition of East Germany, they do not do so in order to please America and when it comes the question of giving recognition to Formusa, they do not do so in order to please Russia. This is the policy which our Government has been following and this policy cannot be termed as an independent policy. If they had followed a straight and fearless policy, the diplomatic recognition of these countries would not have been pending so far. The fact is that no body can deny the existence of East Germany. Whether we like it or not. It is not a question of our likeing or disliking, because every independent country has its own ideology. We may agree or disagree with that ideology, that does not matter. The ideology that a country follows must not come in our way of recognising it. The principle should be whether that country has a strong and stable Government, which is able to govern the country and every country fulfilling this condition should be recognised without fear and favour. If that is done, then the world will accept that our policy is an independent one otherwise our mere saying that we are following an independent policy does not matter much. So I request that the wrong that Government have been perpetuating should be corrected now and all the states such as East Germany, Israel, Formusa otc. should be recognised, as their existance is a reality. When we have recognised China, which is hostile to us, I fail to understand why we cannot recognise have East Germany and other countries, I would request the Government of India that they should see the reality and recognise East Germany.

**श्री गणेश** (अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह) : मैं श्री ही० ना० मुकर्जी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। वह यह प्रस्ताव बहुत ठीक सयम पर लाये हैं, क्योंकि इस समय विश्व के महानतम शिक्षक और दार्शनिक कार्लमार्क्स की 150 वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। उन्होंने मानव को एक नई प्रेरणा दी थी तथा यह सिद्ध कर दिया था कि मानव अपने प्रयत्नों के आधार पर एक नये समाज का निर्माण कर सकता है। जर्मन लोकतंत्रात्मक गणराज्य में उनके सिद्धांतों के आधार पर उपयोगी काम किया जा रहा है।

अब स्थिति यह है कि जर्मन लोकतंत्रात्मक गणराज्य यूरोप की एक महान औद्योगिक शक्ति के रूप में प्रसिद्ध है और उसने समाजवादी संविधान को अपनाया है। इसके विपरीत जर्मन संघीय गणराज्य को आरम्भिक आर्थिक विकास के बावजूद आर्थिक कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। बीस वर्षों के बाद अभी भी पश्चिम जर्मनी में हिटलर के फासिस्ट सिद्धांतों का प्रभाव है।

हम सब जानते हैं कि पश्चिमी जर्मनी का रवैया भारत के प्रति शत्रुतापूर्ण रहा है। वह पाकिस्तान को हथियारों की सप्लाई करता रहा है तथा ऐसे मानचित्रों का प्रकाशन करता रहा है, जिनमें काश्मीर को एक स्वतन्त्र राज्य दिखाया गया हैं। पश्चिम जर्मनी के रवैये से हमारे राष्ट्रीय हितों को धक्का पहुंचा है। अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में भी, चाहे वह रोडेशिया का मामला हो, या अरब लोगों पर इजराइल के आक्रमण का मामला हो, पाकिस्तानी आक्रमण हो या दक्षिण अफ्रीका की जाति भेद नीति सम्बन्धी मामला हो, पश्चिम जर्मनी ने हमेशा ही उपनिवेशवाद और आक्रमण का समर्थन किया है।

दो जर्मन राष्ट्रों का होना एक एतिहासिक तथ्य है। उनके राजनैतिक ढांचे तथा विचारधारा भिन्न भिन्न है। अब यदि इस सम्बन्ध में हमारी नीति का आधार यह हो कि जर्मन लोक-

तन्त्रात्मक गणराज्य को मान्यता देने से जर्मन राष्ट्र के एकीकरण में बाधा पड़ेगी तो यह हमारी भ्रान्ति होगी, क्योंकि दो जर्मन राष्ट्र एक वास्तविकता है और दोनों शक्ति गुट भी इन दो जर्मन राष्ट्रों का एकीकरण नहीं कर सकते हैं ।

जैसा कि पहले कहा गया है हाल्सटीन के सिद्धांत समाप्त हो चुके हें । बर्मा, श्रीलंका, यूगोस्लाविया तथा रुमानिया जैसे देशों ने दोनों जर्मनी को मान्यना दे रखी है । पश्चिम जर्मन सरकार इन देशों के विरुद्ध कुछ भी कार्यवाही नहीं कर सकी है । हमारा देश बहुत बड़ा देश है और हम यह नहीं चाहते कि कोई देश हमारे आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप करे ।

जर्मन लोकतन्त्रात्मक गणराज्य एक मित्र राष्ट्र है और उसके हमारे साथ सांस्कृतिक, आर्थिक और मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध हैं। लोकतन्त्रात्मक गणराज्य ने चीन और पाकिस्तान के आक्रमण के समय तथा राष्ट्रीय संकट के हर मोके पर हमारा समर्थन किया है । अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में हमारी नीति जर्मन लोकतन्त्रात्मक गणराज्य से मिलती है । हमें जर्मन लोकतन्त्रात्मक गणराज्य को शीघ्र ही मान्यता देनी चाहिये ।

**श्री बलराज मधोक :** (दक्षिण दिल्ली) : मैं श्री मुकर्जी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं, परन्तु उन्होंने पश्चिम जर्मनी के प्रेजिडैंट तथा चान्सलर के विरुद्ध जिस कड़ी भाषा का प्रयोग किया है, मैं उससे सहमत नहीं हूँ । श्री मुकर्जी एक वरिष्ठ तथा समझादार सदस्य हैं तथा उन्हें एक राष्ट्र के नेता के विरुद्ध इतनी कड़ी भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिये था ।

हमारे समक्ष प्रश्न यह हैं कि हमें जर्मन लोकतन्त्रात्मक गणराज्य को मान्यता देनी चाहिये । जर्मन लोकतन्त्रात्मक गणराज्य एक ऐतिहासिक तथ्य है और यह जीवन की एक वास्तविकता है । पश्चिम जर्मनी या किसी भी देश को हमारे ऊपर यह दबाव नहीं डालना चाहिये कि हम जर्मन लोकतन्त्रात्मक गणराज्य को मान्यता न दें । जब तक यह एक अलग राज्य है, तब तक इसे मान्यता दी जानी चाहिये । आज स्थिति यह है कि जर्मनी बटा हुआ है, कोरिया बटा हुआ है वियतनाम बटा हुआ है, तथा भारत बटा हुआ है । मैं आशा करता हूं कि एक दिन ऐसा आयेगा, जब जर्मनी का एकीकरण होगा, कोरिया का एकीकरण होगा, वियतनाम का एकीकरण होगा और भारत का एकीकरण होगा । परन्तु वह दिन बहुत दूर है । इसलिये जब तक वे अलग अलग हैं, हमें उन्हें मान्यता देनी चाहिये ।

जहां तक हमारी नीति का सम्बन्ध है, यह कहा जाता है कि हम तटस्थता की नीति का पालन करते रहे हैं । परन्तु मैं यह नहीं समझ सका हूं कि इस तटस्थता का अर्थ क्या है ? प्रत्येक देश को किसी न किसी समय अन्य देश के साथ सम्बद्ध होना पड़ता है । जिस पर व्यक्ति के कुछ मित्र होते हैं, और कुछ शत्रु होते हैं, उसी प्रकार देश के भी कुछ मित्र होते हैं तथा कुछ शत्रु होते हैं । संयुक्त अरब गणराज्य को तटस्थ राष्ट्र कहा जाता है, परन्तु उसने इराक और सीरिया से सैनिक समझौता किया हुआ है । मैं स्वीकार करता हूं कि जहां तक अमरीका और रूस का संबंध है, हमें तटस्थ रहना चाहिये, परन्तु चीन और पाकिस्तान के सम्बन्ध से हमें तटस्थ नहीं रहना चाहिये । चीन और पाकिस्तान ने हमारे विरुद्ध सांठगांठ की हुई है, इसलिये हमें भी इनके विरुद्ध किन्हीं देशों से मित्रता करनी चाहिये । तटस्थता शब्द कोई वेद वाक्य नहीं है और हमें इस संबंध

में पुनर्विचार करना चाहिये । हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि जिन परिस्थितियों में हमारी नीतियां निर्धारित की गई थीं, वे अब बदल चुकी हैं । अब समय आ गया है, जबकि हमें अपनी नीतियों पर फिर से विचार करना चाहिये । हमारा राष्ट्र एक गतिशील राष्ट्र है । हमें देश की आवश्यकताओं और परिस्थितियों के अनुसार अपनी नीतियां निर्धारित करनी चाहिये । हमें पंडित नेहरू द्वारा कही गई बातों की रट नहीं लगाते रहना चाहिये । हमें देश की वर्तमान आवश्यकता के अनुसार अपनी नीति निर्धारित करनी चाहिये । किसी देश को राजनयिक मान्यता देने में उस देश की राजनीतिक प्रणाली बाधक नहीं होनी चाहिये । मैं समझता हूं कि ऐसा कोई कारण नहीं है जिस की वजह से हम जर्मन लोकतंत्रात्मक गणराज्य को मान्यता न दें । परन्तु हमें यह तर्क नहीं देना चाहिये कि पश्चिम जर्मनी का रवैया हमारे साथ अमैत्रीपूर्ण है उसने पाकिस्तान को हथियार दिये हैं तथा काश्मीर को मानचित्र में स्वतन्त्र राष्ट्र दिखाया है । पाकिस्तान और चीन का रवैया भी हमारे साथ अमैत्रीपूर्ण है, परन्तु उनके साथ भी हमारे राजनयिक सम्बन्ध हैं ।

किसी भी देश के निवासियों को यह अधिकार होता है कि वे अपने देश में किसी भी राजनैतिक व्यस्वथा को अपना सकते हैं । वहां पर अनुशासन बद्ध स्वतन्त्र अर्थव्यवस्था है । तो केवल इस आधार पर उसे राजनैतिक मान्यता न देना और उसके साथ राजनयिक सम्बन्ध स्थापित न करना कहाँ तक ठीक है । मेरे विचार से तो यह व्यवस्था सामाजिक अर्थव्यवस्था से अधिक अच्छी है मैं चाहता हूं कि जर्मन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के साथ पूर्ण रूप से सम्बन्ध स्थापित किये जायें, क्योंकि पूर्वी जर्मनी एक वास्तविकता है, वह राष्ट्र अस्तित्व में है, चाहे वहां किसी भी प्रकार की राजनैतिक व्यवस्था क्यों न हो । इसी आधार पर इजराइल और तैवान के साथ राजनयिक सम्बन्ध स्थापित करने में भी हमें संकोच नहीं करना चाहिये । अतः मेरा अनुरोध है कि हमारी अन्तर्राष्ट्रीय नीति पूर्वाग्रहों या सनक पर आधारित न होकर तर्क और राष्ट्रीय हितों पर आधारित होनी चाहिये ।

**श्री कंडप्पन** (मैट्टूर) : मैं श्री ही० ना० मुकर्जी द्वारा प्रस्तावित संकल्प का स्वागत और समर्थन करता हूँ । सभा में केवल श्री पीलु मोडी ने ही इसका विरोध किया है । आज उन्होंने जितने तर्क दिये हैं वे सब तर्कहीन हैं और उनसे पता चलता है कि उनका साम्यवाद से अत्यधिक मोह है । दूसरी ओर मैं श्री बलराज मधोक की इस बात से सहमत हूं कि स्थिति की वास्तविकता को ध्यान में रखते हुये मान्यता देने के प्रश्न पर विचार करना चाहिये । पूर्वी जर्मनी में प्रभुत्व सम्पन्न राज्य है । अनेक देशों ने उसे मान्यता दे रखी है । अतः यह उचित समय है जबकि हमें उसके साथ राजनयिक सम्बन्ध जोड़ने चाहिये । इसके परिणामस्वरूप दोनों देशों के बीच व्यापार भी बढ़ेगा ।

**श्री इन्द्रजीत मल्होत्रा** (जम्मू) : विचाराधीन प्रस्ताव का सब ओर से समर्थन किया गया है । श्री बलराज मधोक ने ठीक ही कहा है कि विदेश नीति के मूलभूत पहलुओं पर नवीनतम वातावरण में विचार करना चाहिये और विदेश नीति को उसके अनुरूप ढालना चाहिये । आज हम इस बात से इन्कार नहीं कर सकते कि दो जर्मनी विद्यमान हैं । यह तथ्य है, वास्तविकता है और इसमें संदेह की कोई गुंजाइश नहीं है । यह पूर्वी जर्मनी का आन्तरिक मामला है कि उन्होंने किस प्रकार की राजनैतिक व्यवस्था अपनाई है । इसमें किसी भी राष्ट्र को हस्तक्षेप करने का हक नहीं होता । हमने चीन को तो मान्यता दे रखी है परन्तु पूर्वी जर्मनी को किन कारणों से मान्यता

नहीं दी जा रही है ? आज आवश्यक्ता इस बात की है कि जर्मन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक को मान्यता दी जाये । मैं श्री ही० ना० मुकर्जी के संकल्प का पूर्ण रूप से समर्थन करता हूं ।

**श्री प० गोपालन** (तेल्लीचेरी) : मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं जिसमें पूर्वी जर्मनी को मान्यता प्रदान किये जाने की मांग की गई है । यह एक ऐतिहासिक तथ्य है कि दो जर्मनी अस्तित्व में है । श्री पीलू मोडी ने यह तर्क दिया कि दो जर्मन देशों के एकीकरण के हित में भारत को पूर्वी जर्मनी को मान्यता नहीं देनी चाहिये । दूसरे वह चाहते हैं कि यह एकीकरण भूतपूर्व नाजियों के मातहत हों, क्योंकि पश्चिमी जर्मनी के शासक भूतपूर्व नाजी हैं । श्री पीलू मोडी ने वास्तविकता से आंखें बन्द कर रखी हैं ।

हमने पश्चिमी जर्मनी को तो मान्यता दे रखी है जहाँ नाजीवाद का पोषण हो रहा है । फिर पूर्वी जर्मनी को मान्यता देने से भारत इन्कार क्यों करता हैं ? भारत का व्यापार भी पूर्वी जर्मनी से अधिक बढ़ सकता है क्योंकि पूर्वी जर्मनी से व्यापार संतुलन हमारे अनुकूल होता है जबकि पश्चिमी जर्मनी के साथ व्यापार संतुलन हमारे प्रतिकूल होता है । भारत सरकार द्वारा पूर्वी जर्मनी को मान्यता न दिये जाने का केवल एक कारण है और वह है सरकार का यह डर कि पूर्वी जर्मनी को मान्यता देने से पश्चिमी जर्मनी से मिलने वाली आर्थिक सहायता बन्द हो जायेगी । परन्तु इस प्रकार से डरना एक सरकार के लिये कहां तक उचित है । अतः यह समय मांग है कि पूर्वी जर्मनी को मान्यता दी जाये ।

**श्री समर गुह** (कन्टाई) : किसी राष्ट्र को मान्यता देते समय इस बात पर विचार नहीं किया जाता कि वह किस प्रकार से अस्तित्व में आया है या उसमें किस प्रकार की शासन व्यवस्था है । विश्व युद्ध के बाद तो इसके लिये केवल एक ही बात पर विचार किया जाता है कि क्या कोई राष्ट्र वास्तव में अस्तित्व में है । इसी आधार पर मान्यता दी जाती है यदि कोई राष्ट्र अस्तित्व में है तो उसे मान्यता दी जानी चाहिये । मान्यता देने के प्रश्न को राजनीतिक विचारधारा से नहीं जोड़ा जाना चाहिये । इस आधार पर हमारी सरकार को न केवल पूर्वी जर्मनी को बल्कि इसराइल, दूसरे चीन (तैवान) तथा तिब्बत को भी मान्यता देनी चाहिये ।

**श्री श्रद्धाकर सूपाकर** (सम्बलपुर) : किसी देश को मान्यता देने के प्रश्न पर निर्णय न तो इस बात पर किया जाता कि वहाँ पर किस प्रकार की सरकार है या वह देश हमारा मित्र है अथवा शत्रु । मान्यता देने का प्रश्न राजनैतिक सिद्धाँत से सम्बद्ध होता है, नीति सिद्धांत से नहीं । अत इस समय प्रश्न यह है कि क्या हमें इस समय पूर्वी जर्मनी को मान्यता देनी चाहिये । पंडित: जवाहरलाल नेहरू के जीवन काल में भी हमारे पूर्वी जर्मनी के साथ मैत्री सम्बन्ध थे, परन्तु उसे मान्यता केवल इस आशा के आधार पर नहीं दी गई थी कि एक समय वह आयेगा जबकि दोनों जर्मन देश एक जगह मिल जायेंगे और इस बात पर विचार करने की आवश्यकता ही न रहेगी कि मान्यता एक जर्मनी को देनी चाहिये या दोनों को ।

**श्री जी० ना० कृपलानी** (गुना) : मेरे विचार से जो तर्क दिये गये हैं, उनका तथ्यों से कोई सम्बन्ध नहीं है । पूर्वी जर्मनी को राजनयिक मान्यता देने के लिये विभिन्न आधारों पर तर्क दिये जा रहे हैं । कुछ सदस्यों ने तर्क दिया है कि क्योंकि पूर्वी जर्मनी एक वास्तविक सत्य बन

गया है, इसलिये इसे मान्यता दी जानी चाहिये । लेकिन इन्हीं में से कुछ सदस्य इसी आधार पर फारमोसा और इजराइल को मान्यता देने की बात नहीं करते । कुछ अन्य सदस्यों ने पूर्वी जर्मनी के साथ बढ़ते हुए व्यापार का हवाला दिया है और कहा कि इस देश के साथ व्यापार संतुलन हमारे लिये लाभकर है जबकि पश्चिमी जर्मनी के साथ यह संतुलन हानिकर है । वह यह समझते हैं कि मान्यता देना अथवा न देना संतुलन के अनुकूल अथवा प्रतिकूल होने पर निर्भर करता है । यदि हम ऐसा सोचने लगें तो हमारा व्यापार संतुलन यूरोप के प्रत्येक देश, जापान, अमरीका, कनाडा और आस्ट्रेलिया के साथ अलाभकर है ।

कुछ सदस्यों ने यह कहा है कि विदेश नीति के मामले में हमें स्वर्गीय श्री जवाहरलाल नेहरू का अनुसरण करना चाहिये । मेरे विचार से तो श्री जवाहरलाल नेहरू की कोई स्थिर विदेश नीति नहीं थी । उन्होंने तो वही किया जो समय-समय पर उन्होंने उचित समझा । जहां तक श्री पीलू मोडी के इस विचार का सम्बन्ध है कि जर्मनी एक होना चाहता है, तो मेरा ऐसा विचार है कि हमारे मान्यता देने अथवा न देने से इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा । जर्मनी तो एक होकर रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है ।

मैं समाजवादी जर्मनी की बात नहीं करता । समाजवाद अथवा गैरसमाजवाद की बात करना बेकार है । मेरे विचार से तो अमरीका भारत से अधिक समाजवादी है । यदि कोई समाजवाद आपको केवल शब्दों का ही आश्वासन दे सकता है और भोजन की व्यवस्था नहीं कर सकता, तो वह समाजवाद केवल नाममात्र का ही है मुझे इसमें तनिक भी संदेह नहीं है कि पूर्वी यूरोप के देश आज स्वतन्त्र नहीं है चैकोस्लोवाकिया तक में भी क्रांति चल रही है । अतः भुगतान संतुलन के आधार पर सोचना गलत है ।

यह तो स्वीकार करना ही पड़ेगा कि सामान्यता वास्तविक सरकारों को मान्यता दी जानी चाहिये किन्तु पूर्वी जर्मनी को मान्यता देने का प्रश्न सरकार पर छोड़ देना चाहिये । वह देश के हित में जो निर्णय लेना चाहे, ले । हमने बहुत सी ऐसी बातें कही हैं जो विरोधाभासी हैं । मेरे कांग्रेसी मित्रों ने कहा है कि अमरीका और रूस नजदीक आते जा रहे हैं और उनके बीच कोई भी शीत युद्ध नहीं है यदि उनके बीच शीत युद्ध नहीं है तो हमारी सरकार अभी तक तटस्थता की नीति पर क्यों चल रही है । तटस्थता का आज कोई आधार नहीं हैं । हमें अपने राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए सरकारों को मान्यता देनी चाहिये ।

**श्री इन्द्रजीत गुप्त** (अलीपुर) यह सच है कि जर्मन लोकतंत्रात्मक गणराज्य का पहले राज्य स्थापित किया गया और बाद में लोकतंत्रीय गणराज्य स्थापित किया गया । सितम्बर, 1949 में अमरीकी, ब्रिटिश और फ्रांसीसी क्षेत्रों को एकीकृत कर दिया गया था और उहें संघीय गणराज्य के रूप में स्थापित कर दिया गया था और प्रतिक्रिया स्वरूप जर्मन लोकतंत्रात्मक गणराज्य स्थापित किया गया ।

दूसरी बात यह है कि पोट्सडाम संधि में जिसका उल्लेख यहां किया गया है, कुछ राजनीतिक सिद्धान्त और नौ सूची आर्थिक सिद्धान्त शामिल हैं । दोनों प्रकार के सिद्धान्तों का सार युद्ध के बाद के युग में जर्मनी से नाजीवाद को आमूल नष्ट करना था । मंत्री महोदय हमें

यह बतायें कि भारत सरकार उस जर्मन सरकार पर क्यों इतनी मोहित है जो पोट्सडाम संधि के मूल सिद्धान्तों का निरन्तर उल्लंघन कर रही है।

मंत्री महोदय यह भी बतायें कि दो जर्मन सरकारों के अस्तित्व के संबंध में स्वर्गीय पंडित नेहरु और प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी के वक्तव्यों पर भारत सरकार की नवीनतम प्रतिक्रिया क्या है।

**वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : यह कहा गया है कि जो भी विद्यमान राष्ट्र हैं उनको मान्यता प्रदान की जानी चाहिये। अतः इस आधार पर जर्मन लोकतंत्रात्मक गणराज्य, इजरायल तथा तैवान को मान्यता दी जानी चाहिये। हम इजरायल को पहले ही मान्यता दे चुके हैं परन्तु उस देश के साथ हमारे राजनयिक सम्बन्ध नहीं है। हम किसी देश के साथ राजनयिक सम्बन्ध रख सकते है अथवा नहीं भी रख सकते। परन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि जर्मन लोकतंत्रात्मक गणराज्य तथा इजरायल का समान मामला है।

जर्मन लोकतंत्रात्मक गणराज्य के साथ भारत की बड़ी नीति है जो श्री नेहरु द्वारा आरम्भ की गई थी। पंडित नेहरु ने पूर्व जर्मनी के साथ राजनयिक सम्पर्क से विरुद्ध परामर्श इस आधार पर दिया था कि शायद ऐसा करने से उस क्षेत्र में तनाव बढ़ेगा और यह जर्मनी के एकीकरण के रास्ते में बाधक होगा। जैसी कि वर्तमान समय में वियतनाम की स्थिति है, उस समय बर्लिन भी एक ऐसी समस्या थी जिस पर कि युद्ध और शान्ति निर्भर थी। उस समय हम अधिक तनाव पैदा नहीं करना चाहते थे।

जर्मन लोकतंत्रात्मक गणराज्य से भारत के संबंध वास्तविकता के आधार पर अच्छे चल रहें हैं। हमारे एक दूसरे से अच्छे व्यापारिक संबंध हैं जो दोनों के लिये हितकर हैं। हम दोनों इसके विस्तार में रुचि रखते हैं और इस संबंध में पहले ही कार्यवाही आरम्भ की जा चुकी है। हमने उनके व्यापारिक मेलों तथा प्रदर्शनियों में भाग लिया है और उन्होंने हमारी प्रदर्शनियों आदि में भाग लिया है। दूसरे सम्पर्क भी सुदृढ़ हो रहे हैं। अभी हाल ही में जर्मन लोकतंत्रात्मक गणराज्य के विदेश मंत्री ने हमारे देश में कुछ दिन बिताये और हमें उनसे मिलने और उनसे लाभदायक बातें करने का अवसर मिला।

इस संकल्प में एक नाजुक प्रश्न उठाया गया है। जल्दबाजी करना उचित नहीं होगा। इससे वर्तमान तनाव बढ़ सकता है तथा सन्तुलन खराब हो सकता है।

मैं माननीय सदस्यों द्वारा व्यक्त किये गये विचारों को अवश्य ध्यान में रखूंगा। यह कहना गलत है कि हम अपने रवैये में हमेशा किसी न किसी पर निर्भर करते हैं। एक नई स्थिति बनती जा रही है। हम इन सब बातों को अवश्य ध्यान में रखेंगे।

हम जर्मन लोकतंत्रात्मक गणराज्य के साथ अपने सम्पर्क का यूरोप में बदलती हुई राजनैतिक स्थिति को सामने रखकर तथा अपने विभिन्न प्रकार के परस्पर लाभदायक संबंधों को दृष्टिगत रखकर निरन्तर पुनर्विलोकन करते रहते हैं।

हमने सभा में इस विषय पर व्यक्त किये गये विचारों को सावधानी पूर्वक नोट किया है तथा जर्मन लोकतन्त्रात्मक गणराज्य के साथ अपने संबंधों को और आगे बढ़ाने के लिये हम इनका ध्यान रखेंगे ।

**श्री ही० ना० मुकर्जी** (कलकत्ता उत्तर-पूर्व) : तैवान को राजनयिक मान्यता देने का प्रश्न उठाया गया है । हमारे लिये तैवान को मान्यता देना सिद्धान्तों के अनुसार नहीं होगा । परन्तु जहां तक जर्मन लोकतन्त्रात्मक गणराज्य का सम्बन्ध है, सिद्धान्तों की दृष्टि में तथा व्यवहारिक कारणों से हमें यह करना चाहिये । इस सम्बन्ध में स्वर्गीय श्री जवाहर लाल नेहरू के मार्ग में केवल यही कारण बाधक बनता रहा है कि उस विशेष समय पर जर्मन लोकतन्त्रात्मक गणराज्य को मान्यता देने से यूरोप की राजनीति दूषित हो सकती थी और इसलिये उस समय जल्दबाजी ठीक नहीं थी । परन्तु अब सात वर्ष बीत गये हैं । क्या हम बोन गणराज्य को मान्यता देकर तथा जर्मन लोकतन्त्रात्मक गणराज्य को मान्यता न देकर यूरोप की सुरक्षा के सम्बन्ध में कुछ सहयोग दे रहे हैं ।

यह आवश्यक है कि जर्मन लोकतन्त्रात्मक गणराज्य को मान्यता देने के बारे में हम कुछ कार्य करें । इसके अतिरिक्त हमारे दोनों देशों के बीच बढ़ते हुये सांस्कृतिक वाणिज्यिक तथा अन्य सम्बन्धों की दृष्टि में, जो दोनों देशों के लिये लाभदायक है, यह अत्यधिक आवश्यक है कि हम जर्मन लोकतन्त्रात्मक गणराज्य को मान्यता देने से इंकार करके उसका अपमान न करें ।

यह खुशी की बात है कि सभा के विभिन्न सदस्यों ने एक अथवा अन्य कारणों से संकल्प के समर्थन में अपने विचार व्यक्त किये हैं । मन्त्री महोदय ने भी यह सुझाव दिया है कि संकल्प की भावना से उनकी सहानुभूति है और वह इससे अधिक कुछ नहीं कर सकते ।

सरकार को राज्य व्यापार निगम का कार्यालय वर्तमान ढंग से भिन्न रूप में खोलना चाहिये । मन्त्री महोदय ने ऐसे एक भी ठोस कदम का सुझाव नहीं दिया है जो भविष्य में मान्यता देने के बारे में उठाया जाय ।

**उपाध्यक्ष महोदय** : दो संशोधन हैं । क्या श्री अमृत नहाटा अपना संशोधन वापस लेना चाहते हैं ।

**श्री अमृत नहाटा** : जी हां ।

## संशोधन सभा की अनुमति से वापस लिया गया
## THE AMENDMENT WAS BY LEAVE WITHDRAWN

**उपाध्यक्ष महोदय द्वारा श्री इन्द्रजीत गुप्त का संशोधन सभा के मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ**

**The Amendment of Shri Indrajit Gupta was put and negatived**

**संकल्प सभा की अनुमति से वापस लिया गया**

**The Resolution, was by leave, withdrawn**

## सिविल और सैनिक विभागों में पदों के बारे में संकल्प
## Resolution re : Post in civil and Military Department

**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : मैं प्रस्ताव करती हूं

"इस सभा की राय है कि कार्य-कुशलता और मितव्ययता सुनिश्चित करने की दृष्टि से

सिविल और सैनिक विभागों में उच्च वेतन वाले पदों के निर्माण और कर्मचारियों के चयन की तथा तत्सम्बन्धी विद्यमान प्रक्रिया सम्बन्धी प्रश्न की जांच करने के लिये एक उच्च शक्ति प्राप्त समिति नियुक्त की जाये ।"

---

## *आधे घन्टे की चर्चा

## *HALF AN-HOUR DISCUSSION

## आयातित अखबारी कागज के मूल्यों के बारे में*

## RE : PRICES OF IMPORTED NEWSPRINT*

**श्री कृ० मा० कौशिक** (चांदा) : इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि हमारे देश में अखबारी कागज का उत्पादन कम है और हमें प्रति वर्ष विदेशों से अखबारी कागज का आयात करना पड़ रहा है ।

[**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा पीठासीन हुईं**
**Shrimati Tarkeshweri Sinha in the Chair**]

सरकार ने इस वर्ष अखबारी कागज नियंत्रण आदेश पास किया है ताकि अखबारी कागज के वितरण में कालाबाजारी और असमान वितरण न हो सके । लाइसेंस अखबारी कागज की मांग करने वाले व्यक्तियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुये दिये गये हैं । जब बड़े आयातकों को लाइसेंस मिले तो उन्हें अपने आयात करने वाले अभिकरणों द्वारा लाइसेंस में दर्ज कोटा मिलने में कोई कठिनाई नहीं हुई । छोटे और मध्यम दर्जे के आयातकों को कठिनाईयां हुई क्योंकि उनके आयात करने वाले अभिकरण नहीं थे और उन्हें आयात करने वाले एजेन्टों की सहायता लेनी पड़ी । इन आयात करने वाले एजेन्टों को वाणिज्य मन्त्रालय से लाइसेंस मिले हुए हैं और इन्हें सरकार से मान्यता प्राप्त है । इन आयातकर्ता एजेन्टों द्वारा छोटे और मध्यम दर्जे के आयातकों को अखबारी कागज के आयात का निर्धारित अंश मंगाना पड़ा है । इस अभिकरणों ने कागज के लिये राज्य व्यापार निगम के ठेके से अधिक धन दिया और अधिक रकम को प्रासंगिक व्यय बतलाया । छोटे और मध्यम दर्जे के लाइसेंस वालों के पास यह सत्यापन करने के लिये कि यह व्यय ठीक है या नहीं, कोई साधन नहीं है । सत्यापन करने के लिये उन्हें मूल दस्तावेज नहीं दिखाये गये । उन्होंने दस्तावेजों की सच्ची प्रतिलिपि तक नहीं दी ।

इस सम्बन्ध में कई बार आयात और निर्यात नियंत्रक, वाणिज्य मन्त्रालय और अन्य लोगों से शिकायतें की गयी और वास्तव में यह बात गृहमन्त्री को भी बतायी गयी और उनसे प्रार्थना की गयी कि वे इसकी जांच केन्द्रीय जांच कार्यालय से करायें ताकि बात स्पष्टतया मालूम हो सके । पर इतना होने पर भी कुछ नहीं हुआ । आयात और निर्यात के मुख्य नियंत्रक के कार्यालय के उच्च अधिकारियों, वाणिज्य मन्त्रालय के उच्च अधिकारियों और आयातक एजेन्टों ने एक गिरोह बनाया है ताकि वे उनका सहारा लेने वालों को निचोड़ सकें ।

सुदर्शन एक मराठी दैनिक समाचार पत्र है । इस मराठी दैनिक पत्र ने अखबारी कागज का कोटा आयात करने के लिये आवेदन दिया । उसे 5 मीट्रिक टन का कोटा दिया गया । कागज बम्बई के प्रीतम सिंह के द्वारा आयात किया गया । इस आयातक एजेन्ट ने राज्य व्यापार निगम द्वारा तय किये गये 801 रुपये प्रति मीट्रिक टन के मुकाबले 809 रुपये प्रति मीट्रिक टन लिया ।

वाणिज्य मन्त्रालय के आयात और निर्यात के मुख्य नियंत्रक कार्यालय के अधिकारियों ने इस आयातक एजेन्ट की सहायता से एक गिरोह बना रखा है और वे लोगों को लूटते हैं और लूट को बांटते हैं। जब तक केन्द्रीय जांच कार्यालय द्वारा इस सारे मामले की जांच नहीं होती, सही बातें प्रकाश में नहीं आयेगी। मैं आशा करता हूं कि मन्त्री महोदय इस बात को और अधिक गम्भीरता से लेंगे और इसकी जांच करायेंगे ताकि सच्ची बात का पता चल सके।

**वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह)** : मैं मानता हूं कि समाचार पत्रों को अखबारी कागज कम से कम कीमत पर सप्लाई किया जाए और कोई बिचौलिया फायदा न उठाये। मुझे इस बात की खुशी है कि माननीय सदस्य का यह विचार है कि गैर सरकारी व्यक्तियों के मुकाबले राज्य व्यापार निगम द्वारा किया जाने वाला आयात अच्छा रहा है। यदि और अधिक लोग राज्य व्यापार निगम द्वारा आयात करायें, तो जो कठिनाइयां बताई गई हैं, उनसे बचा जा सकता है।

एक मराठी दैनिक "सुदर्शन" का हवाला दिया गया है। यह मामला हमारे ध्यान में लाया गया है। हमने इस मामले की जांच की है। यह कहना ठीक नहीं है कि वाणिज्य मन्त्रालय और आयात के मुख्य नियन्त्रक के अधिकारियों में कोई साँठ गांठ है।

**श्री कृ० मा० कौशिक** : मेरे पास मूल बिल हैं उसने 809 रुपये लिये हैं। उस समय राज्य व्यापार निगम ने भी 801 रुपये की कीमत पर सीधा एक ठेका किया था। यह मामला मन्त्रालय और आयात के मुख्य नियंत्रक के ध्यान में लाया गया था। इस मामले में कोई कार्यवाही क्यों नही की गई।

**श्री दिनेश सिंह** : जैसा कि मैं बता रहा था, यह कहना उचित नहीं है कि इसमें कोई साँठ गांठ है।

शिकायत की जांच करने पर पता चला कि बिल में सीमा-शुल्क भंडार और निवासी व्यय आदि शामिल थे और कुल व्यय राज्य व्यापार निगम द्वारा ऐसे प्रेषणों पर लगाये जाने वाले प्रभारों की ही तरह था और कोई अनुचित ऊंचे दाम नहीं लगाये गये थे। यह सब अपनी अपनी राय की बातें है और जिन लोगों ने इस मामले की जाँच की है, उनके विचार से अधिक दाम नहीं लगाये गये हैं क्योंकि दरों में भण्डार और निकासी व्यय और दूसरी बातें भी शामिल थी।

जहां तक इस मन्त्रालय का सम्बन्ध है हमने यह जानने के लिये कि क्या हम इस मामले में कुछ कार्यवाही कर सकते हैं, वैधानिक परामर्श लिया और हमें यह परामर्श मिला कि यह पार्टी और संभरक के बीच का ठेका है और इस स्थिति में हमारा कुछ करना वांछनीय नहीं होगा।

सरकार एजेन्टों के हिसाब की छानबीन कर सकती है। सूचना और प्रसारण मन्त्रालय जो इस मामले में सम्बन्धित है, एजेन्टों के हिसाब की जांच कराने की व्यवस्था कर रहा है। वह एक ऐसी प्रणाली तैयार कर रहा है जिससे इनके हिसाब की ध्यानपूर्वक जांच करनी आवश्यक होगी। वे शीघ्र ही विचाराधीन प्रस्ताव तैयार कर लेंगे और तब उनके हिसाब की जाँच करना शायद अधिक शीघ्रता से सम्भव हो सकेगा।

**श्री श्रद्धाकर सूपाकर** : इस विशेष मामले में एजेन्ट ने न केवल ग्राहक से अतिरिक्त दाम लिये है, बल्कि नकली बीजक बनाकर सीमा शुल्क विभाग को भी ठगने की कोशिश की है। ऐसे मामले में सरकार क्या कार्यवाही करेगी ?

**Shri Deoras Patil** (Yeobmal) : Will the hon. Minister hold an independent enquiry of the whole affair since the matter has been hanging for the last three to four years and sufficient proof is and record is available in this regard ?

**Shri Shinkre** (Panjim) : Will the hon. Minister adopt a system under which paper will not be sold to small newspapers in one lot but in small quantities according to their requirements which may be beneficial to them.

**श्री अनन्तराव पाटिल** (अहमदनगर) : क्या ऐसी कोई नई प्रक्रिया बनाना सम्भव नहीं है जिससे गैर-सरकारी व्यापारियों या पार्टियों द्वारा अखबारी कागज का आयात न करवाया जाय बल्कि यह काम एक ऐसे अभिकरण को सौंपा जाय जो कि बड़े छोटे और मध्यम दर्ज़े के समाचार पत्रों के लिये लाभदायक हो सके ;

**श्री दिनेश सिंह** : जहां तक धोका देने की बात का सम्बन्ध है, समाचारों-पत्रों के रजिस्ट्रार ऐसी प्रणाली तैयार कर रहें हैं जिससे ऐसे मामलों की छानबीन हो सके और हमें आशा है कि यह जल्दी ही तैयार हो जायेगी । जहाँ तक इस सम्बन्ध में सीमा शुल्क विभाग को धोखा देने की बात कही गयी है, वह ठीक नहीं है ।

जहां तक एक स्वतंत्र अभिकरण के द्वारा जांच कराने का प्रश्न है, मैं बताना चाहता हूं कि हमने इस मामले की जाँच की हैं और मेरे पूर्वाधिकारी ने सभा को इस बारे में जानकारी दी थी । परन्तु मैं ऐसी किसी जांच के विरुद्ध नहीं हूं । यदि श्री पाटिल इस बारे में मुझे कोई कागजात पेश करें जिनके अनुसार किसी स्वतंत्र अभिकरण द्वारा जांच का कराना आवश्यक हो, तो मैं ऐसा अवश्य कराउंगा ।

जहां तक अखबारी कागज का आयात केवल राज्य व्यापार निगम द्वारा करवाने का सम्बन्ध है जिसका उद्देश्य कागज के आयात को नियन्त्रित करने का है, मैं निश्चित रूप से इस बात पर विचार करुंगा कि क्या हम कम से कम छोटे समाचारपत्रों के लिये अखबारी कागज के आयात के लिये कोई अधिक अच्छी प्रणाली बना सकते हैं ।

**इसके पश्चात् लोक सभा सोमवार, 6 मई, 1968/16 बैशाख, 1890 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई ।**

**The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Monday, the 6th May, 1968/Vaisakha 16, 1890. (Saka)**